GOVERNMENT OF HARYANA

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

हरियाणा

2023-24

जारीकर्ताः

अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा

2024

प्रकाशन संख्या 1356

www.esaharyana.gov.in पर उपलब्ध

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
हरियाणा
2023-24

जारीकर्ताः

अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा

योजना भवन, सैक्टर-4, पंचकूला

विषयवस्तु

	हरियाणा एक दृष्टि में	(i-ii)
अध्याय	**विषय**	**पृष्ठ**
	हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति	
अध्याय-1	**हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य**	**1-14**
अध्याय-2	**लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान**	**15-38**
	विभागों/ बोर्डों/ निगमों की उपलब्धियां	
अध्याय-3	**कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र**	**39-81**
अध्याय-4	**उद्योग, विद्युत, सड़कें तथा परिवहन**	**82-110**
अध्याय-5	**शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी**	**111-136**
अध्याय-6	**स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास**	**137-162**
अध्याय-7	**पंचायती राज, ग्रामीण तथा शहरी विकास**	**163-179**
अध्याय-8	**सामाजिक क्षेत्र**	**180-207**
	अनुलग्नक	**208-213**

हरियाणा एक दृष्टि में

मदें		अवधि/ वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
प्रशासनिक ढांचा		जनवरी, 2024	संख्या		
(क) मण्डल				6	
(ख) जिले				22	
(ग) उप-मण्डल				80	
(घ) तहसीलें				94	
(ड) उप-तहसीलें				49	
(च) खण्ड				143	
(छ) कस्बे		जनगणना,2011		154	
(ज) गांव (गैर आबाद सहित)		जनगणना,2011		6,841	
जनसंख्या		जनगणना,2011			
(क) कुल			संख्या	2,53,51,462	1,21,08,54,977
(ख) पुरूष			संख्या	1,34,94,734	62,32,70,258
(ग) स्त्रियां			संख्या	1,18,56,728	58,75,84,719
(घ) ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत			संख्या	1,65,09,359 65.12	83,37,48,852 68.86
(ड) शहरी			संख्या	88,42,103	37,71,06,125
(च) जनसंख्या घनत्व			प्रति वर्ग कि.मी.	573	368
(छ) साक्षरता दर	पुरूष		प्रतिशत	84.1	80.9
	स्त्री			65.9	64.6
	कुल			75.6	74.0
(ज) लिंग अनुपात			हजार पुरूषों पर स्त्रियां	879	943
स्वास्थ्य आंकडे					
(क) जन्म दर		2020	प्रति हजार		
(i) इक्टठी				19.9	19.5
(ii) ग्रामीण				21.2	21.1
(iii) शहरी				17.7	16.1
(ख) मृत्यु दर		2020	प्रति हजार		
(i) इक्टठी				6.1	6.0
(ii) ग्रामीण				6.5	6.4
(iii) शहरी				5.5	5.1

मदें	अवधि/ वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
(ग) बाल मृत्यु दर (आई.एम.आर.)	2020	प्रति हजार		
(i) इक्टठी			28	28
(ii) ग्रामीण			31	31
(iii) शहरी			23	19
(घ) मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.)	2018-20	1 लाख जीवित जन्म के ऊपरमृत्यु	110	97
भूमि उपयोग			2021-22	2019-20
(क) निवल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,584	1,39,902
(ख) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,140	71,456
(ग) कुल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	6,724	2,11,359
(घ) निवल बोया गया क्षेत्र का एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र		प्रतिशत	87.61	51.08
चालू जोतें	कृषि गणना 2015-16			
(क) चालू जोतों की संख्या		संख्या हजार	1,628	1,46,454
(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,609	1,57,817
(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.22	1.08
विद्युत	2022-23			
(क) स्थापित कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	13,443	3,99,497
(ख) उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	5,96,678	उपलब्ध नहीं
(ग) बेची गई विद्युत		गेगावाट	52,665	13,16,765
(घ) बिजली उपभोक्ता		संख्या	76,84,874	33,45,19,636
राज्य आय (चालू कीमतों पर)	2022-23 (द्रुत अनुमान)			
(क) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)		करोड़ रूपये	9,84,055.44	2,72,40,712
(ख) सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)		करोड़ रूपये	8,50,920.51	2,47,42,871
(ग) कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	1,55,668.32	45,57,599
(घ) उद्योग क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	2,60,532.85	69,88,791
(ड) सेवा क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	4,34,719.34	1,31,96,481
(च) प्रति व्यक्ति आय		रूपये	2,96,592.00	1,72,276

हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति

1

हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

हरियाणा राज्य सम्पन्न संस्कृति और कृषि समृद्ध भूमि है। यह उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब व दक्षिण में राजस्थान से घिरा हुआ है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा राज्य है और इसे तीन तरफ से घेरता है। हरियाणा केन्द्रीय पूल जो कि अधिशेष खाद्य अनाज की एक राष्ट्रीय भण्डार प्रणाली है, में काफी मात्रा में गेहूँ और चावल का योगदान देता है। हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भी तेजी से प्रगति की है। हरियाणा के प्रमुख उद्योग मोटर वाहन, आई.टी., कृषि एवं पैट्रोकैमिकल है। आटो की बड़ी कम्पनियां और आटो पार्टस निर्माताओं के लिए पसंदीदा स्थान होने के कारण राज्य देश का सबसे बड़ा आटो मोबाइल केन्द्र है। पानीपत में स्थित पानीपत रिफाइनरी (आई.ओ.सी.एल.) दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। राज्य सरकार एक प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा का संरचनात्मक परिवर्तन कृषि राज्य से सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज करने के साथ औद्योगिक राज्य के रूप में हो रहा है, राज्य ने सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाया है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है जो देश के केवल 1.3 प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है इसके बावजूद राज्य का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2022-23 के द्रुत अनुमानों के अनुसार योगदान 3.7 प्रतिशत है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

1.2 अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 10,95,535.06 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जो वर्ष 2022-23 की 13.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2023-24 में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011-12) कीमतों पर 6,34,026.56 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2022-23 में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2023-24 में 8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर (2011-12) कीमतों पर तालिका 1.1 व वर्ष दर वर्ष वास्तविक वृद्धि दर आकृति 1.1 में दी गई है।

आकृति 1.1– हरियाणा तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011–12) कीमतों पर वृद्धि

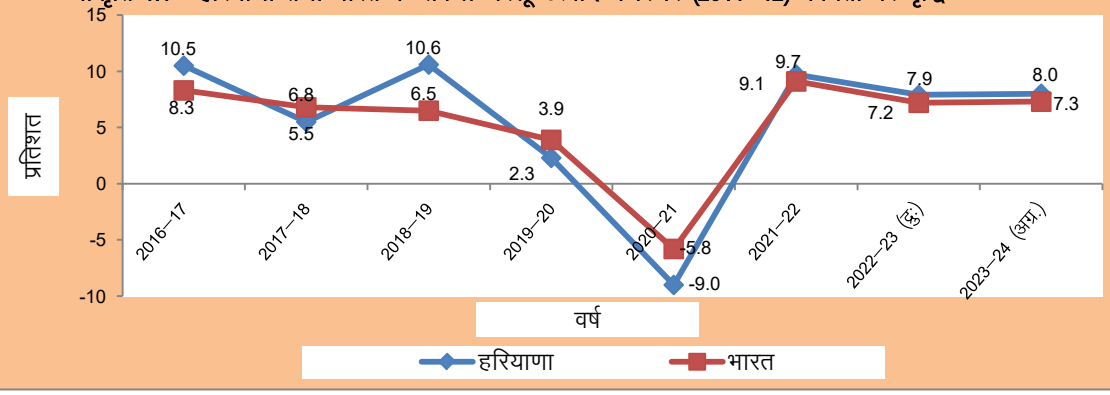

तालिका 1.1-हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	प्रचलित भावों पर स्थिर (2011-12) भावों पर
2011-12	297538.52	297538.52
2012-13	347032.01	320911.91
2013-14	399268.12	347506.61
2014-15	437144.71	370534.51
2015-16	495504.11	413404.79
2016-17	561424.17	456709.11
2017-18	638832.08	482036.15
2018-19	698939.76	532996.04
2019-20	738052.38	545123.96
2020-21	729078.65	496087.34
2021-22	868905.41	544316.72
2022-23 (द्रु.)	984055.44	587197.69
2023-24 (अग्र.)	1095535.06	634026.56

द्रु. दुत अनुमान, अग्र. अग्रिम अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.3 राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2022-23 और 2023-24 दोनों में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। उद्योग क्षेत्र में 7.2 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 में 7.6 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई। सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष दर वर्ष वास्तविक वृद्धि दर तालिका 1.2 तथा आकृति 1.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.2- सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर (2011-12) मूल्यों पर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	हरियाणा							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (द्रु.)	2023-24 (अग्र)
कृषि एवं सहबद्ध	7.9	7.0	8.8	5.3	-1.5	-0.9	2.2	4.4
उद्योग	12.9	3.6	13.0	-2.5	-7.4	13.9	7.7	7.2
सेवा	8.6	5.6	8.5	5.0	-10.5	11.3	9.5	9.0
सकल राज्य मूल्य वर्धन	9.9	5.2	10.0	2.6	-7.9	9.7	7.6	7.6

द्रु. दुत अनुमान, अग्र. अग्रिम अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

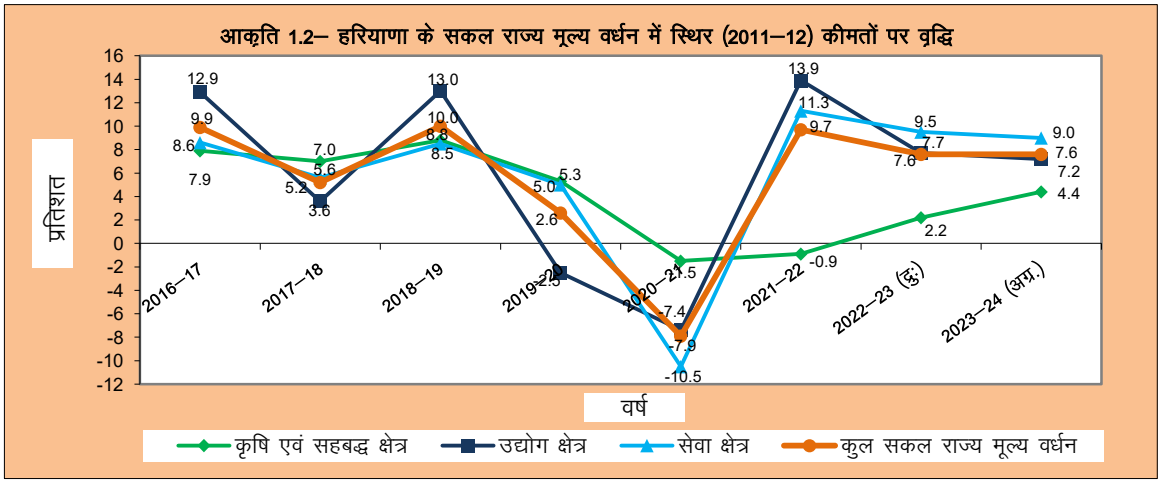

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.4 हरियाणा राज्य के गठन के समय, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969-70) में स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों (फसलें, पशुधन, वन एवं मत्स्य पालन) का सबसे अधिक योगदान (60.7 प्रतिशत) रहा, इसके साथ सेवा क्षेत्र (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग क्षेत्र (17.6 प्रतिशत) का योगदान रहा है।

1.5 चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षो (1969-70 से 2006-07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है जिसके कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी कम हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 1969-70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 21.3 प्रतिशत रह गई जबकि उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 1969-70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 32.1 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गई।

1.6 11वीं पंचवर्षीय योजना से राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में सेवा क्षेत्र में दर्ज उच्च वृद्धि के परिणामस्वरूप ज्यों की त्यों जारी रही, सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2023-24 में 50.7 प्रतिशत तक मजबूत हुई जिसके परिणामस्वरूप कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों (16.2 प्रतिशत) की हिस्सेदारी घट गई। सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2023-24 के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान 33.1 प्रतिशत दर्ज किया गया है। राज्य अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी आकृति 1.3 में दर्शायी गई है।

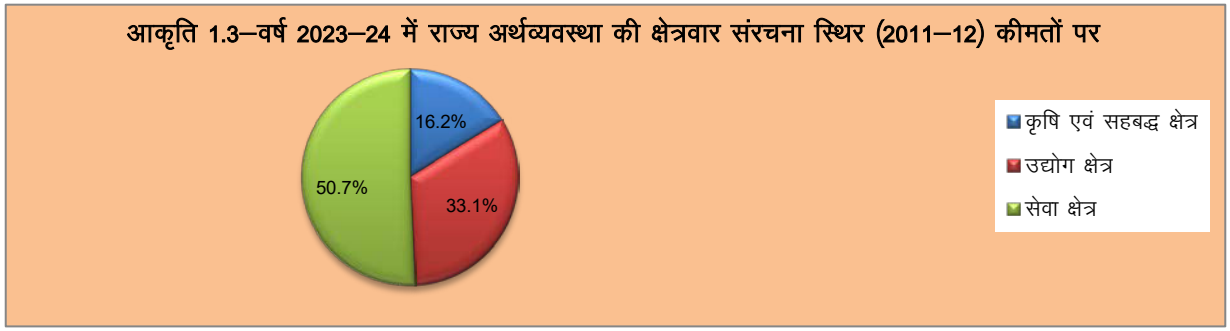

प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

1.7 प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कमाई गई आय का औसत है। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रूपये थी। तब से प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। हरियाणा के साथ भारत की प्रति व्यक्ति आय और इसकी वृद्धि दर को क्रमशः तालिका 1.3 और आकृति 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3- प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय (रूपये)		भारत की प्रति व्यक्ति आय (रूपये)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर
2011-12	106085	106085	63462	63462
2012-13	121269	111780	70983	65538
2013-14	137770	119791	79118	68572
2014-15	147382	125032	86647	72805
2015-16	164963	137833	94797	77659
2016-17	184982	150259	104880	83003
2017-18	208437	156200	115224	87586
2018-19	223022	169604	125946	92133
2019-20	232530	170765	132341	94420
2020-21	224587	150754	127065	86054
2021-22	264729	163285	148524	92583
2022-23 (द्रु.)	296592	173973	172276	98374
2023-24 (अग्र.)	325759	185490	185854	104550

द्रुः द्रुत अनुमान, अग्र. अग्रिम अनुमान।

* स्रोतः एन.एस.ओ., नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 5 जनवरी, 2024

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

आकृति 1.4– प्रचलित कीमतों पर हरियाणा और भारत की प्रति व्यक्ति आय

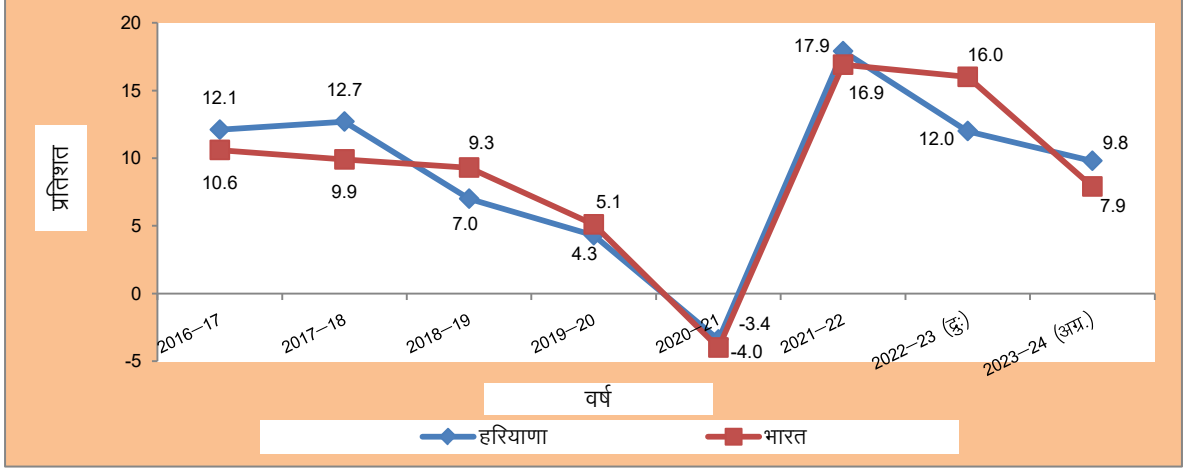

1.8 राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011-12) भावों पर वर्ष 2023-24 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,85,490 रूपये अनुमानित की गई है जो वर्ष 2022-23 में 6.5 प्रतिशत दर्ज की गई थी। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 में इसके 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,25,759 रूपये होने की सम्भावना है जोकि वर्ष 2022-23 में 12.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। अतः वर्ष 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर दोनों भावों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 1,85,854 रूपये और 1,04,550 रूपये की तुलना में अधिक रहने की सम्भावना है।

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

1.9 कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, 1 नवम्बर, 1966 में राज्य के गठन के बाद से ही कृषि क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। राज्य में मजबूत बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्की सडकें, ग्रामीण विद्युतीकरण, नहरों का व्यापक जाल, मार्किट यार्डों का विकास इत्यादि के बनने से कृषि के विकास को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन सुविधाओं के निर्माण के साथ-साथ कृषि अनुसंधान प्रोत्साहन एवं उत्कृष्ट विस्तार नेटवर्क द्वारा किसानों के लिए उन्नत कृषि पद्धतियों से संबंधित जानकारी के प्रसारण से बेहतर परिणाम हासिल हुए हैं।

1.10 कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि राज्य अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से हुए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण सेवा क्षेत्र का योगदान बढा है जिसके परिणामस्वरूप कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान घटा है। वर्ष 2023-24 के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान स्थिर (2011-12) कीमतों पर 16.2 प्रतिशत दर्ज किया गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की विकास दर पर ज्यादा निर्भर रहा है। हालांकि हाल के अनुभवों से ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र के लगातार व तेज विकास के बिना सकल राज्य मूल्य वर्धन की विकास दर में वृद्धि राज्य में मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है, जो लम्बी विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए राज्य अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास में कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों का विकास एक महत्वपूर्ण घटक रहेगा।

1.11 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में कृषि, वानिकी एवं लोगिंग व मत्स्य पालन उप-क्षेत्र शामिल है। कृषि क्षेत्र में फसलों की खेती व पशुपालन मुख्य घटक है। इनका कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के सकल राज्य मूल्य वर्धन में लगभग 92.4 प्रतिशत का योगदान है। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन मे वानिकी और मत्स्य पालन उप-क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 5.1 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत है जिससे इन दो उप-क्षेत्रों का कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

1.12 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) मूल्यों पर विभिन्न वर्षों में दर्ज विकास दर के साथ तालिका 1.4 में दर्शाया गया है। वर्ष 2022-23 में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में 2.2 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन 4.4 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 90,956.93 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र जिसमें फसल एवं पशुपालन उपक्षेत्र शामिल है, का सकल राज्य मूल्य वर्धन 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 84,041.39 करोड़ रूपये अनुमानित

किया गया जबकि इसी वर्ष के दौरान वानिकी व लोगिंग और मत्स्य उप क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन क्रमशः 4.0 प्रतिशत तथा 27.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,651.62 करोड़ रूपये तथा 2,263.92 करोड़ रूपये दर्ज किया गया।

तालिका 1.4- कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) भावों पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	2011-12	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (द्रु.)	2023-24 (अग्र)
फसल व पशुपालन	59785.53	67216.40 (100.1)	71349.75 (6.1)	77731.95 (8-9)	81547.13 (4.9)	80103.16 (-1.8)	79248.22 (-1.1)	80848.62 (2.0)	84041.39 (3.9)
वानिकी तथा लोंगिग	3894.90	2871.82 (-27.9)	3372.29 (17.4)	3735.75 (10.8)	4286.89 (14.8)	4233.90 (-1.2)	4263.55 (0.7)	4474.61 (5.0)	4651.62 (4.0)
मत्स्य	858.43	1178.37 (17.5)	1567.94 (33.1)	1537.34 (-2-0)	1558.17 (1.4)	1705.97 (9.5)	1725.78 (1.2)	1774.63 (2.8)	2263.92 (27.6)
कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	64538.86	71266.59 (7.9)	76289.98 (7.0)	83005.04 (8.8)	87392.20 (5.3)	86043.04 (-1.5)	85237.56 (-0.9)	87097.86 (2.2)	90956.93 (4.4)

द्रुः द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान *कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले साल से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

कृषि सूचकांक

1.13 राज्य में फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि उत्पादन और उपज के सूचकांक वर्ष 2007-08 से 2021-22 तक (आधार त्रैवर्षान्त 2007-08=100) दर्शाते हैं कि फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2021-22 में 95.18 था जो कि वर्ष 2022-23 में घट्कर 93.49 हो गया। कृषि उत्पादन सूचकांक 2021-22 में 123.71 था जो कि वर्ष 2022-23 में घट्कर 117.76 हो गया जबकि इस अवधि में कृषि उपज का सूचकांक भी वर्ष 2021-22 में 168.02 से घट्कर वर्ष 2022-23 में 156.64 हो गया है। अनाज खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2021-22 में 140.15 से घट्कर वर्ष 2022-23 में 129.19 हो गया जबकि अखाद्यान्नों का सूचकांक वर्ष 2021-22 में 88.50 से बढकर वर्ष 2022-23 में 93.29 हो गया है।

उद्योग क्षेत्र

1.14 विभिन्न वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का उप-क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन तथा इसकी विकास दर को स्थिर (2011-12) मूल्यों पर तालिका 1.5 में दर्शाया गया है। वर्ष 2021-22 के अनन्तिम अनुमानों में आंके गए 1,60,644.59 करोड़ रुपये के सकल राज्य मूल्य वर्धन की तुलना में वर्ष 2022-23 के औद्योगिक क्षेत्र के द्रुत अनुमानों में यह 1,72,978.56 करोड़ रुपये आंका गया जो वर्ष 2021-22 में 13.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2022-23 में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,85,379.83 करोड़ रूपये आंका गया जो पिछले वर्ष से 7.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

तालिका 1.5- औद्योगिक क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	2011-12	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (द्रुः)	2023-24 (अग्रः)
खनन व उत्खनन	118.82	1191.15 (71.3)	1089.03 (-8.6)	772.57 (-29.1)	1314.61 (70.2)	1043.58 (-20.6)	634.42 (-39.2)	498.42 (-21.4)	540.37 (8.4)
विर्निमाण	53286.09	97157.52 (14.4)	99031.41 (1.9)	114523.98 (15.6)	109236.65 (-4.6)	101589.94 (-7.0)	115148.17 (13.3)	123743.97 (7.5)	131875.04 (6.6)
बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं	3446.04	3561.64 (20.3)	4439.79 (24.7)	4230.47 (-4.7)	4715.93 (11.5)	4152.45 (-11.9)	4807.64 (15.8)	5563.64 (15.7)	5873.64 (5.6)
निर्माण	29759.66	31522.08 (6.6)	33630.63 (6.7)	36652.32 (9.0)	37079.94 (1.2)	34278.36 (-7.6)	40054.37 (16.9)	43172.53 (7.8)	47090.78 (9.1)
उद्योग	86610.61	133432.38 (12.9)	138190.85 (3.6)	156179.34 (13.0)	152347.13 (-2.5)	141064.32 (-7.4)	160644.59 (13.9)	172978.56 (7.7)	185379.83 (7.2)

द्रुः द्रुत अनुमान अग्रः अग्रिम अनुमान 'कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

1.15 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा द्वारा आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर तैयार किये जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि व उपयोग आधारित श्रेणियां वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक तालिका 1.6 में दी गई है।

तालिका 1.6- हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100)

औद्योगिक समूह	सूचकांक	
	2020-21	2021-22
विनिर्माण	158.1 (-4.9)	174.6 (10.4)
विद्युत	61.9 (-13.9)	99.6 (60.9)
उपयोग आधारित वर्गीकरण		
क - प्राथमिक वस्तुएं उद्योग	57.4 (-32.8)	90.7 (58.0)
ख - पूंजीगत वस्तुएं उद्योग	209.2 (2.8)	207.6 (-0.8)
ग - मध्यवर्ती वस्तुएं उद्योग	173.8 (24.6)	174.6 (0.5)
घ - आधार संरचना, निर्माण उद्योग	110.0 (-13.2)	127.6 (16.0)
ड - उपभोक्ता स्थिर वस्तुएं	151.6 (-7.0)	208.7 (37.7)
च - उपभोक्ता अस्थिर वस्तुएं	53.8 (-21.4)	40.8 (-24.1)
औद्योगिक उत्पादन सामान्य सूचकांक	151.2 (-2.1)	169.2 (11.9)

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.16 आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2020-21 में 151.2 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 169.2 हो गया जिसमें 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2020-21 के 148.1 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 174.6 हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विद्युत क्षेत्र वर्ष 2021-22 में वृद्धि 60.9 प्रतिशत दर्शाता है, जो कि वर्ष 2020-21 में 61.9 से बढकर वर्ष 2021-22 में 99.6 प्रतिशत हो गया। जो कि गत वर्ष की तुलना में 60.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.17 प्राथमिक वस्तु के उद्योगों जैसे आर्गन गैस, नाईट्रोजन लिक्विड, आक्सीजन लिक्विड, यूरिया, बिटूमन, एल.पी.जी. सिलेण्डर आफ आयरन तथा स्टील, विद्युत इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2020-21 में 57.4 से बढकर वर्ष 2021-22 में 90.7 हो गया, जिसमें 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.18 पूंजीगत वस्तु के उद्योगों जैसे कनवेयर बैल्ट, दन्त चिकित्सा, मोटर, फैन, डायमंड टूल्स, कल्टीवेटर्स, स्पिरिंग पिन, एयर ब्रेक सेट, एक्सल, ट्रैकस, रेलवे/ ट्रामवे इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2020-21 में 209.2 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 207.6 हो गया, जिसमें 0.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

1.19 मध्यवर्ती वस्तु के उघोगों जैसे मड/ मौलासिस वेस्ट, प्लाईवुड बोर्ड, एल्यूमिनियम इनगोट, कास्ट आयरन, मशीन सिकरू आयरन तथा स्टील, गियर केस एसेंमबली, मेडिकल सर्जीकल लैबोरेट्री स्टरलाईजर इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2020-21 में 173.8 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 174.6 हो गया, जिसमें 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

1.20 उपभोक्ता संरचनात्मक वस्तुओं जैसे पेंट, सीमेंट, पोर्टलैंड, केबल, इन्सूलेटिड पी.वी.सी., स्क्रेप कास्ट आयरन, सीमेंट, अन्य उत्पाद केबल, इन्सूलेटिड रबड़, सीरैमिक टाईल्स इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2020-21 में 110 से बढकर वर्ष 2021-22 में 127.6 हो गया, जिसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

1.21 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे की काटन, कार्डिड या कौम्बड, काटन फैबरिक्स, फैबरिक्स, काटन कम्बल, गारमेन्टस कपडे, हैंडबैग, कृत्रम फर, अन्य सपोर्टस फुटवियर, स्केटिंग बूट के अतिरिक्त, किताबें, रेक्सिन, आडियो सी.डी./ डी.वी.डी. प्लेयर, रबड़ कपडा/ सीट, कैमपिंग, पैन बाडी प्लास्टिक, स्टैपलर, हथकरघा/ साजोसमान के फैन्सी आईटम इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2020-21 में 151.6 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 208.7 हो गया, जोकि 37.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.22 उपभोक्ता अस्थिर वस्तुएं जैसे सूखी सब्जियां, दूध, बासमती चावल, चीनी, बिस्कुट, ब्लैक चाय, रैक्टीफाईड स्पिरिट, चबाने का तम्बाकू तथा पेय फिल्टर्स इत्यादि का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2020-21 में 53.8 से घटकर वर्ष 2021-22 में 40.8 हो गया, जोकि -24.1 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

सेवा क्षेत्र

1.23 सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के सकल राज्य मूल्य वर्धन में इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2023-24 में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 50.7 प्रतिशत आंका गया है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का उच्च अंश राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है और यह एक

विकसित अर्थव्यवस्था को बुनियादी घटकों के नजदीक ले जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत की दर से औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि एवं सहबद्ध और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से काफी उच्च थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान सेवा क्षेत्र में औसत वार्षिक विकास दर 10.1 प्रतिशत थी जो कि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर (6.3 प्रतिशत) से ज्यादा थी।

1.24 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज करने के बाद, सेवा क्षेत्र की वृद्धि धीमी हो गई। इस क्षेत्र ने 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 5.6 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत, 5.0 प्रतिशत और -10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद इस क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 11.3 प्रतिशत की उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2022-23 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र का वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2021-22 में 2,38,130.20 करोड़ रूपये के अनंतिम अनुमान के मुकाबले 9.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,60,830.40 करोड़ रूपये हो गया। वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2022-23 की तुलना में 9.0 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2,84,176.93 करोड़ रूपये अनुमानित है। सेवा क्षेत्र में दर्ज 9.0 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेन्ट सेवाओं से (14.9 प्रतिशत) परिवहन, भण्डारण,संचार और प्रसारण से सम्बन्धित सेवाओं (9.9 प्रतिशत), वित्तीय सेवाओं, स्थावर सम्पदा तथा व्यवसायिक सेवाओं (6.9 प्रतिशत) क्षेत्रों में दर्ज वृद्धि के कारण सम्भव हुई है (तालिका 1.7)।

सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों का विकास

व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेन्ट

1.25 वर्ष 2022-23 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस उप-क्षेत्र में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 2021-22 में इसकी 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों में इस उप-क्षेत्र की विकास दर 14.9 प्रतिशत होने की संभावना है।

परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धी सेवाएं

1.26 वर्ष 2022-23 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस उप-क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 2021-22 में इसमें 23.2 प्रतिशत की वृ्द्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप-क्षेत्र की वृ्द्धि दर 9.9 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

वित्तीय, स्थावर सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं

1.27 वर्ष 2021-22 के इन उप-क्षेत्र में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है जबकि वर्ष 2022-23 में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप-क्षेत्र में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं

1.28 वर्ष 2021-22 के दौरान इस उप-क्षेत्र में दर्ज 10.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप-क्षेत्र में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

तालिका 1.7- सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	2011-12	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (द्रु.)	2023-24 (अग्र)
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	33107.42	55986.73 (11.3)	62645.36 (11.9)	69277.80 (10.6)	74402.78 (7.4)	59542.95 (-20.0)	63758.67 (7.1)	70144.21 (10.0)	80593.60 (14.9)
परिवहन, भण्डारण, संचार और प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं	17276.89	24631.92 (1.0)	24707.85 (0.3)	25412.16 (2.9)	26480.14 (4.2)	22774.01 (-14.0)	28057.67 (23.2)	29206.93 (4.1)	32087.00 (9.9)
वित्तीय, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं	52584.59	89570.59 (9.3)	90199.05 (0.7)	99480.81 (10.3)	102215.14 (2.7)	99029.28 (-3.1)	110384.91 (11.50	123186.58 (11.6)	131745.90 (6.9)
लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं	19956.26	28722.72 (8.0)	32425.19 (12.9)	33571.24 (3.5)	36045.79 (7.4)	32600.94 (-9.6)	35928.95 (10.2)	38292.68 (6.6)	39750.43 (3.8)
कुल सेवाएं	122925.16	198911.97 (8.6)	209977.45 (5.6)	227742.02 (8.5)	239143.86 (5.0)	213947.18 (-10.5)	238130.20 (11.3)	260830.40 (9.5)	284176.93 (9.0)

द्रुः द्रुत अनुमान अग्रः अग्रिम अनुमान 'कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का योगदान

1.29 राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का योगदान भारतीय अर्थ व्यवस्था को गति प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का योगदान स्थिर (2011-12) कीमतों पर 2011-12 में 3.4 प्रतिशत दर्ज किया गया था जो अब वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया है (आकृति 1.5)। प्रचलित कीमतों पर, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का हिस्सा वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के बढ़ते आर्थिक महत्व को दर्शाता है।

आकृति 1.5– स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलु उत्पाद में हरियाणा का योगदान

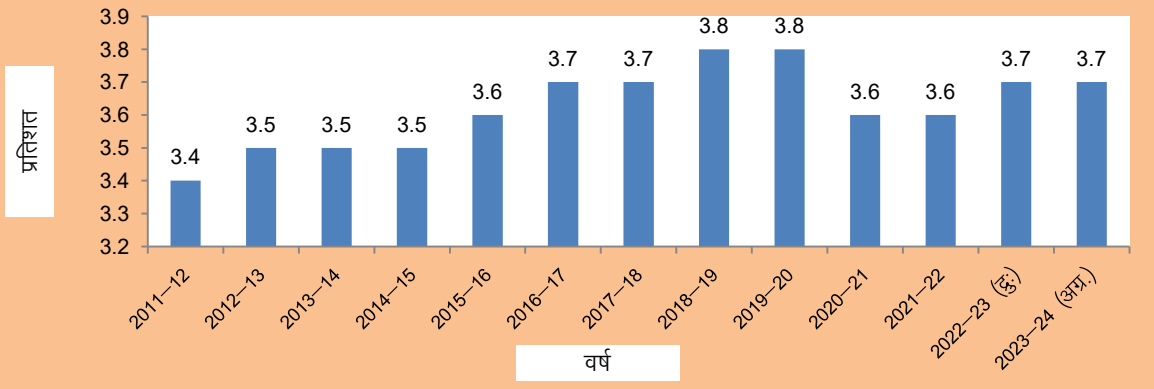

सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.30 अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता काफी हद तक पूंजी निर्माण पर निर्भर करती हैं अर्थात अधिक पूंजी संचय, अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादक क्षमता को दर्शाता है। अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004-05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान जैसे कि उद्योगों के उपयोग, संस्थानों के प्रकार एवं परिसम्पतियों के प्रकार तैयार करता है। प्रचलित

भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2021-22 के दौरान 1,19,555 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2020-21 के दौरान 1,04,865 करोड़ रूपये अनुमानित किये गये जिसमें 14.01 प्रतिशत की वृ्द्धि दर्ज की गई। इसी तरह स्थिर (2004-05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2021-22 में 55,148 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2021-22 में 50,061 करोड़ रूपये अनुमानित किये गये जिसमें 10.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्षवार तालिका 1.8 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.8-हरियाणा में सकल स्थाई पूंजी निर्माण (करोड़ रूपये में)

वर्ष	सकल स्थाई पूंजी निर्माण	
	चालू भावों पर	स्थिर (2004-05) भावों पर
2011-12	47948	30958
2012-13	53158	32041
2013-14	59134	33584
2014-15	65357	36158
2015-16	71116	38851
2016-17	78423	41463
2017-18	86061	44442
2018-19	94130	46101
2019-20	98953	47922
2020-21	104865	50061
2021-22 (अः)	119555	55148

अन्तिम अनुमान स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

प्राथमिक क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.31 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश स्थिर (2004-05) भावों पर वर्ष 2020-21 में 16.53 प्रतिशत तथा वर्ष 2021-22 में घटकर 15.52 प्रतिशत हो गया।

वितीयक क्षेत्र में सकल स्थाई पंजी निर्माण

1.32 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में द्वितीयक क्षेत्र का अंश वर्ष 2020-21 में 50.69 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2021-22 में घटकर 50.65 प्रतिशत हो गया।

तृतीयक क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.33 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में तृतीयक क्षेत्र का अंश वर्ष 2020-21 में 32.78 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.83 प्रतिशत हो गया।

कीमतों की स्थिति

1.34 राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, साप्ताहिक खुदरा भाव, पाक्षिक ग्रामीण भाव, साप्ताहिक कृषि वस्तुओं के थोक भाव तथा त्रैमासिक मकान किराये के आंकडों से सम्बन्धित नियमित सूचनाएं एकत्रित करता है व 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचंकाक, ग्रामीण खुदरा भाव सूचकांक तथा श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार करता है।

1.35 थोक मूल्य सूचकांकः राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष कृषि 1980-81=100) के थोक मूल्य सूचकांक को वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक को तालिका 1.9 में दिखाया गया है। यह वर्ष 2021-22 में 1,642.9 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,724.3 हो गया जोकि

4.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है जबकि यह वृद्धि वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमशः 4.0 एवं 4.6 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

तालिका 1.9- हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	सूचकांक कृषि आधार वर्ष (1980-81=100)
2018-19	1437.3
2019-20	1510.5
2020-21	1570.5
2021-22	1642.9
2022-23	1724.3

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.36 माहवार थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2022 से दिसम्बर, 2023 तक को तालिका 1.10 में दर्शाया गया है। थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2022 में 1,723.3 से बढ़कर दिसम्बर, 2023 में 1,772.6 हो गया जो कि 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि अनाजों, कपास व अन्य फसलों के भावों में वृद्धि के कारण हुई।

1.37 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उद्वेश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के 23 गांवों से पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

तालिका 1.10-हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का माहवार थोक मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक आधार वर्ष (1980-81=100)
दिसम्बर, 2022	1723.3
जनवरी, 2023	1731.4
फरवरी, 2023	1734.8
मार्च, 2023	1739.6
अप्रैल, 2023	1740.2
मई, 2023	1746.4
जून, 2023	1748.3
जुलाई, 2023	1754.6
अगस्त, 2023	1752.2
सितम्बर, 2023	1756.3
अक्तूबर, 2023	1758.9
नवम्बर, 2023	1762.3
दिसम्बर, 2023	1772.6

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.38 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) खाद्य वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण में वर्ष 2021-22 में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में 1.7 प्रतिशत रही तथा सामान्य वर्ग में यह वर्ष 2021-22 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में 2.9 प्रतिशत रही। राज्य में वर्ष. वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक को तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11-हरियाणा में वर्षवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1988-89=100)

वर्ष	खाद्य सूचकांक	सामान्य सूचकांक
2018-19	829	767
2019-20	889	811
2020-21	918	849
2021-22	963	892
2022-23	979	917

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.39 राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) के माहवार गति के अवलोकन के विवरण को दिसम्बर, 2022 से दिसम्बर, 2023 तक तालिका 1.12 में प्रस्तुत किया गया है यह सूचकांक दिसम्बर, 2022 में 933 था जो कि दिसम्बर, 2023 में बढ़कर 976 हो गया, जो 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.12- हरियाणा में माहवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष (1980-81=100)

मास	सूचकांक
दिसम्बर, 2022	933
जनवरी, 2023	936
फरवरी, 2023	934
मार्च, 2023	940
अप्रैल, 2023	950
मई, 2023	962
जून, 2023	968
जुलाई, 2023	982
अगस्त, 2023	980
सितम्बर, 2023	973
अक्तूबर, 2023	981
नवम्बर, 2023	987
दिसम्बर, 2023	976

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.40 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपुर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादुरगढ़ के मासिक सूचकांको के भारित औसत को ध्यान में रखकर आधार वर्ष 1982=100 के आधार पर संकलित किया गया है। जबकि वर्ष 2022 में यह नए आधार वर्ष 2016=100 के साथ छः केन्द्रों नामत, अम्बाला, बहादुरगढ, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के आधार पर संकलित किया गया है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2019 से 2023 तक को तालिका 1.13 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.13- हरियाणा के श्रमिक वर्ग का वर्षवार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

वर्ष	सामान्य सूचकांक
2019	1215
2020	1281
2021	1344
2022*	128.4
2023*	135.3

* आधार वर्ष 2016=100 स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.41 राज्य में माहवार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति के आंकलन को दिसम्बर, 2022 से दिसम्बर, 2023 तक को तालिका 1.14 में प्रस्तुत किया गया है। श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक छः केन्द्रों नामत, अम्बाला, बहादुरगढ, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के मासिक सूचकांको के भारित औसत को ध्यान में रखते हुए माह अगस्त, 2021 से नए आधार वर्ष 2016=100 के आधार पऱ संकलित किया गया है। यह सूचकांक दिसम्बर, 2022 में 131.0 था जो कि दिसम्बर, 2023 में बढ़कर 137.2 हो गया, जो कि 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.14-हरियाणा में श्रमिक वर्ग का माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2016=100)

मास	सूचकांक
दिसम्बर, 2022	131.0
जनवरी, 2023	131.4
फरवरी, 2023	131.2
मार्च, 2023	132.1
अप्रैल, 2023	133.1
मई, 2023	134.7
जून, 2023	135.8
जुलाई, 2023	138.3
अगस्त, 2023	137.5
सितम्बर, 2023	136.4
अक्तूबर, 2023	137.5
नवम्बर, 2023	138.4
दिसम्बर, 2023*	137.2

* आधार वर्ष 2016=100 स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

❋❋❋

2

लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान

हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबन्धन करने के हिसाब से देशभर में प्रथम स्थान पर है। लोक वित्त का सम्बन्ध सरकार द्वारा उन लोगों से कर संग्रहण करना है जो सार्वजनिक माल के उपयोग का लाभ लेते हैं और उस संग्रह किए गए कर का सार्वजनिक माल के निर्माण व वितरण की दिशा में उपयोग करते हैं। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवं व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। लोक वित्त के दायरे में नामतः तीन घटक सम्मिलित हैं; संसाधनों का कुशल वितरण, आय का वितरण तथा समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण।

2.2 राज्य के राजकोषीय पैरामीटर जैसे राजकोषीय घाटा और ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात केंद्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं, जो विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देते हैं। वर्ष 2022-23 के वास्तविक खातों के अनुसार, राज्य राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3.15 प्रतिशत पर रखने में सक्षम है जो केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी के 3.50 प्रतिशत की सीमा से कम है। इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 के वास्तविक खातों के अनुसार, ऋण-जीएसडीपी अनुपात भी 33.3 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड के मुकाबले 25.95 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। यह दोहराया जा सकता है कि बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.96 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 वर्ष 2020-21 से 2023-24 (ब.अ.) तक राज्य की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय को आकृति 2.1 तथा अनुलग्नक 2.1 व 2.2 में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी तथा केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2023-24 बजट अनुमानों के अनुसार, हरियाणा सरकार के व्यय 1,09,122.42 करोड़ रूपये के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियाँ 1,26,071.45 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2022-23 (स.अ.), में 97,002.48 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 1,15,007.54 करोड़ रूपये था। वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 85,485.48 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 98,426.04 करोड़ रूपये था।

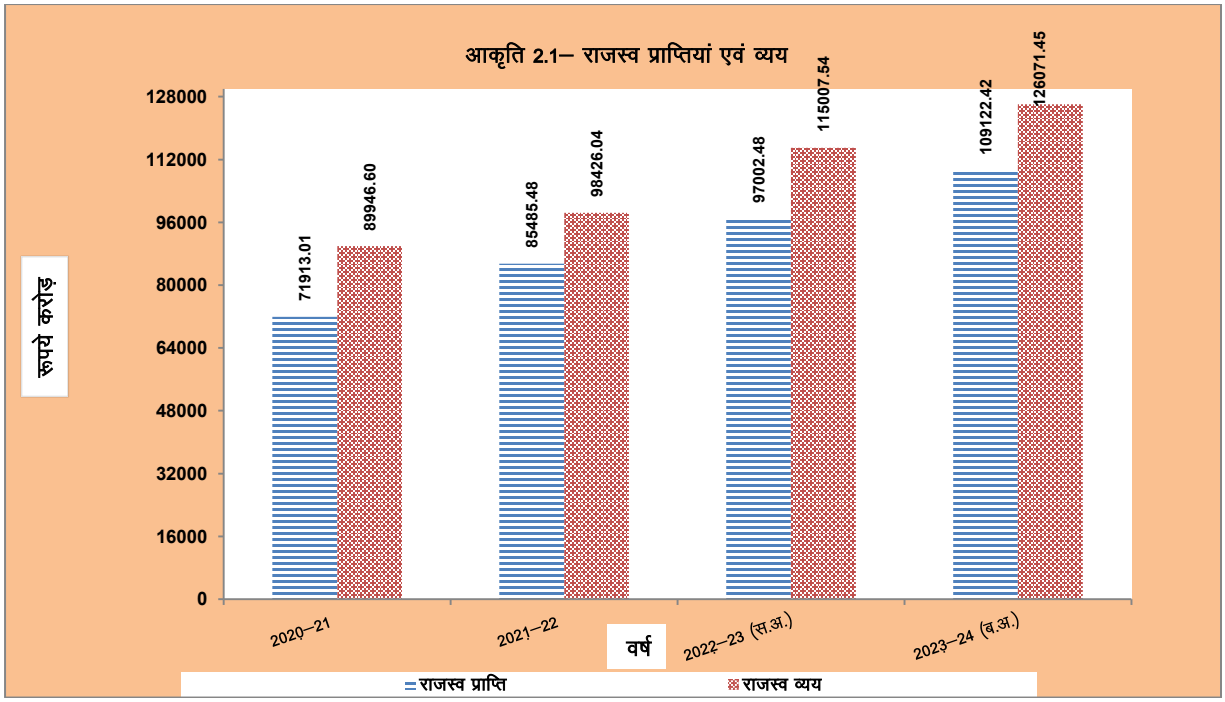

कुल कर

2.4 वर्ष 2020-21 से 2023-24 (ब.अ.) तक करों की स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है। कुल कर में (i) राज्य का स्वयं कर राजस्व (ओ.टी.आर.) तथा (ii) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा(एस.सी.टी.) शामिल है। राज्य का ओ.टी.आर. 2020-21 में 46,265.80 करोड़ रूपये से बढ़कर 2023-24 (ब.अ.) में 75,716.50 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि राज्य के एस.सी.टी. के 2020-21 में 6,437.59 करोड़ रूपये से बढ़कर 2023-24 (ब.अ.) में 11,164.43 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। कुल कर राजस्व जिसमें ओ.टी.आर. तथा एस.सी.टी. दोनों शामिल है, वर्ष 2020-21 में 52,703.39 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 86,880.93 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

तालिका 2.1- राज्य की कर स्थिति

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	राज्य का स्वयं कर राजस्व (ओ.टी.आर.)	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी (एस.सी.टी.)	कुल कर
2020-21	46265.80	6437.59	52703.39
2021-22	53377.16	9722.16	63099.32
2022-23(स.अ.)	65336.30	10378.00	75714.30
2023-24 (ब.अ.)	75716.50	11164.43	86880.93

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः राज्य बजट डाक्यूमेंट

स्वयं कर राजस्व

2.5 स्वयं कर में बिक्री कर से कर राजस्व में योगदान वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 12,950 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2022-23(स.अ.) में यह 11,500 करोड़ रूपये था। वर्ष

2022-23 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में बिक्री कर में 12.61 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर राजस्व में योगदान 33,480 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि यह वर्ष 2022-23 (स.अ.) में 28,500 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2022-23 (स.अ.) से वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 7.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व में योगदान 11,500 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2022-23 (स.अ.) में 10,000 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2022-23 (स.अ.) से वर्ष 2023-24 में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2023-24 (ब.अ) में 12,550 करोड़ रूपये कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, जबकि वर्ष 2022-23 (स.अ.) में इस मद से 10,650 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी (अनुलग्नक 2.1)।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.6 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय वित्त आयोग के पुरस्कार के तहत अनुदान व अन्य अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियां 11,164.43 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2022-23 (स.अ.) में 10,378.00 करोड़ रूपये थीजोकि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में वर्ष 2022-23 (स.अ.) की तुलना में 7.58 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

सहायता अनुदान

2.7 राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है। केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतु सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 9,590.48 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है, जबकि इसी मद में वर्ष 2022-23 (स.अ.) में यह राशि 10,333.88 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2022-23 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि में 7.75 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है।

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.8 वर्ष 2020-21 से 2023-24 (ब.अ.) तक राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को आकृति 2.2 तथा अनुलग्नक 2.1 व 2.2 में दर्शाया गया है। पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है नामतः (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) उधार तथा अन्य ऋण। पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 39,607.18 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि वर्ष 2022-23 (स.अ.) में यह 35,469.73 करोड़ रूपये थी जो कि वर्ष 2022-23 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 11.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तालिका 2.2.

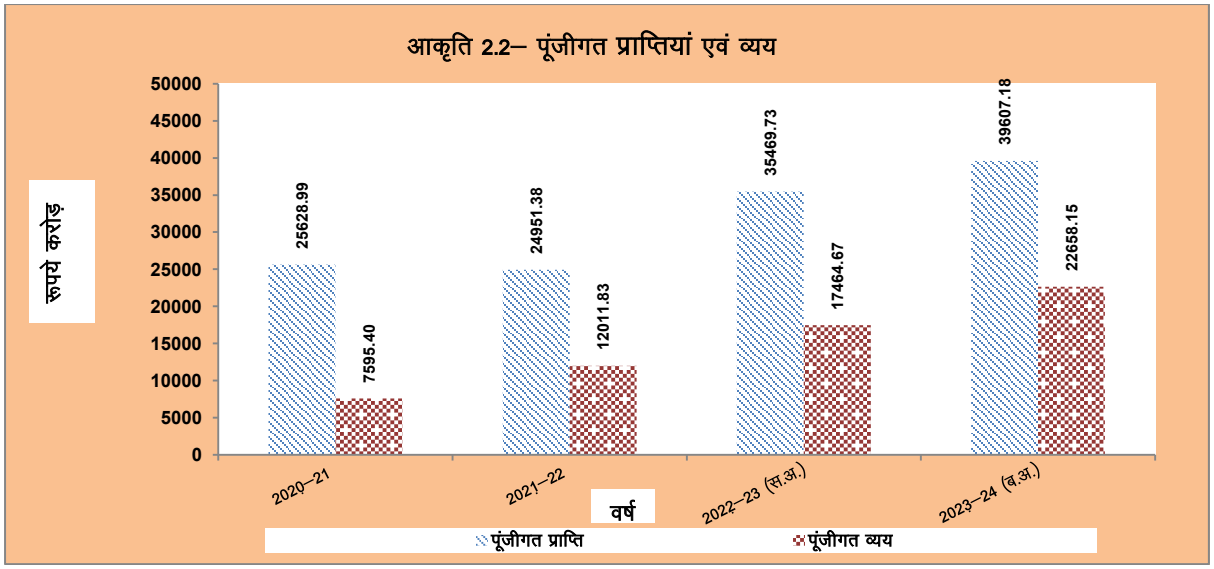

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्राप्त राशि
2020-21	12248.13
2021-22	7598.24
2022-23 (स.अ.)	10333.88
2023-24 (ब.अ.)	9590.48

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः राज्य बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत व्यय

2.9 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध सम्पति निर्माण से है। राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 22,658.15 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2022-23 (स.अ.) में 17,464.67 करोड़ रूपये था (अनुलग्नक 2.2)।

2.10 कुल विकासात्मक व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास इत्यादि पर खर्च सम्मिलित हैं, वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय 1,003,43.36 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2022-23 (स.अ.) में यह 87,214.92 करोड़ रूपये था, जोकि 15.05 प्रतिशत की वृद्धि इंगित करता है।

2.11 कुल गैर-विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 48,386.24 करोड़ रूपये है, जो कि वर्ष 2022-23 (स.अ.) में 45,257.27 करोड़ रूपये था। कुल गैर-विकासात्मक व्यय में वर्ष 2022-23 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 6.91 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.12 राजस्व खाते में वर्ष 2022-23 (स.अ.) में 16,949.03 करोड़ रूपये घाटे के विरूद्व वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 18,005.06 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है। वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा में 1,018.95 करोड़ रूपये का अधिशेष अनुमानित है, जबकि यह वर्ष 2022-23 (स.अ.) में 1,110.56 करोड़ रूपये था (अनुलग्नक 2.3)।

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य सरकार का बजट व्यय

2.13 सरकार के बजट में आम तौर पर व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है, ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेयी हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा-परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन-देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणियों जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे चुनने, पुनः वर्गीकृत करने तथा पुनः श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन-इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.14 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन-देन को अर्थ-पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार 2023-24 (ब.अ.) में कुल व्यय 1,41,295.60 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2022-23(स.अ.) में 1,29,863.52 करोड़ रूपये था जोकि 8.80 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है (अनुलग्नक 2.4)।

2.15 राज्य सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 50,690.48 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2022-23 (स.अ.) में 47,005.67 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2023-24 (ब.अ.) में वर्ष 2022-23 (स.अ.) से 7.84 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.16 राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में 18,139.64 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2022-23 (स.अ.) में 13,738.63 करोड़ रूपये था। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजी हस्तान्तरण, कर्जे एवं अग्रिम तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती है।

संस्थागत वित्त

2.17 संस्थागत वित्त किसी भी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार की भूमिका मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों को अधिक महत्व देने के लिए बैंकिंग संस्थाओं को राजी करना है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य अवधि ऋण संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाकर राज्य के बजटीय संसाधनों के भार को कम करता है।

2.18 राज्य में सितम्बर, 2023 तक वाणिज्यक बैंकों (सी.बी.एस.) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की शाखाओं की कुल संख्या 5,092 थी। वाणिज्यक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल

जमा राशि सितम्बर, 2023 तक बढकर 6,89,833 करोड़ रूपये हो गई। इस प्रकार राज्य सितम्बर, 2023 में अग्रिम ऋण की राशि भी बढ़कर 5,38,870 करोड़ रूपये हो गई। ऋण-जमा (सी.डी.) अनुपात राज्य के आर्थिक विकास के लिये क्रेडिट प्रवाह का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। राज्य में ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 72 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर, 2023 में थोड़ा बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया है।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.19 चालू वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत 101,420 करोड़ रूपये के ऋण देने का लक्ष्य है। गत वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में सितम्बर, 2023 तक के लक्ष्य में 0.36 प्रतिशत की कमी की गई है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना की 2023-24 के अन्तर्गत सितम्बर, 2023 तक कुल उपलब्धि 135,474 करोड़ रूपये रही जो कि 101,420 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 134 प्रतिशत था (तालिका-2.3)।

तालिका 2.3- हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2023-24

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2023-24	उपलब्धियां (30-9-2023 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्ध	49075. 00	45294.00	92
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	42952.00	82996.00	193
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	9393.00	7184.00	76
कुल	101420.00	135474.00	134

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.4- हरियाणा में वर्ष 2023-24 में वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2023-24	उपलब्धियां (30-9-2023 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्ध	40985.00	40128.00	98
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	42634.00	82859.00	194
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	8900.00	7184.00	81
कुल	92519.00	130171.00	141

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.5- हरियाणा में वर्ष 2023-24 में सहकारी बैंकों द्वारा किया गया संवितरण (सितम्बर, 2023 तक)

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2023.24	उपलब्धियां (30-9-2023 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्ध	7741.00	5122.00	66
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	170.00	92.00	54
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	454.00	0.00	0
कुल	8365.00	5214.00	62

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.6- वर्ष 2023-24 में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा किया गया संवितरण (सितम्बर, 2023 तक)

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2023-24	उपलब्धियां (30-9-2023 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्ध	340.00	44.00	13
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	33.00	27.00	82
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	35.00	0.00	0
कुल	408.00	71.00	17

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.7- वर्ष 2023-24 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया गया संवितरण (सितम्बर, 2023 तक)

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2023-24	उपलब्धियां (30-9-2023 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्ध	0.00	0.00	0
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	95.00	11.00	12
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	0.00	0.00	0
कुल	95.00	11.00	12

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

2.20 बैंकों का कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण देने का प्रदर्शन संतोषजनक है। वार्षिक लक्ष्य 49,075 करोड़ रूपये के विरूद्ध इनकी उपलब्धि सितम्बर, 2023 तक 45,294 करोड़ रूपये थी जो वार्षिक लक्ष्य का 92 प्रतिशत है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में उपलब्धि काफी संतोषजनक रही। बैंकों ने इन उद्योगों के लिए 42,952 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 82,996 करोड़ रूपये के ऋण जारी किए गए जोकि लक्ष्य का 193 प्रतिशत है अन्य प्राथमिक क्षेत्र में बैंकों ने 9,393 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 7,184 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 76 प्रतिशत है।

वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंकवार उपलब्धि

2.21 राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2023-24 के अन्तर्गत वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2023 तक 130,171 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि लक्ष्य 92,519 करोड़ रूपये था, जोकि लक्ष्य का 141 प्रतिशत है। वर्ष 2023-24 में इन बैंको द्वारा दिया गया ऋण तालिका-2.4 में दिया गया है।

2.22 वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक 82,859 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। असके बाद कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र के अन्तर्गत 40,128 करोड़ रूपये और अन्य प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत 7,184 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये। फिर भी लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक 194 प्रतिशत, कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र में 98 प्रतिशत और इसके बाद अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 81 प्रतिशत रही।

सहकारी बैंक

2.23 सितम्बर, 2023 तक हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों ने 5,214 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 8,365 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 62 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा तालिका 2.5 में दिया गया है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.24 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) ने सितम्बर, 2023 तक 408 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 71 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 17 प्रतिशत है। वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार प्रदर्शन तालिका 2.6 में दी गई है।

लघु उद्योग विकास बैंक

2.25 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर, 2023 तक 95 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 11 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 12 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा तालिका 2.7 में दिया गया है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.26 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढकर 70 हो गई है। जिन्हें 2008 में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में सम्मिलित कर दिया गया है और तहसील तथा उप-तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.27 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. द्वारा पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान की क्षेत्रवार उपलब्धियां तालिका 2.8 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.8-हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. की क्षेत्रवार उपलब्धियां (लाख रूपये में)

क्रं. सं.	क्षेत्र व स्कीम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24 (31.12.2023)	
		लाभार्थी संख्या	राशि	लाभार्थी संख्या	राशि	लाभार्थी संख्या	राशि	लाभार्थी संख्या	राशि	लाभार्थी संख्या	राशि
1	लघु सिंचाई	705	3364.03	329	1376.55	412	1717.35	584	2533.40	350	1462.40
2	कृषि मशीनीकरण	27	78.50	16	67.00	8	23.50	30	92.50	30	102.10
3	भूमि विकास	307	1381.65	114	492.61	173	721.15	305	1249.35	187	737.80
4	डेयरी विकास पशुगृह	99	429.15	85	287.55	96	288.44	175	586.55	74	233.60
5	बागवानी/ कृषिवानिक	180	893.30	84	407.70	168	800.60	158	724.20	95	481.30
6	ग्रामीण आवास योजना	163	440.45	77	210.50	134	349.80	372	1044.40	160	536.00
7	गैर कृषि क्षेत्र	413	1858.12	234	912.00	420	1396.55	561	2042.32	312	117.75
8	भूमि खरीदने हेतु	21	133.80	8	56.70	13	78.00	31	153.00	12	74.50
9	ग्रामीण भण्डारण	0	0.00	0	0.00	3	18.00	6	34.00	1	6.00
10	अन्य	89	369.45	54	187.65	73	197.00	113	359.00	41	122.50
	कुल	2004	8948.45	1001	3998.26	1500	5590.39	2335	8818.72	1262	4873.95

स्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

ब्याज दर

2.28 बैंक ने 06-02-2023 से सभी परम उधारकर्ताओं से वसूल किये जाने वाले ब्याज की वार्षिक दर पुनः निर्धारित कर 12.50 प्रतिशत वार्षिक कर दी है। इससे पहले, यह ब्याज दर 13.00 प्रतिशत वार्षिक थी। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने मुनाफा 1.75 प्रतिशत वार्षिक रखा जबकि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपना मुनाफा 2.45 प्रतिशत वार्षिक रखा है।

राज्य सरकार द्वारा सहायता

2.29 राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता एवं अनुदानः राज्य सरकार द्वारा किसानों को ऋण प्रदान करने एंव नाबार्ड के प्रति अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (01-04-2023 से 30-09-2023) के दौरान राज्य सरकार ने 10 करोड़ रूपये के ऋण और अनुदान सहायता प्रदान की है। वित्तीय सहायता का वर्षवार विवरण नीचे तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9-राज्य सरकार द्वारा एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी. को वित्तीय सहायता का वर्षवार विवरण

(राशि करोड़ में)

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
2011-12	70.00	0.00	70.00
2012-13	0.00	142.00	142.00
2013-14	0.00	107.00	107.00
2014-15	100.00	86.00	186.00
2015-16	0.00	0.00	0.00
2016-17	200.00	0.00	200.00
2017-18	150.00	100.00	250.00
2018-19	200.00	100.00	300.00
2019-20	100.00	100.00	200.00
2020-21	70.00	70.00	140.00
2021-22	75.00	84.25	159.25
2022-23	40.00	40.00	80.00
2023-24 (01-04-2023 से 31-12-2023 तक)	28.00	0.00	28.00
कुल	1015.00	829.25	1844.25

स्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

समय पर ऋण अदा करने पर ब्याज माफी प्रोत्साहन योजना का ब्योरा

2.30 वर्ष 2014 में राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण अदा करने के लिए ब्याज माफी योजना लागू की गई। 1,24,671 ऋणी किसानों को 82.38 करोड़ रूपये की राशि 5 प्रतिशत ब्याज राहत के रूप 01-01-2010 से 24-08-2014 में प्रदान की जा चुकी है। परन्तु इस योजना में ब्याज माफी में संशोधन कर 25-08-2014 से इसे 5 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत (निर्धारित ब्याज पर) समय पर अदायगी करने वाले किसानों के लिए कर दिया है। इस योजना के तहत लगभग 1,23,680 ऋणी

किसानों को 99.57 करोड़ रूपये का लाभ 25-08-2014 से 31-03-2023 तक प्रदान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को 31-03-2024 तक बढा दिया है।

जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ऋणी सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना-2022

2.31 हरियाणा सरकार ने गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) को कम करने और राहत प्रदान करने के लिए जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (डी.पी.सी.ए.आर.डी.बी.) के ऋणी सदस्यों के लिए 03-08-2022 को एकमुश्त निपटान योजना-2022 (ओआईएस) शुरू की है। बैंक के उन कर्जदारों के लिए जो अपने अतिदेय ऋण को चुकाने में समर्थ नहीं हैं। स्कीम की शर्ते निम्न हैं:-

योजना का समय

योजना परिचालन का समय योजना की अधिसूचना जारी होने से लेकर 30 जून, 2023 तक होगी।

योग्यता

- इस योजना में राज्य में प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के उन ऋणी सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिन्होने 31 मार्च, 2022 तक किसी भी योजना के तहत ऋण लिया था और कुछ कारणों से अपने मूलधन और ब्याज की किश्तों का भुगतान नहीं कर पाए थे और 31 मार्च, 2022 को अतिदये हो गए थे।
- मृत ऋणधारकों के कानूनी उत्तराधिकारी/ जमानतदार भी इस योजना में शामिल होंगें।
- इस याजना में धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी के मामले शामिल नहीं होंगें।
- यह योजना किसी भी सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम/ बोर्ड/ निगम के कर्मचारी द्वारा डी.पी.सी.ए. आर.डी.बी. से सीधे लिए गए ऋण को कवर नही करेगी।
- इस योजना के बंद होने के बाद लाभ प्राप्त करने के इच्छुक कोई भी ऋणी सदस्य इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।

निपटान सूत्र

- यदि चूककर्ता ऋणी सदस्य जिसका ऋण खाता 31-03-2022 तक अतिदेय है (मृत ऋणी सदस्य को छोडकर) और 31-03-2022 को बकाया संपूर्ण अतिदेय ब्याज देयता के 50 प्रतिशत के साथ अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान कर देता है तो वह संपूर्ण अतिदेय ब्याज देयता में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने का पात्र होगा ।
- यदि डिफाल्टर कर्जदार सदस्य (अब मृतक) का कानूनी उत्तराधिकारी, जिसका ऋण राशि 31-03-2022 तक अतिदेय हो गई है और 31-03-2022 तक अपनी कुल मूल बकाया राशि को चुका देता है, तो वह 31-03-2022 तक संपूर्ण अतिदेय ब्याज देयता का 100 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।
- ऐसे खाते जिनका इस नीति के अनुसार सफलतापूर्वक निपटारा नहीं किया जा सका, लेकिन जहां निपटान की मांग के दौरान कुछ धन जमा किया गया था, ऐसे प्राप्त धन को सामान्य प्रक्रिया में और बिना किसी संदर्भ के खाते में जमा राशि माना जाएगा।
- ऐसे सभी ऋण खाते जिनका इस योजना के तहत निपटान किया गया है, इस तरह निपटान होने पर बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि ऋणी सदस्य जिनके खातों को निपटान किया गया है, वे इस तरह के निपटान करने पर कम से कम एक वर्ष के लिए जिला प्राथमिक सहकारी

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों से किसी भी प्रकार की नई सहायता के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

एकमुश्त निपटान योजना-2022 के अन्तर्गत तक की प्रगति रिपोर्ट का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(राशि करोड़ में)

ओटीएस योजना-2022 के अंतर्गत प्रगति	03-08-2022 से 30-06-2023
कुल डिफालटर लाभार्थी ऋणी कृषकों की कुल संख्या	91.03
एकमुश्त निपटान योजना के तहत वसूल की गई कुल राशि	305.50
क) ब्याज माफी का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन राशि	32.33
ख) ब्याज माफी का 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन (मृतक किसान)	83.85
ग) जुर्माना ब्याज की माफ की गई राशि	16.44
डिफाल्टर किसानों को दी गई कुल राशि (क+ख+ग)	132.62

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड

2.32 लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तरों पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं व 2 विस्तार पटल है तथा जिला मुख्यालयों पर,19 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिनकी 573 शाखाएं तथा 26 विस्तार पटल हैं तथा 781 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जोकि अधिकतम हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 29.67 लाख सदस्यों (13.13 लाख ऋणी सदस्यों) की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। राज्य में बैंक स्वयं या अपने सदस्यों की तरफ से विभिन्न उच्च वित्तपोषण एजैन्सियां जैसे आर.बी.आई./ नाबार्ड, राज्य सरकार, एन.सी.डी.सी. इत्यादि से जमा को जुटा कर, फंडस को बढ़ाकर/ उधार लेकर अपने सदस्यों को कृषि, विपणन एवं प्रसंस्करण, उपभोग, निर्माण, व्यापार, भवन, परिवहन, वितरण एवं स्टॉकिंग इत्यादि उद्देश्यों के लिये ऋण उपलब्ध अपने जमाकर्ताओं की 57 वर्षों से सेवा में रहा है।

हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

2.33 नवम्बर, 1966 में एक संभ्रात शुरूआत से हरको बैंक एक मजबूत वित्तीय संस्थान के रूप में क्रेडिट योग्यता के साथ विकसित हुआ है। अक्तूबर, 2023 तक बैंक की कार्यशील पूंजी 10,365.51 करोड़ रूपये है (तालिका 2.10)। निम्नलिखित आंकड़े इसके अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाते है।

तालिका 2.10-हरको बैंक की वित्तीय स्थिति (रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	1966-67	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी, 2024
1	हिस्सा पूंजी	0.53	275.60	325.60	376.98	379.02	363.13
2	निजि कोष	0.82	1007.93	1144.76	1201.50	1332.66	1315.89
3	अमानतें	1.16	3632.82	3645.45	3824.67	5280.27	5021.41
4	उधार राशि	6.47	4352.39	4006.48	4674.04	5161.55	3897.14
5	ऋण दिये	5.75	9036.57	8384.11	7600.00	5134.77	6042.83
6	बकाया ऋण	7.47	6836.07	6334.95	7148.24	7509.90	7646.88
7	लाभ/ हानि	0.04	51.50	61.36	67.84	88.52	-
8	वसूली प्रतिशत	97.49	99.96	99.95	99.91	99.95	-
9	अतिदेय व ऋण अनुपात प्रतिशत	-	0.09	0.09	0.09	0.06	-
10	एन.पी.ए. प्रतिशत	-	0.09	0.09	0.09	0.06	-
11	कार्यशील पूंजी	8.60	9159.86	8918.52	9847.28	11924.00	10365.51

स्त्रोतः हरको बैंक।

तालिका 2.11- केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले 5 वर्षो के दौरान दिए गए अग्रिम ऋणों की फसलवार तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:-

(क) खरीफ फसल (करोड़ रूपये में)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2019	5285.00	300.00	5585.00	4928.53	256.23	5184.76
2020	5619.19	323.11	5942.30	5628.45	278.94	5907.39
2021	6189.67	365.42	6555.09	5860.85	239.55	6100.40
2022	6446.96	263.50	6710.46	6579.02	203.13	6782.15
2023	7089.00	231.16	7320.16	5927.71	198.57	6126.28

(ख) रबी फसल (करोड़ रूपये में)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2019-20	6723.86	406.61	7130.47	5326.77	332.51	5659.28
2020-21	6762.21	442.48	7204.69	5544.16	176.96	5721.12
2021-22	6930.20	419.46	7349.66	5663.64	131.83	5795.47
2022-23	7185.00	428.00	7613.00	5694.24	195.24	5889.48
2023-24	7265.00	408.00	7673.00	3614.67	158.43	3773.10

स्रोतः हरको बैंक।

रिवोल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपोजिट बीमा गारंटी स्कीम

2.34 किसानों के हितों के लिए मार्च, 2023 तक 5.97 लाख क्रियाशील ऋणी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा अपने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने मार्च, 2023 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। किसानों की सभी प्रकार की गैर-कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है। ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रूपये की राशि जमा करने पर बैंक अपने प्रत्येक सदस्य की गारन्टी देता है। वर्तमान मे कोई भी पैक्स इस योजना के अंतर्गत मानदण्ड पूरा नही करती।

2.35 भारत सरकार व राज्य सरकार की समय पर अदायगी करने वाले प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों हेतू ब्याज राहत योजना।

(क) भारत सरकार की ब्याज राहत योजना- भारत सरकार द्वारा फसली ऋण पर उन किसानों को जिन्होंने अपने ऋण की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया है, उन्हें 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज में राहत प्रदान की गई। इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 01-04-2009 से फसली ऋण की प्रभावी दर 4 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में समय पर अदायगी करने वाले लगभग 6,03,647 लाख किसानों को 108.43 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई।

(ख) राज्य ब्याज राहत योजना-2014- राज्य द्वारा 4 प्रतिशत की दर से 01-09-2014 से समय पर फसली ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021-22

के दौरान 6,54,597 किसानों को 154.13 करोड़ रूपये की ब्याज राहत राशी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई। इस प्रकार समय पर अदायगी करने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज 0 प्रतिशत (7 प्रतिशत-4 प्रतिशत-3 प्रतिशत=0) है। यह योजना अभी तक क्रियाशील है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.36 जिला सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाष् वर्ष 2009 से लागू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में कार्ड धारकों को मात्र 3.65 रूपये के अंशदान पर 50,000 रूपये तक का बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 1.20 रूपये का अंशदान देना होगा तथा शेष 2.45 रूपये का अंशदान केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वहन किया जा रहा है। यह योजना अभी तक क्रियाशील है।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन/ भत्ते योजना

2.37 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पैंशन/ भत्ते वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। उक्त बैंकों की शाखाओं द्वारा अब तक 3.57 लाख पैंशनधारकों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं और लाभार्थियों को इन बैंकों के माध्यम से पैंशन वितरित की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में पैक्स के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भी पैंशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य में सहकारी बैंकों ने सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों के मध्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.) तथा उपभोक्ताओं को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाए

2.38 हरको बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान लागू कर दिया गया है। कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत बैंक शाखायें अपने ग्राहकों को आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. व एस.एम.एस. एलर्ट और डी.बी.टी. सेवायें प्रदान कर रही हैं। हरको बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रूपये डेबिट कार्ड व किसान क्रेडिट कार्ड (ए.टी.एम. कार्ड) भी दिये जा रहे हैं। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ए.टी.एम. मशीने स्थापित की गई हैं। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सभी सक्रिय ऋणी सदस्यों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए रूपे किसान कार्ड भी दिये जा रहे हैं। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ग्राहकों को माइक्रो ए.टी.एम. की सुविधा भी दी जा रही है। राज्य के सभी 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स स्तर पर पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गई हैं। हरको बैंक में मोबाईल बैंकिंग सेवाएं प्रारम्भ कर दी गई है। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पैंशन योजना अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों हेतु एक मुश्त अदायगी योजना-2022

2.39 हरियाणा राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के उन सदस्यों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जो किन्ही कारणों से अपने ऋण का बकाया चुकाने में सक्षम नहीं हैं और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में डिफाल्टर है, को राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अतिदेय ऋण की अदायगी हेतु एक मुश्त योजना लागू की गई थी। यह योजना 23-08-2022 से 30-11-2022 तक प्रभावी थी। 30.11.2022 तक इस योजना के अन्तर्गत अतिदेय राशि 60.01 करोड़ रूपये, 17,847 ऋणी सदस्यों से वसूल की गई, जिसमें से मु0 38.51 करोड़ की राशि ब्याज राहत के रूप में प्रदान की गई।

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको हेतु एक मुश्त अदायगी योजना-2022

2.40 यह योजना इस उद्देश्य से लागू की गई कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के एन.पी.ए. को कम करना तथा ऐसे अतिदेय ऋणी सदस्यों को एक मुश्त अदायगी योजना का अवसर प्रदान करना है जो किन्हीं कारणों से अपने ऋण का बकाया चुकाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अतिदेय ऋणी सदस्यों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु योजना बनाई गई थी। यह योजना भी 04-04-2022 से 30-11-2022 तक प्रभावी थी। इस योजना के अन्तर्गत 2,176 ऋणी सदस्यों से 30 नवम्बर, 2022 तक 78.69 (मूलधन 55.91 करोड़ व ब्याज 22.78 करोड़ रूपये) करोड रूपये की वसूली की गई।

कृषि अवसंरचना कोष (ए.आई.एफ.)

2.41 भारत सरकार ने किसानों और ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रूपये की कृषि अवसंरचना कोष (योजना) बनाई है। यह योजना 2020-21 से 2029-30 तक प्रभावी रहेगी इस योजना के ऋण जारी करने की समय अवधि 6 वर्ष है यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक पूरा किया जायेगा। 6 फरवरी, 2024 तक हरियाणा राज्य के लिए 1953 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1650 करोड़ रूपये योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। ऋण अदायगी की वित्तीय सुविधाओं के अन्तर्गत भूगतान की अधीकतम सीमा 7 वर्ष निर्धारित कि गई है जिसमें मोरिटेरियम समय अवधि के 2 साल शामिल है। एआईएफ योजना के तहत गतिविधियों के लिए 41 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की पहचान की गई थी जिनमे से 39 पैक्स को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सी. पी. एम. यू. द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। दो पैक्स क्रमशः पुरग पैक्स (यमुनानगर) अमरगढ़ पैक्स कैथल को गोदाम बनाने तथा राइपनिंग चैम्बर के ऋण के लिए मामला विचाराधीन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 37 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ऋण स्वीकृत किया जाएगा।

2.42 हरको बैंक व जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अग्रिम एवं मुख्य ऋण योजनायें इस प्रकार हैः-

1. **ग्रामीण दस्तकारों के लिए ऋण**
2. **उपभोक्ता ऋण**
3. **मध्यावधि ऋण योजना**
4. **फुटकर दुकानदारों इत्यादि के लिए ऋण**
5. **व्यक्तिगत ऋण, कार ऋण, गृह ऋण योजना इत्यादि**
6. **उद्यम ऋण योजना**
7. **छोटी सडक व पानी पहुंचाने वालों के लिए सहायता (एस.आर.डब्ल्यू.टी.ओ.)**
8. **कृषि आधारित योजनाओं को सहायता प्रदान करने की योजना**
9. **मार्जिन मनी के लिए सुलभ ऋण सहायता स्कीम**
10. **अन्य प्रकार की समितियों के लिए ऋण**
11. **ई-रिक्शा हरको बैंक ग्रीन राईड।**

खजाना एवं लेखा

2.43 वर्तमान में राज्य में 24 जिला स्तरीय खजाने तथा 81 उप खजाने कार्य कर रहे हैं जो कि संचय निधि से सम्बंधित प्राप्तियाँ तथा अदायगियों के खाते तथा राज्य के सार्वजनिक लेखों का विवरण प्रत्येक मास में 2 बार प्रधान महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। खजाना एवं लेखा विभाग अधीनस्थ लेखा सेवा (एस.ए.एस.) काडर का नोडल विभाग है तथा इसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा मुख्य लेखा अधिकारी शामिल हैं। विभाग का लेखा प्रशिक्षण संस्थान पंचकूला समय-2 पर राज्य सरकार के विभागों, बोर्डो एवं निगमों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 9,700 आदान तथा वितरण अधिकारी खजाना विभाग के परामर्श से राज्य की संचयनिधि से निकासी व जमा का कार्य करते हैं। विभाग द्वारा विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

ऑनलाइन बजट आवंटन नियंत्रण तथा विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.ए.एस.)

2.44 यह सॉफ्टवेयर प्रणाली दिनांक 01-04-2010 से कार्यान्वित की गई है जो सफलता पूर्वक चल रही है। इसके अन्तर्गत बजट से सम्बंधित सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन एवं वितरण आदि ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अब सभी डी.डी.ओ/ विभाग, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के तहत ही खर्चो का वहन कर सकते हैं। जिसकी वजह से व्यय को व्यवस्थित किया गया है।

ई-बिलिंग

2.45 ई-बिलिंग सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में 01-04-2013 से कार्यान्वित किया गया है। बिलों को बनाने व खजाना में भेजने की प्रकिया पूर्णतया स्वचालित हो गई है। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप डी.डी.ओ. एवं खजाना स्तर पर कार्यालयी कार्यों की कुशलता में सुधार हुआ है। इस प्रणाली से लगभग सभी डी. डी. ओ. द्वारा करीब 17.21 लाख बिल 20 अक्तूबर, 2023 तक तैयार किए गये हैं। कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए अब भुगतान आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे तौर पर जमा किया जाता है। नकद लेन देन निषेध किये गये हैं। सभी डी.डी.ओ. को ऑनलाईन ई-टी.डी.एस. रिर्टन चार्टड एकाउटेंट की मदद के बिना ई-बिलिंग प्रणाली के माध्यम से भरने की सुविधा प्रदान की है। (प्रधान महालेखाकर (ए.एण्ड ई.) हरियाणा के अनुमोदन उपरान्त 13-08-2020 से राज्य में वेतन भुगतान के लिए कागज रहित वाउॅचर शुरू हो चुके है)। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के बिलों के लिए पेपरलेस वाउॅचर पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

ई-ग्रास

2.46 माह जनवरी, 2014 से राजकीय प्राप्ति प्रणाली (ई-ग्रास) सम्पूर्ण राज्य में सफलतापूर्वक लागू की गई है। विभागों द्वारा सभी प्रकार के ई-चालान सृजित किए जाते हैं तथा आम जनता इस इलैक्ट्रोनिक प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई.डी.बी.आई. बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को अधिकृत किया गया है। अब राज्य सरकार ने नांमित तीन बैंको, स्टैट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशलन बैंक और आई.डी.बी.आई. बैंक के साथ पैमेंट एग्रीग्रटर सेवा (पैमेंट गेटवे) लागू की है और प्रत्येक एग्रीगेटर के साथ लगभग 56 बैंको को संबंद किया गया है। राज्य सरकार ने ई-पेमेंट और ई-रिसिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई-कुबेर को इस्तेमाल करने का भी निर्णय लिया है। इन दो प्रणालियों का एकीकरण प्रक्रियाधीन है।

ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओटिस)

2.47 वैब ओटिस सभी खजानों और उप-खजानों में 01-07-2013 से वैब ओटिस लागू किया गया और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी तीनों हितधारकों नामतः खजानों/ उप-खजानों, खजाना बैंक शाखाओं तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय का इस प्रणाली के साथ एकीकरण किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से खजानों के लेखों को स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है और एक महीने में दो बार प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।

ई-पोस्ट

2.48 विभिन्न विभागों के स्वीकृत पदों जिसमें मौजूदा पदों के समर्पण को सम्मिलित करते हुए नए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य भर में 23.05.2014 से ई-पोस्ट स्वीकृति मॉडल लागू किया गया। सभी विभागों को इस प्रणाली के माध्यम से पदों के सृजन प्रस्ताव को भेजने की सुविधा दी गई है। सभी विभागों द्वारा अपने विभाग के पदों की संख्या को ई-पोस्ट में डाल दिया गया है।

ई-पैंशन

2.49 ई-पैंशन प्रणाली को 1-10-2012 से लागू किया गया है और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। सभी पैंशन धारक जिनके पी.पी.ओ. 01-10-2012 के बाद प्राप्त हुए हैं, अपने सम्बंधित बैंक खातों में हर महीने की पहली तारीख को पैंशन वितरण शैल (पी.डी.सी.) द्वारा ई-पैंशन प्रणाली के प्रयोग से एन.ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 1.50 लाख पैंशनर, पैंशन वितरण शैल/ खजानों/ उप-खजाना से अपनी पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट) के प्रस्तुत करने के बाद अब पैंशनधारक वर्ष में एक बार नवम्बर माह में किसी भी खजाना/ उप-खजाना में जीवन प्रमाण पत्र नवीनीकृत करवा सकते हैं।

ई-स्टैंपिंग

2.50 हरियाणा में ई-स्टैंपिंग प्रणाली को दिनांक 01-03-2017 से लागू किया गया। इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक 100 रूपये से अधिक कीमत का (गैर-न्यायिक) स्टाम्प पेपर तैयार कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 5,68,549 लाख रूपये के कुल 29,73,961 स्टाम्प पेपर जारी किये गये।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.)

2.51 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली वह साफ्टवेयर है जिसमें सभी नियमित कर्मचारियों का पूरा डाटा यानि सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति ब्यौरा, छुट्टियों का ब्यौरा और स्थानातंरण इत्यादि के बारे मे सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। यह प्रणाली जून, 2016 से लागू की गई है। इस प्रणाली को ई-सैलरी से जोड़ दिया गया है। अवकाश का अपडेशन तथा ए.सी.पी. के मामले भी एच.आर.एम.एस. के माध्यम से किए जा रहे हैं। सरकार ने स्थानातंरण के मामलों को भी इस प्रणाली के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। अब सरकार द्वारा मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली को राज्य के बोर्डों/ निगमों आदि में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.)

2.52 भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बजट और व्यय के प्रवाह पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना तथा निर्णय सहायक

प्रणाली के रूप में लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। राज्य सरकार ने भी राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। सरकार ने राज्य खजानों/ उप-खजानों को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली से एकीकरण का कार्य सम्पूर्ण कर लिया है और भारत सरकार के साथ व्यय की भागीदारी की जा रही है व सभी हितधारकों के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली पर दर्शाया जा रहा है। राज्य की कुछ स्कीमों को भी इस प्रणाली के तहत लागू किया जा रहा है। गत वित्त वर्ष 2021-22 से राज्य द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी/ खाता (एस.एन.ए.) मॉडल शुरू किया जा चुका है।

आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा

2.53 आबकारी व कराधान विभाग राज्य का प्रमुख राजस्व सृजन विभाग है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम राज्य में 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने में हरियाणा राज्य देशभर में अग्रणी है। राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का कुल वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 33,527.42 करोड़ रूपये (एस. जी. एस. टी. संग्रह + आई. जी. एस. टी. + मुआवजा सहित) किया है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से वस्तु एवं सेवा कर के कुल संग्रहण में 8.92 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की है। राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (जनवरी, 2024 तक) में कुल 32,456.71 करोड़ रूपये का वस्तु एवं सेवा कर एकीकृत किया है। राज्य का कुल सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह वर्ष 2021-22 में 25,087 करोड़ रूपये था जोकि वर्ष 2022-23 में 30,951 करोड़ हो गया जोकि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 23 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

- कुल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में राज्य का देश में 5वां स्थान है। जिसमें (एस. जी. एस. टी. + सी. जी. एस. टी. + आई. जी. एस. टी. + सी. ई. एस. एस.) में नवम्बर, 2023 तक कुल संग्रह 9,732 करोड़ रूपये हुआ।
- नवम्बर, 2022 की कुल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह जिसमें (एस. जी. एस. टी. + सी. जी. एस. टी. + आई. जी. एस. टी. + सी. ई. एस. एस.) शामिल है का कुल संग्रह 6,769 करोड़ रूपये था, जोकि माह नवम्बर, 2023 में कुल संग्रह नवम्बर, 2022 की तुलना में 44 प्रतिशत वृद्धि के साथ राज्य का प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान रहा।

हरियाणा राज्य में वित्त वर्ष अनुसार वस्तु एवं सेवा कर संग्रह का विवरण नीचे तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12- राज्य में वस्तु एवं सेवा कर की वर्षवार संग्रहण स्थिति (करोड़ रूपये में)

वर्ष	एस.जी.एस.टी. का नकद संग्रह	प्रोविजनल आई.जी.एस.टी. सैटेलमेंट	एडोक आई.जी.एस.टी.	शुद्ध एस.जी.एस.टी. संग्रहण	एस.जी.एस.टी. मुआवजा उपकर	मुआवजा उपकर ऋण के रूप में	जी.एस.टी. के तहत राज्य का कुल संग्रहण
2018-19	12689.55	3876.65	2476.10	19042.30	2820.00	-	21862.30
2019-20	13921.97	4933.34	627.93	19483.24	5453.43	-	24936.67
2020-21	11959.24	6117.18	3013.15	21089.57	5065.82	4352.01	30507.40
2021-22	15115.60	8470.54	1501.02	25087.16	2908.68	7393.79	35389.63
2022-23	18142.48	11878.04	931.00	30951.52	2575.90	-	33527.42
2023-24 (31.01.2024)	16846.28	12105.43	0.00	28951.71	3505.00	0.00	32456.71

स्रोतः आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा।

विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों का प्रशिक्षण

2.54 विभाग ने सी.जी.एस.टी. अधिकारियों क सहयोग से 24-07-2023 को ए.ई.टी.ओ. और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों के लिए जी.एस.टी. ऑडिट पर प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में गुड़गांव और फरीदाबाद रेंज तथा सोनीपत, नारनौल, रेवाडी और झज्जर जिले के अधिकारियों ने भाग लिया। विभाग ने सी.जी.एस.टी. अधिकारियों और एन.ए.सी.आई.एन. के सहयोग से 18-10-2023 को चंडीगढ़ में अधिकारियों के लिए जी.एस.टी. ऑडिट पर प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में अंबाला और हिसार रेंज और पानीपत, रोहतक और मुख्य कार्यालय जिलों के अधिकारियों ने भाग लिया।

ऑनलाइन जुआ एवं सट्टा कंपनी और खनन ठेकेदारों को नोटिस जारी

2.55 विभाग ने हाल ही में प्रोबो (मैसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) के नाम से ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी ऐप को 1,500 करोड़ का नोटिस जारी किया है। कंपनी एच.एस.एन. 998439 के तहत अन्य ऑनलाइन सेवाओं की आपूर्ति के रूप में सट्टेबाजी, जुआ या घुड़दौड़ में जीतने का मौका के रूप में कार्रवाई योग्य दावे की आपूर्ति को गलत वर्गीकृत कर रही थी। एच.जी.एस.टी.-आई.यू. ने कर, ब्याज एवं जुर्माना खनन ठेकेदारों का 352 करोड़ से अधिक के डिमांड नोटिस जारी किए हैं। शीर्ष नोटिस में मैसर्स गोवर्धन माइंस, मैसर्स एस.बी.आई.पी.एल. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मैसर्स ए.एस.डी.आर.के.सी. (जे.वी.)और मैसर्स हरियाणा सैनिक माइनिंग शामिल हैं।

फर्जी जी.एस.टी. पंजीकरण के खिलाफ अखिल भारतीय विशेष अभियान

2.56 राजस्व रिसाव को रोकने के लिए राज्य और केंद्रीय जी.एस.टी. अधिकारियों की राष्ट्रीय समन्वय बैठक के दौरान ऐसे संदिग्ध/ नकली जी.एस.टी. आई.एन. की पहचान करने के लिए एक विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया था। यह 16 मई, 2023 से शुरू हुआ और 15 जुलाई, 2023 तक जारी रहा और इसे 1 महीने यानी 14 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दिया गया। इस अभियान में, केन्द्र और राज्य जी.एस.टी. अधिकारियों ने समन्वित और व्यवस्थित तरीके से जी.एस.टी. कानून के अनुसार राज्य में संदिग्ध/ नकली जी.एस.टी. पंजीकरण इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की। इस अभियान में हरियाणा राज्य ने 1,280 संदिग्ध करदाताओं का भौतिक सत्यापन किया। इन करदाताओं के भौतिक सत्यापन के दौरान 133 पंजीकरण अस्तित्वहीन पाए गए, 77 पंजीकरण निलंबित कर दिए गए जबकि 82 करदाताओं के पंजीकरण रद्द कर दिए गए। आई.टी.सी. की 77.30 लाख की राशि को ब्लॉक किया गया जबकि 54.89 लाख की राशि नकद बरामद की गई।

हरियाणा राज्य जी. एस. टी. इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना

2.57 बिना बिल के वस्तुओं/ सेवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए, विभाग ने 22-03-2021 को हरियाणा राज्य जी.एस.टी. इंटेलिजेंस यूनिट (एच.एस.जी.एस.टी.-आई.यू.) की स्थापना की। एच.एस.जी.एस.टी.-आई.यू. को सौंपे गए कुल मामलों से, इकाई द्वारा 30-10-2023 तक नकद और आई.टी.सी.सहित 368.53 करोड़ की राशि वसूल की गई है।

मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम

2.58 जी.एस.टी. बिल बनाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, मेरा बिल मेरा अधिकार नामक एक योजना माननीय उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के श्री दुष्यंत चैटाला और केन्द्रीय राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने 01-09-2023 को असम और गुजरात और तीन राज्यों शासित प्रदेश पांडेचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए शुरू की थी। केन्द्र इस योजना के लिए वार्षिक आधार पर इस पहल के तहत के तहत निधि के लिए 30 करोड़ रूपये का कोष उपलब्ध

कराया गया है। प्रत्येक तिमाही में उपभोगताओं के लिए 1 करोड़ रूपये के दो पुरस्कार होंगे और इसका मतलब प्रति वर्ष 1 करोड़ रूपये के आठ ऐसे पुरस्कार होंगे और ये विजेताओं को ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएंगे। इस महीने 1 लाख रूपये के 10 पुरस्कार और 10,000 रूपये के 80 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रति लाख लोगों पर संचयी चालान की संख्या 157 (गुजरात में प्रति 1 लाख लोगों पर 159 चालान है) के साथ चालान अपलोड करने में हरियाणा प्रमुख राज्यों में गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है। हरियाणा के अलावा यह योजना असम और गुजरात और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों पांडेचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दिव में भी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी जिसे धीरे-2 पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। 30-10-2023 को हरियाणा राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार मोबाइल ऐप पर 43,050 बिल अपलोड किए हैं।

बिक्री कर

2.59 1 अप्रैल, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक वैट और सी.एस.टी. के तहत संग्रह 6,577.84 करोड़ रूपये है। 1 अप्रैल, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक रिफंड राशि 74.41 करोड़ रूपये है।

आबकारी

2.60 वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी राजस्व संग्रहण का कुल लक्ष्य 10,900 करोड़ है और जिसमें से 31-10-2023 तक हमने 4,960.63 करोड़ प्राप्त कर लिया है जो लगभग 45.51 प्रतिशत हैं।

- विभाग ने सभी डिस्टिलरी/ बॉटलिंग प्लांट और बुअरीज में सी.सी.टी.वी. स्थापित करने की बड़ी पहल की है जो सीधे उत्पाद शुलक और कराधान आयुक्त के कार्यालय से जुड़े हुए हैं। सभी डिस्टिलरीज को कवर करने वाली वास्तविक समय रेखा फुटेज 24x7 सक्रिय हो रही है।
- डिस्टिलरीज में फलो मीटर लगाने का काम चल रहा है, जो उत्पादित अल्कोहल की वास्तविक मात्रा को मापेगा, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा।
- दुकानों की नीलामी बोली आमंत्रित करके की गई है जिसके परिणामस्वरूप राज्य के लिए लाइसेंस शुल्क 2,163 करोड़ से बढ़कर 2,492 करोड़ हो गया है जोकि लगभग 330 करोड ज्यादा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लाइसेंस शुल्क में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि है।

कम्प्यूट्रीकरण

2.61 भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गर्वनैंस योजना के तहत, विभाग की गतिविधियों के व्यापक कम्प्यूटरीकरण के लिए वाणिज्यिक कर के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत विभाग का चयन किया गया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शासन के लिए नागरिक केन्द्रित पारदर्शी वातावरण तैयार करना है। मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एल.एल.पी. को सलाहकार के रूप में और मैसर्स विप्रो लिमिटेड को इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में लगाया गया है। प्रोजेक्ट को स्टेट-वाइड 12-05-2018 से लागू किया गया है।

- ऑपरेशन और रखरखाव चरण 13-08-2018 से शुरू हुआ है। इस परियोजना के माध्यम से विभाग की सभी प्रमुख गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से आबकारी ठेकों की ऑनलाइन टेंडरिंग शुरू कर दी गई है। तब से प्रदेश में शराब के ठेकों का आवंटन ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाईन किया जाता है। आबकारी के लिए सभी परमिट

और पास ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। हरियाणा राज्य में परेशानी मुक्त व्यापार के लिए पंजीकरण, करों का भुगतान, रिटर्न फाइलिंग और रिफंड ऑनलाइन कर दिया गया है।

- 1 जुलाई, 2017 से देश में सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) लागू हो गया है। जी.एस.टी.आई.टी. आधारित कराधान प्रणाली है और हरियाणा राज्य इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। जिसमें इसने अपने स्तर पर बैंक-एंड जी.एस.टी. मॉडयूल को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया। हालांकि, सेवाओं और संशोधनों की बेहतर अनुकूलन क्षमता के लिए, हरियाणा 01-07-2021 को मॉडल 1 से मॉडल 2 प्रणाली में माइग्रेट हो गया है और मॉडल 2 प्रणाली के नए बैंक ऑफिस पोर्टल पर सभी नए आवेदन आने शुरू हो गए हैं।
- जनता और अधिकरियों के लिए आसान खोज और पढ़ने की क्षमताओं के साथ सभी जी.एस.टी. (एच.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी.) संबंधित अधिनियम, नियमों और संशोधनों के एक स्थान समाधान के लिए 08-02-2022 को एक नया पोर्टल जी.एस.टी. कोष लॉन्च किया गया है। कोविड राहत सामग्री के आयात की लागत से मुक्त प्राधिकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का ऑनलाईन कार्यान्वयन।
- विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 171 डेस्कटॉप और 257 बहु-कार्यात्मक प्रिंटर और उप आबकारी व कराधान आयुक्त और उससे उच्च अधिकारियों के लिए 74 लैपटॉप उपलब्ध कराकर राज्यव्यापी आई.टी. अवसंरचना का उत्रयन। ए.ई.टी.ओ. और ई.टी.ओ. के लिए 308 लैपटॉप की खरीद प्रक्रियाधीन हैं।

आनलाईन स्थानांतरण पालिसी

2.62 आबकारी व कराधान विभाग में कर निरीक्षकों और जिला कैडर के लिपिकों के लिए एक ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बनाकर दिनांक 31-07-2020 को अधिसूचना जारी की गई। विभाग के द्वारा दोनों कैडर के सभी कर्मचारियों की दिनांक 28-02-2022 तक एच. आर. एम. एस. में सर्विस सत्यापित करवा ली गई हैं प्रथम स्थानान्तरण नीति के तहत 132 कर निरीक्षकों व 151 लिपिकों का स्थानान्तरण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से कर दिया गया है तथा दूसरी स्थानान्तरण नीति के तहत 87 कर निरीक्षकों व 89 लिपिकों का स्थानान्तरण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से कर दिया गया है। दिनांक 27-03-2023 करे तीसरी स्थानांतरण निति के तहत 48 कर निरिक्षकों व 50 लिपिकों का स्थानांतरण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से कर दिया गया है। जिला कार्यालयों के सहायकों को भी दिनांक 25-05-2022 को संशोधित ऑनलाईन स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। सहायकों के ऑनलाईन स्थानान्तरण की प्रक्रिया को 02-01-2023 को पूरा कर दिया गया है। इसके तहत 45 सहायकों को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी द्वारा स्थानांतरण किया गया।

ई-ऑफिस बारे नोट

2.63 कागजरहित प्रशासन हेतु हरियाणा सरकार ने सभी फाईलों को डिजिटल आवाजही के उद्देश्य से ई-आफिस परियोजना शुरू करने की पहल की है। ई-ऑफिस पोर्टल एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। आबकारी व कराधान विभाग को दूसरे चरण में शामिल करते हुए दिनांक 15-09-2020 से सभी नई फाईलों के लिए ई-ऑफिस लागू कर दिया गया है। विभाग में ई-ऑफिस को सहजता से लागू करने के लिए जरूरी सभी इंतजाम व प्रशिक्षण कार्य करने उपरांत सुचारू रूप से लागू कर दिया गया है।

वित्तीय समावेश

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.)

2.64 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मौजूदा बोझिल वितरण प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को शुरू की गई एक प्रमुख सुधार पहल है। डी.बी.टी. लोगों को बेहतर और समय पर लाभ सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। यह भुगतान, ईंधन सब्सिडी, खाद्यान्न सब्सिडी आदि जैसे सरकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के हाथों में पहुंचाने, भुगतान में तेजी लाने, लीकेज को दूर करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की प्रक्रिया में बदलाव का प्रतीक है। डी. बी. टी. एक प्रत्यक्ष और समयबद्ध हस्तांतरण प्रणाली है जो सरकार का आधार के माध्यम से जुड़े किसी व्यक्ति के बैंक खाता नंबर का उपयोग करके लाभ हस्तांतरित करने में सक्षम बनाती है। यह आधार संख्या या बायोमेट्रिक इनपुट, प्रकृति में अद्वितीय हाने के कारण, सरकार से 'डुप्लिकेट/ भूत लाभार्थियों' को हटा देता है। राज्य डी.बी.टी. पोर्टल सितम्बर, 2017 से चालू है। राज्य के विभाग लाभार्थियों और लेनदेन डेटा के साथ राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर अधिक राज्य और केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (साझाकरण आधार) अपलोड करने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं। वर्तमान में दिनांक 30-12-2023 तक 26 विभागों की 142 राज्य/ केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं। इन 142 योजनाओं में से 84 राज्य योजनाएं और 58 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं। अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक 5.15 करोड़ रूपये लेनदेन के माध्यम से कुल 1,63,08,283 लाभार्थी लाभान्वित हुए और कुल 11,030.9 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तांतरित की गई।

स्टैंड अप इंडिया

2.65 स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत, 2023-24 के दौरान (दिसंबर, 2023 तक) 755 लाभार्थियों को 147.30 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। इनमें से 5.88 करोड़ रुपये की राशि 33 अनुसूचित जाति के पुरुष लाभार्थियों व 141.42 करोड़ रुपये 722 महिला लाभार्थियों अनुसूचित जाति वर्ग सहित को वितरित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

2.66 यह योजना 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई थी। सितंबर, 2023 तक, राज्य में 94.22 लाख बैंक खाते खोले गए हैं और 67.54 लाख रूपये कार्ड जारी किए गए हैं, जो तालिका 2.14 में दिए गए अनुसार कुल खोले गए खातों का 72 प्रतिशत है।

तालिका 2.14- पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खाते, आधार सीडिंग और रुपे कार्ड जारी किए गए

विवरण	30-09-2023 तक
खाते खुले	9422786
आधार सीडिंग	8020665
रूपयेकार्ड जारी किये गये	6754177

स्रोत: वित्त विभाग हरियाणा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.)

2.67 माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड को 8 अप्रैल, 2015 को बैंकों, एनबीएफसी और एमएफआई आदि जैसे अंतिम मील वित्तीय मध्यस्थों के विकास और पुनर्वित्त के लिए एक नई वित्तीय इकाई के रूप में लॉन्च किया गया था, जो छोटे लोगों को ऋण देने के व्यवसाय से हैं। जिसमे विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र एवं सूक्ष्म उद्यम शामिल है। उसी दिन ऐसे उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाकर और उन्हें किफायती ऋण प्रदान करके "बिना वित्त पोषित लोगों को वित्तपोषित करने" के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। यह महसूस किया गया है कि वर्तमान में औपचारिक ऋण से बाहर रखी गई बड़ी संख्या में ऐसी इकाइयों तक पहुंचने में भारी कार्य को देखते हुए, मिशन मोड पर बैंक वित्त को विशेष बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस खंड में मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के गैर-कृषि उद्यम शामिल हैं जिनकी ऋण आवश्यकताएं 10 लाख रूपये से कम हैं। मुद्रा ऋण को शिशु, किशोर और तरूण में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा का प्रयास होगा कि कम से कम 60 प्रतिशत क्रेडिट शिशु श्रेणी की इकाइयों को और शेष किशोर और तरूण श्रेणियों को मिले। मुद्रा ऋण की प्रगति तालिका 2.15 में दी गई है।

तालिका 2.15- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत खातों और वितरित राशि का विवरण

योजना	ऋण सीमा (रूपये)	01-04-23 से 30-09-2023 तक	
		खातों की कुल संख्या	संवितरित राशि (रूपये लाख)
बच्चा	50000 तक	135261	51333
किशोर	50001 - 500000	123501	166629
युवा	500001 - 1000000	15563	118234
कुल		274325	336196.00

स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)

2.68 यह योजना एक साल का कवर है, जिसे साल-दर-साल नवीनीकृत किया जाता है, दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख रूपये का बीमा और दुर्घटना के कारण विकलांगता के लिए विकलांगता कवर की पेशकश करती है। यह योजना 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी जिसे सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/ प्रशासित किया जा रहा है। 18-70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचत बैंक खाताधारक वर्ष-दर-वर्ष नवीकरणीय 20 रूपये के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भाग लेने वाले बैंकों में अपना नामांकन करा सकते हैं। 30-09-2023 तक, बैंकों ने इस योजना के तहत 68,66,829 व्यक्तियों को नामांकित किया।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.)

2.69 यह योजना 1 जून, 2015 से लागू हुई। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम/ अन्य बीमा कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने को तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ किया गया है। इस योजना के तहत, 18-50 वर्ष की आयु वाले सभी बचत बैंक खाताधारक 436 रूपये के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके योजना का लाभ उठाने के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं। योजना के तहत, सदस्य की मृत्यु पर 2 लाख रूपये देय है। किसी भी कारण से. 30-09-2023 तक, बैंकों ने योजना के तहत 26,23,095 व्यक्तियों को नामांकित किया।

अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

2.70 कामकाजी गरीबों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा के बारे में चिंता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित करना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को संबोधित करना और उन्हें स्वेच्छा से अपने लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेवानिवृत्ति, भारत सरकार ने 1 जून, 2015 से अटल पेंशन योजना शुरू की है। सभी बैंक खाताधारक जो भारत के नागरिक हैं और 18-40 वर्ष की आयु के हैं, एपीवाई में शामिल हो सकते हैं और सदस्यता के भुगतान पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। एपीवाई के तहत, ग्राहकों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है जो भुगतान किए गए प्रीमियम और ग्राहक द्वारा योजना में प्रवेश की उम्र के आधार पर प्रति माह 1,000 से 5,000 रूपये के बीच है। 1,000 रूपये प्रति माह और 5,000 रूपये प्रति माह के बीच एक निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए, ग्राहक को 18 वर्ष की आयु में शामिल होने पर, 42 रूपये और 210 रूपये के बीच मासिक आधार पर योगदान करना होगा। समान निश्चित पेंशन स्तरों के लिए, योगदान 291 रूपये और 1,454 रूपये के बीच होगा, यदि ग्राहक 40 वर्ष की आयु में शामिल होता है। 30-09-2023 तक, बैंकों ने योजना के तहत 11,77,500 व्यक्तियों को नामांकित किया।

स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एस.जे.एच.आई.एफ.एम.)

2.71 हरियाणा राज्य स्तर पर आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क को अपनाने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक है। स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान अपनी स्थापना के प्रथम चरण से ही खुले और पारदर्शी आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क को लागू करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रहा है जिससे केवल कल्याणकारी व्यय के लिए लेखाकंन की बजाये नागरिक कल्याण सुनिश्चित किया जाएं।

2.72 स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान राज्य की योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मुख्य धारा में लाने और 17 सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के आधार पर परिव्यय के साथ-साथ संरचित सैमिनारों/ कार्यशालाओं और अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमताओं को उन्नत करने में सभी विभागों और हितधारकों की मदद कर रहा है। यह एस. डी. जी. बजट आंबटन रिपोर्ट, राज्य संकेतक ढांचें की तैयारी, जिला संकेतक ढांचे, एस.डी.जी. जिला सूचकांक जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।

2.73 राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नवीवनतम संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.) द्वारा प्रदान किये गये आय के सत्यापित डाटा का उपयोग लाभों के वितरण के लिए किया जा रहा है। पात्र लाभार्थी 6,000 की बीमा राशि से केंद्र सरकार की 5 योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे, जिसका उपयोग उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा स्कीम में नांमाकित होने के उपरान्त विभिन्न योजनाओं के प्रीमीयम की प्रतिपूर्ति की जाएगी और बाद में देय प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उक्त एस.ओ.पी. के अनुसार राज्य सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, के 4,83,816 लाभार्थियों को 6.30 करोड़ रूपये

तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के 26,079 लाभार्थियों को 2.56 करोड़ रूपये के प्रीमीयम का भुगतान किया है। वहीं इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12,73,951 लाभार्थियों को 18.35 करोड़ रूपये के प्रीमियम का भुगतान किया है।

2.74 इस कार्यक्रम की घोषणा नीति आयोग द्वारा जनवरी, 2018 में की गई थी जिसका उद्देश्य मुलभूत सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवन स्तर में सुधार आदि के लिए भारत के 115 पिछड़े जिलों (भारत की कुल आबादी का लगभग 12 प्रतिशत) को तेजी से बदलना और उनका उत्थान करना है। हरियाणा राज्य का नूँह (मेवात) जिला इन आंकाक्षी जिलों में से एक है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं बुनियादी ढ़ाँचे से संबंधित 6 प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। मार्च, 2018 में जारी बेसलाईन रैंकिंग के अनुसार भारत के इन आंकाक्षी जिलों में हरियाणा नूँह (मेवात) जिला सबसे निचले स्थान पर था। नूँह (मेवात) जिले में जनवरी, 2019 में समग्र रैंक तीसरा और वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में पहला रैंक हासिल किया। दिसम्बर, 2021 में नूँह ने समग्र चैथा रैंक और बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में पहला रैंक हासिल किया। दिसम्बर, 2022 में जिला नूँह (मेवात) ने लाईफ टाईम उच्चतम प्रथम ओवरऑल रैंक की है तथा स्वास्थ्य और पोषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में जून, 2023 में जिला नूंह (मेवात) ने लाईफ टाईम उच्चतम द्वितीय ओवरऑल रैंक प्राप्त की है तथा कृषि एवं जल संसाधन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

2.75 नूँह (मेवात) जिले में मार्च, 2018 से समग्र रूप में 28 प्रतिशत और स्वास्थ्य और पोषण में 21 प्रतिशत, कृषि एवं जल संसाधन में 14 प्रतिशत, शिक्षा में 42 प्रतिशत वित्तीय समावेशन में 36 प्रतिशत, कौशल विकास एवं मूलभूत बुनियादी ढ़ाँचें में 18 प्रतिशत का उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

2.76 नीति आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं

- नीति आयोग ने मेवात जिले को 2019 में वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में प्रथम रैंक और जनवरी, 2020 में मुलभूत बुनियादे ढ़ाँचें में अच्छा रैंक हासिल करने उपरांत 4.51 करोड़ रूपये की राशि जून, 2021 में स्वस्थ मेवात के तहत आँगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं को बढ़ाने और आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए तथा 1.49 करोड़ रूपये खुशहाल मेवात के तहत उपकेन्द्रों में बिजली और चिकित्सा के बुनियादी ढ़ाँचें को मजबूत करने हेतु स्वीकृत किये गये।
- जिला नूँह (मेवात) को नीति आयोग ने जून, 2021 में कौशल विकास के तहत भारतीय सेना में भर्ती हाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 25.90 लाख रूपये और फरवरी, 2021 में शिक्षा क्षेत्र में अच्छा रैंक हासिल करने के लिए शिक्षा के तहत स्मार्ट कक्षाओं के लिए 2.74 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई।
- जिला नूँह (मेवात) ने दिसम्बर 2021, फरवरी 2022 तथा मार्च 2022 में चौथी, नौंवीं और तीसरी रैंक हासिल करने के लिए भारत सरकार से क्रमशः 2 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आंबटन प्राप्त करने का पात्र हो गया था।
- जिला नूँह (मेवात) दिसंबर 2022 में लाईफ टाईम उच्चतम प्रथम रैंक, जून, 2023 में दूसरा रैंक तथा फरवरी, 2023 में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला रैंक हासिल करने पर क्रमशः 5 करोड़, 2 करोड़ तथा 3 करोड़ रूपये अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करने का हकदार बन गया है।

***

विभागों/ बोर्डो निगमों की उपलब्धियां

3

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

मजबूत बुनियादी सुविधाओं कृषि अनुसंधान तथा बेहतरीन कृषि के तरीकों सम्बन्धी जानकारियों का किसानों में उत्कृष्ट प्रसारण होने से कृषि पैदावार में ठोस परिणाम मिले तथा जिससे राज्य एक खाद्य अधिशेष राज्य बन गया है। राज्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

3.2 हरियाणा, उत्तरी भारत में एक लैंड लाक राज्य है। यह 27°39'से 30°35'अक्षांश व 74°28'से 77°36'देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म (45°F/ 113°C के आसपास) व सर्दियों में सौम्य सर्द रहता है। मई व जून सबसे गर्म तथा दिसम्बर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते है। राज्य में माहवार हुई वास्तविक वर्षा व सामान्य वर्षा का विवरण तालिका 3.1 (क व ख) में दिया गया है।

तालिका-3.1(क)-जनवरी से जून, 2023 के दौरान हुई वास्तविक और सामान्य वर्षा का जिला-वार मासिक औसत

(मि.मी.)

जिला	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	9.7	28.3	0.0	35.2	38.3	27.7	22.9	15.2	52.4	29.0	56.7	117.9
भिवानी	4.0	10.7	0.0	12.6	17.3	10.8	22.3	7.6	49.0	19.8	35.0	40.2
चरखी दादरी	19.0	14.4	0.0	16.7	45.0	11.5	14.3	6.9	87.3	22.9	128.3	52.1
फरीदाबाद	14.9	13.0	0.0	14.9	40.6	14.3	3.0	11.6	78.4	22.6	116.6	46.1
फतेहाबाद	8.0	8.6	0.0	10.1	55.8	11.0	6.0	6.1	49.4	13.6	64.2	33.2
गुरूग्राम	8.6	13.7	0.0	11.9	13.9	11.7	8.5	8.5	56.4	16.3	46.5	37.6
हिसार	22.1	10.8	0.0	15.0	70.1	10.3	10.9	7.8	53.7	22.4	155.6	47.1
झज्जर	24.6	8.8	0.0	11.0	30.5	10.6	10.8	6.2	39.0	17.0	87.5	49.1
जींद	6.3	9.0	0.0	13.7	12.0	11.4	7.5	10.0	33.2	21.3	21.1	43.4
कैथल	15.8	9.5	0.0	12.9	61.6	10.9	15.9	7.2	85.6	16.6	151.4	36.7
करनाल	7.7	15.6	0.0	22.1	24.4	16.8	12.6	8.0	34.8	19.8	38.0	56.6
कुरूक्षेत्र	6.9	16.2	0.0	19.2	50.1	17.3	15.9	8.6	33.7	15.1	33.3	54.5
महेन्द्रगढ़	10.3	24.2	0.0	25.1	44.3	18.6	21.3	10.0	38.6	21.1	93.9	79.5
(नूंह) मेवात	12.0	18.7	0.0	18.6	91.5	17.4	16.1	9.9	64.1	14.9	106.6	61.7
पलवल	24.9	10.9	0.0	12.5	50.8	9.9	28.0	6.4	60.9	23.1	99.8	58.2
पंचकूला	9.2	32.9	0.0	34.9	56.6	28.4	28.0	13.1	37.0	24.5	66.6	106.8
पानीपत	11.2	17.8	0.0	20.0	37.8	17.7	28.0	10.7	33.0	14.7	182.2	58.3
रेवाड़ी	16.4	8.7	0.0	12.7	52.8	12.0	10.6	6.5	59.1	22.8	77.5	50.3
रोहतक	9.0	14.2	0.0	16.2	41.8	16.6	11.0	11.2	69.2	25.5	64.8	54.6
सिरसा	1.8	8.7	0.0	12.9	19.3	12.5	2.6	6.9	25.0	14.6	27.9	36.1
सोनीपत	10.7	17.4	0.0	20.4	75.7	19.3	6.7	12.4	66.8	27.8	186.5	57.0
यमुनानगर	14.9	34.1	0.0	39.2	45.6	33.0	30.7	17.6	62.6	29.0	108.0	125.2

वाः वास्तविक, साः सामान्य स्रोतः भूमि विभाग, हरियाणा।

तालिका-3.1 (ख)- जुलाई, 2023 से 16 नवम्बर, 2023 के दौरान हुई वास्तविक और सामान्य वर्षा का जिला-वार मासिक औसत

(मि.मी.)

जिला	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	396.9	104.0	197.6	268.2	45.9	141.6	20.1	15.4	0.6	3.3
भिवानी	71.2	37.6	9.3	98.6	8.3	47.6	1.5	7.6	0.0	1.4
चरखी दादरी	61.7	49.7	17.3	145.9	13.7	62.0	5.7	10.1	4.3	2.2
फरीदाबाद	87.5	66.8	108.5	210.4	104.3	114.4	6.1	13.1	2.4	2.6
फतेहाबाद	43.6	48.1	45.0	155.1	57.4	75.7	2.0	9.0	1.0	1.4
गुरूग्राम	69.6	32.1	10.1	84.9	20.0	49.5	8.7	7.1	1.4	1.7
हिसार	164.1	62.2	80.6	185.0	59.2	81.7	8.0	8.7	4.3	2.8
झज्जर	85.8	53.9	67.0	186.4	52.3	90.6	7.8	10.7	2.2	1.4
जींद	38.8	37.8	13.2	95.3	8.4	54.7	12.9	8.2	1.9	1.6
कैथल	78.6	48.7	47.4	137.1	44.7	69.8	0.4	5.9	5.3	1.4
करनाल	52.0	47.2	54.7	123.4	11.7	81.5	6.3	9.1	0.7	2.3
कुरूक्षेत्र	138.7	44.5	22.4	122.8	95.6	62.7	9.7	7.4	2.9	2.1
महेन्द्रगढ़	178.6	65.0	39.1	162.2	34.3	97.1	11.8	10.3	0.0	2.2
(नूंह) मेवात	286.8	49.1	95.8	137.7	62.6	76.0	26.5	10.2	0.8	2.0
पलवल	81.8	50.9	34.9	137.2	31.4	55.9	11.4	11.1	5.4	1.7
पंचकूला	506.4	106.2	242.0	303.2	55.6	152.2	18.8	12.0	0.2	4.2
पानीपत	154.4	52.3	38.0	158.2	19.4	91.9	7.4	8.5	3.0	2.1
रेवाड़ी	79.2	52.6	58.6	157.8	25.4	75.6	5.5	9.2	3.8	1.3
रोहतक	73.8	57.9	17.0	175.3	14.2	73.0	1.4	10.2	3.2	2.3
सिरसा	16.4	31.0	1.5	55.1	17.1	33.8	5.1	5.3	0.0	1.7
सोनीपत	159.0	58.1	43.3	162.5	23.5	95.9	3.7	12.1	2.7	2.2
यमुनानगर	354.7	114.6	256.3	308.2	64.9	140.1	29.9	17.1	0.0	2.7

वाः वास्तविक, साः सामान्य स्रोतः भूमि विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

3.3 राज्य में मुख्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तालिका 3.2 व आकृति 3.1 में दर्शाया गया है। राज्य में 1966-67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था। हांलाकि वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र 65.80 लाख हैक्टयेर है। वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं तथा चावल की फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, कुल बोये गये क्षेत्र का 61.4 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 में गेहूं का रकबा 23.77 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का रकबा 16.61 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था। वाणिज्यिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अंतर्गत क्षेत्र में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव का रूझान है।

तालिका 3.2- मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

(000 हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास (000 गांठे)	तिलहन
1966-67	1059	223	2592	5100	288	92
1970-71	2342	460	4771	7070	373	99
1980-81	3490	1259	6036	4600	643	188
1990-91	6436	1834	9559	7800	1155	638
2000-01	9669	2695	13294	8170	1383	571
2005-06	8853	3194	13006	8310	1502	830
2010-11	11578	3465	16568	6042	1747	965
2015-16	11350	4142	16332	6992	995	841
2019-20	11877	5195	18322	7730	2463	1175
2020-21	12393	5634	19588	8588	1825	1261
2021-22	10447	5514	17226	8823	1316	1720
2022-23	11064	5921	18432	8914	1000	1473

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

आकृति 3.1– हरियाणा में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

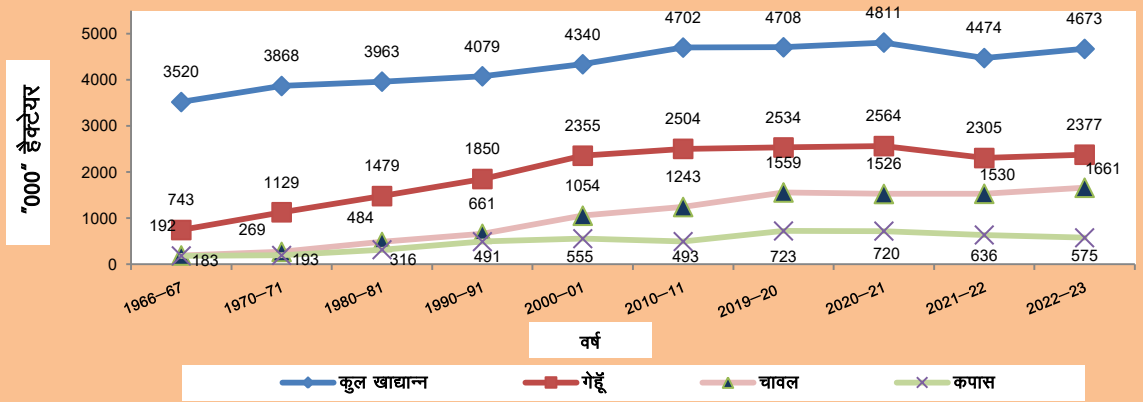

मुख्य फसलों का उत्पादन

3.4 राज्य में मुख्य फसलों का उत्पादन तालिका 3.3 व आकृति 3.2 में दर्शाया गया है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966-67 के दौरान 25.92 लाख टन की तुलना में बढ़कर वर्ष 2022-23 में 184.32 लाख टन के प्रभावशाली स्तर पर पहुँच चुका है, जोकि सात गुणा से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। इस कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। चावल का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 59.21 लाख टन था। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन 110.64 लाख टन था। वर्ष 2022-23 में तिलहन तथा गन्ना का उत्पादन क्रमशः 14.73 लाख टन तथा 89.14 लाख टन था। वर्ष 2022-23 में कपास का उत्पादन 10.00 लाख गांठ था। हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में मुख्य भागीदार है। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से हो रहा है।

तालिका 3.3-मुख्य फसलों का उत्पादन

(000 टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास (000 गांठे)	तिलहन
1966-67	1059	223	2592	5100	288	92
1970-71	2342	460	4771	7070	373	99
1980-81	3490	1259	6036	4600	643	188
1990-91	6436	1834	9559	7800	1155	638
2000-01	9669	2695	13294	8170	1383	571
2005-06	8853	3194	13006	8310	1502	830
2010-11	11578	3465	16568	6042	1747	965
2015-16	11350	4142	16332	6992	995	841
2019-20	11877	5195	18322	7730	2463	1175
2020-21	12393	5634	19588	8588	1825	1261
2021-22	10447	5514	17226	8823	1316	1720
2022-23	11064	5921	18432	8914	1000	1473

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

आकृति 3.2– हरियाणा में मुख्य फसलों का उत्पादन

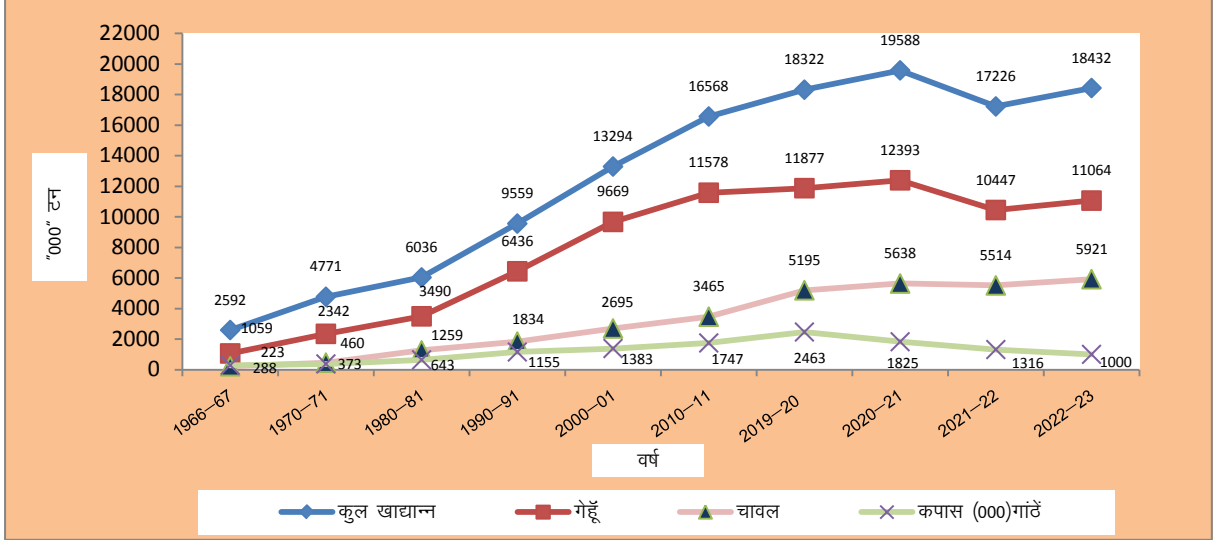

मुख्य फसलों की उपज

3.5 वर्ष 2022-23 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,655.48 व 3,564.40 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। राज्य में वर्ष 2023-24 में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,950 तथा 4,000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है। (तालिका 3.4)

तालिका 3.4- हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूं तथा चावल की फसलों की औसत उपज

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000-01	4106	2557	2708	1901
2005-06	3844	3051	2619	2102
2010-11	4624	2788	2988	2339
2015-16	4406	3061	3034	2400
2016-17	4842	3214	3200	2494
2017-18	4847	3432	3368	2576
2018-19	4924	3118	3533	2638
2019-20	4687	3332	3440	2722
2020-21	4834	3692	3521	2717
2021-22	4533	3605	3507*	2809*
2022-23	4655.48	3564.40	-	-

*अनन्तिम स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

3.6 राज्य में वर्ष 2023-24 में मुख्य फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज के लक्ष्य तालिका 3.5 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.5- वर्ष 2022-23 में मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

फसल	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)	उत्पादन (000 टन)	औसत उपज (कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)
चावल	1200	4800	4000
ज्वार	75	46	613
मक्की	40	112	2800
बाजरा	525	1050	2000
खरीफ दालें	100	100	1000
कुल खरीफ खाद्यान्न	1940	6108	3148
गेहूं	2500	12375	4950
चना	70	116	1657
जौ	20	68	3400
रबी दालें	20	24	1200
कुल रबी खाद्यान्न	2610	12583	4821
कुल खाद्यान्न रबी व खरीफ	4550	18691	4108
गन्ना	120	10440	87000
कपास (गांठे)*	700	2200	535
खरीफ तेल बीज	25	22.5	900
रबी तेल बीज	650	1365	2100
सूरजमुखी	20	41	2050

* कपास का उत्पादन गांठों में प्रत्येक 170 कि.ग्रा.।

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

फसल विविधिकरण

3.7 मेरा पानी, मेरी विरासत (एम.पी.एम.वी.)-हरियाणा सरकार ने, खरीफ-2020 के दौरान धान की फसल (पानी की खपत वाली फसल) में मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों जैसे वैकल्पिक कम पानी की खपत वाली फसलों द्वारा विविधता लाने के लिए "मेरा पानी मेरी विरासत" की एक अनूठी पहल शुरू की थी। एम.पी.एम.वी. के तहत, उन किसानों को 7,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान की जा रही है, जिन्होंने अपनी धान की फसल को वैकल्पिक फसलों के साथ बदल दिया है। खरीफ-2021 में इस योजना को अतिरिक्त वैकल्पिक फसलों जैसे खरीफ तिलहन (तिल, अरंडी, मूंगफली), खरीफ प्याज, खरीफ दलहन (मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन), चारा फसलों के साथ और मजबूत किया गया। खरीफ-2021 में, इस योजना में नई पहल सम्मिलित करते हुए परती भूमि को शामिल किया गया। खरीफ-2021 (खेत खाली फिर भी खुशहाली) में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए धान के स्थान पर अपनी भूमि परती रखने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि की अनुमति दी गई। इससे लगभग कुल 22,565 करोड़ लीटर पानी की बचत की गई। खरीफ-2021 के दौरान बाजरा की फसल को वैकल्पिक फसलों के दायरे से हटा दिया गया। राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण लगभग 25,600 हैक्टेयर और 20,752 हैक्टेयर क्षेत्र का धान से अन्य वैकल्पिक फसलों में विविधिकरण किया गया और राज्य सरकार ने वर्ष 2020 और 2021 के दौरान क्रमशः 45 करोड़ रुपये और 31 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। वैकल्पिक फसलों के दायरे में कृषि-वानिकी (पोप्लर और नीलगिरी) को शामिल करके इस योजना को खरीफ-2022 में और मजबूत किया गया। खरीफ-2022 के दौरान 40,000 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 37,956 हैक्टेयर क्षेत्र का पंजीकरण किया गया और 23,554 हैक्टेयर क्षेत्र का पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान आनलाईन पंजीकरण द्वारा कुल क्षेत्रफल 28,370 हेक्टेयर पंजीकृत हुआ है। ग्राम स्तर पर गठित टीम द्वारा पंजीकृत क्षेत्र का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है तथा 18,847 हेक्टेयर क्षेत्र पर 24,721 किसानों को योजना के लाभ के लिए पात्र पाया गया है। इसके अलावा इस वर्ष में जिला स्तर पर जिला उपायुक्त द्वारा 1 प्रतिशत रेण्डम निरीक्षण तथा उप मण्डल स्तर पर एसडीएम द्वारा 3 प्रतिशत रेण्डम निरीक्षण योजना के दिशा-निर्देशानुसार अनिवार्य है।

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)

3.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) हरियाणा राज्य में खरीफ-2016 से भारत सरकार के द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देश के अनुसार लागू की जा रही है। योजना के अन्तगत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग को शामिल किया जा रहा है और रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ और सूरजमुखी को शामिल किया जा रहा है। योजना के तहत किसान का प्रीमियम रबी के लिए 1.50 प्रतिशत,खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत और वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास के लिए 5 प्रतिशत होगा। योजना के तहत जल भराव (धान को छोड़कर) ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली, बीमारियों का हमला आदि जोखिमों को कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई के 14 दिनों तक चक्रवात, चक्रवाती बारिश व बे मौसमी वर्षा के परिणामस्वरूप कटी वफैली हुई खेत में पड़ी पक्की फसल को हुए नुकसान का भी बीमा शामिल किया गया है। पी.एम.एफ.बी.वाई. योजना की प्रगति रिपोर्ट तालिका 3.6 में दी गई है।

तालिका 3.6- प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत फसली सीजनवार प्रगति

(रूपये लाख में)

सीजन	कुल कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसानों की संख्या	एकत्रित प्रीमियम			कुल प्रीमियम	दावा राशि
			किसान का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	केन्द्र सरकार का हिस्सा		
खरीफ-2016	738795	150881	12735.62	8332.42	4616.37	25684.41	23423.05
रबी-2016-17	597298	62606	6994.67	1892.81	1892.81	10780.29	5702.64
खरीफ-2017	632421	242699	12486.66	11435.53	6181.92	30104.11	80499.83
रबी-2017-18	691246	77433	8125.68	3378.77	3378.77	14883.22	8624.74
खरीफ-2018	722953	3222574	13908.27	26084.97	18099.62	58092.86	80448.59
रबी-2018-19	774947	80721	10236.94	8526.07	8526.07	27289.08	14277.33
खरीफ-2019	820585	247995	16743.15	39950.81	28969.97	85663.92	59076.09
रबी-2019-20	890453	321220	10162.66	13156.30	13156.30	36475.23	34576.09
खरीफ-2020	887258	342672	26470.94	34953.32	34943.47	96367.73	110981.77
रबी-2020-21	757035	106810	7985.11	13213.26	13202.41	34400.78	15784.25
खरीफ-2021	746606	419933	24249.02	31925.03	31925.00	88099.05	140007.72
रबी-2021-22	733674	72412	7606.53	13639.77	13632.14	34878.44	25372.68
खरीफ-2022	818761	404292	28708.21	36665.33	36666.47	102040.01	175967.97
रबी-2022-23	739181	129477	7921.52	14356.47	14350.73	36628.72	21997.15
कुल	10551213	3154654	194334.98	257510.86	229542.05	681387.85	796740.60*

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

3.9 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19-02-2015 को सूरतगढ़, राजस्थान में पोषक तत्वों की कमी के समाधान के उद्देश्य से और मृदा परीक्षण आधारित पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में दो वर्षों के काल चक्र में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने है। यह योजना राज्य में अप्रैल, 2015 से शुरू कीगई थी। इस योजना के तृतीय चरण के तहत वर्ष 2019-20 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जहां राज्य के ब्लॉकों के चयनित गांवों से भूमि जोत के अनुसार 25,605 मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए और किसानों को 25,605 एसएचसी जारी किए गए। इस अभियान के तहत 20-11-2023 तक कुल 55.00 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए हैं, जिनमें से लगभग 29.50 लाख मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार से 3.00 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित और परीक्षण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और वर्तमान सत्र में इन नमूने एकत्रित का कार्य प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

3.10 यह योजना हरियाणा में वर्ष 2007-08 से शुरू की गई थी। वर्ष 2018 में इस योजना को आर.के.वी.वाई.-रफतार कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण के रूप में एक नया रूप दिया गया। आर.के.वी.वाई.-रफ्तार का उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मजबूत करने, जोखिम कम करने और कृषि-व्यापार उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य है- (क) कृषि बुनियादी ढ़ाचे के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मजबूत करने के लिए गुणवता इनपुट, भण्डारण, बाजार सुविधाओं तक पहुंचबढ़ाना और किसानों को सूचित विकल्प चुनने में सशक्त बनाना (ख) राज्यों को स्थानीय/ किसानों

की जरूरतों के अनुसार योजना बनानी और निष्पादित करने के लिए स्वायतता, लचीलापन प्रदान करना (ग) मूल्य श्रृंखला सवंर्धन से जुड़े उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जो किसानों को उनकी आय बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन/ उत्पाद को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा (घ) अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों जैसे एकीकृत खेती, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, सुगंधित पौधों की खेती, फूलों की खेती आदि पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के जोखिम को कम करना (ड़) कई उपयोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भाग लेना (च) कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय माडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, जो उन्हें कृषि करने के लिए आकर्षित करें।

3.11 वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा सरकार द्वारा आर.के.वी.वाई सामान्य के तहत 200.00 करोड़ रुपये की राशि और आर.के.वी.वाई. एस.सी.एस.पी के लिए 30.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई हैं। जिसके तहत हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 78.21 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

3.12 भारत सरकार ने रबी 2007-08 से राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत दो फसलों गेहूँ और दालों को शामिल किया गया है। उन जिलों पर ध्यानकेंद्रित करने की परिकल्पना की गई है, जो अधिक संभाव्यता लेकिन कम उत्पादक वाले हैं। राज्य के सात जिलों अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुरूग्राम, रोहतक और झज्जर को राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा मिशन गेहूँ के तहत कवर किया गया है। वर्ष 2010-11 से सभी जिलों को एन.एफ.एस.एम.-दलहन के अंतर्गत शामिल किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के चिन्हित जिलों में स्थायी रूप से क्षेत्रीय विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना है।

3.13 भारत सरकार ने पहले से चल रही योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज व ओ.एस. तथा ओ.पी. नाम की दो योजनाओं को शामिल किया। भारत सरकार ने दो नये जिलों पंचकूला व सिरसा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज में शामिल किया है तथा दो जिलों नारनौल व रिवाड़ी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज योजना से बाहर कर दिया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज में 9 जिलों भिवानी, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, रिवाड़ी तथा रोहतक को शामिल किया गया है।

3.14 एन.एफ.एस.एम. योजना के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 4,955.17 लाख रुपये की कार्य योजना को मंजूरी दी है। प्रमाणित बीजों का वितरण, क्लस्टर प्रदर्शन, सूक्ष्म पोषक तत्व, फार्म मशीनरी, एकीकृत कीट प्रबंधन, संयंत्र और मृदा संरक्षण प्रबंधन जैसे घटकों में सब्सिडी के रूप में व्यय किया जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान 20-12-2023 तक सामान्य और अनुसूचित जाति वर्ग के 992.71 लाख रूपये में से 568 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया है।

जल भराव और लवणीय भूमि सुधार घोषणा

3.15 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने जलभराव और लवणीय भूमि का सुधार करने की घोषणा की है, जिसे 2021-22 और उसके बाद से कार्यान्वयन किया गया है। एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 27-12-2021 को लॉन्च किया गया है ताकि जलभराव वाली

लवणीय भूमि के सुधार की इच्छा जताने वाले किसान भूमि सुधार करवा सकें और अब तक 4,821 किसानों ने पोर्टल पर 27,976 एकड़ भूमि के सुधार में अपनी रुचि दिखाई है। हरियाणा में वर्ष 1996 में जल भराव और लवणीय मिट्टी का सुधार कार्य शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, पिछले 24 वर्षों में 100 करोड़ रुपये के व्यय के साथ राज्य की केवल 28,100 एकड़ भूमि का सब-सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज तकनीक के माध्यम से सुधार किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ भूमि के सुधार के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 52294.5 एकड़ क्षेत्र सुधार प्रक्रिया विचाराधीन है।

प्रधानमंत्री-किसान योजना

3.16 प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रूपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता 2,000 रूपये प्रति किस्त के आधार पर प्रदान की जा रही है।

मेरी फसल मेरा ब्योरा (एम.एफ.एम.बी.)

3.17 मेरी फसल मेरा ब्योरा, राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें किसान एम.एस.पी. पर अपनी फसलों को बेचने और कृषि और अन्य सम्बंधित विभागों के अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं, जो सभी किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एकमात्र सिंगल विंडो मंच है। खरीफ-2023 में लगभग 9.29 लाख किसानों ने एम.एफ.एम.बी. पोर्टल पर 63.60 लाख एकड़ से अधिक भूमि का पंजीकरण कराया है तथा रबी-2023 में दिनांक 26-12-2023 तक लगभग 4.09 लाख किसानों ने एम.एफ.एम.बी पोर्टल पर 23.37 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण कराया है।

फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.)

3.18 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्रीय योजना "पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण का प्रचार" के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों के लिए मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो कि मंहगी और परिष्कृत मशीनों को खरीदने में सक्षम नहीं हैं, को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रदान की जाती हैं। 2018-19 से 2022-23 तक कुल 79,956 मशीनें (6,794 सी.एच.सी. के तहत 31,510 मशीनरी 48,446 व्यक्तिगत) सब्सिडी पर प्रदान की गई हैं। योजना के तहत, विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए धन प्रदान किया जाता है।

धान की सीधी बुआई

3.19 धान की सीधी बुआई (डी.एस.आर.), पानी और मिट्टी के संसाधनों की बचत के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन संरक्षण तकनीक है। राज्य में डी.एस.आर. तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए डी.एस.आर. तकनीक अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। डी.एस.आर. योजना राज्य के 12 धान उत्पादक जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और रोहतक में लागू की गई है। खरीफ-2023 के दौरान 4,000 रुपये प्रति एकड़ के डी.एस.आर. प्रोत्साहन के लिए लगभग 1,83,986.49 एकड़ (अनुमानित) का सत्यापन किया गया है। प्रभारी (पी.एम.यू.) के माध्यम से डी.एस.आर. लाभार्थियों को संवितरण के लिए 73.59 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे।

प्राकृतिक खेती

3.20 राज्य सरकार ने 16.10 करोड़ रुपये के बजट के साथ प्राकृतिक खेती को राज्य योजना सतत कृषि रणनीतिक पहल और किसान कल्याण कोष तहत लागू किया है। 361 महिला किसानों, 582 युवा किसानों और 1,291 अधिकारियों सहित कुल 9,296 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्राकृतिक खेती के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया और अब तक 11,146 से अधिक किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो देशी गाय की खरीद पर 25,000 रुपये, प्लास्टिक ड्रम (कच्चे माल की तैयारी) के लिए 3,000 रुपये और प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पाद की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए 20,000 रुपये प्रति किसान प्रोत्साहन राशि देता है। वर्ष 2023-24 के लिए 24.10 करोड़ रुपये का बजट इस योजना के तहत रखा गया है। प्राकृतिक खेती के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, वर्ष 2023-24 के लिए 20,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। 20,000 एकड़ के कुल लक्ष्य क्षेत्र में से, 2023-24 के दौरान प्राकृतिक खेती का 6,000 एकड़ (5,500 एकड़ कृषि और 500 एकड़ बागवानी) पर प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

कपास की खेती को बढ़ावा देना

3.21 योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल संरक्षण और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ कपास फसल का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। कपास राज्य की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक नकदी फसलों में से एक है यह योजना राज्य के सभी कपास उत्पादक जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जीन्द, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाडी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, पानीपत, पलवल, फरीदाबाद, मेवात, गुरूग्राम और कैथल में कपास फसल की विभिन्न प्रकार की विकास गतिविधियाँ लागू की जाएगी। योजना के तहत खरीफ सीजन के दौरान डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की गई है (देसी कपास पर सहायता, कीट प्रबन्धन एकीकृत विधि (आई.एन.एम.), सूक्ष्म पोषक तत्व (आई.पी.एम.) को बढ़ावा देना, बीटी. कपास हाईब्रिड का मूल्यांकन, किसानों का प्रशिक्षिण, कपास दिवस, किसान मेला, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का टैंक एवं विस्तार अधिकारियों का प्रशिक्षिण इत्यादि) वर्ष 2024-25 के लिए 6,000.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। राज्य में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।

गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.एस.)

3.22 भारत में गन्ना वाणिज्यिक रूप से दो जलवायु क्षेत्रों में उगाया जाता है, अर्थात् उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। हरियाणा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना उगाने वाला एक महत्वपूर्ण राज्य है। लंबी फसल वृद्धि अवधि के कारण देश में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर उच्च बना हुआ है। गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.एस.) योजना लागू की जा रही है योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- **राज्य में गन्ने के क्षेत्र, उत्पादकता, उत्पादन में वांछित वृद्धि प्राप्त करना एवं राज्य में गन्ने का सुधार।**
- **गन्ना उत्पादकों की आय और गन्ना की स्थिरता में वृद्धि करना।**
- **सूचना और सामग्री के सहयोगात्मक आदान-प्रदान के लिए चीनी मिलों, अनुसंधान केंद्रों और अन्य संगठनों के साथ संबंध विकसित करना।**
- **गन्ना उत्पादकों को सूचनाप्रौद्योगिकी का प्रसार करना।**
- **गन्ना बिजाई के अन्य तरीकों को बढ़ावा देना।**

- गन्ने की खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना।
- गन्ने की किस्मों का प्रजाति संतुलन बनाए रखना।
- गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु चीनी मिलों को सब्सिडी प्रदान करना।
- उच्च उपज और उच्च चीनी रिकवरी वाली किस्मों और गन्ने की फसलों

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

3.23 सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाता है। फसलों को बाढ, जलभराव, अग्नि, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान और कीट हमलों के प्रकोप आदि से होने वाले नुकसान के मुआवजे का दायरा भी बढाया गया है। सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 12,000 रूपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रति एकड़ की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जिला हिसार की तहसील खेड़ी जालब व जिला जींद की तहसील अलेवा को भारी वर्षा/ जल भराव तथा कीट हमलों से फसल खरीफ, 2021 में हुए नुकसान हेतु 6,500 रूपये प्रति एकड़ की दर से विशेष पैकेज के रूप में 22.63 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। भारी वर्षा/ जल भराव से फसल खरीफ, 2022 में हुए नुकसान हेतु सरकार द्वारा उपायुक्त अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, नूहं, रिवाड़ी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत व झज्जर को 109.65 करोड रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। ओलावृष्टि से फसल रबी 2022 में हुए नुकसान हेतु सरकार द्वारा उपायुक्त भिवानी व चरखी दादरी को 41.77 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। भारी वर्षा/ जल भराव/ बाढ़/ ओलावृष्टि व शीत लहर तथा बादल फटने से फसल रबी, 2023 (गेहूँ, सरसो व तोरिया) में हुए नुकसान हेतू पात्र लाभार्थी किसानों हेतू मुआवयजा 181.02 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। माह जुलाई, 2023 के दौरान राज्य के 12 जिलों में आई बाढ़ से हुई मानवीय मृत्यु के सम्बन्ध में 1.60 करोड़ (4 लाख रूपये प्रति व्यक्ति) की अनुकंपा राशि स्वीकृत की गई है।

आपदा प्रबंधन राहत

3.24 सरकार द्वारा कोविड-19 के मृतक के परिजनों को 50,000 रूपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जा रही है तदानुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में 8,702 लाभार्थियों को 16.72 करोड़ और वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 579 लाभार्थियों को 2.89 करोड़ रूपये का वितरण किया गया है।

चकबन्दी

3.25 हरियाणा राज्य में चकबन्दी कार्य पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा विखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किया जाता है। विभाग का मुख्य उददेश्य बे-तरतीब बिखरे पड़े छोटे-2 भूखण्डों को एकत्रित करके बड़े और उचित आकार देना है, ताकि किसानों के प्लाटों की संख्या कम हो सके। समेकित बड़े प्लाट आर्थिक दृष्टि से भी उचित होते हैं, जिनका प्रबन्ध ठीक ढंग से किया जा सकता है और कृषि उत्पादन को भी बढ़ाने में सहायता मिलती है। 104 गांवों में बीघे-बिस्वे को कनाल-मरलों में परिवर्तित करने का कार्य हरसक व एन.आई.सी. के तालमेल से शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शेष बचे 6,981 गांव, जिनका क्षेत्रफल 1,06,95,380 एकड़ है, चकबन्दी के लिये योग्य हैं। 6,921 गांवों, जिनका क्षेत्रफल 1,05,11,059 एकड़ है अर्थात 97.5 प्रतिशत का चकबन्दी कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में शेष बचे 56 गांवों में चकबन्दी कार्य चल रहा है तथा 4 गांवों का रिकार्ड राजस्व विभाग को वापिस सौंप दिया गया है। हाल ही में 7 गांवों की

चकबन्दी का कार्य पूर्ण किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में बजट के लिए 26.14 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये।

शिवालिक विकास एजैन्सी, अम्बाला

3.26 शिवालिक विकास एजैन्सी के अंतर्गत शिवालिक क्षेत्र के विकास को मध्यनजर रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के नाम से एक राज्य स्तरीय स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना दिनांक 24-03-1993 को की गई। इस बोर्ड के विकास कार्यो/ परियोजनाओं को विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय द्वारा लागू व स्थापित करने तथा शिवालिक क्षेत्र के समग्र विकास हेतू शिवालिक विकास एजैन्सी, अम्बाला एक कार्यकारी शाखा है। शिवालिक विकास एजैन्सी, शिवालिक विकास बोर्ड की देखरेख में विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं। यह एजैन्सी प्रत्येक वर्ष शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं बनाती है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर इस एजैन्सी का ध्यान केंद्रित हैं जैसे कि जल संचयन, मिट्टी संरक्षण के उपायो, वनीकरण, जल आपूर्ति में सुधार, पशुपालन, स्वास्थ्य देखभाल आदि विभिन्न विकास कार्यो के माध्यम से वाटरशेड प्रबंधन करना। शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन जिलो अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में कार्यो और परियोजनाओं को लागू किया जा रहा हैं। 2023-24 के अंतर्गत सरकार द्वारा 1,380 लाख रूपये का बजट (जिसमें 1,200 लाख रूपये सामान्य घटक के लिए तथा 180 लाख रूपये एस.सी.एस.पी. घटक के लिए) स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना सरकार द्वारा 9 अक्तूबर, 2023 को स्वीकृत की गई तथा शिवालिक विकास एजेंसी के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न कार्यो के लिए उपरोक्त बजट राशि क्रायांवित विभागों को वितरित की जाएगी। इस वर्ष के दौरान कुल 216 विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। जल संचयन प्रबन्धन परियोजनाओं एवं अन्य जनोपयोगी कार्यो/ परियोजनाओं को वार्षिक कार्य योजना 2023-24 में स्वीकृत किया गया है।

मेवात विकास अभिकरण नूहँ

3.27 मेवात विकास बोर्ड का गठन क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1980 में किया गया। मेवात विकास अभिकरण का उद्देश्य क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को तेज करना व क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार की गई लाभप्रद विकासात्मक गतिविधियों को लागू करना है। एम.डी.ए. की गतिविधियाँ का केन्द्र बहुसांस्कृतिक रहा है। क्षेत्र के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए एम.डी.ए. ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक कार्यो, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं गैर कृषि प्रशिक्षण, खेल, सामुदायिक विकास, कृषि, पशुपालन और सांस्कृतिक विकास आदि के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए चल रही गतिविधियों के तहत राशि खर्च की है। वर्ष 2023-24 में हरियाणा सरकार द्वारा मेवात विकास अभिकरण नूहँ को चालू योजनाओं के अन्तगत 1,950 लाख रूपये (1,770 लाख रूपये सामान्य एवं 180 लाख रूपये एस.सी.एस.पी. मद) की राशि स्वीकृत की है।

पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति

3.28 यह नीति राज्य सरकार द्वारा भूमि मालिको तथा भूमि विस्थापितो के पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन हेतु दिनांक 09-11-2010 को बनाई गई है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं:-(क) इस नीति के तहत भू-स्वामियां को 33 वर्षों तक 21,000 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी की रूप में दिए जाते हैं, जो कि भूमि मालिक को उसकी अभिग्रहित की जाने वाली भूमि के साधारण

मुआवज़े के अतिरिक्त हैं। इस वार्षिकी की राशि में 750 रूपये प्रतिवर्ष प्रति एकड़ निश्चित राशि की बढ़ोतरी होती है। विशेष आर्थिक ज़ोन, टैक्नोलोजी शहर तथा टैक्नोलोजी पार्क के लिए यह वार्षिकी निजी विकासकर्ताओं द्वारा 42,000 रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 33 वर्ष तक दी जाती है तथा वार्षिकी की राशि में 1,500 रूपये प्रतिवर्ष प्रति एकड की बढ़ोतरी की जाती है। (ख) भू-स्वामियों को इस नीति के तहत उनके स्वंय कब्ज़े वाली रिहायशी भूमि/ मकान अभिग्रहण होने पर रिहायशी प्लाट/ कर्मशियल बूथ-साईट/ औद्योगिक प्लाट आबंटित किये जाते हैं। (ग) भू-स्वामियों को इस नीति के तहत उनकी अभिग्रहण भूमि के बदले नौकरी, बिजली का कनैक्शन दिया जाता है और स्टैम्प ड्यूटी एंव रजिस्ट्रेशन खर्चे से छूट दी जाती है।

भूमि खरीद नीति

3.29 राज्य सरकार ने विकास परियोजना के लिए स्वेच्छा से सरकार को जमीन की खरीद पर एक नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य किसानों को विपत्ति की स्थिति आबंटित भूमि को बेचने से बचाने तथा हरियाणा राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्णय में भूस्वामियों को शामिल करना है। यह नीति दो लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई है अर्थात् (क) जो किसान विपत्ति की स्थिति में भूमि बेचने का विचार कर रहा है, उसे संभावित खरीदार के रूप में सरकार के पास आने का आश्वासन दिया जाएगा, यदि सरकार को अपनी परियोजना के लिए आवश्यकता है, (ख) उस स्थिति जिसमें कुछ भूमि मालिक एक विशेष परियोजना के लाभों के बारे में इतने उत्सुक हैं कि वे इसके लिए सरकार को अपनी भूमि बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, सरकार यह पता लगा सकती है।

लघु सचिवालय और संबंद्ध भवनों का निर्माण

3.30 (क) राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए राज्य में जिला मुख्यालयों पर संयुक्त कार्यालय भवनों जैसे लघु सचिवालयों/ उपमण्डल/ तहसील/ उप-तहसील कम्पलैक्स का निर्माण किया है। अधिकांश जिलों में भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2023-24 में अनुमानित बजट 17,000 लाख रूपये रखा गया है। कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्यालय, आवासीय भवन प्रदान करने व जनता की सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक ई-दिशा केन्द्र प्रदान करना लक्ष्य है।

(ख) हरियाणा राज्य में दिनांक 07-12-2023 को छः नए उप मण्डल नामतः जुलाना, नीलोखेड़ी, इसराना, नांगला चैधरी, छछरौली एवं मानेसर बनाए गए हैं।

हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

3.31 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अन्तगत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों के अधीन की गई थी तथा दिनांक 06-04-1976 को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन आफ सोसाईटिज एक्ट-1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था। दिनांक 01-09-1976 को इस संस्था ने अपना स्वंतत्र कार्य शुरू कर दिया था। संस्था का मुख्यालय पंचकुला में तथा क्षेत्रीय कार्यालय करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक में है।

3.32 इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम-1966 की धारा-5 के अधीन भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की अधिसूचित की गई जातियों के बीज को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना है फसलवार निर्धारित मानकों का विवरण केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में दिया हुआ है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का कार्यक्रम विभिन्न बीज उत्पादन संस्थाओं जैसे हरियाणा बीज विकास निगम,

हैफेड, एच.एल.आर.डी.सी., उद्यान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, आई.एफ.एफ.डी.सी., कृभको एवं अन्य व्यक्तिगत बीज उत्पादकों द्वारा आफर किया जाता है। इन बीज उत्पादक/ संस्थाओं द्वारा दिये गये प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण संस्था द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

3.33 यद्यपि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अपनी गतिविधियों द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती है, तथापि राज्य की बीज उत्पादक/ संस्थाओं द्वारा प्रमाणीकरण के लिये आफर किया गया क्षेत्र ही संस्था के कार्य का लक्ष्य बन जाता है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विभिन्न फसलों का किया गया निरीक्षण एवं प्रमाणित बीज की मात्रा के साथ आय एवं व्यय का विवरण तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7-लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण

वर्ष	लक्ष्य				उपलब्धियां			
	भौतिक		वितीय		भौतिक		वितीय	
	निर्धारित किया गया क्षेत्र ('000' एकड़ में)	प्रमाणित किएगएबीजों की मात्रा ('000' क्विंटल़में)	आय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	निर्धारित किया गया क्षेत्र ('000' एकड़ में)	प्रमाणित किए गए बीजों की मात्रा ('000' क्विंटल़ में)	आय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2018-19	259.50	3325.00	1559.65	1458.35	226.95	2980.74	1058.87	772.85
2019-20	260.00	3350.00	1575.20	1560.20	271.27	3593.02	1191.97	774.63
2020-21	262.50	3375.00	1737.33	1704.27	255.40	3183.19	1242.16	820.51
2021-22	263.00	3395.00	1801.38	1754.67	177.88	2065.24	1067.13	828.05
2022-23	263.50	3400.00	1850.26	1780.40	206.07	2859.28	934.12	781.11
2023-24 (लक्ष्य)	264.00	3420.00	1858.48	1790.62	-	-	-	-

स्त्रोतःहरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था।

3.34 वर्ष 2023-24 में विभिन्न उत्पादक संस्थाओं/ उत्पादकों द्वारा 264.00 हजार एकड क्षेत्र प्रमाणीकरण के लिए आफर किये जाने की सम्भावना है जिससे हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का 34.20 लाख क्विंटल बीज प्रमाणीकरण किये जाने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में अनुमानित आय 1,858.48 लाख व व्यय लगभग 1,790.62 लाख होने की सम्भावना है।

3.35 इस समय राज्य में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में 246 संसाधन संयंत्र कार्य कर रहे हैं जिन पर प्रमाणीकरण हेतु बीजों के संसाधन का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। बीजों के संसाधन के उपरान्त प्रत्येक लोट से बीज का एक नमूना लेकर उसे कृषि विभाग के अधीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला करनाल, सिरसा तथा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधीन पंचकूला एवं रोहतक स्थित प्रयोगशाला में आवश्यक जांच के लिये भेजा जाता है, तथा वहां से परिणाम प्राप्त होने के बाद अगर वह लोट प्रमाणीकरण के सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है तो उसको नियमानुसार प्रमाणित कर दिया जाता है।

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड

3.36 हरियाणा बीज विकास निगम किसानों के कल्याण के लिए कार्य करता है और निगम का मुख्य उद्धेश्य किसानों को नाममात्र लाभ पर गुणात्मक बीज प्रदान करना है। हरियाणा बीज विकास निगम एक मूल्य नियंत्रक के रूप में भी काम करता है ताकि राज्य में बीज की कीमतों पर रोक लगा सके।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

3.37 किसानों को समय पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा बीज विकास निगम के पास मिनी बैंकों और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम जैसी संस्थागत एजैंसियों के बिक्री केन्द्र के अतिरिक्त 79 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। इसके अतिरिक्त निगम अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करवाने के लिए खरपतवारनाशक, कीटनाशक एवं फफूंदीकरण दवाईयां भी अपने बीज बिक्री केन्द्रों से किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से उपलब्ध करा रहा है, जो कि हरियाणा के किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। निगम विभिन्न राज्य बीज निगमों, कृषि विभागों, थोक बीज खरीददारों और वितरकों को राज्य के बाहर से भी बीज की आपूर्ति भी करवाता है।

3.38 हरियाणा बीज विकास निगम राज्य के किसानों को रियायती दर पर विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान निगम खरीफ मौसम में 46,332 क्विंटल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे कि धान, दलहन, ज्वार, गवार, बाजरा इत्यादि किसानों को उपलब्ध करवाएं। खरीफ-2023 के दौरान 39,833.28 क्विंटल ढांचे का बीज 80 प्रतिशत अनुदान राशि के तहत फसल विविधकरण (राज्य योजना), फसल विविधकरण (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) को बढ़ावा देने तथा 2365.64 क्विंटल दलहन का बीज 75 प्रतिशत अनुदान राशि के तहत फसल विविधिकरण कार्यक्रम में वितरित किया। रबी 2023-24 में बिक्री सीजन के दौरान 2,12,238 क्विंटल लक्ष्य के विरूद्ध 2,05,808 क्विंटल बीज सभी फसलों (गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन, जई एवं बरसीम आदि) के बीजों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन एवं तिलहन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओ.एस.एण्ड.ओ.पी.) राज्य कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना के तहत बिक्री की है।

3.39 निगम ने वर्ष 2022-23 के दौरान खरीफ 2022 मौसम में 32,986 क्विटंल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे कि धान, दलहन, ज्वार, ग्वार, बाजरा, ढैंचा इत्यादि रबी 2022 23 मौसम में 1,70,281 क्विंटल गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन आदि के बीजों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (रफतार), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(ओ.एस.एण्ड.ओ.पी) योजना के तहत किसानों को उपलब्ध करवाये हैं। वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक प्रमाणित बीजों की बिक्री की प्रगति का ब्यौरा तालिका 3.8 में दिया गया है।

तालिका 3.8- हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा बीजों की बिक्री

(क्विंटल में)

मौसम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
खरीफ	35769	41129	32986	46332
रबी	257156	183521	170281	207531

स्त्रोतः हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड

3.40 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम (एच.एल.आर.डी.सी.) लिमिटिड को कंपनी अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था। निगम का मुख्यालय पंचकूला में स्थित है। निगम के हिसार, करनाल, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारयणगढ़ और हनुमानगढ़ में सात प्रंबधकीय कार्यालय है, जहां से जिप्सम की खरीद की जाती है और जिप्सम और कृषि के अन्य इनपुट किसानों को इसकी बिक्री केद्रों/ डीलर नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। निगम नारायणगढ़ और पानीपत में पैट्रोल पंप और नारायणगढ़, हिसार और फरीदाबाद में गैंस एजैसियों का प्रंबधन भी कर रहा है, जहां से एच.एस.डी., एम.एस. और एल.पी.जी. गैंस किसानों/ उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है।

3.41 निगम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है-(1) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार की योजनाओं के अतंर्गत सॉडिक मिट्टी में सुधार और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जिप्सम की व्यवस्था और वितरण के सम्बध में योजनाएं लागू करना। जिप्सम की बिक्री करने के लिए 2022-23 एवं 2023-24 तक का स्कीम वाईस ब्यौरा तालिका 3.9 (क) में दिया गया है। (2) अपने स्वंय के आउटलेट तथा सरकारी विभाग क काउटंर के माध्यम से कृषि इनपुट का वितरण। निगम द्वारा वर्ष 2022-23 और 2023-24 निम्नलिखित कृषि सामग्री की बिक्री का ब्यौरा तालिका 3.9 (ख) में दिया गया है (3) गुणवत्ता बीज उत्पादन कार्यक्रम। (4) पैट्रोल पम्प और गैंस एजैसियों का संचालन करना। 1974 में निगम की स्थापना के बाद से हरियाणा राज्य में 31-01-2024 तक लगभग 4,31,261 हैक्टेयर (10,78,152 एकड़) भूमि का सुधार किया है।

तालिका-3.9 (क) जिप्सम की बिक्री का विवरण

(एम.टी. में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	जिप्सम की बिक्री के लक्ष्य	जिप्सम की बिक्री 2022-23	जिप्सम की बिक्री के लक्ष्य 2023-24	जिप्सम की बिक्री 2023-24 (31-01-2024 तक)
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई-आर.ए.एफ.टी.ए.ए. आर.)	50640.00	46597.00	30380.00	30380
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ एवं दलहन)	468.75	21.00	0.00	0.00
3.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओयल सीड़ एवं ओयल पॉम)	0	0	0	0
4.	लवणीय मिट्टी और जल भराव वाली भूमि के सुधार के लिए राज्य योजना पायलट परियोजना	0	0	5063.30	5063.30
5.	फुल रेट	0	156.95	0	81.15
कुल		51008.75	46774.95	35443.30	35524.45

स्त्रोतः भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा।

तालिका 3.9 (ख) कृषि सामग्री की बिक्री का विवरण

क्रमांक	कृषि उत्पाद का नाम	इकाई	कृषि सामग्री 2022-23	कृषि सामग्री 2023-24 (31-01-2024 तक)
1.	डी.ए.पी.	एम.टी.	723	722
2.	युरिया	एम.टी.	2386	1866
3.	नैनो युरिया	मि.ली.	3324	2055
4.	खरपतवारनाशक/ कीटनाशक	लीटर/ कि.ग्रा./ युनिट	5909	4333
5.	स्प्रै पम्प	युनिट	127	23
6.	गेहूँ बीज	क्विंटल	31720.40	25574

स्रोतः भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा।

बागवानी

3.42 पोषण सुरक्षा के लिए बागवानी प्रमुख विविधीकरणीय गतिविधि है। भारत में हरियाणा बागवानी क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ अग्रणी राज्य है। राज्य में अधिकतर सभी तरह के फल सब्जी, मसाले, मशरूम और फूल उगाए जाते हैं। बागवानी फसलों के कुल क्षेत्र के 80 प्रतिशत में सब्जी व बाकी में फल, मसाले व फूल इत्यादि हैं। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 का बागवानी बजट 477.59 करोड़ रूपये से बढ़कर 739.03 करोड़ रूपये हो गया है। निरंतर आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बढ़ते शहरीकरण के कारण फलों और सब्जियों जैसे उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों की खपत में बदलाव आ रहा है। हरियाणा में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए फसल विविधीकरण अति आवश्यक है जिससे छोटे और सीमांत किसानों की आय का स्तर बढ़ाया जा सके।

विभाग की नीतियां एवं कार्यक्रम

3.43 विभाग द्वारा चलाई जा रही 19 योजनाओं में से 15 राज्य योजना, 4 केन्द्रीय योजना (हिस्सा आधारित) हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

3.44 राज्य में 4.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि सकल फसल क्षेत्र का 6.28 प्रतिशत है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन 64.18 लाख मीट्रिक टन था।

फल की खेती

3.45 वर्ष 2022-23 में फलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 69,139.46 हैक्टेयर था जिसमें 10.10 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2023-24 में 11.56 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 74,306.46 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। (तालिका 3.10)

सब्जी की खेती

3.46 वर्ष 2022-23 में सब्जी की खेती के अन्तर्गत 53.51 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 3,43,264.80 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2023-24 में 68.32 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 3,71,250 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है (तालिका 3.11)।

तालिका 3.10- फलों की फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फलों के नाम	लक्ष्य 2022-23		उपलब्धियां 2022-23		लक्ष्य 2023-24	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
नींबू वर्गीय फसलें	26322	651571	23920.29	470852.00	25721.00	573972
आम	9784	114178	7765.95	87218.00	7816.00	93800
अमरूद	18970	291340.68	15863.2	189714.00	17812.2	265729
चीकू	1835	22346	1306.6	11430.74	1324.00	17103
आंवला	2200	15851.4	1633.9	7022.7	1640.9	18326
अन्य	22889	325922.92	18649.52	244251.03	19992.36	187253
कुल	82000	1421210	69139.46	1010488.47	74306.46	1156183

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.11- सब्जी फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

सब्जियों के नाम	लक्ष्य 2022-23		उपलब्धियां 2022-23		लक्ष्य 2023-24	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
आलू	32497	859656	30915.98	818907	34000	899300.00
टमाटर	23032	504365	22980.3	404179.4	25140	554108.40
प्याज	27358	692328	24154.94	529811.00	26500	670715.00
बेल वाली सब्जी	54640	874354	63686.7	696668.9	69500	1126717.00
फूल गोभी	31737	684616	27399.00	472682.00	30000	647100.00
पत्ते वाली सब्जी	43372	604869	38047.8	471324.00	41000	571950.00
मटर	8964	137350	8773.00	152171.00	9600	147072.00
बैंगन	9492	204194	8742.5	147370.00	9500	204345.00
अन्य	131908	2121703	118561.6	1657689.7	126010	2010582.6
कुल	363000	6683435	343264.82	5350803.00	371250	6831890.00

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मसाले

3.47 वर्ष 2022-23 में मसाला फसलों के अन्तर्गत 0.34 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 6,142.60 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2023-24 में 0.49 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 7,200 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है (तालिका 3.12)।

तालिका 3.12- मसालो का क्षेत्र एवं उत्पादन

मसालो के नाम	लक्ष्य 2022-23		उपलब्धियां 2022-23		लक्ष्य 2023-24	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
अदरक	90	1620	75.00	1272	275	5000
लहसुन	3791	44298	2441.00	19622	2640	26400
मैथी	1679	9746	1232.00	4760	1555	3010
अन्य	3940	28656	2394.60	8468	2730	14180
कुल	9500	84320	6142.60	34125	7200	48590

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

3.48 वर्ष 2022-23 में औषधीय एवं सुगन्धित पौधों की खेती के अन्तर्गत 2176 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 169.1 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2023-24 में 3384 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 289 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। (तालिका 3.13)

तालिका 3.13 औषधीय एवं सुगन्धित पौधो का क्षेत्र एवं उत्पादन

औषधीय एवं सुगन्धित पौधो के नाम	लक्ष्य 2022-23		उपलब्धियां 2022-23		लक्ष्य 2023-24	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
एलोवेरा	249.00	4458	17	134	18	540
स्टीविया	16.00	95	1	2	1	7
अरन्डी	0.00	0	0	0	0	0
अन्य	235.4	2077	151.1	2040	270	2837
कुल	500.4	6630	169.1	2176	289	3384

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

फूलों की खेती

3.49 वर्ष 2022-23 में फूलों की खेती के अन्तर्गत 0.22 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 1,757.40 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2023-24 में खुले क्षेत्र के फूल 0.31 लाख मीट्रिक टन व कट फलावर 791 लाख संख्या उत्पादन के साथ 1,830 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। (तालिका 3.14)

तालिका 3.14- फूलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फूलों के नाम	लक्ष्य 2022-23			उपलब्धिया 2022-23			लक्ष्य 2023-24		
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)
ग्लोयो-लियस	28	0	46.2	40	0.00	45.8	42.00	0	84.00
गेंदा	1388	24984	0.00	1435.3	19751.00	0.00	1500.00	30000	0.00
गुलाब	63	316	43.52	33.00	480.00	0.31	33.2	105	13.6
अन्य	323	2050	460.59	249.1	1721.5	361.11	254.8	910	693.4
कुल	1802	27350	550.31	1757.4	21952.5	407.22	1830.00	31015	791.00

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

संरक्षित तथा वर्टिकल खेती पर ध्यान

3.50 रोग रहित पौधशाला उगाने, गैर मौसमी व कीटनाशक अवशेष रहित सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सरकार द्वारा संरक्षितखेती और वर्टीकल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सामान्य जाति के किसानों को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के किसानों को 85 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिये वर्ष 2022-23 में 928 हैक्टेयर क्षेत्र में बांस स्टैंकिंग, 202 हैक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित संरचनाएं, 583 हैक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक टनल व 1,028 हैक्टेयर क्षेत्र को मलचिंग से कवर किया गया है। इसकी श्रेणी अनुसार प्रगति तालिका 3.15 में दर्शायी गई है।

तालिका 3.15- श्रेणी अनुसार संरक्षित/ वर्टिकल खेती की प्रगति

श्रेणी	उपलब्धियां 2022-23 भौतिक (है0)	लक्ष्य 2023-24 भौतिक (है0)
पोली हाऊस/ नेट हाऊस	202	109.5
उच्च मूल्य वाली सब्जियां	46.9	0
कम सुरंग	583	475.4
मलचिंग	1028	1200
बास स्टैकिंग	928	936.4
कुल	2787.9	2721.3

स्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मशरूम

3.51 वर्ष 2022-23 में खुम्ब का उत्पादन 15,748.4 मीट्रिक टन प्राप्त किया गया। वर्ष 2023-24 में 13,675 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सामुदायिक तालाब

3.52 कृषि क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में 209 सामुदायिक/ कृषि तालाब तथा व्यक्तिगत तालाब बनाये गए तथा मोरनी क्षेत्र में किसानों के खेत में 1.42 लाख मीटर जल परिवहन पाईपलाईन बिछाई गई। कुल 497 किसानों को 656.60 लाख रूपये की राशि से लाभान्वित किया गया।

मेरा पानी मेरी विरासत

3.53 वर्ष 2020-21 में फल, सब्जियों और मसालों में विविधीकरण के लिए धान उगाने वाले क्षेत्रों को लक्षित कर के एक नया कार्यक्रम मेरा पानी मेरी विरासत शुरू किया गया है जिसके तहत वर्ष 2022-23 में 12,154.25 एकड़ क्षेत्र के लिये पंजीकरण किया गया था। वर्ष 2023-24 में समग्र दृष्टिकोण के लिए धान उगाने वाले क्षेत्रों और अन्य अनाज फसलों को लक्षित करके बगीचों, सब्जियों और मसालों में विविधीकरण के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह विविधीकरण कार्यक्रम एकीकृत कृषि प्रणालियों, वर्टीकल खेती, उच्च तकनीक बागवानी से प्रभावित होगा। वर्ष 2023-24 में 30,000 एकड़ क्षेत्र को इस कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।

प्रमुख परियोजनाएं

जाइका परियोजना

3.54 स्थाई वित्त समिति (एस.एफ.सी.-सी) ने 3,796.50 रूपये की अनुमानित लागत जिसमें 2,600 करोड़ रूपये जाइका ऋण के साथ बागवानी परियोजना को दिनांक 03-06-2022 को मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना खेतों में तकनीकी हस्तक्षेप के साथ हरियाणा में बागवानी में पूर्ण अपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में मदद करेगी और यह हरियाणा में एक नए युग की शुरूआत करेगी।

हरियाणा-पी.एच.एम. पर यू.के.सी.ओ.ई.

3.55 हरियाणा सरकार और बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने हरियाणा राज्य में फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सतत कोल्ड चैन (सी.ओ.ई.-सी.पी.एम.सी.) के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए बर्मिंघम यू0के0 में दिनांक 29-09-2022 को समझौता ज्ञापत किया है। यह केन्द्र आधुनिक कोल्ड स्टोरज और मूल्य श्रृंखला प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा, व्यावहारिक अनुसंधान के द्वारा मूल्य संवर्धन, पैकिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए विचारों के लिए स्टार्ट अप और इन्कूवेंशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।

शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना

3.56 भारत सरकार ने 20 करोड़ रूपये की लागत से एकीकृत मधुमक्खी पालन केन्द्र रामनगर, कुरूक्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना निश्चित रूप से शहद की गुणवत्ता में सुधार करेगी और गुणवत्ता में परिक्षित शहद की अधिक कीमतें प्राप्त करके हरियाणा में मधुमक्खी पालकों की स्थिति में सुधार करेगी।

हरियाणा आलू नीति, 2022

3.57 सरकार ने राज्य में बीज आलू उत्पादन को अगले स्तर तक बढ़ाने की दृष्टि से आलू नीति, 2022 को मंजूरी दे दी है, विभाग ने बीज आलू उत्पादन को आलू टिशु कल्चर आधारित मिनी कंद (पी.टी.सी.एम.टी) के माध्यम से 2030 तक 10,000 मीट्रिक टन से 6 लाख मीट्रिक टन करने के लक्ष्य के साथ 8 साल की कार्य योजना शुरू की है। वर्ष 2022-23 फसल मौसम के दौरान करीब 6,000 कविंटल बीज आलू और 15 लाख मिनी कंद का उत्पादन किया गया है।

शहद व्यापार केन्द्र की स्थापना

3.58 हरियाणा में शहद के व्यापार के लिए 2.64 करोड़ रूपये की लागत से एक शहद व्यापार केन्द्र की स्थापना की गई है। इससे मधुमक्खी पालकों और व्यापारियों को अपने शहद के विपणन में लाभ होगा।

13वें उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना व उद्घाटन

3.59 (क) विभाग ने गिग्नोव, भिवानी में अर्धशुष्क बागवानी फसलों के लिए 13वें उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की है। यह केन्द्र भारत इजराईल कृषि कार्य योजना के तहत हरियाणा में 5 वां केन्द्र है। यह केन्द्र दक्षिण हरियाणा के शुष्क क्षेत्र की फसलों में मुख्य रूप से खजूर, स्ट्राबेरी की आपूर्ति करेगा और खुले मैदान में सटीक खेती और संरक्षित खेती के साथ सब्जियों के अलावा एवोकैडो आदि की नई फसलों को कवर करेगा।

14वें उत्कृष्टता केन्द्र की आधारशिला रखना

(ख) पिनांगवान, नूहँ में प्याज के लिए एक नया उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जाएगा। 40 एकड़ का यह केन्द्र मेवात में खरीफ सीज़न के दौरान 500 एकड़ के लिए प्याज की कंद उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा, अगले 2-3 वर्षो में खरीफ प्याज के तहत 5,000 एकड़ क्षेत्र को कवर करने के लिए 400 से अधिक प्याज बीज उत्पादकों को पंजीकृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.)

3.60 इस योजना को भावांतर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.) के अतिरिक्त लागू किया गया है, जो क्लस्टर विकास कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक राज्य योजना है। इस योजना से किसान की आय का स्तर बढेगा एवं उनका बागवानी फसलों के प्रति रूझान भी बढेगा। वर्ष 2022-23 के दौरान 481 क्षेत्र के लिए 137 किसानों से 3,42,264 लाख रूपये प्रीमियम प्राप्त हुआ तथा 18 लाभार्थियों को 9,67,350 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

नई पहल

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

3.61 (क) सरकार ने सिरसा और करनाल में बागवानी उपज में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं 3.90 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित की है। दोनों प्रयोगशालाओं में बागवानी और कृषि उपज, मिटटी और पानी के नमूनों में अवशेष सामग्री के

विश्लेषण की सुविधा है। दोनों गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में वर्ष 2022-23 के दौरान 5,280 नं0 नमूनों का विश्लेषण किया गया है।

फसल समूह विकास कार्यक्रम (सी.सी.डी.पी.)

(ख) नई योजना अर्थात फसल समूह विकास कार्यक्रम नाम से 510.36 करोड़ रूपये बजट के साथ एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंर्तगत प्रत्येक क्लस्टर में विपणन ढांचा और फसल प्रबंधन सुविधाओं जैसे पैक हाउस, प्राथमिक संस्करण केंद्र, ग्रेडिंग-छंटनी सुविधा, भंडारण की सुविधा, वाहन सुविधा इनपुट और गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि सुविधाएं बागवानी उत्पादन के प्रभावी विपणन के लिए दी जाएंगी। इसलिए इसके लिए 34 केन्द्र बनाए गए हैं और 55 निर्माणाधीन है।

भावान्तर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.)

3.62 सरकार द्वारा यह योजना दिनांक 01-01-2018 में शुरू की गई है ताकि किसानों को जल्दी खराब होने वाली बागवानी वस्तुओं के लिए बाजार में कम कीमतों के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह भारत में एक अनूठी योजना है। यह योजना किसानों को विविधीकरण और बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। योजना की सफलता को देखते हुए अब 21 बागवानी फसलों को योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान 1,28,876 एकड़ क्षेत्रफल के लिए 59,541 किसानों का पंजीकरण किया गया तथा 905.24 लाख रूपये का प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान 21,239 एकड़ क्षेत्रफल के लिए 14,687 किसानों का पंजीकरण किया गया तथा 4,071.66 लाख रूपये का प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया गया। भावांतर भरपाई योजना के तहत नामांकित किसानों का ब्यौरा तालिका 3.16 में दिया गया है।

तालिका 3.16- भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों की संख्या

वर्ष	किसान नामांकित (संख्या)	नामांकित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रोत्साहन भुगतान राशि (रूपये लाख में)
2018-19	17970	66351	940.49
2019-20	36991	84830	82.65
2020-21	30170	54120	0.00
2021-22	56089	120466	377.00
2022-23	59451	128876	905.24

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

3.63 सूचना प्रोद्यौगिकी

- विभाग बागवानी किसानों से जुड़ने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, यू ट्युब और कू ऐप) का उपयोग कर रहा है। बागवानी विभाग हजारों किसानों में विकास ला रहा है और इसके लिये विकास नीतियों, अनुदान, प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी, नये शोध, एफ.पी.ओ. के गठन, वेबिनार, सेमिनार, अधिकारियों के दौरे, वेज एक्सपो और अन्य विभागीय गतिविधियों की जानकारी किसानों को दी जा रही है। उद्यान विभाग से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार में ये चैनल बहुत प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।
- अभी तक जैसा कि अब विभाग के पास सभी विभागीय योजनाओं/ सब्सिडी के लिये केवल एक होर्टनैट पोर्टल है। वर्ष 2023-24 में कुल 14,710 किसानों ने पंजीकरण करवाया जिसमें से 7,939 आवेदनों को सहायता के लिए मंजूरी दे दी गई है।

- मुख्यालय के साथ-साथ विभाग के जिला कार्यालयों में ई-आफिस का कार्यान्वयन।
- उद्यान विभाग की वेबसाईट पर विभाग की सभी 14 सेवाओं को "खुशहाल बागवानी" नाम से एक छत्र एवं सम्पर्क बिन्दु के रूप में जोड़ा गया है।
- विभाग ने नर्सरी/ केन्द्रों से सब्जियों की पौध, आलू के बीज और फलों के पौधों की आनलाईन बुकिंग के लिये एक होटसेलनेट पोर्टल/ वेबसाईट विकसित किया है। लाभार्थी यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से पेमेंट गेटवे द्वारा आनलाईन भुगतान कर सकता है।
- विभाग ने किसानों के प्रश्नों के समाधान के लिये समर्पित टोल फ्री नंबर के साथ 02-11-2021 को बागवानी निदेशालय में एक 'बागवानी हेल्पलाईन सैंटर' स्थापित किया गया है।

सिंचाई

3.64 हरियाणा उतर भारत में छोटा सा भू-भाग वाला राज्य है, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.4 प्रतिशत भू-भाग है। कम वर्षा (300 मिलीमीटर से 1,100 मिलीमीटर) जैसी बाधाओं के साथ सीमित जल संसाधन होने के कारण अन्तर्राज्यीय नदी समझौतों पर निर्भर है, 40 प्रतिशत भू-जल खारा होने के कारण राज्य को कृषि (अर्थ व्यवस्था की रीढ की हड्डी) के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने और 2.5 करोड़ से अधिक लोगो को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र, उद्योग आदि की आने वाली बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य विशाल कार्य का सामना करता है। हरियाणा ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु सिचांई नहरों और पेयजल योजनाओं का एक व्यापक नैटर्वक विकसित किया है और नेशनल फूड बास्केट में योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभर कर आया है और 100 प्रतिशत गांवो को पेयजल उपलब्ध करवा रहा है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ तालिका 3.17 में दी गई है।

तालिका 3.17- योजना-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	योजना/ स्कीम का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत	
		भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)
2020-21	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	262	211792.09	191	24519.91	72.90	11.58
	2.जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	176	2707.07	150	1149.47	85.23	42.46
	3.नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	13	1440.15	9	325.59	69.23	22.61
	4 नहरों की गाद निकालने/ सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	35914268.6	7907.19	32712378.3	6658.97	91.08	84.21
	5 ड्रेनों से गाद निकालने/ सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	8266164.95	1559.92	8250154.46	1433.41	99.81	91.89
	6 बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	227	26622.07	110	5347.87	48.46	20.08

	7 फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	11000	6750	8160	5975	74.18	88.58
2021-22	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	113	61761.5	78	38727.99	69.02	62.70
	2.जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	141	2699.31	95	1236.66	67.37	45.81
	3.नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	7	3659.28	5	1927.06	71.42	52.66
	4 नहरों की गाद निकालने/ सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	30952509.8	11505.11	25633402.23	7409.20	82.81	64.40
	5 ड्रेनों से गाद निकालने/ सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	10871391.2	3180.75	10788615.48	2881.15	99.23	90.58
	6 बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	346	54645	215	26000	62	41
	7 फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	18.75	10510.00	14.46	8777.50	77.12	83.52
	8 पी.एम.के.एस.वाई.- पी.डी.एम.सी. के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई	100000	47533.00	34800	10468.49	34.80	22.02
2022-23	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	137	73960.92	88.09	46960.98	64.30	63.49
	2.जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	57	1776.57	52	1470.16	91.23	82.75
	3.नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	10	6550.99	01	465.29	10	7.10
	4 नहरों की गाद निकालने/ सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	36090288.2	13170.09	32661667.90	8522.58	90.50	64.71
	5 ड्रेनों से गाद निकालने/ सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	13562554	3930.21	13503203	3257.70	99.56	83.89
	6 बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	396	35012	232	10967	58.58	31.32
	7 फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	36000	21510.00	9316	4183.47	25.87	19.45
	8 पी.एम.के.एस.वाई.- पी.डी.एम.सी. के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई	64000	51360.00	36800	32699.61	57.50	63.67

स्रोतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा।

3.65 राज्य में नहर और जल निकासी नेटवर्क के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा (आई.डब्ल्यू.आर.डी.) की है जिसमें राज्य में

सिंचाई, पीने, तालाब भरने, औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति शामिल है। हरियाणा ने एक व्यापक नहरों का जाल विकसित किया है जिसमें 1,594 चैनल हैं जिनकी लम्बाई 14,814 कि. मी. है। भाखड़ा प्रणाली में कुल 558 नहरें हैं जिनकी कुल लम्बाई 6,279.57 कि.मी. है, यमुना प्रणाली की कुल 473 नहरें हैं जोकि 4,295.35 कि.मी. लम्बी हैं और उठान प्रणाली की कुल 563 नहरें हैं जिनकी लम्बाई 4,239.07 कि.मी. है। इसके अतिरिक्त जल निकासी के लिए राज्य में 5,424.91 कि.मी. लम्बे लगभग 894 ड्रेनज का एक विशाल जाल है। राज्य का नेटवर्क पुराना है और सिस्टम के लगातार चलने के कारण वाहक चैनलों की क्षमता कम हो गई है इसलिए नहरों का पुनर्वास बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

विभाग के उद्देश्य

3.66 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा का लक्ष्य एक कार्य योजना का खाका तैयार करना है जो कार्य शैली को बदल देगा और भविष्य की चुनौतियों के लिए विभाग को सुसज्जित करेगा और जन संसाधनों के व्यापक, एकीकृत विकास और प्रबंधन के लिए योजनाओं के प्रमुख मुद्दों पर योजनाकारों और उपभोगकर्ताओं दोनों का ध्यान आकर्षित करेगा व तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाउ होगा।

विभाग की उपलब्धियां

भूजल सैल की मुख्य गतिविधियां

3.67 भूजल सैल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष में दो बार वॉटर टेबल की गहराई व भूजल की गुणवत्ता की निगरानी, विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार करना अर्थात वॉटर टेबल की गहराई का मानचित्र, भूजल गुणवत्ता मानचित्र, इतिहास, दशकीय और मौसमी उतार-चढ़ाव का मानचित्र, वॉटर टेबल के मानचित्र की रूपरेखा इत्यादि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, चण्डीगढ़ के साथ संयुक्त रूप से गतिशील भूजल संसाधन अनुमान रिपोर्ट तैयार करना, भूजल को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करने के लिए सरकारी भवन के रूफटॉप पर वर्षा जल संचयन संरचना (आर.टी.आर.डब्ल्यू.एच.एस.) का निर्माण करना व भूजल की निगरानी के लिए पीजोमीटर की स्थापना करना।

सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण कार्य

3.68 राज्य में बाढ़ के प्रकोप और जल जमाव की प्राकृतिक आपदा से राज्य को बचाने के लिए, हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक के दौरान 929.86 करोड़ रुपये की लागत वाली 594 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त 649.56 करोड़ रूपये की लागत वाली प्रगतिशील 248 योजनाओं को भी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अभी तक वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान इन 842 योजनाओं पर 362.48 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं तथा 257 योजनाएं पूरी की जा चुकी है।

अन्तिम छोर पर आपूर्ति

3.69 100 प्रतिशत टेलों पर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग ने टेलों पर विशेष ध्यान देने के लिए एक अभियान शुरू किया। चोरी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाकर 100 प्रतिशत टेलों तक पानी पहुंचाने के लिए पुलिस बल (सिंचाई एवं बिजली के लिए विशेष) को शामिल कर व्यापक कदम उठाए गए जिसके लिए एक राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। 2023 के मानसून सत्र में, जे.एल.एन. फीडर में अधिकतम 3,500 क्यूसिक पानी, लोहारू फीडर में 1,100 क्यूसिक, महेन्द्रगढ़ नहर में 960 क्यूसिक तथा जे.एल.एन. नहर में 624 क्यूसिक पानी का निष्कासन किया गया।

नाबार्ड परियोजनाएं

3.70 207 एस.टी.पी. में से 35 एस.टी.पी. पर पहले चरण में काम करने का प्रस्ताव किया गया है और इसके लिए नाबार्ड द्वारा 490.53 करोड़ रूपये की राशि वाली एक परियोजना सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत मंजूर की गई है जोकि 31-03-2024 तक पूरी कर ली जाएगी।

रिचार्जिंग कुएं

3.71 डार्क जॉन में खेतों में एकत्रित हुऐ बारिश के पानी से भू-जल की पूर्ण भरपाई के लिए, मेरा पानी मेरी विरासत के तहत 40 करोड़ रुपये की लागत वाले 1,000 रिचार्ज कुओं के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना से हर साल लगभग 8,000 एकड़ जलमग्न भूमि लाभान्वित होगी। 893 रिचार्ज कुओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 35 रिर्चाजिंग कुओं का कार्य प्रगति पर है तथा 72 किसानों ने अपने खेतों में बोरवेल लगाने से मना कर दिया है। अब तक 35 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं।

वर्षा जल संचयन

3.72 विभाग द्वारा 131 रेन वाटर हारवेस्टिंग ढांचे लगाये गये, जिससे 286 सरकारी भवनों को जल संचय की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसका कुल क्षेत्र 585 एकड़ है।

3.73 पश्चिमी जमुना नहर प्रणाली की वाहक क्षमता बढ़ाना

- **आर.डी. 68220 (हमीदा हैड) से आर.डी. 190950 (इंद्री हैड) तक पश्चिमी जमुना नहर मेन लाईन लॉअर की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 120.19 करोड़ रूपये है, इसमें से 101.48 करोड़ रूपये का कार्य पूरा हो चुका है।**
- **डब्ल्यू.जे.सी. मेन ब्रांच की आर.डी. 0-154000 की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 202.10 करोड़ रूपये है, इसमें से 185.98 करोड़ रूपये का कार्य पूरा हो चुका है। आवर्धन नहर का कार्य 380 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है। इस कार्य के दिनांक 30-10-2024 के पूर्ण होने की संभावना है।**
- **पी.डी. ब्रांच की आर.डी. 0-145250 की क्षमता बढ़ाने के लिए 304 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से पुनर्वास के कार्य नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं।**
- **नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ XXVII के तहत दिनांक 29-07-2021 को दादुपुर से हामीद हैड तक नई पी.एल.सी. चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है।**

अटल भूजल योजना

3.74 अटल भूजल योजना 6,000 करोड़ रूपये की केन्द्र सरकार की एक योजना है, जिसका लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले स्थायी भूजल प्रबंधन को प्रदर्शित करना है जिसे पैमाने पर ले जाया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित राज्यों में जल संकट वाले चुनिंदा क्षेत्रों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है।

नहर नेटवर्क का आधुनिकीकरण

3.75 नहर नेटवर्क के आधुनिकीकरण के तहत वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान लगभग 185 चैनलों के पुनर्वास का कार्य 900 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से मुख्यतया किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 168 नए पुलों का निर्माण 444 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

3.76 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित भारत सरकार की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना पूरे भारत में 49 कार्यान्वयन एजैंसियों द्वारा कार्यन्वित की जा रही है। एन.एच.पी. का उद्देश्य जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना और भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है। वर्ष 2016 से 2024 के दौरान इस परियोजना के लिए हरियाणा को बजट के रूप में 50 करोड़ रूपये दिये गये हैं। वर्तमान में इसे सितम्बर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

आदि बद्री बांध व सोम्ब सरस्वती बैराज

3.77 हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती नदी में पानी छोड़ने के लिए सरस्वती नदी पुनरोद्वार तथा धरोहर विकास परियोजना (प्रथम चरण) के लिए 388.16 करोड रूपये अनुमानित लागत की एक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड के माध्मय से इस परियोजना के बनने से संभावित भूजल पुनर्भरण क्षमता का आंकलन करवाया गया है। जिसमें यह पुष्टि की गई है कि इस परियोजना के तहत भूजल पुनर्भरण की अच्छी सम्भावना है। इस परियोजना के 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है।

मेवात और गुरूग्राम क्षेत्र में जल आपूर्ति

3.78 मेवात और गुरूग्राम क्षेत्र को पीने का पानी प्रदान करने के लिए, हरियाणा सरकार ने गुड़गांव जल आपूर्ति नहर से 50 किलोमीटर लम्बी पाईप-लाईन के माध्यम से 389 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण 996 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से करने का निर्णय लिया है, जो गुरूग्राम जल आपूर्ति नहर से बादली के पास के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे के रास्ते पर चल रही हैै। आगे गुरूग्राम क्षेत्र और मेवात नहर फीडर की भविष्य में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुड़गांव जल सेवाएं चैनल की मौजूदा क्षमता 175 क्यूसेक को 686 क्यूसेक तक बढ़ाने के लिए पुनर्वास का कार्य 1,989 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा।

नदी के ऊपर भण्डारण बांध

3.79 हरियाणा सरकार यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों गिरि और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्सेपर रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी बांधों के निर्माण के लिए सख्ती से कार्य कर रही है। लखवार, किशाउ एवं रेणुकाजी बांध के पूरा होने पर हरियाणा को कुल जमा पानी का 47.81 प्रतिशत पानी मिलेगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा रेणुका जी बांध की निवेश मंजूरी के बाद, राज्य सरकार ने ऊपरी यमुना नदी समिति को प्रारंभिक धन के रूप में 190.74 करोड़ रुपये जमा करवा दिए हैं। लखवार परियोजना के संबंध में हरियाणा के लिए लागत का कुल हिस्सा 548.32 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान 109.66 करोड़ रूपये की 5 समान किश्तों में किया जाना है। हरियाणा सरकार द्वारा लखवार परियोजना के संबंध में 109.66 करोड़ रूपये की अपनी पहली किस्त का भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण (एच.पी.डब्ल्यू. डब्ल्यू.एम.ए.)

3.80 (क) प्राधिकरण, पोंड डाटा मैनेजमैंट सिस्टम (पी.डी.एम.एस.) में दर्ज, आजतक के उपलब्ध कुल 19487 तालाबों में से 11836 प्रदूषित तालाबों को प्राथमिकता पर क्रमशः पुनर्जीवित करने का कार्य कर रही है। प्राधिकरण ने अपने वार्षिक योजना वर्ष 2024-2025 तक 6,711 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अमृत मिशन योजना के तहत

अपने प्रदेश के 75 तालाब प्रति जिले के अनुसार 22 जिलों के 1,650 अमृत सरोवर को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

(ख) जन भागीदारी-प्राधिकरण जन भागीदारी बढ़ाने हेतु गाँवों में नुकड़, नाटक के द्वारा ग्रामीणों के जागरण, जल संकल्प तथा जल आरती कार्यक्रमों की योजना के तहत, प्रदेश के लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। जिसमें अभी तक 11 जिलों में 22 कार्यक्रम हो चुके हैं। प्राधिकरण के द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित कर, जन जागरण अभियान के तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कार्याशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

(ग) उपलब्धियाँ:

- आदर्श तालाबों के कारण ग्रामीणों के जनजीवन में बदलाव।
- आदर्श तालाबों के चारों और वृक्षारोपड़ के कारण पर्यावरण में सुधार।
- मछली पालन, सूक्ष्म सिंचाई एवं पर्यटन योजनाओं के कारण प्रदेश को आय का स्त्रोत।
- वर्ष 2022-2023 में तालाबों की जल क्षमता एवं रिचाजिंग में क्रमशः 1594 करोड़ लीडर एवं 956 करोड़ लीटर की वृद्धि हुई।
- आगामी 2023-2024 तक इनमें क्रमशः 6191 करोड़ लीटर एवं 3056 करोड़ लीटर वृद्धि का लक्ष्य है।
- सिंचाई हेतु कैनाल के जल पर न्यूनतम निर्भरता।

राज्य विशिष्ट कार्य योजना (एस.एस.ए.पी.)

3.81 राष्ट्रीय जल मिशन के तहत सुरक्षा, निरंतर विकास और जल संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई योजना एस.एस.ए.पी. का कार्यभार हरियाणा सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान को सौंपा गया है। एस.एस.ए.पी. की तैयारी की निगरानी के लिए मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया। दिनांक 20-01-2023 को राज्य जल निगरानी समिति की बैठक में एस.एस.ए.पी. की मसौदा समिति रिपोर्ट आई.आई.टी., रोपड़ (सलाहाकार) द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 15-03-2023 को एस.एस.ए.पी. के डी.एस.आर. को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारक विभागों के साथ कार्यशाला आयोजित की गई। एस.एस.ए.पी. की डी.एस.आर. वांछित अद्यतनीकरण के बाद शीघ्र ही राष्ट्रीय जल मिशन, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

सतलुज यमुना लिंक

3.82 राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई जो कि पिछले 12 वर्षों से लंबित थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10-11-2016 को निर्णय लिया गया तथा यह राय दी गई थी कि पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमैंन्ट एक्ट असंवैधानिक है। तदानुसार हरियाणा सरकार ने माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को बाद में कार्यवाही की इच्छा जताई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 09-07-2019 को अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के साथ तीन बैठकें की गई लेकिन कुछ भी ठोस निर्णय नहीं निकला। पंजाब सरकार ने दिनांक 23-01-2020 को सभी दलों की बैठक बुलाई जहां सर्वसम्मति से यह फैंसला लिया गया कि भारत सरकार सुनिश्चित करें कि पंजाब का पानी रावी, ब्यास और सतलुज बेसिन से गैर बेसिन क्षेत्रों में स्थानातंरित नहीं किया जाए जोकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने दिनांक 07-02-2020 को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार को एक अर्ध सरकारी पत्र लिख कर यह सूचित किया कि पंजाब असंवैधानिक व

गैरकानूनी तरीके अपना कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। हाल ही में मामले की सुनवाई दिनांक 06-09-2022 को हुई, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि पंजाब तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री इसी माह आपस में बैठक करें तथा 4 महीने का समय दिया और कहा कि प्रगति रिपोर्ट दी जाए। दिनांक 14-10-2022 को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चण्डीगढ़ में बैठक हुई किन्तु मुख्यमंत्री पंजाब ने एस.वाई.एल. को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी। परिणामस्वरूप दिनांक 04-01-2023 को माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंजाब ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने से इन्कार कर दिया और एस.वाई.एल. नहर के निर्माण से इन्कार कर दिया। इस मामले की सुनवाई 19-01-2023 को शीर्ष अदालत में हुई, जिसमें हरियाणा के वकील ने दलील दी कि मामले को सुलझाने के लिए 09 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन बैठकों से कोई नतीजा नहीं निकला । इस मामले की सुनवाई 23-03-2023 को शीर्ष न्यायालय में हुई और भारत सरकार को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया है। 04-10-2023 को हुई सुनवाई में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि "हम पंजाब हिस्से में एस.वाई.एल. के निर्माण हेतु आदेश के निष्पादन के लिए चिंतिंत हैं क्योंकि हरियाणा पहले ही नहर का निर्माण कर चुका है। जैसा कि पंजाब सरकार ने कहा है, भारत संघ को परियोजना के लिए आबंटित पंजाब की भूमि के हिस्से का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि संरक्षित है। उनकी कार्यवाही पर रोक लगने के कारण वे जमीन नहीं छोड़ सकते थे। इसके अलावा, भारत संघ को यह भी निर्देश दिया गया है कि एक अनुमान लगाया जाए कि पंजाब में किस हद तक निर्माण कार्य किया गया है। इस बीच, केन्द्र सरकार द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई तारीख जनवरी, 2024 तय की गई है।

3.83 मिकाडा से सम्बन्धित मुख्य उपलब्धियां

- काडा का मुख्य कार्य खेतों की सिंचाई हेतू पक्के जलमार्गो का निर्माण करना था। दिसम्बर, 2020 में सरकार द्वारा नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) का नाम बदलकर सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा) कर दिया गया। मार्च, 2021 तक सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम "प्रति बूंद अधिक फसल" पी.एम.के.एस.वाई. योजना बागवानी और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई थी। अब पी.डी.एम.सी. स्कीम के अन्र्तगत सूक्ष्म सिंचाई योजना को क्रियान्वित करने के लिए अप्रैल, 2021 से मिकाडा को अधिकृत किया गया है। हरियाणा राज्य में मिकाडा द्वारा पी.एम.के.एस.वाई योजना के निम्नलिखित घटकों का क्रियान्वयन किया जा रहा हैः

  (क) टपका सिंचाई प्रणाली

  (ख) लघु फव्वारा प्रणाली

  (ग) पोर्टेबल फव्वारा प्रणाली

  (घ) सूक्ष्म सिंचाई के लिए खेत में पानी के तालाब

  (ड) नहरी जल मार्गो का एकीकरण (पाईप और सिविल निर्माण),फार्म तालाब, सौर ऊर्जा पम्प व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली।

- किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना नाबार्ड-एम.आई.एफ. के तहत तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 189.46 करोड़ रुपये है जो कि 22,555 एकड भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाएगी। इस परियोजना के तहत सहायक

बुनियादी ढांचे का 40 प्रतिशत काम 61.16 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से पूरा हो चुका है।

- एक अन्य परियोजना नाबार्ड-एम.आई.एफ. के तहत तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 399.97 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अंतर्गत 57,353 एकड भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के तहत अभी तक 38 प्रतिशत सहायक बुनियादी ढांचे का कार्य लगभग 122.76 करोड़ रूपये की लागत से पूरा कर लिया है।
- मिकाडा द्वारा खालो के पुनर्वास के कार्य को क्रियान्वित करने के लिए खाल के चक्क का कम से कम 30 प्रतिशतक्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता है। बजट घोषणा 2022-23 मे माननीय मुखमंत्री ने एक वर्ष की अवधि के लिए खालो की मुरम्मत/ पुनर्वास के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत सूक्ष्म सिंचाई की मौजूदा शर्त मे छूट दी है, जहाँ इस तरह की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता अत्यधिक क्षति के कारण है व जलमार्ग के पुनर्वास के लिए संरचनात्मक आवश्यकता है।
- उपरोक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए, मिकाडा, हरियाणा ने लगभग 745 जलमार्गों की पहचान की है जिनके लिए पुनर्वास की आवश्यकता है। वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 4.12 लाख एकड क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 336 जलमार्गों का पुनर्वास किया जाएगा। इसलिए, चालू वित्त वर्ष 2023-24 में उक्त कार्य के निष्पादन के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट का प्रवधान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 1027.62 करोड रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। जिसमें से आर.के.वी.वाई.-पी.डी.एम.सी.घटक के तहत लगभग 1.12 लाख एकड. क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए 527.60 करोड रुपये स्वीकृत किए गए हैं तथा सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग के लिए लगभग 4,000 आन-फार्म पानी के टैंक (सामुदायिक या व्यक्तिगत) के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।

वन

3.84 हरियाणा सरकार पूरे राज्य में वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा को हरा-भरा, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दृष्टि से, सरकार ने 2023 में बीस हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित किया, जिससे राज्य में वृक्ष और वन आवरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। हरियाणा वन विभाग इस प्रयास में वनों, वन्यजीव संसाधनों और इन पारिस्थितिकी तंत्रों में मौजूद समृद्ध जैवविविधता के संरक्षण पर जोर देते हुए, समाज के सभी वर्गों को सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है।

पौधगिरी अभियान और सामुदायिक भागीदारी

3.85 विभाग ने एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इस अभियान की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्कूली बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। पौधगिरी अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को 2018 से अब तक कुल 90.33 लाख पौधे उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान विद्यार्थियों को 13.44 लाख पौधे उपलब्ध करवाए गए। इस पहल में बच्चों को वृक्षारोपण करने और उनकी देखभाल करने के लिए शिक्षित करने और प्रेरित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान" के तहत, ग्राम पंचायतों को 39.12 लाख पौधे वितरित किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान पूरे राज्य में 1.72 करोड़ वृक्षों का रोपण किया गया।

प्राण वायु देवता पेंशन योजना

3.86 हरियाणा सरकार ने पेड़ों के प्रति सम्मान के रूप में जिन्होंने दशकों तक मानवता की सेवा की है, "प्राण वायु देवता पेंशन योजना" की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, पंचायत, सार्वजनिक, निजी, और सरकारी संपत्तियों पर उगे 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के स्वस्थ पेड़ों को सालाना पेंशन के लिए चुना जाता है। इस योजना के तहत, पेड़ के अभिरक्षक को प्रति वर्ष 2,750 रुपए की पेंशन मिलती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, इस योजना ने 3,819 पेड़ों को लाभान्वित किया, जिसमें कुल 105 लाख रुपए उनके अभिरक्षकों को वितरित किए गए। प्राण वायु देवता पेड़ों के चयन और उन्हें पेंशन देने की प्रक्रिया 2024-25 में भी जारी रहेगी। इस पेंशन राशि में वृद्ध आयु सम्मान भत्ता योजना के समान समय-समय पर वृद्धि की जायेगी।

शिव धाम योजना एवं अमृत वन

3.87 शिव धाम योजना के तहत नीम और पीपल जैसे छायादार प्रकार के पौधों का सफल रोपण किया गया, जो राज्य भर के शिव धामों के समीप अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को छाया प्रदान करेगा। 2023-24 के दौरान विभिन्न शिव धामों में 67 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया गया। अमृत काल के अनुरूप, हरियाणा में कई स्थानों पर अमृत वनों की स्थापना 81 हेक्टेयर भूमि पर की गई है। इस पहल में बेल, वट वृक्ष, पीपल, नीम, और देशी आम जैसी सांस्कृतिक महत्व वाली स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए गए।

सड़क के किनारे वृक्षारोपण

3.88 2023-24 के दौरान, सड़कों के किनारे हरियाली लगाने में अथक प्रयास किए गये, विशेष रूप से ट्रांस-हरियाणा एक्सप्रेसवे, 152डी पर जहाँ लगभग एक लाख पौधे लगाए गए। इससे न केवल स्वच्छ हवा मिलेगी, बल्कि ये सड़कों के सौंदर्य को भी बढ़ाएगा।

वृक्ष गणना

3.89 हरियाणा ने सभी गांवों और शहरी इलाकों में वृक्षों की व्यापक गणना कर देश भर में अग्रणी पहल की है। इससे हरियाणा को एक हरा-भरा राज्य बनाने के लिए, हरियाली का आंकलन करने और गांव स्तरीय वनीकरण योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

जोहड़ एवं आर्द्रभूमि संरक्षण

3.90 ग्रामीण इलाकों में जोहड़ों (तालाबों) के महत्व को पहचानते हुए, विभाग ने 594 जोहड़ों पर लंबे समय तक जीवित रहने वाले, छायादार और बहुउद्देशीय पेड़ जैसे बरगद, पीपल, नीम, और पिलखन लगाए, जिससे ग्रामीण जीवन और जैवविविधता में इनकी भूमिका को मजबूती मिलेगी।

पशुपालन एवं डेयरी

3.91 पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य के 71.26 लाख पशुधन संख्या को 2,857 पशु संस्थाओं (राजकीय पशु चिकित्सालय एवं राजकीय पशु चिकित्सा औषधालयो की सुविकसित संरचना के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को निःशुल्क पशु स्वास्थ्य एवं पशु प्रजनन सेवाएं प्रदान कर रहा है।

3.92 हरियाणा राज्य में देश की पशुधन संख्या का 2.1 प्रतिशत है लेकिन 119.65 लाख टन दूध का योगदान है जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.19 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1,098 ग्राम है जबकि राष्ट्रीय औसत 459 ग्राम के मुकाबले में देश में तीसरे स्थान पर है।

3.93 वर्ष 2022-23 के दौरान क्रमशः 11.70 लाख गायों और 27.51 लाख भैंसों और वर्ष 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) के दौरान 8.69 लाख गायों तथा 20.49 लाख भैंसों का उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान क्रमशः 4.34 लाख गायों और 10.43 लाख भैसों के बच्चें और 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) के दौरान 3.50 लाख गायों 8.84 लाख भैंसों के बच्चे पैदा हुए है।

3.94 विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान 147.51 लाख और वर्ष 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) के दौरान 108.43 लाख पशुओं को कृमिरहित किया गया जिससे पशुओं में कृमि को कम करने और समग्र उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलती है। विभाग समाज के अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनके परिवारों के पोषण और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कम लागत वाली नस्ल के 10 दिन आयु के 50 चूजे मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना चला रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 और 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) में क्रमशः 955 और 823 इकाईयां स्थापित की गई हैं और वर्ष 2023-24 के दौरान अभी तक आाबंटित बजट 70 लाख रूपये में से 42.50 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया।

3.95 राज्य में अनूसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 1,500 (दो/ तीन दुधारू पशु) डेयरी और 100 (10 मादा+1 नर) सुअर पालन इकाईयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 1,492 लाभ प्राप्तकर्ताओं (1,462 पशु डेयरी+30 सूअर पालन इकाईयां) व वर्ष 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) में 1,502 लाभ प्राप्तकर्ताओं (1,461 पशु डेयरी+41 सूअर पालन इकाईयां) को लाभाविन्त किया गया है। इस वर्ष के दौरान अभी तक आंबटित बजट 35 करोड़ रूपये में से 22.49 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

3.96 राज्य में अनुसुचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इकाई लागत पर 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान करके (15 मादा+1 नर) भेड़ व बकरी की 800 इकाईयां स्थापित की जानी है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) में क्रमशः 891 एवं 880 लाभान्वित हुए है।

3.97 बेरोजगार युवाओं को 4 व 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जाती है तथा 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 और 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) में क्रमशः 648 और 568 इकाईयां स्थापित की गई है, राज्य में हरियाणा, साहीवाल, बेलाही और गिर देशी नस्ल की गायों को संरक्षण और बढ़ावा देने के अधिक दूध देने वाली गायों के मालिको को 5,000 रूपये से 20,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 और 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) क्रमशः 1,826 और 1,390 पशुओं की पहचान की गई है। राज्य में अधिक उत्पादन देने वाले मुर्राह जर्मप्लाजम को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए, अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 15,000 रूपये से 30,000 तक रूपये की नकद प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 और 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) में क्रमशः 1,012 और 892 पशुओं की पहचान की जा चुकी है।

3.98 पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य के सम्पूर्ण पशुधन मुंहखुर (एफ.एम.डी.) गलघोटूं (एच.एस.), के संयुक्त व स्वाइन फीवर, शीप पोक्स, पी.पी.आर., एंअरोटॉक्सिामिया इत्यादि रोगो के

लिए संपूर्ण पशुधन पशुपालकों के घरद्वार पर निःशुल्क टीकाकरण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) में क्रमशः 87.82 लाख तथा 85.53 लाख (17.95 लाख एल.एस.डी. को मिलाकर) पशुपालकों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है।

3.99 सरकार राज्य के बेसहारा मांवेशियों के खतरे से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है और विभाग ने राज्य के विभिन्न गौशालाओं में 1,00,000 बेसहारा मवेशियों के पुनर्वास में सहायता की है तथा कम फसल क्षति के कारण किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है और निम्न कोटि के जर्मप्लाजम के प्रसार की रोकथाम भी हुई है।

3.100 हरियाणा राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 में क्रियान्वित प्रमुख योजना 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के अन्तर्गत विभाग की चार योजनाएं सम्मिलित है और इन चार योजनाओं में अब तक 30,747 पशुपालक लाभाविन्त हुये हैं। विभाग ने वर्ष 2023-24 में बेसहारा पशुओं के पुनर्वास में सहायता के लिए गौशालाओं को 80.11 करोड़ रूपये चारा अनुदान के रूप में प्रदान किये है। विभाग ने पशुओं के कल्याण के लिए राज्य में 22 एस.पी.सी.ए.स्थापित किए हैं। वर्ष 2023-24 में जानवरों के कल्याण के लिए सोसायटी फॉर प्रिवेंशन आफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स (एसपीसीए) के लिए 90 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

3.101 राज्य के पशुपालकों को सैक्स सोर्टिड सीमन 200 रूपये प्रति डोज की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो देश में सबसे कम है। अब तक 2.50 लाख वीर्य की खुराक का उपयोग किया गया है 47,963 पशु गर्भित पाए गए है और 17,617 बच्चे पैदा हुए हैं जिनमें से 16,130 (91.56 प्रतिशत) मादा बच्चे हैं।

3.102 पशुपालकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए राज्य के विभिन्न बैंको द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (पी.के.सी.सी.) प्रदान करने का प्रावधान हैं। विभाग ने बैंक को 4.70 लाख आवेदन प्रायोजित किए है। इनमें से कुल 1.55 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंको द्वारा स्वीकृत किए गए है। अब तक 1,44,772 पी.के.सी.सी. कार्ड बैंको द्वारा पशुपालकों को वितरित किए गए हैं।

3.103 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की अवधि में राज्य ने 58.80 लाख गायों और भैंसों की पहचान यूनीक आईडेंटिफिकेशन टैग के साथ की है और इन पशुओं को आई.एन.ए.पी.एच.पोर्टल में पंजीकृत किया है। पशुपालन में इच्छुक राज्य के बेरोजगार युवाओं को डेयरी, भेड़, बकरी सूअर और मुर्गी पालन में 11 दिनों का अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) में क्रमशः 2,369 व 2,345 युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

3.104 70 मोबाईल पशुचिकित्सा वैन खरीदी जा चुकी है, जो कि फरवरी, 2024 तक (1962 पर कॉल आधार पर) आपत्कालीन पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यात्मक हो जाएगी।

3.105 राज्य में सभी 1,042 राजकीय पशु चिकित्सालयों के डिजिटलीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लैपटॉप उपलब्ध करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई है और इन्हें खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा विभाग इसके लिए एक परियोजना निगरानी एंजेसी नियुक्त करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

3.106 पंचकूला और सोनीपत में BSL-II प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रक्रियाधीन है। पंचकूला और सोनीपत प्रयोगशालाओं की मरम्मत/ नवीनीकरण के लिए क्रमशः 13.65 लाख और 24.23 लाख रूपये जारी किए गए है और हरियाणा मैडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.एम.एस.सी.एल.) के

माध्यम से उपकरणों की खरीद प्रक्रियाधीन है। इन उपकरणों की खरीद के बाद दोनों प्रयोगशालाएं तत्काल शुरू कर दी जाएगी।

मत्स्य

3.107 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। सहायक व्यवसाय के रूप में मत्स्य पालन राज्य के मत्स्य पालकों में लोकप्रिय होता जा रहा है।

3.108 वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत 18,006.16 हैक्टेयर जलक्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाकर 7,862 लाख मछली बीज संचय करते हुए 2,12,042.00 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 (माह दिसम्बर, 2023 तक) के अन्तर्गत 18,702 हैक्टेयर जलक्षेत्र मत्स्य पालन के अधीन लाकर 5,575.00 लाख मत्स्य बीज संचय के विरूद्ध 8,394.66 लाख मत्स्य बीज संचय करते हुए 2,16,310 मीट्रिक टन लक्ष्यों के विरूद्ध 1,87,692.25 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया। वर्ष 2019-20 से 2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक) मछली पालन के तहत जल क्षेत्र के कवरेज का विवरण तालिका 3.18 एवं आकृति 3.3 में भी दिया गया है।

तालिका- 3.18 जलक्षेत्र का कवरेज विवरण

जलक्षेत्र का कवरेज (हैक्टयर)	वर्ष				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक)
	17216.80	18206.80	19100.00	18006.16	18702.00

स्त्रोतः मत्स्य विभाग, हरियाणा।

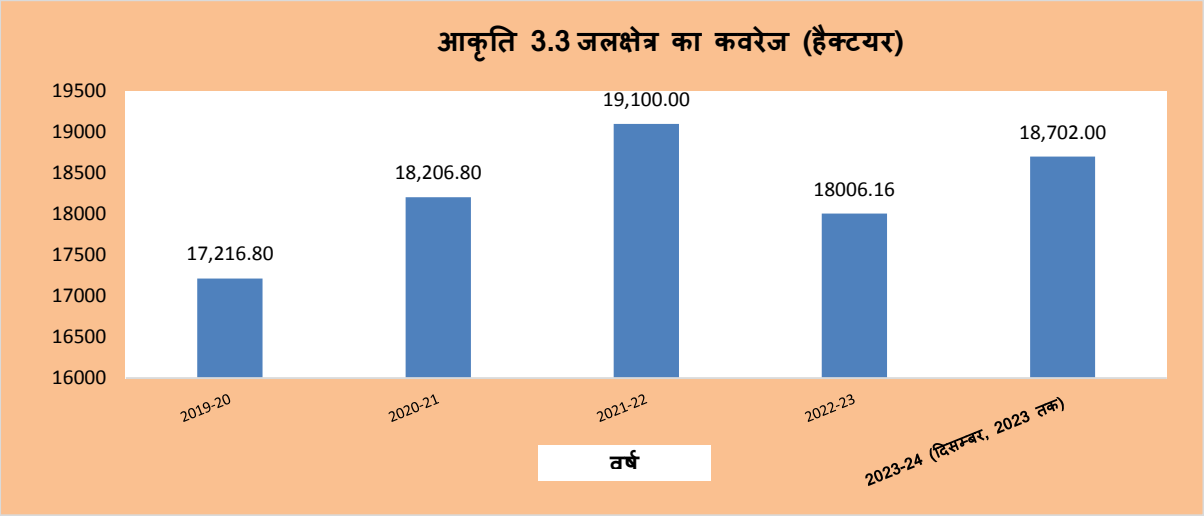

3.109 अनुपयोगी लवणीय व जल मग्न क्षेत्र को उपयोग में लाने हेतू वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत एक अग्रणी परियोजना प्रारम्भ की गई है। यह दूरदर्शी परियोजना राज्य के अनुपयोगी लवणीय व जल मग्न क्षेत्र में सफेद झींगा पालन (लिटोपेनियस वन्नामेई) संस्कृति पर केन्द्रीत है। वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत में 687.59 हैक्टेयर लवणीय क्षेत्र को सफेद झींगा पालन के अधीन लाया गया। वर्ष 2023-24 (दिसम्बर, 2023) में 1,000 जलक्षेत्र के विरूद्ध 594.65 हैक्टेयर जलक्षेत्र झींगा पालन के अधीन लाकर 1,010 लाख झींगा बीज संचित करते

हुए 7,959.00 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन किया गया। वर्ष 2022-23 में औसत मत्स्य उत्पादकता 11,000 किलोग्राम/ हैक्टेयर/ वर्ष से बढ़ाकर 12,000 किलोग्राम/ हैक्टेयर/ वर्ष किया जायेगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले

3.110 गेहूं खरीद की समय अवधि दिनांक 01-04-2023 से 15-05-2023 तक थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रूपये प्रति क्विंटल पर गेहूँ खरीद के लिए 409 मण्डियां/ खरीद केन्द्र खोले गए थे। गेहूं की कुल 63.17 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई। सरसों खरीद के लिए 109 मण्डियां/ खरीद केन्द्र, चने की खरीद के लिए 11 मण्डियां/ खरीद केन्द्र, जौ खरीद के लिए 25 मण्डियां/ खरीद केन्द्र तथा सूरजमुखी की खरीद के लिए 9 मण्डियां/ खरीद खोले गए। सरसों, चना तथा जौ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई खरीद नही हुई।

3.111 धान खरीद की समय अवधि दिनांक 25-09-2023 से 15-11-2023 तक निर्धारित की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए 238 मण्डियां/ खरीद केन्द्र खोले गए है। खरीफ सीजन के दौरान कॉमन धान 2,183 रूपये प्रति क्विटंल व ग्रेड-ए 2,203 रूपये प्रति क्विटंल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 58.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। मूंग खरीद के लिए 38 मण्डियां/ खरीद केन्द्र, मक्का की खरीद के लिए 19 मण्डियां/ खरीद केन्द्र तथा मूंगफली की खरीद के लिए 7 मण्डियां/ खरीद केन्द्र खोले गए है। पिछले दो वर्षों में रबी और खरीफ फसलों की खरीद तालिका 3.19 (क) में दी गई है।

तालिका 3.19 (क)-रबी तथा खरीफ फसलों की खरीद

वर्ष	गेहूँ (लाख मीट्रिक टन)	चना (मीट्रिक टन)	सरसों (लाख मीट्रिक टन)	धान (लाख मीट्रिक टन)	मक्का (मीट्रिक टन)	सूरजमुखी (मीट्रिक टन)	मूँग (मीट्रिक टन)	बाजरा (मीट्रिक टन)
2021-22	84.93	-	-	55.30	244.50	4012.70	1228.90	858.75
2022-23	41.85	1240	-	59.37	-	2002.57	618.00	80381.65

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

भण्डार शाखा

3.112 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित राज्य की खरीद एजंेसियों के पास 94.32 (58.52 स्वामित्व + 34.82 किराये पर) लाख मीट्रिक टन की कवर्ड भण्डारण क्षमता है। जिसमें से खाद्य विभाग के पास भंडारण क्षमता 5.01 लाख मीट्रिक टन, हैफेड के पास 26.89 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग की 17.87 लाख मीट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम के पास 8.75 लाख मीट्रिक टन तथा 67.51 लाख मीट्रिक टन क्षमता के निजी पार्टियों (अडानी ग्रुप) के स्टील साइलो है। राज्य सरकार भण्डारण के कारण होने वाली हानि को कम करने तथा कवर्ड भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के प्रति सतर्क है।

3.113 हिसार में 40,656 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,695.26 लाख रूपये होगी। नाबार्ड इस राशि का 95 प्रतिशत (2,560.50 लाख रूपये) वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत प्रदान करेगा और इस राशि का 5 प्रतिशत यानी 134.76 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना के लिए हरियाणा राज्य भण्डारण निगम नोडल ऐजेन्सी है। 17,556 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 23,100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। महुवाला (फतेहाबाद) में 2,380.19 लाख रूपये की लागत से 53,130 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम के निर्माण को माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की थी। आर.आई.डी.एफ.

योजना के तहत परियोजना का 95 प्रतिशत (2,261.17 लाख रूपये) नाबार्ड द्वारा और इस राशि का 5 प्रतिशत यानि (119.02 लाख रूपये) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नाबार्ड द्वारा 452.23 लाख रूपये की अदायगी कर दी गई है। हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा इस सम्बन्ध में टैन्डर दिये गये हैं।

स्टील साईलों का निर्माण

3.114 भारत सरकार/ भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा राज्य में 36 स्थानों पर हब और स्टील/ स्पोक का निर्माण करने का निर्णय लिया है । हब साईलों का निर्माण राजस्व जिले करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र और सिरसा में 2,50,000 मीट्रिक टन (प्रत्येक स्टेशन 50,000 मीट्रिक टन) किया जाएगा। स्टील साईलों का निर्माण 31 स्थानों (असंध, घरौंदा, समालखा, गोहना, पीलूखेड़ा, उचना, सफीदो, फतेहाबाद, रतिया, भूना, जूंडला, निसिंग, तरावड़ी, इन्द्री, बराड़ा, साहा, छछरौली, खिजराबाद, मुस्ताफाबाद, शाहबाद, इस्माइलाबाद, लाडवा, रानिया, डबवाली, चैटाला, एलेनाबाद, पलवल, होर्डल, चीका, पेहवा व कलायत) पर 8 लाख मीट्रिक टन क्षमता के (25000 मीट्रिक टन 29 स्थानों पर तथा 37500 मीट्रिक टन 2 स्थानों पर) स्टील साइलों का निर्माण किया जाना है। भारतीय खाद्य निगम को हब और स्टील/ स्पोक बनाने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

उपभोक्ता मामले

3.115 सशक्तीकरण और जागरूकता के अलावा हेल्पलाईन उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान के बारे में भी मार्गदर्शन करती है जोकि 20 जुलाई, 2020 को लागू किया गया। हरियाणा राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण, मार्गदर्शन करने के लिए राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र सभी कार्यदिवसों में प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कार्यरत है। 2013 से दिनांक 31-10-2023 तक 64,783 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 64,769 (99.9 प्रतिशत) शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।

पी.डी.एस. के अंतर्गत चीनी का वितरण

3.116 राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2018 से प्रति बी.पी.एल. परिवार को 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम प्रति मास की दर से चीनी वितरित की जा रही है। राज्य सरकार प्रति माह लगभग 10.50 करोड़ रूपये और 124 करोड़ रूपये वहन कर रही है। राज्य में वर्तमान में कुल 9,481 राशन डिपो हैं।

अन्त्योदय आहार योजना के तहत सरसों के तेल का वितरण

3.117 राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जुलाई, 2023 से राज्य के जिन परिवारों के पहचान पत्र में वार्षिक सत्यापित आय 1 लाख रूपये से कम है, उन्हें 20 रूपये प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार प्रति माह हैफेड और हरहित (एग्रो) के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। अब राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र में वार्षिक सत्यापित आय सीमा को 1 लाख रूपये से बढ़ाकर 1.80 लाख कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं का विवरण तालिका 3.19 (ख) में दिया गया है।

तालिका 3.19 (ख)- खाद्यान्न का योजनावार वितरण (मीट्रिक टन/ किलोलीटर)

स्कीम	वस्तु	वितरण 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक)
एन.एफ.एस.ए.-2013	गेंहू	381585
	फोर्टिफाईड आटा (जुलाई, 2023)	67747
	चीनी	18204
	सरसों का तेल (जुलाई, 2023)	13485

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) का एंड टू एंड कम्पुयट्रीकरण

3.118 टी.पी.डी.एस. आपरेशन के एंड-टू-एंड कंम्यूट्राइजेशन के तहत कॉनफेड फोकलप्वाइंटस सहित 9,481 उचित मूल्य की दुकान (एफ.पी.एस.) और 243 गोदामों का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। एन.एफ.एस.ए. के तहत 41.71 लाख परिवारों/ राशन कार्ड और 1.66 करोड़ सदस्यों/ लाभार्थियों को डिजिटलीकरण किया गया है और 100 प्रतिशत सदस्यों/ लाभार्थियों की आधार सीडिंग परिवार आई.डी. डेटा बेस पर आधारित है। राज्य सरकार ने बिल्ड, ओन एंड आपरेट (बी.ओ.ओ.) मॉडल में सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से प्वाइंट आफ सेल डिवाइस (पी.ओ.एस.) स्थापित करने का निर्णय लिया था। 1 नवंबर, 2016 को पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकान का स्वचालन शुरु किया गया था।

नामांकित व्यक्ति

3.119 यह देखा गया है कि कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो उचित मूल्य की दुकानों पर जा कर राशन को एकत्र करने में असमर्थ हैं, जैसे कि कोढ़ी, बीमार और वरिष्ठ लाभार्थी। इसके अलावा, ऐसे लाभार्थी हैं जिनके फिंगर प्रिंट बहुत स्पष्ट नहीं हैं जैसे कि वे लाभार्थी जो श्रम में लगे हुए हैं। ये लाभार्थी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन एकत्र करने में असमर्थ हैं। ऐसे लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ए.ई.पी.डी.एस.) में एक अपवाद संचालन प्रक्रिया प्रदान की गई है। इस तरह के लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण के बाद अपनी ओर से राशन लेने के लिए नामांकित कर सकते हैं। 0.43 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया गया है।

बेस्ट फिंगर डिटेक्शन

3.120 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की समस्याओं को हल करने के लिए जिनके फिंगर प्रिंट बहुत स्पष्ट नहीं हैं) बेस्ट फिंगर डिटेक्शन (बी.एफ.डी.) की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही फिंगर प्रिंट को पढ़ने में कठिनाई की समस्या का समाधान करने के लिए फ्यूजन की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें एक उंगली की पहचान पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में सिस्टम दूसरी उंगली के लिए संकेत देता है। फ्यूजन सफलता की दर लगभग 98 प्रतिशत है, जिसने इस तरह की समस्या को लगभग हल कर दिया है।

एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आई.एम.पी.डी.एस.)

3.121 एन.एफ.एस.ए.के तहत पंजीकृत लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आई.एम.-पी.डी.एस.) के एकीकृत प्रबंधन के तहत हर महीने किसी भी राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकान से अपना हकदार अनाज प्राप्त कर सकते हैं। आई.एम.-पी.डी.एस.और राज्य पोर्टल पर वास्तविक समय के आधार पर लेनदेन अपडेट किया जाता है। अगस्त, 2020 से अक्तूबर, 2023 तक लेनदेन की संख्या 10,32,517 के साथ में हरियाणा राज्य पहले या दूसरे स्थान पर रहा।

विधिक माप विज्ञान

3.122 विधिक माप विज्ञान संगठन हरियाणा सामाजिक न्याय के वादे के साथ-साथ "ना कम ना ज्यादा" बस पूरा के आदर्श वाक्य पर काम कर रहा है यह संगठन लीगल मैट्रोलॉजी एक्ट, 2009 और इससे सम्बन्धित इसके सम्बन्ध नियमों के पूर्वालोकन के तहत निरीक्षण सत्यापन और प्रवर्तन से संबंधित है और वस्तुओं को पैकेज्ड रूप में यह संगठन निरीक्षण भी करता है तथा निर्माता, मुरम्मतकर्ता और विक्रेता का यह संगठन लाईसेंस भी देता है व पैकर्स/ आयातकों व निर्माताओं का पंजीकरण भी करता है यह सभी अभ्यास उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए किये जाते हैं।

3.123 (क) विधिक माप विज्ञान संगठन हरियाणा ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 13.84 करोड़ रूपए का सत्यापन शुल्क और 14.07 करोड़ (दिसम्बर 2023 तक) का कम्पांउडिंग शुल्क एकत्रित किया गया है। (ख) शत प्रतिशत डिजिटलाइजेशन प्राप्त करने के लिये सी-डैक मोहाली (पंजाब) के साथ एक नया सॉफटवेयर प्रक्रियाधीन है, जिसके अगले महीने लॉन्च होने की उम्मीद है। (ग) इस विभाग का दीर्घाकालिक दृष्टिकोण उपयोगकर्ताओं को 100 पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा के साथ प्रदान की जा रही सेवाओं का 100 प्रतिशत डिजीटलीकरण है। (घ) सभी नियम तथा अधिनियम जिसमें प्रशिक्षण, कार्यशाला और संगोष्ठी बनाए और आयोजित केन्द्र सरकार द्वारा किए जाते हैं।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड)

3.124 हैफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है। यह 1 नबम्वर, 1966 को हरियाणा के एक अलग राज्य के गठन के साथ अस्तित्व में आया। तब से यह भारत में हरियाणा के किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हैफेड का मिशन व्यवहारीय और कुशल सहायता प्रदान करके राज्य के किसानों के आर्थिक हितों की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाना है। संघ के मुख्य उद्वेश्य (क) कृषि उत्पादन और सहबद्ध उत्पादों की खरीद, विपणन और प्रंसस्करण के लिए व्यवस्था करना (ख) कृषि आदानों की आपूर्ति जैसे खाद, बीज व कृषि रसायनों की व्यवस्था करना (ग) सम्बद्ध सहकारी समितियों के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है। हैफेड का पिछले 5 वर्षों का टर्न ओवर व लाभ तालिका 3.20 में दिए गए हैं।

तालिका 3.20- हैफेड का बिक्री व लाभ

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	टर्नओवर	लाभ
2018-19	12307.00	41.46
2019-20	13482.02	61.98
2020-21	16608.62	152.95
2021-22	17727.94	207.13
2022-23	12188.22	6.12

स्त्रोतः हैफेड।

हैफेड की प्रमुख उपलब्धियां

3.125 धान की खरीद: खरीफ-2022-23 सीजन के दौरान हैफेड ने 19.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की व 2023-24 के दौरान 18.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी एजैन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग क्रमशः 33 व 31.29 प्रतिशत है ।

बाजरे की खरीद: खरीफ 2023 में 3.55 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की है।

गेहूं की खरीद: रबी-2022 के दौरान हैफेड ने 17.83 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की व रबी 2023 के दौरान 30.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का लगभग क्रमशः 42.59 व 48.11 प्रतिशत है।

सूरजमुखी की खरीद: वर्ष 2022-23 के दौरान 1,888 मीट्रिक टन पीएसएस के तहत व 2023-24 के दौरान 36,022 मीट्रिक टन सूरजमुखी के बीज की खरीद की है।

चीनी मिल असन्ध: वर्ष 2022-23 के दौरान हैफेड चीनी मिल असन्ध नें 31.94 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की व 8.60 प्रतिशत चीनी की रिकवरी के साथ 141.21 करोड़ रुपये का कारोबार किया तथा वर्ष 2023-24 में 15-01-2024 तक हैफेड चीनी मिल असन्ध ने 9.72 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की व 9.10 प्रतिशत चीनी की रिकवरी का कारोबार किया है।

प्रमाणित गेहूं बीज का विपणन: वर्ष 2022-23 के दौरान हैफेड ने 42,150.91 क्विंटल गेहूं के बीज बेचने के साथ 1,520.50 लाख रुपये का कारोबार व 161.99 लाख़ रुपये का लाभ अर्जित किया व वर्ष 2023-24 (31-12-2023 तक) के दौरान 24,434.80 क्विंटल गेहूं के बीज बेचने के साथ 1,101.06 लाख रुपये का कारोबार व 155.62 लाख़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

कीटनाशक संयत्र, तरावडी: वर्ष 2023-24 में (31-12-2023 तक) कीटनाशक संयंत्र तरावड़ी ने 1,777.73 लाख रुपये का कारोबार एवं 15.17 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है।

हैफेड मवेशी चारा संयंत्र, सकताखेड़ा: हैफेड पशुचारा संयंत्र, सकताखेड़ा ने वर्ष 2022-23 में 6,284 एमटी फीड का उत्पादन किया है व 1,509.69 लाख रुपये का कारोबार किया तथा वर्ष 2023-24 में (31-12-2023 तक) 753.46 लाख रुपये का कारोबार किया है।

हैफेड मवेशी चारा संयंत्र, रोहतक: वर्ष 2023-24 में (31-12-2023 तक) 8,692.00 एमटी फीड का उत्पादन किया तथा 2,828.00 लाख रुपये का कारोबार व 11.00 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है।

उपभोक्ता उत्पादों का विपणन: हैफेड ने वर्ष 2022-23 के दौरान 384.96 करोड़ रुपये का व वर्ष 2023-24 में (31-12-2023 तक) 450.50 करोड़ रुपये का उपभोक्ता उत्पाद बेचा है।

वित्तीय रिपोर्ट: वर्ष 2021-22 के लिए विभाग का कारोबार 17727.94 करोड़ रूपये एवं लाभ 207.13 करोड़ रूपये था। वर्ष 2022-23 के लिए कारोबार लगभग 12188.22 करोड़ रूपये एवं लाभ 6.12 करोड़ रूपये है।

निर्यात: हैफेड़ ने वर्ष 2021, 2022 व 2023 (31-12-2023 तक लगभग) 99,570 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात का आर्डर प्राप्त किया है जिसकी कीमत लगभग 963.83 करोड़ रूपये हैं। जिसमें से हैफेड़ ने लगभग 93,070 मीट्रिक टन चावल का निर्यात कर दिया है।

3.126 हैफेड की एक नई परियोजनाएं/ पहल

- रामपुरा (रेवाड़ी) में 150 टी.पी.डी. की नई तेल मिल की स्थापना।
- जाटूसाना (रेवाडी) में नई आटा मिल की स्थापना, यह मिल भारत और विदेशी बाज़ार में विपणन के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए एफडीए के अनुरूप होगी।
- सीपीसी (मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट रोहतक) में अधिकांश सिविल कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं और ट्रायल रन चरण में है। सभी तीनों केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपीसी) के कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं तथा इस वित्त वर्ष में पूरे होने की संभावना है।
- हैफेड द्वारा रादौर (यमुनानगर) में हल्दी प्लांट की स्थापना।
- हैफेड द्वारा कैथल जिले में गेहूँ सीड प्लांट की स्थापना।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

3.127 हरियाणा राज्य भण्डारण निगम 01-11-1967 को अस्तित्व में आया। यह संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया एक वैधानिक निकाय है, जिसके दो उद्धेश्यों किसानों एजैंसियों, सार्वजनिक उद्यमों, व्यापारियों आदि को कृषि उपज और अधिसूचित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है और गोदामों में जमा माल के बदले क्रेडिट उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना के समय, इसके पास अपने गोदामों की केवल 7,000 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता थी। वर्तमान में 30-09-2023 तक निगम राज्य में 120 गोदामों का संचालन कर रहा है, जिसमें से 114 स्वामित्व वाले और 06 गोदाम प्रबंधन के आधार पर राज्य भर में 19.29

लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ हैं, जिसमें 18.84 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवरड गोदाम और 0.44 लाख मीट्रिक टन क्षमता के खुले प्लिंथ सम्मिलित है। वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और इसका उपयोग तालिका 3.21 में दिया गया है।

तालिका 3.21- वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और उपयोग

वर्ष	औसत भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)	औसत उपयोगिता (मीट्रिक टन)	उपयोगिता की प्रतिशत्ता	गोदामों की संख्या
2018-19	1968878	1910380	97	111
2019-20	2258607	2311621	102	111
2020-21	2182591	2061331	94	111
2021-22	2145345	1887626	88	112
2022-23	1853944	1004708	54	115
2023-24 (30-09-2023 तक)	1923460	1415415	74	120

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन।

अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो

3.128 (क) निगम हरियाणा के आयातकों व निर्यातकों और पड़ोसी राज्यों के आसपास के क्षेत्र में लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए रेवाड़ी में एक अंतर्देशीय कंटेनरडिपो (आई.सी.डी.)-सह-कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी.एफ.एस.) संचालित कर रहा है। यद्यपि, आई.सी.डी.-सह-सी.एफ.एस. रेवाड़ी का संचालन कॉनकोर द्वारा 01-11-2008 से कॉनकोर (भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी) के साथ एक रणनीतिक गठबंधन समझौते के तहत किया जा रहा था। अब 01-01-2021 से आई.सी.डी.-सह-सी.एफ.एस., रेवाड़ी का संचालन नए सामो यानि मैसर्स एस.सी.एम. एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इन्लैंड कंटेनर डिपो, रेवाड़ी 18-12-2009 से इलैक्ट्रानिक डेटा इंटर चेंज (ई.डी.आई.) प्रणाली के माध्यम से दुनिया से आनलाईन जुड़ा हुआ है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान आई.सी.डी की कमाई क्रमशः 12.98 लाख तथा 1 करोड़ रूपये हुई।

गोदामों का निर्माण

(ख) 1 नवम्बर, 1967 को निगम की स्थापना के समय निगम के पास मात्र 7000 मीट्रिक टन क्षमता का एक भण्डारण गोदाम था । वर्ष 2022-23 के दौरान निगम ने अपनी भूमि, एच.एस.ए.एम.बी. भूमि और शूगरफैड भूमि पर 1,10,110 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निमार्ण पूरा कर लिया है। वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा राज्य भण्डारण निगम 10164 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण प्रक्रियाधीन है।

विस्तार सेवा योजनाएं

3.129 निगम दो विस्तार सेवा योजनाएं चला रहा है, जिनके नाम जैसे कीटाणुशोधन विस्तार सेवा योजना (डी.ई.एस.एस.) और किसान विस्तार सेवा योजना (एफ.ई.एस.एस.) है। किसान विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत निगम किसानों को कृषि उपज के वैज्ञानिक भण्डारण व कीटाणुशोधन उपायों के बारे में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करता है। गोदाम के कर्मचारी वैज्ञानिक भंडारण के लाभों से किसानों को परिचित कराने और प्रमाणित करने के लिए आसपास के गांवों का दौरा करते है। वर्ष 2022-23 के दौरान 106 गांवों में 1,235 किसानों को शिक्षित किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान निगम के तकनीकी कर्मचारियों ने इस योजना के तहत 33 गाँवों को कवर किया और 30-09-2023 तक 448 किसानों को उनके खाद्यान्न के वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षित

किया और लाभ के बारे में परिचित कराने के अलावा कीटाणुशोधन उपायों का भी प्रदर्शन किया। कीटाणुरहित विस्तार योजना के अन्तर्गत किसानों, सहकारी समितियों, व्यापारियों और अन्य लोगों के स्टॉक को उनके अपने घरों/ गोदामों में कीटाणुरहित किया जाता है। डी.इ.एस.एस. के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान निगम ने 15,75,000 रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 9,13,592 की राशि अर्जित की और 1,079 लाभार्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निगम ने 15,75,000 रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 7,95,064 की राशि अर्जित की और 770 लाभार्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया।

वित्तीय उपलब्धियां

3.130 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगम ने कर पूर्व 10,661 लाख रूपये का तथा कर पश्चात 8,689 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया है। निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल के लिए गेंहू, धान और बाजरा की खरीद के लिए राज्य एजैन्सियों में से एक है। अक्तूबर, 2014 से निगम बाजरा, मूंग, सरसों, सूरजमुखी तथा चना भी खरीदता है। गेंहू और धान के खरीद की 5 वर्षों की स्थिति तालिका 3.22 में दी गई है।

तालिका 3.22- निगम की खरीद की स्थिति

(लाख मीट्रिक टन)

वर्ष	गेंहू			धान		
	एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा खरीद	राज्य की कुल खरीद	खरीद की प्रतिशतता	एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा खरीद	राज्य की कुल खरीद	खरीद की प्रतिशतता
2019-20	15.38	93.05	16.53	9.45	64.71	14.60
2020-21	12.97	74.00	17.56	8.64	56.06	15.43
2021-22	16.09	84.93	18.94	10.35	55.30	18.71
2022-23	6.92	41.80	16.50	10.51	59.35	17.98
2023-24	10.97	-	-	-	-	-

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन।

हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड

3.131 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना मार्किट कमेटियों की देखरेख के उद्धेश्य से 1 अगस्त, 1969 को की गई थी। इसकी स्थापना से अब तक अनाज की खरीद के लिए 114 मुख्य यार्ड, 172 सब यार्ड तथा 204 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा 18,031 कि. मी. लम्बाई की 6,969 सड़कों का निर्माण किया गया जिसमें से 8,829 कि.मी. लम्बाई की 3,384 सड़कें जिला परिषदो व अन्य विभागों को स्थान्तरित कर दी गई हैं। वर्तमान में 9,202 कि.मी. लम्बाई की 3,585 सड़कों का रखरखाव हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत है।

विकास कार्य

3.132 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने दिनांक 01-11-2019 से 30-11-2023 नई अनाज व सब्जी मण्डियों के विकास/ उत्थान, सम्पर्क सड़कों के निर्माण और रख रखाव पर 1922 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। चालू वित वर्ष 2023-24 के दौरान 30.11.2023 तक विकास कार्यों पर कुल 260.00 करोड रूपए की राशि खर्च की जा चुकी है। शीर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से हैः-

मण्डी कार्य- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने नई अनाज/ सब्जी मण्डियों के विकास तथा मौजूदा मण्डियों के उत्थान के लिए 57.85 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। वर्तमान में 250 करोड़ रूपये के विकास कार्यों से मण्डियों में उक्त सभी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य प्रगति पर हैं।

नई सम्पर्क सड़कों का निर्माण-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 269 कि.मी. लम्बाई की 120 नई सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य 80 करोड़ रूपये की लागत से पूरा किया गया है। विभिन्न स्तरों पर 936 कि.मी. लम्बाई की 381 सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य 468 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से प्रगति पर हैं/ निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1,876 कि.मी. लम्बाई की 651 सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य 439 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से विभिन्न स्तरों पर प्रगति में हैं/ निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

मार्कट फीस- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 850 करोड़ रुपये की मार्किट फीस एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके तहत 30-11-2022 तक 811 करोड़ रुपये मार्किट फीस के रुप में एकत्रित किए गए हैं।

नई पहल

3.133 फल व सब्जी मण्डीः विभाग द्वारा पिजौर में 78.33 एकड भूमि पर नई सेब, फल एवं सब्जी मण्डी बनाने की योजना है। जिसकी अनुमानित लागत 152.72 करोड़ रूपये है । यह कार्य प्रगति पर है जिसके 31-03-2024 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

फुल मंडी गुरूग्राम-जी.एम.डी.ए. ने फूल मंडी की स्थापना के लिए सैक्टर 52-ए गुरूग्राम में 8.0 एकड़ भूमि देने की सहमति दे दी है। इस मंडी के लिए प्रस्तावित भूमि को ओपन स्पेश से मिक्स लैंड यूज में बदलने हेतू प्रक्रिया नगर योजनाकार विभाग में प्रगति पर हैं।

मसाला मंडी सेरसा-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिल्ली के भीड़-भाड वाले खारी बावली मंडी के मसाले कारोबार को स्थानान्तरित करने के लिए सेरसा, सोनीपत में एच.एस.आई.आई.डी.सी. के सहयोग से मसाला मंडी बनाने की योजना है।

सड़कों की जियो-रेफरेन्शींग

3.134 बोर्ड द्वारा रखरखाव की जा रही सभी 3,578 सम्पर्क सड़कों को यूनिक आईडी जारी कर दी है। प्रत्येक सड़क का जियो-रेफरेन्श सर्वे के साथ जी.पी.एस. फोटोग्राफी का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी सड़कों का डाटा बेस तैयार कर लिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा एन.आर.एस.सी. एवं एन.आई.सी. की सहायता से हरपथ एप्लीकेशन तैयार की गई है जिसका उद्धेश्य प्रदेश के नागरिकों को गड्ढा मुक्त सड़कें प्रदान करना है। यह पोर्टल राज्य की जनता को सड़कों की खराब स्थिति बारे अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु माध्यम प्रदान करता है।

ई-खरीद

3.135 (क) ई-खरीद प्रणाली हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त पहल है। इस स्कीम की शुरूआत माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 27-09-2016 को करनाल से की गई थी। लेन-देन प्रक्रिया 01-10-2016 को शुरू की जा चुकी है। सरकार द्वारा ई-खरीद पोर्टल को सूचना व प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा बनाने व संचालित करने का निर्णय लिया गया है। पोर्टल बनाने उपरान्त रबी सीजन 2021 से खरीद आरम्भ की गई व वर्तमान खरीफ सीजन 2021 की खरीद फरोकत इसी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' के सभी पंजीकृत किसान, राज्य के आढतियों व राज्य एवं केन्द्र सरकार की सभी खरीद एजेंसियों को इस पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम) (ख) राष्ट्रीय कृषि बाजार एक इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रुप में मौजूदा मार्केट कमेटियों व मंडियों के लिए वैश्विक बाजार उपलब्ध करवाने का माध्यम है। ई-नैम योजना को

देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की चयनित 585 थोक बाजारों को सार्वजनिक इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया है। देश के 18 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू की गई है। हरियाणा राज्य की 81 मण्डियों को वर्ष 2020 के दौरान व बकाया 27 मंडियों को दिसम्बर, 2022 के दौरान ई-नैम प्लेटफार्म के तहत जोड़ दिया गया है। हरियाणा राज्य की प्रगति को इस तथ्य द्वारा मापा जा सकता है कि हरियाणा राज्य ने दिनांक 01-04-2023 से 30-11-2023 तक 12,670 करोड़ रुपये की 333.73 लाख क्विंटल उत्पाद का व्यापार इस परियोजना के अंतर्गत कि है। सभी 109 मार्केट कमेटियों ने ई-नैम के माध्यम से आन लाईन भुगतान जारी कर दिया है। हरियाणा की मंडियों में अच्छी मूलभूत सुविधाएं है। सभी 54 मंडियों में परख प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है जोकि ई-नैम से जुड़ी हुई है। मार्केट कमेटी स्तर पर किसानों, व्यापारियों तथा कमीशन एजेंटों के लिए नियमित रुप से प्रशिक्षण व जागरुकता शिविर लगाए जाते हैं। हरियाणा राज्य का मुख्य ध्यान नॉन एम.एस.पी. उपज पर है जहां वास्तविक मुल्य को खोजा जा सके।

अटल किसान-मजदूर कैंटीन

3.136 हरियाणा सरकार ने किसानों और मजदूरों को 10 रुपये की रियायती दर पर दोपहर का भोजन प्रदान करने के लिए राज्य में 25 स्थानों पर 'अटल किसान मजदूर कैंटीन' स्थापित करने की पहल की है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल ने इन कैंटीनों को हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन (एच.एस.आर.एल.एम.) के समन्वय से स्थापित किया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहली कैंटीन का शुभारम्भ करनाल मंडी में दिनांक 29-12-2019 को किया गया। अब तक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में 25 कैंटीन मण्डियों में शुरू की जा चुकी है। सरकार द्वारा 15 अन्य मंडियों में भी इस प्रकार की कैंटिन बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इन्हे 31-03-2024 तक शुरू करने का लक्ष्य है।

❋❋❋

उद्योग, विद्युत, सड़कें एवं परिवहन

4

औद्योगिकरण किसी भी देश या राज्य के तेजी से विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक राज्य में आर्थिक विकास को तेज करता है और इस तरह राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के योगदान को बढ़ाता है और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल है। इस प्रक्रिया के प्रभाव से एक समाज पूर्व-औद्योगिक स्तर से औद्यागिक स्तर में परिवर्तित होता है। राज्य को पूर्व-प्रचलित निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने और गतिशील शासन प्रणाली द्वारा संतुलित, क्षेत्रीय और सत्त विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरो का सृजन करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के एक व्यापक पैमाने को अपनाया है।

उद्योग और वाणिज्य

4.2 राज्य के पहले और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे में राज्य के व्यवसाय के माहौल को मजबूत करना है, जिससे हरियाणा राज्य को पसंदीदा वैश्विक स्तर पर निवेशगंतव्य का स्थान बनाया जा सके। सरकार विनियामक बोझ को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू करके इस लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार उद्योग के भौगोलिक संवितरण के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर देने के साथ ग्रीन फील्ड निवेश द्वारा रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए पथप्रदर्शक सुधारों और उपायों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

4.3 राज्य सरकार ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए "हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लायमेंट पोलिसी-2020 (एच.ई.ई.पी. 2020)" को दिनांक 01-01-2021 से प्रभावी रूप से लागू किया है। यह नीति हरियाणा को एक प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा निवेशस्थान के रूप में स्थापित करने, क्षेत्रीय विकास, निर्यात विविधीकरण और लचीला आर्थिक विकास के माध्यम से अपने लोगों के लिए आजीविका के अवसरों को बढाने की परिकल्पना करती है। इस नीति का उद्वेश्य 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और राज्य में 5 लाख नौकरियों का सृजन करना है। सरकार विनियामक बोझ को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए सुधारों को लागू करने पर लगातार काम कर रही है।

4.4 इसके अतिरिक्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग ने हरियाणा में क्षेत्र के विकास के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया। विभाग ने हरियाणा कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018, हरियाणा रसद, भंडारण और खुदरा नीति, 2019 और हरियाणा फार्मास्युटिकल नीति, 2019 जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक क्षेत्रीय नीतियां शुरू की हैं। ये नीतियां विभिन्न आकर्षक राजकोषीय प्रोत्साहनों की पेशकश कर रही हैं और निवेशक पर नियामक बोझ को कम करने के लिए कई उपाय कर रही हैं।

4.5 परिवहन क्षेत्र को डी-कार्बोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन एक आशाजनक वैश्विक रणनीति है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो वैश्विक ई.वी. 30@30 अभियान का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत नए इलैक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करना है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) निर्माण में अवसरों की खोज के लिए ऑटोमोटिव निर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना करते हुए हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 लॉन्च की है। नीति राज्य में ई-मोबिलिटी के लिए एंड-टू-एंड पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर विशेष जोर देती है और राज्य के भीतर इलैक्ट्रिक वाहन निर्माण और अधिग्रहण लेने के लिए ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना करती है।

4.6 हरियाणा इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के उद्देश्य हैं- (क) राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना। (ख) एक व्यापक और सुलभ चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करके इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सस्ता और आसान बनाना। (ग) हरियाणा को इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.), ई.वी. के प्रमुख घटकों और ईवी के लिए बैटरी के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। (घ) राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना। (ड़) विद्युत गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

4.7 (क) नियमों को आसान बनाने के अलावा, हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपना रहा है। राज्य की ई.ओ.डी.बी. रणनीति को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है, अर्थात 'डिजाइन और विकास', 'कार्यान्वयन और उपयोग' और 'सुधार'। हरियाणा की 3 चरण की रणनीति का अंतिम उद्देश्य व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। राज्य सरकार उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय से कार्य कर रही है। राज्य ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के मूल्यांकन में 37 भाग लेने वाले राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के बीच 2022 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में "टाप अचीवर" का दर्जा हासिल किया। भारत सरकार द्वारा 13-10-2022 को जारी की गई लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) रैंकिंग में हरियाणा को "टाप अचीवर" का दर्जा हासिल हुआ।

(ख) राज्य ने जिला सुधार कार्य योजना 2019 (डीआरएपी) से सम्बन्धित 45 सुधारों को लागू किया और केन्द्र सरकार से अतिरिक्त उधार सीमा के 2,146 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत) हासिल किया।

4.8 राज्य द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में से एक 2 फरवरी, 2017 को सिंगल रूफ मैकेनिज्म, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर(एच.ई.पी.सी.) की स्थापना है। इंटरएक्टिव पोर्टल www.investharyana.in द्वारा समर्थित सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम को उद्यम संबंधी क्लीयरेंस/ ऑनलाइन सेवाओं के प्रदान करने हेतु स्थापित की गई है। अब तक, इसने क्रमशः 4.92 लाख से अधिक सेवाएँ (सी.ए.एफ.पिन) को संसाधित किया हैं एवं 3.67 लाख से अधिक सेवाएँ प्रदान की गई हैं । पोर्टल अब 25 विभागों से 150 से अधिक औद्योगिक मंजूरी प्रदान करता है जैसे कि स्थापना के लिए सहमति, भवन योजनाओं की स्वीकृति, बिजली कनेक्शन, संचालन की सहमति, व्यवसाय प्रमाण पत्र आदि अब समयबद्ध तरीके से एच.ई.पी.सी. के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। सभी सेवाएं अधिकतम 15-30 दिनों की समय सीमा के भीतर वितरित की जाती हैं। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत अपने वैधानिक समर्थन के कारण हरियाणा द्वारा विकसित

सिंगल रूफ मैकेनिज्म अद्वितीय है। एच.ई.पी.सी. के निर्माण से अनुमोदन प्रक्रियाओं को चैनलाइज करने में मदद मिली है और निवेशकों के लिए कई स्पर्श बिंदु कम हो गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में औसत निकासी समय 22 दिन से घटकर 12 दिन हो गया है। एच.ई.पी.सी. निवेशकों का मार्गदर्शन करने और प्रक्रिया, समयसीमा और औद्योगिक सेवाओं से संबंधित अन्य समान प्रश्नों के बारे में उनके प्रश्नों को हल करने के लिए हेल्पडेस्क संचालित करता है। टिकट (प्रश्न) बनाए जाते हैं जिन्हें समय (5 दिनों) के भीतर बंद करना आवश्यक है। 99 प्रतिशत से अधिक टिकटों को समय सीमा में क्लियर कर दिया गया। अक्तूबर, 2019 में, एचईपीसी पोर्टल पर उपलब्ध बीआरएपी के तहत विभिन्न सेवाओं में 269 आवेदनों को डीम्ड क्लीयरेंस प्रदान किया गया है। हेल्पडेस्क ने 1,569 शिकायतों में से 1,566 शिकायतों का समाधान किया, जिसके लिए पीएसजीए अनिवार्य समय सीमा के 15 दिनों के मुकाबले औसत समय केवल 2 दिन है।

4.9 इंटरप्राईसज़ प्रमोशन पोलिसी (ईपीपी)-2015 ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद की थी। राज्य निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य बना रहा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित 495 समझौता ज्ञापनों में से 188 को 26,091.00 करोड़ रुपये के निवेश मूल्यांकन और 37,742 व्यक्तियों के रोजगार सृजन (31 मार्च, 2023) के साथ कार्यान्वित किया गया है/ कार्यान्वित किया जा रहा है।

4.10 हाल के दिनों में (मार्च, 2022 के बाद) एच.एस.आई.आई.डी.सी. इंडस्ट्रियल एस्टेट में कई बड़ी टिकट परियोजनाओं को जुटाया/ आबंटित किया गया है, जो न केवल राज्य में निवेश को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा बल्कि एम.एस.एम.ई. और सहायक इकाइयों को भी गति प्रदान करेगा। इन परियोजनाओं में शामिल हैं: (क) मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कार निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आई.एम.टी. खरखौदा में 800 एकड़ भूमि पर परियोजना बनाई है और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1,466 करोड रुपये के निवेश के साथ दोपहिया विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आई.एम.टी. खरखौदा में 100 एकड़ के क्षेत्र में परियोजना बनाई है। (ख) इंडस्ट्रियल एस्टेट (आई.ई.) पानीपत में पॉलिएस्टर चिप्स के निर्माण के लिए यूफ्लेक्स लिमिटेड परियोजना। (ग) 310 करोड़ रुपये के निश्चित पूंजी निवेश के साथ आईएमटी रोहतक में दूध और दूध उत्पादों को पैक करने के लिए स्वच्छ पॉलीफिल्म के निर्माण के लिए एक परियोजना। (घ) मैसर्स फैवेले ट्रांसपोर्ट रेल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आई.एम.टी. रोहतक में रेलवे/ मेट्रो के लिए विभिन्न घटकों के निर्माण के लिए 201 करोड़ रुपये के निश्चित पूंजी निवेश के साथ परियोजना। (ड़) आई.एम.टी. रोहतक में फुटवियर क्लस्टर/ पार्क स्थापित किया जा रहा है। (च) पानीपत में, मैसर्स आदित्य बिरला समूह को अपनी पैंट विनिर्माण सुविधा के लिए औद्योगिक एस्टेट में 70 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। इस परियोजना में 1,140 करोड़ रूपये के निवेश और 550 लोगों के रोजगार का प्रस्ताव है। (छ) गुरूग्राम में, मैसर्स एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को आईएमटी सोहना में 178 एकड़ भूमि आबंटित की गई है । इस परियोजना से हरियाणा राज्य में 7,083 करोड़ रूपये (ग्राउंडेड इन्वेस्टमेंट 1,350 करोड़ रूपये) का निवेश हो रहा है और 7,000 लोगों को रोजगार मिलेगा ।

4.11 गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के परिणामस्वरूप, उद्योग कम पूंजी निवेश के साथ स्थापित हो जाते हैं और बाधाओं के बिना कार्य कर सकते हैं। ये बुनियादी सुविधाएं व्यवसायों और

उद्योगों के विकास में सहायता करती हैं। इस संबंध में, राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। दिल्ली से सटे कुंडली, मानेसर और पलवल में 135 किलोमीटर का के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे विकसित किया गया है।

4.12 हरियाणा सरकार खरखौदा (सोनीपत) के पास लगभग 3,300 एकड़ भूमि की अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोहना में लगभग 1,400 एकड़ की औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आई.एम.टी.) के विकास पर काम कर रही है। ये टाउनशिप गुरुग्राम-सोहना-अलवर राजमार्ग को जोड़ने वाले के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के आसपास होंगी, इस प्रकार विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ औद्योगिक गलियारे के विकास में मदद मिलेगी।

4.13 पंचग्राम क्षेत्र की अवधारणा के तहत लगभग 50,000 हेक्टेयर से प्रत्येक 5 नए शहरों/ टाउनशिप को स्मार्ट मॉडल औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने की संकल्पना की जा रही है। यह तेजी से औद्योगिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पंचग्राम क्षेत्र की अवधारणा को 25-09-2018 को आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था और उपरोक्त अवधारणा को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। हालांकि, कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद, दो शहरों, गुरुग्राम से सटे शहर सी और फरीदाबाद से सटे शहर ई को मास्टर प्लानिंग के लिए लिया गया था। कंसल्टेंसी फर्म ए.ई.सी.ओ.एम. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम से सटे सिटी सी के लिए मास्टरप्लान 2040 की तैयारी के लिए उपक्रम के रूप में नियुक्त किया गया था और कंसल्टेंसी फर्म एस.सी.पी. कंसल्टेंट्स (सिंगापुर), फरीदाबाद से सटे सिटी ई के लिए मास्टरप्लान 2040 की तैयारी के लिए उपक्रम के रूप में नियुक्त किया गया था।

4.14 राज्य सरकार दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना (डी.एम.आई.सी.) के सहयोग से 886 एकड़ से अधिक क्षेत्र में नारनौल, महेंद्रगढ़ में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब (आई.एम.एल.एच.) विकसित कर रही है, जिसकी प्रस्तावित परियोजना लागत 700 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। स्रोत से परियोजना सीमा तक रेल, सड़क, बिजली और पानी की बाहरी कनेक्टिविटी से संबंधित कार्य चल रहा है। 30-11-2023 तक 1,03,643.74 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 327 बड़ी औद्योगिक इकाईयां हैं जो 2.92 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं।

4.15 इसके अलावा, हरियाणा सरकार व्यवसाय के संचालन से जुडे जोखिमों का आंकलन करने और इन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट सर्वेक्षण कर रही है जहां लागत कम की जा सकती है। हरियाणा 13 सेवाओं के लिए नियामन लागत का आंकलन करने पर केन्द्रीय पहल के अनुरूप काम कर रहा है जो आमतौर पर व्यवसाय को स्थापित करने और चालू करने के लिए आवश्यक है। सर्वेक्षण के लिए 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए 13 सेवाओं के 40,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं का डेटा, मूल्यांकन के लिए एकत्र किया गया तथा जिसे नियामक लागत मूल्यांकन के लिए डी.पी.आई.आई भारत सरकार के साथ भी सांझा किया गया है।

4.16 प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बंदरगाहों से राज्य की दूरी के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। 1967-68 के दौरान 4.50 करोड़ रुपये के निर्यात के साथ शुरू होकर, राज्य में आज वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 2,45,453.19 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है।

इकाइयों को प्रोत्साहन

4.17 उद्यम संवर्धन नीति-2015/हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 के अनुसार बड़ी और मेगा इकाइयों और भंडारण इकाइयों को दिए गए प्रोत्साहनों में वैट/ एस.जी.एस.टी. पर निवेश सब्सिडी, विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना आदि शामिल हैं। पिछले 6 वर्षों के दौरान मेगा, बृहत और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए प्रोत्साहनों पर व्यय का ब्यौरा तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1- मैगा वृहत तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए प्रोत्साहन का व्यय

(करोड़ रूपये मे)

वर्ष	बजट आवंटन	संशोधित बजट	व्यय
2018-19	100.00	69.42	69.42
2019-20	100.00	100.00	99.99
2020-21	100.00	100.00	75.78
2021-22	100.00	50.00	29.98
2022-23 (मेगा और बड़ा युनिट)	100.00	128.80	89.75
2023-24 (मेगा और बड़ा युनिट) (06.12.2023 तक)	350.00	350.00	94.01

स्त्रोतः उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, हरियाणा।

4.18 अन्य प्रमुख पहल

- **पी.एम. गति शक्ति- हरियाणा सरकार ने राज्य में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए पी.एम. गति शक्ति को अपनाया है। हरियाणा ने परियोजना योजना के लिए आवश्यक अनिवार्य 30 डेटा परतों (तटीय विनियमन क्षेत्र परत हरियाणा के लिए लागू नहीं है) में से 29 अपलोड किए हैं। हरियाणा अनिवार्य परतों के अलावा, राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर अतिरिक्त डेटा परतों को अपडेट कर रहा है। पोर्टल पर 141 डेटा परतें अपलोड की गई हैं। राज्य ने पूंजी निवेश वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना के तहत वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को 06 परियोजनाएं प्रस्तुत की, जिनमें से लगभग 55 करोड़ रूपये की 03 परियोजनाओं को डी.पी.आई.आई.टी., भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इन सभी परियोजनाओं की योजना गति शक्ति पोर्टल पर बनाई जा रही है।**
- **बी.आई.एस.ए.जी.-एन के सहयोग से, राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और महिला और बाल विकास विभाग सहित हरियाणा के विभिन्न विभागों के लिए पी.एम. गति शक्ति पोर्टल पर पांच मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए हैं। विभाग डेटा संग्रह और मानचित्रण बुनियादी ढांचे में इन अनुप्रयोगों का उपयोग कर रहे हैं।**
- **पी.एम. गति शक्ति दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा शीघ्र और प्रभावी 5 जी रोल आउट के लिए राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे के मानचित्रण में मदद कर रही है।**

हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड

4.19 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 19-02-1969 की धारा-3(1) के तहत पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1955 के

अधीन हुई। बोर्ड सामान्य रूप से खादी व ग्रामोद्योग आयोग के कार्यो को क्रियान्वयन करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने में महत्चपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड के उद्देश्यों में दक्षता में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व तकनीक का हस्तांतरण, व्यक्तियों में आत्म निर्भरता लाने के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण और एक सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय का निर्माण करना सम्मिलित है। अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है-

- पात्र ऋणियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करवाना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में सेवारत व इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में विकास।
- खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देना।

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

4.20 (क) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से एक मुश्त मार्जिन मनी असिस्टैंस (सब्सिडी) कार्यक्रम के साथ खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। इस योजना के तहत उत्पादन क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रूपये के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत की मार्जिन मनी (सब्सिडी) की दर ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत की दर प्रदान की जाती है और साथ ही अनुसूचित जाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ महिला/ शारीरिक रूप से अपंग/ भूतपूर्व सैनिक अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी इत्यादि का सम्बन्ध है, इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2022-23 में कुल लक्ष्यों 2,349.21 लाख रूपये में से 2,631.22 लाख रूपये (112 प्रतिशत) लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर ली गई और वर्ष 2023-24 में कुल लक्ष्यों 2,005.49 लाख रूपये में से दिनांक 31-10-2023 तक 1,445.37 लाख रूपये (72 प्रतिशत) लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर ली गई है।

(ख) कोयला वितरण नीति- हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड को राज्य की नामित संस्था के रूप में नामांकित किया गया है तथा यह हरियाणा राज्य में स्थित सूक्ष्म, लघु, मध्यम और अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोयले की मांग प्राप्त कर कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता को कोयले के कोटा के आबंटन के लिए आवेदन करता है। इसके पश्चात् हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता निष्पादित किया जाता है। अतः कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी द्वारा जारी किया गया कोयला, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और अन्य क्षेत्रों के तहत अन्तिम उपयोगकर्ताओं को वितरीत किया जाता है। एम.एस.एम.ई. को पिछले 4 वर्षों में कोयले के आबंटन एवं वितरण का विवरण तालिका 4.2 (क) में दिया गया है।

तालिका 4.2 (क) एम.एस.एम.ई. को कोयला के आबंटन एवं वितरण का विवरण

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	आबंटन की मात्रा	सी0आई0एल0 द्वारा जारी की गई मात्रा	वितरित की गई मात्रा
2019-20	48700	7,455	7,455
2020-21	28700	3,877	3,877
2021-22	10000	3,991	3,991
2022-23	10000	3,852	3,852
कुल		**19,175**	**19,175**

स्त्रोतः हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड ।

हर खादी आउटलेट

4.21 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दो शहरों (पंचकूला और फरीदाबाद) में हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड तथा खादी व ग्रामोद्योग आयोग की वित्तपोषित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक-एक बिक्री केन्द्र खोले जा चुके हैं। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में बिक्री केन्द्र खोलने बारे कार्यवाही की जा रही है। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड कन्वर्जेंस योजना के तहत हैफेड के आउटलेट के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की है। बोर्ड ने हर हित योजना के तहत हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटिड के आउटलेट के माध्यम से भी उत्पाद बेचने की व्यवस्था की है। पिछले 2 वर्षों में हर खादी उत्पादों की कुल बिक्री का विवरण तालिका 4.2 (ख) में दिया गया है।

तालिका 4.2-(ख) हर खादी उत्पादों की कुल बिक्री (रूपये लाख में)

वर्ष	हर खादी फ्रैन्चाईज आउटलेट	हर खादी आउटलेट पंचकूला	हर खादी आउटलेट फरीदाबाद	कुल बिक्री
2022-23	16.26	20.90	1.59	38.71
2023-24 (31-10-2023 तक)	0.00	5.88	0.42	6.30

स्त्रोतः हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

4.22 खान एवं भू-विज्ञान विभाग राज्य में सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा के व्यवस्थित अन्वेषण व दोहन कार्य के लिये उत्तरदायी है। हरियाणा राज्य को किसी भी प्रमुख खनिजों के महत्वपूर्ण भण्डार के लिए नहीं जाना जाता है तथा इसके खनन कार्य मुख्यतः लघु खनिजों जैसे कि पत्थर, रेत, बजरी आदि जो निर्माण कार्य में प्रयोग होती है, तक ही सीमित है।

4.23 विभाग का भूवैज्ञानिक विंग कई तरह के कार्य की देख रेख कर रहा है जैसेः-(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समन्वय से नए खनिज युक्त क्षेत्रों की जांच करने के लिए खनिज अन्वेषण कार्य (ख) राज्य में लघु खनिजों की खाली खदानों का जमीनी सत्यापन (ग) खान क्षेत्र में उचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए परिचालन खानों का आवधिक निरीक्षण (घ) किसी भी आवश्यकता के मामले में सीमांकन कार्य।

4.24 सम्बन्धित विधि व नियम

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957-यह एक केन्द्रीय अधिनियम है जो कि देश में खनन के सतत विकास एवम् खनिज रियायत के लिये प्रावधान प्रदान करता है।
- खनिज रियायत नियम, 1960-केन्द्र सरकार द्वारा बड़े खनिजों के खनन के लिए रियायत दिये जाने के लिये बनाया गया है।
- हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 दिनांक 20-06-2012 को अधिसूचित किया गया। केन्द्रीय अधिनियम, 1957 की धारा 15 और 23सी के तहत राज्य के नियम बनाये गये हैं।
- हरियाणा खनिज (अधिकारों का निहितार्थ) अधिनियम, 1973
- हरियाणा क्रशर विनियमन और नियन्त्रण अधिनियम, 1991 (आमतौर पर स्टोन क्रशर अधिनियम, 1991 के रूप में जाना जाता है) और इस अधिनियम के तहत राज्य में स्टोन क्रशर के संचालन को करने के लिये हरियाणा क्रशर विनियमन और नियंत्रण नियम, 1992 बनाया गया।
- हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017

उल्लेखनीय उपलब्धियां

4.25 राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2014-15 में छोटे खनन ब्लाक के क्षेत्रों को खनिज रियायत के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया गया, ताकि छोटे उद्यमि भी खनन व्यवसाय में प्रवेश कर सके जो किसी भी प्रकार के कार्टेल गठन या एकाधिकार को रोकता है, इस दौरान पालन किया जा रहा है। इसी नीति का अनुसरण वित्त वर्ष 2022-23 में भी किया जा रहा है। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 92 खादानें आबंटित की गई और शेष 29 खादानें खाली पड़ी है। कुल 92 लघु खनिज खदानों में से 43 के खनिज अनुदान प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किया गया हैं। गांव खानक, जिला भिवानी की एक पत्थर की खान एच.एस.आई.आई.डी.सी., हरियाणा सरकार के एक उपक्रम, को राज्य नियमों, 2012 में छूट देते हुए प्रदान की गई है। 4 खनिज खादानें महेन्द्रगढ़ जिले को पट्टे पर आबंटित की गई है और इतनी ही खदानों की सत्यता की प्रक्रिया के बाद समय-समय पर नीलामी की जा रही है। राज्य में खानों का जिलावार विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3- राज्य में खानों का जिलावार विवरण

संख्या	जिला	आबंटित खानों की कुल संख्या	वर्तमान में खाली/ खाली आबंटित खानों की संख्या	खानों की संख्या जिनमें खनन कार्य जारी है।
1.	पंचकुला	17	01	08(1 निलम्बित)
2.	अंबाला	05	01	00
3.	यमुनानगर	22	08	12 (2 निलम्बित)
4.	कुरूक्षेत्र	00	01	00
5.	करनाल	08	00	02
6.	पानीपत	00	03	00
7.	सोनीपत	06	03	02
8.	फरीदाबाद	04	00	00

9.	पलवल	06	01	00
10.	भिवानी	03	00	02
11.	चरखी दादरी	12	02	09 (1 निलम्बित)
12.	हिसार	00	01	00
13.	रेवाड़ी	00	01	00
14.	महेन्द्रगढ़	09	07	08
कुल		92	29	43(संचालन)+04(निलम्बित)

स्रोतः खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा।

4.26 अवैध खनन

- राज्य में किसी भी खनिज का संगठित अवैध खनन नहीं है, हालांकि खनिज चोरी की छुटपुट घटनायें सामने आती है, जिन्हें कानून अनुसार सख्ती से निपटा जाता है। अवैध खनन मामलों की जांच के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में अवैध खनन रोकने/ जांच तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना हेतु संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य हैं।
- इन कार्यबलों को जिलों में अवैध खनन की किसी भी घटना के छुटपुट मामलों पर नियमित निगरानी रखने और उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा इन टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा की जाती है।

4.27 खनिजों का अवैध परिवहन

- इस तरह की घटनायें जिनमें साथ लगते अन्य प्रदेशों से बिना वैध बिल/ भार पर्ची खनिजों के परिवहन के मामले भी शामिल है, को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाकर निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अवैध खनन में संलिप्त पाये जाते हैं, उनके विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है और आस-पास के राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना ए.पी.आई. सांझा करे ताकि उनके द्वारा जारी किए गए ई-रवाना भी निरीक्षण दल द्वारा पुनः सत्यापित किया जा सके।
- खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कड़ी निगरानी के अतिरक्त अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जैसे वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन एवं पुलिस भी अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठा रहे है। दिनांक 28-08-2019 से 31-12-2023 के दौरान अवैध खनन/ खनिजों के अवैध परिवहन में जब्त गाड़ियों का विवरण तालिका 4.3 (क) में दिया गया है।

तालिका 4.3 (क)-राज्य में जब्त किये गये वाहनों के मामलों की जिलेवार संख्या

क्रमांक	जिलों के नाम	पकड़े गए वाहनों की संख्या (28-08-2019 से 31-12-2023 तक)
1	पानीपत एवं करनाल	572
2	फरीदाबाद एवं पलवल	1178
3	सोनीपत	822
4	यमुनानगर	1976
5	गुरूग्राम एवं नूह	1467
6	महेन्द्रगढ़	1214
7	अम्बाला	781
8	हिसार एवं फतेहाबाद	98
9	सिरसा	129
10	रोहतक एवं झज्जर	345
11	पंचकुला	806
12	चरखी दादरी	420
13	कुरूक्षेत्र एवं कैथल	332
14	रेवाड़ी	292
15	भिवानी	298
16	जीन्द	132
कुल		10,862

स्त्रोतः खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा।

- **राज्य में कानूनी स्त्रोतों से खनन के वैध प्रमाण के बिना पाए गए अवैध खनन/ खनिजों/ वाहनों की चोरी की स्थिति के मामले तालिका 4.4 में दिए गए हैः**

तालिका 4.4-अवैध खनन के मामले और वसूल किया गया जुर्माना

वर्ष	मामलों की संख्या	जुर्माना वसूल किया गया (लाख रूपये में)
2016-17	1963	435.34
2017-18	1748	480.73
2018-19	2009	484.08
2019-20	2020	20171.58
2020-21	3515	8277.69
2021-22	2192	2940.01
2022-23	1187	1036.81
2023-24 (31-12-2023 तक)	798	1260.23

स्त्रोतः खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा।

- **हरियाणा राज्य अवैध खनन को शून्य स्तर पर लाने के लिए प्रयासरत है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदेश के किसी भी भाग में कोई अवैध खनन ना हो, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह कहना तथात्मक रूप से गलत है कि राज्य में कोई भी खनन माफिया फल फूल रहा है।**

- पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ई.आई.ए. की पर्यावरण आंकलन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 14-09-2006 के अनुसार पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड से संचालन की सहमति लेने उपरांत ही खनन कार्यों की अनुमति दी जा रही हैं।

पत्थर की मांग व आपूर्ति

4.28 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित लम्बे मुकद्मेबाजी की वजह से जिला फरीदाबाद, गुरूग्राम एवं नूंह की अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन कार्य बंद पड़ा है। यद्यपि जिला महेन्द्रगढ़, चरखीदादरी एवं भिवानी में पत्थर का खनन कार्य जारी है, परन्तु निर्माण सामग्री खासकर पत्थर की कमी के मध्यनजर मांग साथ लगते राज्यों से पूरी की जा रही है। राज्य की पत्थर खादानें निजी एवं सार्वजनिक मांग का लगभग 60 से 65 प्रतिशत जरूरत ही पूरी कर पाती है। राज्य इस बात के सतत प्रयत्न कर रहा है कि और खनन क्षेत्रों में खनन कार्य शुरू हो सके, ताकि निर्माण सामग्री की जरूरत राज्य की खदानों से ही पूरी हो सके।

राजस्व संग्रह

4.29 वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान खनिजों से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है। राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5- वर्षवार खनिज से राजस्व प्राप्तियां

संख्या	वर्ष	खनिज से राजस्व प्राप्ति (करोड़ रूपये में)
1	2010-11	78.38
2	2015-16	271.61
3	2016-17	496.95
4	2017-18	712.87
5	2018-19	583.20
6	2019-20	702.25
7	2020-21	1020.95
8	2021-22	837.77
9	2022-23	836.72
10	2023-24 (29-01-2024 तक)	642.25

स्त्रोतः खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा।

विभाग की गतिविधियाँ

4.30 पहले विभाग लघु खनिज के रियायत खुली नीलामी द्वारा प्रदान करता था। परन्तु अब विभाग ने ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जोकि अधिक पारदर्शी है। इस उद्देश्य के लिए खनन स्थल की ई-नीलामी के लिए बैंकिंग भागीदार पहले ही चुना जा चुका है। खनन स्थल की ई-नीलामी के लिए पोर्टल पहले ही बनाया जा चुका है।

नई पहल

4.31 विभाग को जिला महेद्रगढ़ के बखरीजा भूखंड संख्या 4 पत्थर खादान का ड्रोन सर्वे नक्शा प्राप्त हुआ, उसी समय विभाग ने टोटल स्टेशन का उपयोग कर उसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पत्थर खादान का सरफेस प्लान व सैक्शन बनाया। जब दोनों रिपोर्टस (ड्रोन मैप के साथ-साथ टोटल सर्वे स्टेशन मैप) की तुलना की गई तो पाया गया कि ड्रोन मैप सर्वे में त्रुटि थी, इसलिए अन्य

खनन क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे नहीं किया गया। विभाग ने खनन क्षेत्रों के सीमाकंन और भूसंदर्भित मानचित्रण के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एच.ए.आर.एस.ए.सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। कमांड एंड कान्टैक्ट सैंटर का एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है जिसमें एच.ए.आर.एस.ए.सी., एन.आई.सी., आई.टी. और विभाग के व्यक्ति संबंधित खनन स्थलों में ठेकेदारों की खनन गतिविधियों की निगरानी करेगें।

जिला खनिज प्रतिष्ठान

4.32 केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया। इन संशोधनों के अंतर्गत धारा 9(बी) जोड़ी गई, जिसके अनुसार खनन एवं इससे संबंधित कार्यो की वजह से प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के हित के लिए कार्य करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना करना था। तदानुसार हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम बनाऐ गए तथा इन्हें 19-12-2017 को अधिसूचित किया गया। राज्य नियम, 2012 के मौजूदा प्रावधानानुसार कार्यरत खदानों द्वारा 7.5 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि खान एवं खनिज पुर्नस्थापन और पुर्नवास फण्ड में जमा करवानी होती है, राज्य सरकार भी डैड रैंट, रायल्टी और कान्टैक्ट मनी के कारण सरकार द्वारा अपनी कमाई का 2.5 प्रतिशत हिस्सा इस फण्ड में प्रदान करती है। उक्त फंड का उपयोग मुख्य रूप से खनन एवं अन्य खनन सम्बधी कार्यो से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं लाभ के कार्य हेतु किया जाना है। खनन प्रभावित क्षेत्रों/ जिलों में सम्बधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में डी.एम.एफ के सहयोग से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना क्रियान्वित की जाती है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैः

- खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण सम्बन्धी परियोजनाओं/ कार्यक्रम लागू करना जो केन्द्र सरकार की वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं/ परियोजनाओं की पूरक होगी।
- खनन के दौरान तथा इसके पश्चात् खनन जिलों के लोगों पर पड़ने वाले पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक असर को कम करना; तथा
- खनन क्षेत्रों में खनन प्रभावित लोगों के दीर्घकालीन आजीविका सुनिश्चित करना।

ई-शासन

4.33 विभाग अपनी निम्नलिखित सेवाएं एच.ई.पी.सी. पोर्टल के माध्यम से प्रदान कर रहा है। हारट्रोन को निम्नलिखित सेवाओं के लिए विभागीय पोर्टल/ आवेदन तैयार करने के लिए लगाया गया हैः-

- खनिज भण्डारण का लाईसैंस का अनुदान/ नवीनीकरण
- स्टोन क्रैशर का लाईसैंस का अनुदान/ नवीनीकरण
- ईंट मिट्टी की खुदाई का परमिट का अनुदान/ नवीनीकरण
- साधारण मिट्टी की खुदाई के लिए परमिट
- खनिज के निपटान के लिए अनुमति प्रदान करना।

4.34 (क) विभाग की सभी सेवाएं व्यापारिक हैं। जिस किसी आवेदक को इन सेवाओं की जरूरत है उसे सम्बन्धित सेवा के लिए फार्म सभी दस्तावेजों सहित भरना होता है। सभी आवेदन आनलाईन स्वीकार किए जाते हैं तथा उनका डिस्पोजल भी आनलाईन किया जाता है। जिसमें उनकी मारकिंग, दस्तावेजों की वेरिफिकेशन, नोटिंग, ड्राफटिंग, ऐतराज, रिमार्क व उनका स्वीकृति या मनाही शामिल

है। प्रत्येक चीज आनलाईन है तथा बिना किसी कागज के प्रयोग के निपटाई जाती है। यह पोर्टल कर्मचारियों द्वारा दी गई, टिप्पणी समय व फाईल का इतिहास दर्ज रखता है।

(ख) इससे खनिज रियायत क्षेत्रों से बाहर जाने वाले उन सभी वाहनों का विनियमन हो सकेगा जो खनिज परिवहन में संलिप्त है तथा खनिज उत्पादकता का सही आंकलन भी हो सकेगा। इससे इस बात की भी संभावनाएं बढ जाएंगी कि खनन कार्य वैज्ञानिक तौर पर तथा पर्यावरण के अनुकूल हो और विभिन्न खानों बारे महत्वपूर्ण जानकारियां ई-मोड्यूल पर उपलब्ध होंगी। ई-शासन का प्रस्ताव हितधारकों की भूमिका, जिम्मेवारी एवं साधनों को साफ तौर पर परिभाषित करेगा। विभाग ने ई-शासन सिस्टम तैयार करने के लिए हरियाणा नालिज कारर्पोशन लिमिटड के साथ अनुबंध किया हुआ है। ई-रवाना सिस्टम राज्य के सभी जिलों में दिनांक 01-01-2020 से शुरू कर दिया गया है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 13-09-2023 को "हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली (एच.एम.जी.आई.एस.) पोर्टल" नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल विशेष श्रेणियों अर्थात क्रशर से क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट से स्क्रीनिंग प्लांट आदि द्वारा खनिज खरीद और बिक्री की अनुमति नहीं देता है, जो अवास्तविक बिक्री/ खरीद की कुरीति को रोकता है। वेटब्रिज का वास्तविक समय स्थान और वेटब्रिज द्वारा मापा गया वजन पोर्टल के साथ मैप किया जाता है, जो अवैध खनन और खनिज परिवहन को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा खनिज से भरे वाहन का वजन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से लिया जा रहा है जो यूनिट धारकों द्वारा की जाने वाले किसी भी त्रुटि की अनुमति नहीं देगा। पुराने ई-रवाना प्रणाली को बदल कर उक्त पोर्टल को दिनांक 25-12-2023 के पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।

निर्माण सामग्री के मूल्य

4.35 वर्तमान सरकार के संघटन/ गठन के बाद पूरे राज्य में खनन फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए ताकि आम जनता को उचित दरों पर निर्माण सामग्री मिल सके। खनन फिर से शुरू होने पर अच्छी गुणवत्ता की रोडी/ बजरी/ डस्ट जिला यमुनानगर में लगभग 14-16 प्रति घन फीट उपलब्ध है। जबकि जिला पानीपत/ करनाल में रेत अनुमानतः रूपये 9-10 प्रति घन फीट उपलब्ध है।

4.36 विभाग की मुख्य नीति खनिज अनुदान पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्रदान करना तथा प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग लोकहित के सतत विकास हेतु पर्यावरण रक्षित तरीके से करना है। राज्य की खनन क्षेत्र में प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से हैः-

- यह सुनिश्चित करना है कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से सतत विकास के सिद्धांतो, अन्तपीढीय व पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाए;
- यह सुनिश्चित करना कि निमार्ण सामग्री विकास कार्यो के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध हो;
- राज्य के लिए राजस्व का स्रोत; तथा
- स्टोन क्रैशर, स्क्रीनिंग प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांटों इत्यादि जैसे संबंधित उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

ऊर्जा (विद्युत)

4.37 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा, इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए, सस्ती कीमत की बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक

है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में हाईड्रो उत्पादन क्षमता बहुत कम है। यहां तक कि कोयले की खानें भी राज्य से बहुत दूर स्थित है। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित है। विद्युत उत्पादन का लाभ उठाने के लिए राज्य में वायु वेग भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि, सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन भूमि क्षेत्र सीमा बड़े पैमान पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए, राज्य संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं से हाईड्रो पावर तथा राज्य के अन्दर स्थापित सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता पर निर्भर कर रहा है।

4.38 दिनांक 15-09-2023 को राज्य की कुल उपलब्ध स्थापित क्षमता 14,026.68 मेगावाट है। इसमें 2,582.40 मेगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 846.14 मेगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं में हिस्से से उपलब्ध है। वर्ष 2022-23 के दौरान इन स्रोतों से बिजली उपलब्धता 5,96,678.02 लाख किलोवाट थी। वर्ष 2022-23 के दौरान 5,26,651.78 लाख किलोवाट बिजली बेची गई। वर्ष-वार स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका 4.6- राज्य में स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)
1967-68	29.00	343.00	6010.00	5010.00
1970-71	29.00	486.00	12460.00	9030.00
1980-81	1074.00	1174.00	41480.00	33910.00
1990-91	1757.00	2229.50	90250.00	66410.00
2000-01	1780.00	3124.50	166017.00	154231.00
2010-11	4106.00	5997.83	296623.00	240125.00
2015-16	3611.37	11053.30	445111.00	322370.61
2020-21	3428.54	12241.41	495874.00	418352.00
2021-22	3428.54	12201.52	529358.75	458223.04
2022-23	3428.54	13442.77	596678.02	526651.78
2023-24 (30-09-2023 तक)	3428.54	14026.68	326416.58	285851.52

* यह राज्य की अपनी परियोजनाओं एवं संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता है परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी.,एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी. एवं आई.पी.पीज. (आई.जी.एस.टी. पी.एस., झज्जर, तथा लघु हाईड्रों एवं सौर परियोजनाएं आदि) से बाहर हैं।

स्रोतः. एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

4.39 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2001-02 में 35,44,380 से बढ़कर 2023-24 (सितम्बर, 2023 तक) में 78,13,955 हो गई है। श्रेणी-वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या तालिका 4.7 में दी गई है।

तालिका 4.7-राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर- घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	कुल
2001-02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005-06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2010-11	3684410	462520	85705	520391	34896	4787922
2015-16	4419364	573848	99195	613973	45790	5752170
2019-20	5391944	683042	111569	643588	27466	6857609
2020-21	5606807	717355	113773	650800	28649	7117384
2021-22	5810407	759112	118751	664882	29684	7382836
2022-23	6023446	803128	122372	683480	32449	7664875
2023-24 (30.9.2023)	6138865	826789	125923	687492	34886	7813955

स्रोतः. एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

4.40 वर्ष 1967-68 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 57 यूनिटों से बढ़कर 2022-23 में 2,272 यूनिट हो गई है। 2023-24 के दौरान सितम्बर, 2023 के अन्त तक डिस्काम में बिजली की खपत 4,52,543.20 लाख यूनिट (एल.यूज.) थी। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बिजली की अधिकतम खपत अर्थात 1,53,570.10 लाख यूनिट तथा घरेलू क्षेत्र में 1,35,539.70 लाख यूनिट थी। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 5,769.94 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। क्षेत्र-वार बिजली की खपत तालिका 4.8 में दी गई है।

तालिका 4.8-राज्य में सैक्टर-वार बिजली की खपत

(लाख यूनिट)

सैक्टर	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (30.09.2023 तक)
औद्योगिक	126728.19	164644.20	289108.30	153570.10
घरेलू	120029.69	1334240.51	239799.40	135539.70
कृषि	100872.46	91075.54	162616.00	79971.74
वाणिज्यिक	40422.09	36330.25	84556.78	50452.46
पब्लिक सर्विस (सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक जल घर)	12909.51	13874.63	24048.54	9935.14
रेलवेज	510.90	598.53	1660.50	517.62
विविध	16878.99	18275.38	34967.77	22556.50
कुल	418352.83	458223.04	836757.30	452543.20

स्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

4.41 वित्त वर्ष 2022-23 एवं वित्त वर्ष 2023-24 (सितम्बर, 2023 तक) के दौरान एच.पी.यू. द्वारा हासिल की गई मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः-

- ए.टी.एण्ड सी. लासिस में कमी-डिस्कामस द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से ए.टी. एण्ड सी. लासिस कम हुए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ए.टी.एण्डसी. लासिस 12.32 प्रतिशत तक कम हुए जो वित्त वर्ष 2015-16 में 30.02 प्रतिशत थी।
- इंटीग्रेटिड रेटिंग-वर्ष 2021-22 के 10वीं इंटीग्रेटिड रेटिंग में हरियाणा डिस्कामस उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ए+ व ए+

रेटिंग प्राप्त की है। सभी राज्य स्वामित्व वाली डिस्काम में हरियाणा राज्य गुजरात के बाद पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा।

- डिस्कामस का टर्नअराउंड- डिस्कामस ने वित्तीय टर्नअराउंड हासिल किया तथा 2017-18 से एक निवल लाभ दर्ज किया है। वर्ष-वार निवल लाभ तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9 राज्य में वर्ष-वार निवल लाभ

वित्त वर्ष	लाभ (रूपए करोड में)
2012-13	-3649.25
2013-14	-3553.66
2014-15	-2116.73
2015-16	-815.62
2016-17	-193.05
2017-18	412-33
2018-19	280.94
2019-20	331.34
2020-21	634.67
2021-22	263.04
2022-23	238.43

स्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

- म्हारा गांव जगमग गांव योजना- इस योजना के तहत जनवरी, 2016 में 105 गांवों में 24X7 बिजली सप्लाई की जो सितम्बर, 2023 में बढकर 5,792 गांवों तक पहुंच गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 (जनवरी, 2024 तक) के दौरान एच.वी.पी.एन.एल. ने 391 करोड़ रूपए की लागत से 8 नए सब स्टेशन चालू किए, 2577 एम.वी.ए. द्वारा वर्तमान सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 47 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए और 216 कि0मी0 प्रसारण लाईनों को बिछाया गया है।
- ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए जोड़ी गई क्षमता योजना (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2028-29 तक) के अनुसार 5,439 करोड़ रुपए (लगभग) की अनुमानित लागत से 46 नए सब स्टेशन बनाने, मौजूदा 169 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने और 3,484 सर्किट कि0मी0 से अधिक प्रसारण लाइनों को बिछाने की योजना बनाई गई है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ट्रांसमिशन यूटिलिटी यानी एच.वी.पी.एन.एल. ने एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित 99.2 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता(टी.एस.ए.) 99.53 प्रतिशत (अक्तूबर, 2023 तक) और 2.02 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लॉसिस (1.936 प्रतिशत (सितम्बर, 2023 तक) के लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
- पीटीपीएस पानीपत की 210 मेगावाट यूनिट-6 ने 05-07-2023 से 09-10-2023 तक लगातार चलने के 95 दिन पूरे कर लिए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में इसके लगातार चलने के सबसे अधिक दिन हैं ।

- डीसीआरटीपीपी यमुनानगर की 300 मेगावाट युनिट-1 ने 23-09-2022 को 168 दिन निरंतर चलकर अपने पिछले सारे लगातार चलने के रिकार्ड तोड़ दिए तथा यह युनिट 08-04-2022 से 16-11-2022 (222 दिन) तक निरंतर चलती रही।
- पीटीपीएस पानीपत की 250 मेगावाट युनिट-8 ने 11-04-2022 से 12-08-2022 तक 122 दिन निरंतर चलकर वर्ष 2013-14 में 94 दिनों तक के चलने का रिकार्ड तोड़ दिया ।
- एचपीजीसीएल ने डीसीआरटीपीपी यमुनानगर में अतिरिक्त 800 मेगावाट कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें पहले से ही प्रत्येक 300 मेगावाट की दो यूनिट हैं। यह यूनिट ईपीसी मोड पर M/s BHEL द्वारा स्थापित की जाएगी। इस युनिट का कमर्शियल आपरेशन और फाइनल टेकिंग ओवर अनुबंध दिए जाने की तिथि से क्रमशः 48 महीने और 57 महीने में होने की संभावना है। इस युनिट से एचपीजीसीएल की उत्पादन क्षमता 2582.4 मेगावाट से बढ़कर 3382.4 मेगावाट हो जाएगी।

मुख्य कदम

4.42 नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए डिस्कामस द्वारा भी मुख्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे

- मीटर रीडिंग एवं स्पॉट बिलिंग में आटोमेशन।
- लगभग 81% राजस्व ऑनलाईन है (सितम्बर-23) ।
- नागरिकों की सेवाओं की ऑनलाईन डिलीवरी।
- अप्रैल 2015 से 31-08-2023 तक 28-31 लाख नए कनैक्शन जारी किए गए हैं।
- 10 लाख स्मार्ट मीटरों को लगाना शुरू किया जिसमें से 7,67,530 मीटर करनाल, पंचकूला, पानीपत, घरौंडा, कालका, पिंजौर, फरीदाबाद था गुरूग्राम में 31-10-2023 तक स्थापित किए गए हैं।
- फीड बैक सैल बनाया गया है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सौर जल तापन प्रणाली

4.43 हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और राष्ट्रीय खाद्यान भंडार में योगदान दे रहा है, इसलिए इसे अपने किसानों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता है । किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को स्वच्छ ऊर्जा से पूरा करने डीजल पंपों को सौर पंपों से बदलने के लिए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजना के घटक बी के तहत राज्य में सिंचाई उद्देश्यों के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी (केन्द्रीय +राज्य) के साथ 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के ऑफ-ग्रिड सौर जल पंप प्रदान करने के लिए एक योजना चला रहा है। 2020-21 से 2022-23 तक 50,230 सोलर पंपल गाए गए । इन 50,230 सौर पंपों के परिणाम स्वरूप् राज्य में लगभग 339 मेगावाट की सौर क्षमता में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप् सालाना लगभग 335.66 मिलियन यूनिट (एम.यू.) बिजली की बचत हुई है और सालाना लगभग 2.68 लाख टन सी0ओ02 के उत्सर्जन में बचत होगी । इसके अलावा, कृषि पंपों के लिए इलेक्ट्रिक (आर.ई.) सब्सिडी में 225 करोड़ रूपये की वार्षिक वित्तीय बचत होगी। 2023-24 के लिए, 70,000 सौर पंपों के लक्ष्य के मुकाबले, 65,223 सौर पंप आबंटित किए गए हैं। जिसमें से 29,774 पंप स्थापित किए जा चुके हैं, और 35,449 सोलर पंप

लगाने का काम प्रगति पर है। हरियाणा इस कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है।

बायोमास पावर प्रोजैक्टस

4.44 हरियाणा सरकार ने बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं के लक्ष्य के साथ हरियाणा जैव-ऊर्जा नीति 2018 को अधिसूचित किया है। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए और राज्य में धान की पराली आधारित बायोमास बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुरूक्षेत्र (15 मेगावाट), कैथल (15 मेगावाट), जीन्द (9.90 मेगावाट) और फतेहाबाद (9.90 मेगावाट) में 49.8 मेगावट क्षमता की 4 धान की पराली आधारित बायोमास बिजली योजनाएं आबटिंत की गई है। इन परियोजनाओं में सालाना ईंधन के रूप में लगभग 5.70 लाख टन धान के भूसे की खपत होगी। कुरूक्षेत्र और कैथल में परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, जबकि जीन्द में परियोजना सितंबर, 2024 तक चालू होने की संभावना है।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग

4.45 विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने और राज्य में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से 'ग्रामीण क्षेत्र के लिए एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग' योजना लागू कर रहा है। इस योजना के लिए प्रस्ताव इच्छुक ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों, पात्र गैर-व्यावसायिक संस्थानों/ संगठनों आदि से संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य परियोजना अधिकारी के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के तहत स्टैंड अलोन एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, प्रत्येक सिस्टम में 75 वाट का सोलर पैनल, 12.8 वोल्ट 30 ए.एच. की लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी, 12 वॉट एल.ई.डी. ल्यूमिनेयर, 5 मीटर ऊंचाई पोल ऊंचाई पर और हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम, प्रत्येक सिस्टम में कुल क्षमता 440 वॉट के सोलर पैनल, 12.8 वोल्ट 200 ए.एच. लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी और 4X22 वाट एल.ई.डी. ल्यूमिनेयर, 7 मीटर ऊंचाई के पोल पर अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। राज्य सब्सिडी 4,000 रूपये प्रति सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और 20,000 रुपये प्रति सोलर हाई मास्ट लाइट प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान 7,347 सोलर स्ट्रीट लाइट और 241 सोलर हाई मास्ट लाइट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिसके सापेक्ष 31-01-2024 तक 4,598 सोलर स्ट्रीट लाइट और 131 सोलर हाई मास्ट लाइटें स्थापित की जा चुकी हैं।

सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

4.46 (क) 1 किलोवाट से 500 किलोवाट (बैटरी के साथ/बिना) के सौर ऊर्जा संयंत्र कैपेक्स मोड में स्थापित किए जाते हैं और संबंधित विभाग लागत वहन करता है। सौर संयंत्रों की खरीद डीएस एंड डी द्वारा आयोजित दर अनुबंध के माध्यम से की जाती है। अब तक 196 मेगा वाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। 2023-24 के दौरान कुल 10.4 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। सब्सिडी पैटर्न:

सरकारी भवन (1-500 किलोवाट): कोई सब्सिडी नहीं

सामाजिक क्षेत्र के संस्थान (1-50 किलोवाट): 50% सब्सिडी (नई योजना)

एससी-बीसी धर्मशालाएं (1-5 किलोवाट): 75% सब्सिडी (नई योजना)

रेस्को मोड में, >50 किलोवाट और 500 किलोवाट तक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं।यह संयंत्र एक रेस्को फर्म द्वारा अपनी लागत पर स्थापित किया गया है और यह डी.एस.

एण्ड डी. द्वारा की गई निविदा के माध्यम से खोजे गए टैरिफ पर बिजली की आपूर्ति करता है। 2023-24 के दौरान, कुल 30 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

4.46 (ख) हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी गौशालाओं में उनकी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 80% राज्य अनुदान (बैटरी बैंक के बिना बिजली संयंत्र के लिए) और 85% अनुदान (बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए) के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। शेष राशि गौसेवा आयोग द्वारा वहन की जाएगी। अब तक 330 गौशालाओं में 2.00 मेगा वाटकी कुल क्षमता वाले 331 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 150 गौशालाओं में लगभग 900 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

4.47 हरियाणा सरकार ऊर्जा परिवर्तन के उपाय के रूप में ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ावा दे रही है। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परिवहन, उद्योग, भवन और कृषि को ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संक्रमण की क्षमता वाले प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। इन क्षेत्रों में राज्य के कार्बन पद्चिन्ह को कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

वास्तुकला

4.48 वास्तुकला विभाग, हरियाणा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अत्यधिक अल्पव्ययी, कलात्मक और आकर्षक शैली के सरकारी भवनों के वास्तुकला डिजाईन पर कार्य करने की हरियाणा सरकार की एक नोडल शाखा है। यह विभाग एक सेवा विभाग होने के कारण राज्य की महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढ़ाचे की योजना व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुकला संबंधी सेवाएं प्रदान करता है एवं संबधित विभाग से प्रतिपुष्टी प्राप्त करके सभी परियोजनाओं में नवीन डिजाईन समाधानों को विकसित करने का प्रयास करता है। भवनों के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल डिजाईन बनाने में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित हरियाणा भवन संहिता-2017 और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को अपनाया जा रहा है।

4.49 विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे कि नव प्रशासकीय खण्ड, न्यायिक परिसर, नागरिक अस्पताल जिसमें सी.एच.सी., पी.एच.सी. तथा एस.एस.सी. भी शामिल है, बस अड्डे, नव लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, राजकीय बहुतकनीकी, राजकीय महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अभियांत्रिक महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय खेल स्टेडियम, कार्यालय परिसर, स्मारक भवन जिसमें विभिन्न तीर्थ स्थल भी शामिल है, पर कार्य किया है। विभाग विभिन्न अन्य विभागों और निगमों के आउटसोर्सिंग/ तकनीकी विशेषज्ञ/ सलाहकारों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए विशाल विकास कार्यों में उनकी तकनीकी मत/ इनपुट के उद्देश्य के लिए गठित विभिन्न समितियों में भाग लेकर सहायता करता है।

सड़कें

4.50 किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार को और अधिक प्रभावी बनाने हेतू प्रमुख साधन है। भविष्य में सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार

सड़क नेटवर्क में सुधार/ दर्जा बढ़ाना, बाईपासों का निर्माण, पुलों/ सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण तथा सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने पर जोर दिया गया है। तालिका 4.10 राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अन्तर्गत सड़कों का नेटवर्क दिया गया है।

तालिका 4.10- राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अन्तर्गत सड़कों का नेटवर्क

क्रम सं.	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि.मी. में (31-03-2023 तक)	लम्बाई कि.मी. में (31-10-2023 तक)
1	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.- 330 एन.एच.ए.आई.- 2886	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.- 330 एन.एच.ए.आई. - 3061
2	राज्य उच्च मार्ग	1676	1659
3	मुख्य जिला सड़कें	1375	1375
4	अन्य जिला सड़कें	24996	24997
	कुल	31263	31422

स्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

4.51 वर्ष 2023-24 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुनर्निर्माण, ऊंचा उठाने, सीमेंट कंक्रीट पेवमैंट/ ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/ रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। अक्तूबर, 2023 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण तालिका 4.11 में दिया गया है।

तालिका 4.11- सड़क सुधार कार्यक्रमों के तहत प्रगति

(क) वित्तीय प्रगति (रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बजट आबंटन 2023-24	खर्चा (अक्तूबर, 2023 तक)
1	प्लान-5054 (सड़कें और पुल) नाबार्ड ऋण और पी.एम.जी.एस.वाई. सहित	2555.00	1714.75
2	नान प्लान-3054	965.31	453.39
3	केन्द्रीय सड़क कोष	150.00	58.30
4	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	300.00	168.68
5	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	0.00	0.00
6	डिपोजिट कार्य (सड़कें तथा पुलों के कार्य)	190.00	31.25
	कुल	4160.31	2426.37

(ख) भौतिक प्रगति

क्र.सं.	मद	लम्बाई कि.मी. में (अक्तूबर, 2023 तक)
1.	नई सड़कों का निर्माण	209
2.	प्रिमिक्स कारपेट (राज्य सड़कें)	1180
3.	चैड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	640
4.	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/ पेवमैंट	179
5.	पुर्ननिर्माण तथा ऊंचा उठाना	57
6.	(क) चैड़ा } राष्ट्रीय उच्च मार्ग (ख) मजबूत	0.00 86.09

स्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

मुख्य पहल

4.52 वर्ष 2023-24 के दौरान अनेक सड़कों/ पुलों के कार्य स्वीकृत किये गए हैं। कार्य की स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा तालिका 4.12 में दिया गया है। भवनों की मरम्मत, अनुरक्षण तथा मूल कार्यों हेतू आंबटन का विवरण तालिका 4.13 में दिया गया है। विभाग द्वारा यात्रियों की देरी को कम करने तथा उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिये रेल ऊपरगामी पुल/ भूमिगत पुल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। रेल ऊपरगामी पुल/ भूमिगत पुलों की प्रगति का ब्यौरा तालिका 4.14 में दिया गया है।

तालिका 4.12- वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत हुए सड़क/ पुल कार्य

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	कार्यो की संख्या	राशि (अक्टूबर, 2023 तक)
1.	प्लान-5054	86	155.32
2.	नान-प्लान-3054	188	536.95
3.	नाबार्ड - सड़कें - पुल	07 00	122.57 0.00
4.	केन्द्रीय सड़क कोष	11	724.46
5.	प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना/ भारत निर्माण-सड़कें	00	0.00
6.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	02	182.73
	उपरगामी पुल/ भूमिगत पुल (प्लान-5054)	10	50.83
7.	पुल- प्लान-5054 नान-प्लान-3054	23 03	183.74 3.81
	कुल	330	1960.41

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.13- भवनों के मरम्मत तथा मूल कार्यों के लिए आबंटन

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	बजट आबंटन 2023-24	खर्चा 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक)
1.	राजस्व भवन	179.98	112.16
2.	पूंजीगत भवन	230.98	81.99
3.	डिपोजिट भवन	1118.00	179.58
	कुल	1528.96	373.73

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.14- पूर्ण और पूर्ण होने वाले रेल ऊपरगामी पुलों/ भूमिगत पुलों की प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक)
1.	ऊपरगामी/ भूमिगत पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 5= (3 एच.एस.आर.डी.सी.+2 एन.एच.) 37=(18 एच.एस.आर.डी.सी.+ 15 पी.डब्ल्यू.डी. राज्य योजना+ 3 एन.एच.)
2.	पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 1= (1 पी.डब्ल्यू.डी.राज्य योजना) 21= (18 पी.डब्ल्यू.डी.राज्य योजना+ एन.एच.)

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

4.53 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2 आर.ओ.बी. की परियोजनाएं 92.82 करोड़ रुपये की लागत से और 6 सड़क परियोजनाएं जिनकी कुल लम्बाई 177.322 कि.मी. है, एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत 665.40 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं। 18 आर.ओ.बी./ आर.यू.बी. की परियोजनाएं राज्य हैड 5054 आर एंड बी (योजना) के तहत 570.98 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं।

4.54 डिपॉजिट हैड के तहत 1 भवन परियोजना 663.86 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं, जिसमें सरकारी मैडिकल कॉलेज जींद का कार्य भी शामिल है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 663.86 करोड़ रुपये (524.23 करोड रुपये चरण-। और रुपये 139.63 करोड़ चरण-॥) है। एजैंसी को 13-01-2021 को कार्य आबंटित किया गया था और इस कार्य पर दिनांक 30-11-2023 तक 363.23 करोड़ रुपये की लागत का व्यय किया जा चुका है। मैडिकल कॉलेज, जींद का कार्य प्रगति पर है और दिनांक 30-06-2024 तक पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा एक सड़क परियोजना राज्य हैड 5054 आर एंड बी (योजना) सड़कों के तहत 302.49 करोड़ रुपये की लागत से हाल ही में स्वीकृत और आबंटित की गयी थी। इस परियोजना पर दिनांक 30-11-2023 तक 202.34 करोड़ रुपये की लागत का व्यय किया जा चुका है ।

4.55 हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एच.एस.आर.डी.सी.) ने वर्ष 2023-24 में पहले ही 30-11-2023 तक 182.84 करोड़ रुपये की लागत का व्यय एन.सी.आर.पी.बी. सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत सड़क और पुल के कार्यों के लिए खर्च कर दिया है। राज्य हैड आर एंड बी (योजना) के तहत 222.26 करोड़ रुपये की लागत का और डिपॉजिट हैड के तहत भवन कार्यों के लिए 63.54 करोड़ रुपये की लागत का व्यय किया गया है।

4.56 इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं आबंटित किए जाने की संभावना हैः (क) आर.ओ.बी की 5 परियोजनाएं 488.17 करोड़ रुपये की लागत से, 2 फलाईओवर की परियोजनाएं 92.35 करोड़ रूपये की लागत से और 22 सड़क की परियोजनाएं जिनकी कुल लम्बाई 563.20 कि.मी, 2736.64 करोड़ रुपये की लागत से एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत आबंटित किए जाने की संभावना है। (ख) 15 आर.ओ.बी./ आर.यू.बी. राज्य हैड के तहत 221.55 करोड़ रुपये की लागत के। (ग) नलहर (नूंह) में डेंटल कॉलेज 263.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से।

नाबार्ड योजना

4.57 वर्ष 2023-24 में नाबार्ड योजना आर.आई.डी.एफ.- के अंतर्गत 122.57 करोड़ रूपये की लागत से 96.42 किलोमीटर की लंबाई वाली 07 सड़को की परियोजना को नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेजने का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 60.07 करोड़ रुपये की लागत से नवम्बर, 2023 तक 100 कि.मी. लंबाई में सुधार किया गया है।

परिवहन

4.58 परिवहन विभाग, हरियाणा के 2 अंग है, जैसे कि वाणिज्यक अंग व नियामक अंग है।

वाणिज्यक अंग

4.59 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थ-व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है।

4.60 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी राज्य परिवहन सस्ंथाओं में से एक है। हरियाणा रोडवेज का अधिकृत बेड़ा 5,300 बसों का है। वर्तमान में (31-10-2023 तक) हरियाणा राज्य परिवहन के पास 3,369 बसें हैं, जो 24 डिपो व 13 उप डिपो से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन औसतन 10.57 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा इनमें औसतन 5.88 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। हरियाणा रोडवेज में साधारण बसों के लिए चालक और परिचालक का नॉरम 1:1.4 है।

4.61 हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि बसों की औसत आयु, स्टाफ व वाहन उत्पादकता, व इंधन की खपत इत्यादि और दुर्घटना दर सबसे कम रही है। हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2012-13 तथा 2013-14 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिये केन्द्रीय परिवहन मन्त्री ट्राफी व 1.50 लाख रूपये का प्रत्येक वर्ष नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। ए.एस.आर.टी.यू. द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 2008-09 के लिए मैदानी क्षेत्र में अच्छी वाहन उपयोगिता के लिए विजेता घोषित किया गया है।

4.62 हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन में और सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में और बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं। विभाग का प्लान बजट वर्ष 2004-05 में 56 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 261.55 करोड़ रुपए हो गया है । प्लान बजट वर्ष 2023-24 के लिए 232.55 करोड रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें संशोधन करते हुए उसे बढ़ाकर 382.55 करोड़ रूपये कर दिया है । जिसमें से अप्रैल से दिसम्बर, 2023 के दौरान 280.84 करोड रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कार्यक्रम/ योजनावार लक्ष्य तथा उपलब्धियां तालिका 4.15 में दी गई है।

तालिका 4.15- पिछले 5 वर्षो के कार्यक्रम/ योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(रूपये लाख में)

वर्ष	योजनास्कीम का नाम/	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत उपलब्धियां
2018-19	1) भूमि और भवन	11830.00	7978.46	67.74
	2) बेड़े का अधिग्रहण	2340.00	2216.52	94.72
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	8.32	8.32
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश- एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	30.09	60.18
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	85.30	42.65
	1) भूमि और भवन	6500.00	5932.87	91.27
	2) बेड़े का अधिग्रहण	500.00	407.61	81.52

2019-20	3) कार्यशाला सुविधायें	20.00	1.31	6.56
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश-एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	0.00	0.00
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	17.65	35.30
2020-21	1) भूमि और भवन	14500.00	6171.15	42.55
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	2547.32	25.47
	3) कार्यशाला सुविधायें	20.00	0.00	0.00
	4)सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश-एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	5.00	0.00	0.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	0.00	0.00
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	24.94	49.88
2021-22	1) भूमि और भवन	13000.00	3504.64	26.95
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	1549.81	15.49
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	0.00	0.00
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश-एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	33.96	67.92
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	30.39	60.78
2022-23	1) भूमि और भवन	13000.00	8525.85	65.58
	2) बेड़े का अधिग्रहण	48000.00	36172.65	75.35
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	0.00	0.00
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश-एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	15.01	30.02
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	169.34	84.67

स्त्रोतः- परिवहन विभाग, हरियाणा।

बस सेवाओं का आधुनिकरण

4.63 विभाग के स्वीकृत बेड़े के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेड़े में नई बसें शामिल की जा रही हैं। 809 नई बसों के लिए खरीद के आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान में 560 बसें विभिन्न आगारों की भेजी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त बेड़े में 128 मिनी बसें शामिल की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा बजट सत्र 2022-23 के दौरान 1000 नई बीएस-6 बसें खरीदने की घोषणा की थी और इनमें से 738 बसें विभिन्न आगारों की भेजी जा चुकी हैं । उपरोक्त के अलावा, 153 एच वी ए सी बसों की खरीद के आदेश जारी किए गए थे। इस प्रकार 31-10-2023 तक 1298 साधारण बसें, 128 मिनी बसें तथा 65 एच वी ए सी कुल 1491 नई बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल की गई हैं ।

4.64 प्लान बजट वर्ष 2023-24 के दौरान बस बेड़े के अधिग्रहण के लिए वार्षिक योजना में 150 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधित करते हुए 300.00 करोड़ रूपये कर दिया गया है, जिसमें से 31-12-2023 तक 226.69 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। लीज धारकों द्वारा प्रति किलोमीटर के आधार पर किलोमीटर स्कीम के तहत 562 साधारण बसें प्रदान की गई है।

बस स्टैण्डों व कर्मशालाओं का निर्माण/ नवीनीकरण

4.65 परिवहन विभाग की दोनों शाखाओं हेतू परिवहन भवन निर्माण के लिए अनुमानित लागत 107 करोड़ रूपये का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 125 बस स्टैण्डों का निर्माण किया हुआ है, जहां पर यात्रियों के लिये सभी मूल सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विभाग द्वारा पी.पी.पी. मोड पर एन. आई.टी. फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। गुरुग्राम, करनाल, पिपली (कुरूक्षेत्र), सोनीपत (जाट जोशी) और बल्लभगढ़ में नए बस स्टैंड का निर्माण भी पी.पी.पी. मोड के तहत प्रस्तावित है। खेड़ी चोपटा (हिसार), झोझू कलां (चरखी दादरी), कादमा (भिवानी) में नए बस स्टैंड का और महेन्द्रगढ़ व कौसली (रेवाड़ी) की कार्यशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और कार्यशाला, कुरूक्षेत्र, बहादुरगढ़ व पलवल का कार्य प्रगति पर है ।

4.66 विभाग की भूमि एवं भवन कार्यक्रम के तहत नये बस स्टैण्ड/ कर्मशालाओं के निर्माण के लिये वर्ष 2023-24 के लिये 80.00 करोड़ रुपये अनुमोदित किये गये हैं जिसमें से 54.04 करोड रुपए 31-12-2023 के दौरान खर्च किए जा चुके हैं।

कर्मशालाओं का आधुनिकीरण

4.67 बसों के अच्छे रख-रखाव के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे आदि उपलब्ध करवा कर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2023-24 के लिए 2 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 4.85 लाख रुपए 31-12-2023 के दौरान खर्च किए जा चुके हैं।

सडक सुरक्षा

4.68 हरियाणा राज्य परिवहन प्रशासनिक व तकनीकी उपायों द्वारा दुर्घटनाओं/ ब्रेक डाउन को कम करने के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा रोडवेज नए भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने और प्रमाणित करने के लिए 22 विभागीय चालक प्रशिक्षण स्कूल चला रहा है। अप्रैल से अक्तूबर, 2023 के दौरान 18,723 उम्मीदवारों को अपने कौशल में सुधार करने और आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारी वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए नए शुरू किए गए बैचो में महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। वार्षिक योजना 2023-24 के लिए 50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 31-12-2023 तक 1 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं। अधिक गति सीमा को रोकने के लिए सभी बसों में गतिरोधक यंत्र भी लगाए गए हैं।

हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कोरपोरेशन को नया रूप देना

4.69 हरियाणा रोड़वेज़ इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गुरूग्राम जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के लिये बस बॉडी का निर्माण करती है, का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2023-24 के लिए 5 लाख रूपये अनुमोदित किये गये हैं।

कम्पयूट्रीकरण

4.70 विभाग के भिन्न-भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूट्रीकृत किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष हरियाणा रोड़वेज डिपो/ कार्यालयों में पुरानी व्यवस्था प्रणाली को बदलने के साथ-साथ कम्पयूटर हार्डवेयर एवं उससे संबंधित उपकरणों और अतिरिक्त आवश्यकताओं को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल एजेंसी हारट्रोन के माध्यम से खरीदा जाता है ।

4.71 तकनीकी का प्रयोग

- एच.के.सी.एल. द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से 8 संवर्गो (ड्राइवरों, कंडक्टरों, स्टोर कीपर, मैकेनिक, यार्ड मास्टर, निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और क्लर्कों) की ऑनलाइन स्थानान्तरण ड्राइव प्रक्रिया शुरू की गई थी।
- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ओपन लूप डिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। 5 वर्षों की अवधि में प्रयोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित व्यय 100 करोड़ रूपये हैं।
- विभाग ने ई-टिकटिंग प्रणाली की प्रभावी निगरानी और प्रभावी प्रबन्धन प्रणाली प्रदान करने और समग्र यातायात प्रबन्धन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए हरियाणा रोड़वेज की बसों में राजस्व रिसाव पहचान प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है।
- विभाग ने पर्यावरण को प्रदूषकों के नकारात्मक प्रभावों से बचाने और पर्यावरण के अनुकुल परिवहन प्रणाली स्थापित करने के लिए शून्य उत्सर्जन इलैक्ट्रिक बसें शुरू करने की परिकल्पना की है। 12 मीटर स्टैंडर्ड फलोर की 375 ए.सी. इलैक्ट्रोनिक बसों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, इनका संचालन 9 शहरों में क्रमशः करनाल, सोनीपत, अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत, हिसार, रोहतक, पंचकूला एवं रेवाड़ी में किया जायेगा।

मुफ्त/ रियायती परिवहन सुविधायें

4.72 हरियाणा राज्य परिवहन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत सामाज के पात्र लोगों को मुफ्त/ रियायती यात्रा सुविधायें प्रदान कर रहा है, जैसे-

- 100 प्रतिशत मूक व बधिर व्यक्तियों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मुफ्त यात्रा सुविधा।
- रक्षा बंधन के दिन हरियाणा राज्य परिवहन में महिलाओं व बच्चों को 36 घण्टे मुफ्त यात्रा सुविधा।
- दिमागी तौर पर 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- छात्रों को 10 एक तरफा मासिक किराये की यात्रा सुविधा तथा छात्राओं को दिनांक 01-01-2014 से मुफ्त यात्रा सुविधा।
- हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिको को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की पहुंच दूरी तक किराये में 50 प्रतिशत की छूट।
- हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से गृह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- पैरालम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा।
- कैन्सर से पीड़ित मरीजों के साथ एक परिचर को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में उनके घर से कैन्सर संस्था तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- छात्राओं को अपने घरो से प्रशिक्षण संस्थान तक मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और यात्रा की दूरी सीमा में 60 कि.मी. से 150 कि.मी. तक की बढ़ौतरी कर दी गई है।

- आपातकाल के दौरान पीड़ित पति/ पत्नी को परिवहन विभाग की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा वोल्वो बसों में पति/ पत्नी को किराए में 75 प्रतिशत की छूट व विधवा/ विधुर पीड़ित होने की अवस्था में एक सहायक सहित यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।
- 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर पूर्व विधायकों के साथ आने वाले एक व्यक्ति को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।
- एन सी सी कैडेटस को उनके प्रशिक्षण में भाग के लिए हरियाणा के अन्दर सामान्य किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
- हरियाणा राज्य परिवहन के मृतक कर्मचारी की विधवा को मृतक कर्मचारी की सेवानिवृति तिथि तक मुफत यात्रा सुविधा।

परिवहन विभाग की रैगुलेटरी विंग

4.73 परिवहन विभाग के नियामक शाखा (रैगुलेटरी विंग) को मोटर वाहन अधिनियम-1988, कैरिज बाई रोड एक्ट-2007 तथा हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम-2016 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 4,200 करोड़ रूपए की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया जिसके मुकाबले में 4,135 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त की जा चुकी है। चालू वित वर्ष 2023-24 में 4,700 करोड़ रूपये की राशि का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मुकाबले में 31-10-2023 तक 2,659 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की गई।

चालक कौशल में सुधार

4.74 4 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक तथा कैथल में संचालित हैं। 12 और चालक कौशल खोलने की सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। एक क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केन्द्र गुरूग्राम में हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कारपोरेशन परिसर, गुरूग्राम में स्थापित किया जा रहा है। राज्य में 11 स्थानों करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, नूहँ, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, रोहतक, बहादुरगढ़, पलवल व भिवानी में स्वचालित ड्राईविंग टैस्ट ट्रैक (एडीटीटी) स्थापित किए जाने हैं। इन 11 स्थानों में से 2 स्थानों रोहतक और बहादुरगढ़ में एडीटीटी मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा 22 चालक प्रशिक्षण स्कूल पहले ही स्थापित किए हुए हैं तथा भारी वाहन ड्राईविंग की ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 247 ड्राईविंग ट्रेनिंग चालक स्कूल प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा हल्के मोटर वाहन (गैर परिवहन) हेतू राज्य में चलाए जा रहे हैं।

मोटर वाहनों की सड़क पात्रता में सुधार

4.75 भारत सरकार द्वारा 14.40 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता से रोहतक में पूरी तरह से स्वचालित और कम्पयूट्रीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र 5 जिलों झज्जर, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और जीन्द के परिवहन वाहनों की फिटनेस की जरूरतों को पूरा कर रहा है। राज्य में इस प्रकार के 6 अन्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र हिसार, अंबाला, करनाल, गुरूग्राम, फरीदाबाद तथा रेवाड़ी में स्थापित किए जा रहे हैं ।

4.76 नागरिक सेवाओं का वितरण

- रोड टैक्स का ई-भुगतानः परिवहन एवं गैर-परिवहन वाहनों के लिए सडक कर एवं शुल्क के भुगतान हेतु ई-ग्रास के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुविधा राज्य के सभी बैंकों में उपलब्ध है।
- एस.एम.एस. सुविधाः नागरिकों को पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करने की राशि और विभिन्न सेवाओं के लिए जमा किए गए कर/ शूल्क की सूचना देते हुए एस.एम.एस. भेजे जाते हैं।
- डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशनः हरियाणा राज्य में सभी स्थानों पर पूर्ण निर्मित नए वाहनों हेतू यह प्रणाली दिनांक 02-08-2021 से शुरू की गई है।
- फेसलेस सेवाएं वर्तमान में 58 सेवाएं (27 वाहन और 31 सारथी) जैसा कि सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है, जो फेसलेस तरीके से प्रदान की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित 35 फेसलेस सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, जिनमें से 25 सेवाओं को आम जनता द्वारा फेसलेस तरीके से उपयोग करने के लिए सॉफटवेयर में लागू कर दिया गया है।
- परिचालक लाईसैंस के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रमाण पत्रः परिचालक लाईसैन्स के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सेंट जॉन एम्बुलैंस एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है। अब प्रदेश में महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा स्वीकृत अस्पतालों को भी कंडक्टर लाईसैन्स जारी करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

सड़क सुरक्षा उपाय और जागरूकता

4.77 पूंजी प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 19-07-2023 को आयोजित की गई, जिसमें राज्य में जिला सड़क सुरक्षा समितियों को 5.60 करोड़ रूपये, सचिवालय/ अग्रणी एजेंसी/ सड़क सुरक्षा विंग को 2 करोड़ रूपये, पुलिस विभाग को 15.41 करोड़ रूपये, परिवहन विभाग को 3.58 करोड़ रूपये तथा डी0आर0एस0सी0, ग्रुरूग्राम को 27 लाख रूपये सड़क सुरक्षा से संबधित कार्यो के लिए आंबटित किए गए। इंटरनेशनल रोड फैडरेशन, इंडिया चैप्टर के माध्यम से माह अप्रैल 2023 में हिसार बाईपास-कामैरी दया गांव के स्ट्रैच पर रोड आडिट सेफटी आयोजित की गई थी।

प्रवर्तन

4.78 पूरे राज्य में ई-चालान और वाहन और सारथी वेब संस्करण-4 लागू किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए कुल 81,489 वाहनों का चालान किया गया तथा 229.77 करोड रूपए का शुल्क प्राप्त किया गया। चालू वित वर्ष 2023-24 में दिनांक 31-10-2023 तक मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 42,364 वाहनों का चालान किया गया तथा 121.45 करोड़ रूपये का शुल्क प्राप्त किया गया।

अधिमान्य अंकों की ई-नीलामी

4.79 राज्य सरकार ने गैर परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य/ पसंद पंजीकरण चिह्नों की ई-नीलामी की व्यवस्था स्थापित की है। परिवहन वाहनों को अधिमान्य अंक पहले आओ पहले पाओ के

आधार पर दिए जाएंगे तथा इससे संबंधित साफटवेयर में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है। राज्य द्वारा सरकारी वाहनों को जीवी श्रृंखला के तहत पंजीकरण चिह्न आबंटित किए गए हैं।

स्टैज कैरिज स्कीम, 2016

4.80 आम जनता को अधिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण मार्गो पर स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने हेतू मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 5 के अन्तर्गत एक प्रावधान प्रस्तुत किया है।

इलैक्ट्रिक वाहन नीति

4.81 उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 08-07-2022 को जारी राज्य की इलैक्ट्रिक वाहन नीति के तहत विभिन्न श्रेणी के वाहनों को मोटर वाहन कर एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

वहन स्क्रैप-पेज नीति

4.82 इस नीति के तहत मोटर वाहन कर में देय कर के 10 प्रतिशत या जमा प्रमाण-पत्र के अनुसार स्क्रैप पेज मूल्य के 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। पंजीयन शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का अनुदान भी शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है।

नागरिक विमानन

4.83 सिविल विमानन विभाग, हरियाणा के द्वारा पांच सिविल हवाई पट्टियां पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में हैं। वर्तमान में हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के दो फंलाईग प्रशिक्षण केन्द्र, करनाल तथा पिजौंर में स्थित हैं, जहां लड़के तथा लड़कियों को फ्लांईग का प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.84 हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राईवेट पायलट लाईसैंस (पी.पी.एल.), कमर्शियल पायलट लाईसैंस (सी.पी.एल.) तथा इंस्ट्रक्टर रेटिंग (आई.आर.) का प्रशिक्षण दिया जाता है। दिनांक 01-04-2023 से 31-12-2023 तक कुल 65 लाईसैंस प्रशिक्षु में से 51 प्रशिक्षुओं को एस पी.एल. (20), सी.पी.एल. (10), सी.पी.एल(सी) (01), आई.आर. (07), आई.आर. (नवीनीकरण) (05), ए.एफ.आई.आर./ एफ.आई.आर. (08) से पुरस्कृत किया गया।

***

शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

5

विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्धि और लोगों की भलाई करना है। विकासशील तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक हैं।

मौलिक शिक्षा

कक्षा 1 से 8वीं तक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए नकद पुरस्कार योजना

5.2 इस योजना का उद्देश्य राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के परिवारों के छात्रों के प्रवेश और प्रतिधारण को बढ़ाने के साथ-2 उनके लिए शैक्षणिक मार्ग प्रशस्त करवाना है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों की स्कूल छोड़ने की दर को भी कम करती है और ऐसे परिवार के छात्रों के कल्याण पर नजर है। इस योजना के तहत सभी अनुसूचित जाति के विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में स्टेशनरी सामग्री जैसे ज्योमेट्री बॉक्स, रंग, पेंसिल आदि की खरीद के लिए वर्ष में एक बार नकद प्रोत्साहन राशि 740 रुपये से 1,250 रुपये तक विभिन्न दरों से प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6,500 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और दिनांक 31-10-2023 तक 4,546.21 लाख रुपये का व्यय हो चुका है और 4,15,022 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को मासिक वजीफा प्रदान करना

5.3 इस योजना के तहत मासिक भत्ता राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के खातों में बैंकों के माध्यम से सीधे वितरित किया जाएगा। इस योजना के तहत, सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को 12 महीने के लिए वजीफा दिया जाता है और 4 त्रैमासिक किस्तों में कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों को 150 रुपये (लड़के) और 225 रुपये (लड़कियां) और कक्षा 6 से 8वीं के लिए 200 रुपये (लड़के) और 300 रुपये (लड़कियां) प्रति माह की दर से वितरित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए 15,500 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है तथा दिनांक 31-10-2023 तक 0.30 लाख रुपये का वास्तविक व्यय हो चुका है।

कक्षा 1 से 8वीं तक के बीपीएल छात्रों के लिए मासिक वजीफा प्रदान करना

5.4 इस योजना का उद्देश्य राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) श्रेणी के परिवारों के छात्रों के प्रवेश और प्रतिधारण को बढ़ाने के साथ-2 उनके लिए शैक्षणिक मार्ग प्रशस्त करवाना है। ऐसे छात्रों की पढ़ाई में रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 वीं में पढ़ने वाले बी.पी.एल. श्रेणी के छात्रों को वजीफा प्रदान किया जाता है। यह योजना सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सभी बी.पी.एल. श्रेणी के छात्रों को 12 महीने के लिए वजीफा दिया जाता है और कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों को 75

रुपये (लड़के) और 150 (लड़कियां) कक्षा 6 से 8वीं तक 100 रुपये (लड़के) और 200 रुपये (लड़कियां) प्रति माह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में वितरित किया जाता है। वर्ष 2023-24 हेतु 400 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है तथा दिनांक 31-10-2023 तक वास्तविक व्यय शून्य है।

कक्षा 1 से 8वीं तक बीसी-ए श्रेणी के छात्रों के लिए मासिक वजीफा प्रदान करना

5.5 इस योजना का उद्देश्य राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे बी.सी.-ए श्रेणी के परिवारों के छात्रों के प्रवेश और प्रतिधारण को बढ़ाने के साथ-2 उनके लिए शैक्षणिक मार्ग प्रशस्त करवाना है। यह योजना ऐसे छात्रों की स्कूल छोड़ने की दर को कम करती है तथा ऐसे छात्रों की पढ़ाई में रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाले बीसी-ए श्रेणी के छात्रों को मासिक वजीफा प्रदान किया जा रहा है। यह योजना सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सभी बीसी-ए श्रेणी के छात्रों को 12 महीने के लिए वजीफा दिया जाता है कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों को 75 रुपये (लड़के) और 150 (लड़कियां) तथा कक्षा 6 से 8वीं तक 100 रुपये (लड़के) और 200 रुपये (लड़कियां) प्रति माह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में वितरित किया जाता है। वर्ष 2023-24 हेतु 4,000 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है तथा दिनांक 31-10-2023 तक वास्तविक व्यय 0.04 लाख रुपये हो चुका है।

शिक्षा उत्कृष्टता को प्रोत्साहन-माध्यमिक विद्यालयों को राजीव गांधी छात्रवृत्ति प्रदान करना

5.6 योजना के तहत मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 6वीं से 8वीं कक्षा के प्रत्येक छात्र (लड़का और लड़की) को 750 रुपये दर से वर्ष में एक बार पुरस्कार/छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन दिया जाता है, बशर्ते ऐसे छात्रों ने प्रथम श्रेणी में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। वर्ष 2023-24 के दौरान 150 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और दिनांक 31-10-2023 तक खर्च शून्य है।

कक्षा 6 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों (लड़के और लड़कियों) को मुफ्त साइकिल प्रदान करना

5.7 साइकिलें केवल अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों (लड़के और लड़कियां दोनों) को प्रदान की जाती हैं जो 2 किमी से अधिक दूर दूसरे गांव (जिनके गांव में सरकारी माध्यमिक विद्यालय मौजूद नहीं है) से स्कूल आते हैं। योजना के दिशानिर्देशों अनुसार विद्यार्थी पहले साइकिल खरीदेंगे, नई खरीदी गई साइकिलों के बिलों का संबंधित हेडमास्टर/प्रिंसिपल द्वारा निरीक्षण और सत्यापन करने के बाद, बिल संबंधित डीईईओ को भेजे जाएंगे। डी.ई.ई.ओ. द्वारा राशि 2,800 रुपये साइकिल आकार (20") और 3,000 रुपये साइकिल आकार (22") की दर से सीधे संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खाते में डी.बी.टी. विधि द्वारा जमा की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए 50 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और 31-10-2023 तक 280 विद्यार्थियों के लिए वास्तविक व्यय 8.10 लाख रुपये हो चुका है।

कक्षा 6 से 8वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना

5.8 मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से राज्य में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के राजकीय विद्यालयों के विधार्थियों के लिए पूरी तरह से योग्यता आधारित छात्रवृत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करना

है, जिसे छात्रवृत्ति को प्रेरणादायक बनाकर और विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति में वृद्धि करना साथ ही उन्हें यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। इस योजना में लगभग 4,500 विद्यार्थी शामिल हैं। मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के बाद पोर्टल पर खुलेंगे। वर्ष 2023-24 के लिए 160 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और 31-10-2023 तक वास्तविक व्यय शून्य है। छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 6वीं में विद्यार्थियों की संक्षिप्त सूची 2 चरणों में निम्न तालिका 5.1 अनुसार बनाई जाएगी:-

तालिका 5.1 कक्षा 6वीं से 8वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना के मानदंड

कक्षा	छात्र चयन मापदंड	छात्रवृत्ति विवरण	छात्रवृत्ति की संख्या	राशि रुपये में (प्रति वर्ष)
कक्षा 6वीं	शॉर्टलिस्टिंग 2 चरणों में होगी स्टेज I- कक्षा 5वीं में बेसिस एस.ए.टी. स्कोर स्टेज-II स्टेज-I को पास करने वाले छात्र हरियाणा राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे और शीर्ष 1500 रैंकर्स को छात्रवृत्ति मिलेगी।	जो छात्र छात्रवृत्ति परीक्षा में शीर्ष 1500 छात्रों में रैंक प्राप्त करते हैं, उन्हें यह 3 साल - 6वीं से 8वीं तक प्राप्त होगी, बशर्ते वे कक्षा 6वीं और 7वीं की एसएटी परीक्षा में लगातार 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करें।	सर्वोच्च 500	6000
			अगले 500	3000
			अगले 500	1500
कक्षा 7वीं	निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले कक्षा 7वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी जो:- (क) कक्षा 6वीं में आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ख) कक्षा 6वीं और 7वीं की वार्षिक परीक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।		सर्वोच्च 500	6000
			अगले 500	3000
			अगले 500	1500
कक्षा 8वीं			सर्वोच्च 500	6000
			अगले 500	3000
			अगले 500	1500

स्रोत: मौलिक शिक्षा, हरियाणा।

कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों (लड़के और लड़कियों) को मुफ्त वर्दी प्रदान करना (आर.टी.ई. अधिनियम, योजना के तहत)

5.9 इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की जाती है। इस योजना में एच.पी.एस.एस.पी. द्वारा एसएसए योजना के तहत प्रति विद्यार्थी 600 रुपये प्रदान किए जाते हैं और शेष राशि हरियाणा राज्य में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य संसाधनों पर राज्य सरकार

द्वारा वहन की जाती है। कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 800 रुपये की दर से और कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 1,000 रुपये की दर से प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान 16,000 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और 31-10-2023 तक लाभान्वित 10,30,507 विद्यार्थियों के लिए 9,309.59 लाख रुपये का वास्तविक व्यय हो चुका है।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाले सभी गैर-अनुसूचित जाति विद्यार्थियों (लड़के और लड़कियों) को मुफ्त स्टेशनरी और मुफ्त स्कूल बैग प्रदान करना (आर.टी.ई. अधिनियम, योजना के तहत)

5.10 हरियाणा राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले सभी गैर-अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी और स्कूल बैग प्रदान किए जाते हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के विधार्थियो को 220 रुपये की दर से और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विधार्थियो को 300 रुपये की दर से राशि का प्रावधान है। वर्ष 2023-24 के दौरान 5,000 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और 31-10-2023 तक व्यय शून्य है।

मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे-मील योजना)

5.11 मौलिक शिक्षा के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, जिसे मिड-डे-मील योजना के रूप में जाना जाता है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना के तहत सभी सरकारी और स्थानीय निकायों में प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 6 से 8) के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है, जिसे 15 अगस्त, 2004 को पूरे राज्य में कक्षा 1 से 5 तक लागू किया गया था तथा वर्ष 2008 से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए भी संचालन किया जा रहा है। प्रति छात्र सामग्री की लागत (भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार)-60 प्रतिशत केंद्र हिस्सेदारी और 40 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के अनुपात में प्राथमिक के लिए 5.45 रुपये और उच्च प्राथमिक के लिए 8.17 रुपये दिनांक 01-10-2022 से की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्याह्न भोजन योजना का बजट 83,800 लाख रुपये केंद्र प्रायोजित योजना और राज्य योजना के 60:40 अनुपात में है। यू.डी.आई.एस.ई. के अनुसार हरियाणा में 14,253 सरकारी स्कूल हैं और 15,24,852 विद्यार्थी नामांकित हैं। अम्बाला जिले में स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित स्कूल चल रहे हैं।

तालिका 5.2 वर्ष 2023 से 2024 के लिए कवर किए गए संस्थानों और बच्चों की संख्या

वर्ष	कवर किए गए संस्थानों की संख्या			कवर किए गए बच्चों की संख्या		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
2023-24	8671	5582	14253	884358	640494	1524852

स्रोत: मौलिक शिक्षा, हरियाणा।

तालिका 5.3 वर्ष 2023 से 2024 के लिए कुल बजटीय आवंटन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	केंद्र हिस्सेदारी	राज्य हिस्सेदारी	कुल	वित्त विभाग से प्राप्त बजट	व्यय
बजट	40000.55	43799.45	83800.00	50439.44	50363.94

स्रोत: मौलिक शिक्षा, हरियाणा।

मध्याह्न भोजन मेनू में 17 व्यंजन

5.12 सभी विद्यालय प्रमुखों को प्राथमिक कक्षा के छात्रों को न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक कक्षा के छात्रों को न्यूनतम 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन वाले 17 व्यंजन सभी स्कूल दिवसों पर वितरित करने के लिए विभाग द्वारा आदेश जारी किये गये है।

उपलब्धियाँ

- **इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 25-05-2022 से 7,000 रुपये प्रति माह (केंद्र का हिस्सा 600 रुपये और राज्य का हिस्सा 6,400 रुपये) की दर से भुगतान किया जा रहा है तथा दिनांक 8-11-2023 तक 29,937 कुक-हेल्पर्स को भुगतान किया जा चुका है।**

निर्माण एवं भवन

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के भवन का रखरखाव

5.13 राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारिओं को 69.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

विद्यालय भवनों का निर्माण

5.14 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों/ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भवनों के निर्माण के लिए एच.एस.एस.पी.पी. को लगभग 19.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

सुविधाओं का व्यय कक्षा I-V (पूर्णकालिक) {मुख्यमंत्री विद्यालय सौन्दर्यीकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना विद्यालय सौन्दर्यीकरण}

5.15 सी.एम. सौंदर्यीकरण के लिए 1.63 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

5.16 राजकीय विद्यालय

- **जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने के कारण विलय/बंद कर दिया गया है 65 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को डी-मर्ज कर दिया गया।**
- **अनुदान-सहायता-सामान्य, वर्ष 2023-24 के लिए 550.00 करोड़ रुपये राज्य और केंद्र हिस्सेदारी के प्रावधान के केंद्रीय योजना (साझा आधार) में से 219.50 करोड़ रुपये के अनुदान की मंजूरी जारी की गई है।**
- **793-विशेष केन्द्रीय सहायता बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य एवं केन्द्रांश के प्रावधान में से अनुसूचित जाति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 140.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति में से 47.67 करोड़ रुपये की मंजूरी जारी की गई है।**

5.17 खेल

- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 एवं 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु वस्तु शीर्ष 24-सामग्री एवं आपूर्ति एवं 34-अन्य शुल्क में 4.00 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया, जिसमें से कुल 96.21 लाख रुपये जारी किये गये।**
- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में खेल के मैदान के विकास और खेल/मनोरंजन गतिविधियों हेतु वस्तु शीर्ष 24-सामग्री एवं आपूर्ति में 20.00 लाख रुपये जारी किए गए।**

- वित्तीय वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय टूर्नामेंट के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए खेल किट और आहार भत्ते की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया है:-

तालिका 5.4-वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों का विवरण।

खिलाड़ियों के लिए विवरण	राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट		राज्य स्तरीय टूर्नामेंट	
	वर्तमान दरें (प्रतिदिन)	संशोधित दरें (प्रतिदिन)	वर्तमान दरें (प्रतिदिन)	संशोधित दरें (प्रतिदिन)
आहार भत्ता	200	250	125	200
खेलकूद किट (ट्रैक किट और प्लेइंग किट)	1200	2500	700	1500
अधिकारियों का आहार भत्ता	200	250	125	200
अधिकारियों के लिए ट्रैक सूट	1000	2500	700	1500

स्रोतः मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

समग्र शिक्षा

5.18 वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा के लिए पीएबी बजट अनुमोदन और व्यय, प्रगति 30 नवंबर, 2023 तक तालिका 5.5 में दी गई है:-

तालिका 5.5 बजट अनुमोदन और व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

हेड	स्पिल ओवर	गैर आवर्ती	आवर्ती	ताजा जोड़ (3+4)	कुल जोड़ (2+5)	कुल उपलब्ध फंड	30-11-2023 तक व्यय	व्यय का प्रतिशत उपलब्ध निधि के विरुद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्राथमिक	137.51	113.68	673.09	786.78	924.29	215.65	320.66	148.69
माध्यमिक	336.73	199.31	513.36	712.67	1049.40	368.88	153.08	41.50
शिक्षक शिक्षा	0.20	9.76	29.81	39.57	39.77	0.96	0.07	7.50
कुल	474.45	322.76	1216.26	1539.02	2013.47	585.49	473.81	80.93

स्रोतः योजना शाखा, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्

व्यवसायिक शिक्षा

5.19 शिक्षा का व्यावसायीकरण व्यावहारिक विषयों या पाठ्यक्रमों को शामिल करने को संदर्भित करता है, जो छात्रों के बीच कुछ बुनियादी ज्ञान, कौशल और स्वभाव उत्पन्न करेगा, जो उन्हें कुशल श्रमिक या उद्यमी बनने के बारे में सोचने के लिए तैयार करेगा। हरियाणा में स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.) के आधार पर लागू किया गया है। महत्वपूर्ण उपलधियाँ निम्न प्रकार से हैं।:

- वर्ष 2023-24 तक व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य के कुल 1,248 सरकारी स्कूल आते हैं जिनमें कक्षा 9वीं से 12वीं के 1,89,349 विद्यार्थी नामांकित हैं।

- 1,248 राजकीय विद्यालयों में 15 कौशल/क्षेत्र चल रहे हैं। (प्रत्येक स्कूल में 01, 2 या 3 कौशल/क्षेत्र)।
- राज्य के 1,248 राजकीय विद्यालयों के लिए 2,476 कौशल प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। 1,074 स्कूलों में 2,238 कौशल प्रयोगशालाएं पूरी तरह से उपकरणों और औज़ार से सुसज्जित हैं और शेष 174 स्कूलों में 238 प्रयोगशालाएं सुसज्जित की जाएंगी।

5.20 हरियाणा में व्यावसायिक शिक्षा के तहत अपनाई जा रही सर्वोत्तम पद्धति

- वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 1,185 मौजूदा सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 8वीं के छात्रों के लिए प्री-वोकेशनल एक्सपोजर प्रदान किया गया है। हरियाणा के स्कूलों में 1,19,301 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।
- शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 10वीं के 41,827 विद्यार्थियों तथा कक्षा 12वीं के 37,651 विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल असेसमेंट राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड व् श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा के सहयोग से किया गया है।
- शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में कुल 687 छात्रों का उद्योग में प्लेसमेंट हुई ।
- शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में अब तक 4003 छात्र इन्क्यूबेशन सेंटरों में प्रशिक्षण (12 दिवसीय प्रशिक्षण) पूरा कर चुके हैं। इन इन्क्यूबेशन सेंटरों में छात्रों को औद्योगिक वातावरण में काम करने का अनुभव प्रदान किया जाता है। आस-पास के स्कूलों की मैपिंग की जाती है जहां छात्र डोमेन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर में जाते हैं।

5.21 अनुदान

i) 14,465 स्कूलों को अनुदान

- गैर-कार्यात्मक स्कूली उपकरणों को बदलने, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने और रोजमर्रा के खर्चों के लिए 6,141.5 लाख रुपये की राशि समग्र स्कूल अनुदान के तहत जारी की गई।
- पुस्तकालय अनुदान 1,368.70 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई, जिसमे एन.बी.टी., सी.आई.आई.एल. से स्कूल पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद प्रक्रियाधीन है।
- खेल अनुदान 1,519.15 लाख रुपये की राशि खेल अनुदान के तहत जारी की गई। खेल उपकरणों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर है।

ii) नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें- सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें (एफटीबी) प्रदान की गई हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 5,335 लाख रुपये की राशि मंजूरी दी गई और शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 से 8वीं के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

iii) वर्दी अनुदान- समग्र शिक्षा के तहत 7,296.13 लाख रुपये की राशि की मंजूरी दी गई। कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाली सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति के लड़कों और बीपीएल लड़कों को 600 रुपये प्रति छात्र की दर से वर्दी अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी छात्रों को 800 रुपये प्रति छात्र की दर से और कक्षा 6 से 8 वीं तक के सभी छात्रों को 1,000 रुपये प्रति छात्र की दर से वर्दी अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत यह अनुदान सभी छात्रों को बैंक खातों के माध्यम से

डीबीटी मोड में वर्दी अनुदान हस्तांतरित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)

5.22 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 36 के.जी.बी.वी. को मंजूरी दी गई है। कुल 36 में से 33 के.जी.बी.वी. क्रियाशील हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए 20 के.जी.बी.वी. और कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिए 13 के.जी.बी.वी. कार्यात्मक हैं। इन के.जी.बी.वी. में कुल नामांकन 3,763 (कक्षा 6 से 8 तक 2,824 और कक्षा 9 से 12 तक 939 नामांकित) है।

स्कूल से बाहर के बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.)

5.23 वर्ष 2023-24 में हरियाणा राज्य के सभी 22 जिलों में 28,139 (आयु 6-14 वर्ष) ओ.ओ.एस.सी. की पहचान की गई है। दिनांक 15-12-2023 तक कुल चिन्हित में से 17,726 ओ.ओ.एस.सी. को 779 विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित किया गया है। मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया जारी है और 31 मार्च, 2024 तक पूरी हो जाएगी। सभी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में सीखने के अंतर को पाटने के लिए कदम टूल किट और स्टेशनरी भी प्रदान की गई है।

आई.टी. पहल

5.24 आई.सी.टी. लैब्स: समग्र शिक्षा के तहत आई.सी.टी. लैब स्थापित करने के लिए 2016-17 से 2022-23 के दौरान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 1,168 राजकीय विद्यालयों हेतु उपकरणों के लिए ICT उपकरणों को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2021-22 तक स्वीकृत 800 प्रयोगशालाओं की प्रक्रिया शुरू की गई। 800 प्रयोगशालाओं में से, 400 प्रयोगशालाएँ स्थापित करने हेतु GeM के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की जा चुकी हैं, लेकिन पात्र बोलीदाताओं की गैर-भागीदारी के कारण 400 प्रयोगशालाओं की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। अब, 2022-23 और 2023-24 के दौरान स्वीकृत लंबित 400 और 400 +368= 768 प्रयोगशालाओं की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

5.25 समावेशी शिक्षा (आई.ई)

i) राज्य के सरकारी स्कूलों में कुल 21,108 सी.एस.डब्ल्यू.एन. नामांकित हैं। (कक्षा 1 से 8वीं तक 15,680 और कक्षा 9वीं से 12वीं तक 5,428)

ii) गृह आधारित भत्ता-सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं के 1,914 दिव्यांग विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं के 321 दिव्यांग विद्यार्थियों को 10 माह के लिए 200 प्रति दिव्यांग विद्यार्थी की दर से गृह आधारित भत्ता प्रदान किया गया है।

iii) पाठक भत्ता- सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं के 1,226 दिव्यांग विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं के 787 दिव्यांग विद्यार्थियों को 10 माह तक 300 प्रतिमाह की की दर से पाठक भत्ता की सहायता प्रदान की गई है।

iv) एस्कॉर्ट भत्ता- सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं के 5,045 दिव्यांग विद्यार्थियों और 9वीं से 12वीं कक्षा के 2,019 दिव्यांग विद्यार्थियों को 10 महीने के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किया गया।

v) चिकित्सा मूल्यांकन शिविर- सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एलिम्को और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से सभी जिलों में चिकित्सा मूल्यांकन शिविर आयोजित करने का काम पूरा हो चुका है। इन शिविरों में हरियाणा के सभी जिलों से लगभग 9,000 दिव्यांग विद्यार्थियों ने भाग लिया है।

vi) चिकित्सीय सेवाएँ- सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों की सुधारात्मक सर्जरी करने के लिए 66.00 लाख रुपये की राशि व् कक्षा 9वीं से 12वीं के तहत 38.50 लाख रुपये की राशि सभी जिलों को हस्तांतरित की गई।

vii) ब्रेल पुस्तकों का प्रावधान- नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (एनएफबी), बहादुरगढ़, झज्जर (हरियाणा) के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं के 479 दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों और कक्षा 9वीं से 12वीं के 245 दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों को ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

5.26 अन्य पहल

i) सेहत कार्यक्रम (स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य एवं उपचार)

माननीय मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों के स्वास्थ्य जांच की घोषणा की है। एनएचएम और शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों की दो चरणों में स्वस्थ्य स्क्रीनिंग/परीक्षण किया जाएगा। तदनुसार, शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का अनुवर्ती परीक्षण/स्क्रीनिंग परीक्षण मुख्य घटकों यानी हीमोग्लोबिन, वजन, ऊंचाई, दृश्य तीक्ष्णता और दंत स्थितियों को कैप्चर करने पर किया जाएगा। एएनएम/सीएचओ की मदद से हीमोग्लोबिन परीक्षण किया जाएगा । निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं:-

- क्युवेट विधि से एचबी परीक्षण पर एएनएम एवं एमएलएचपी-सह-सीएचओ का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित एवं संपन्न कर लिया गया है।
- नामांकन के अनुसार क्यूवेट, लैंसेट के उचित वितरण, इसके भंडारण, रिकॉर्ड रखने और अवसर पोर्टल पर विद्यार्थियों के स्क्रीन किए गए डेटा को अद्यतन करने के लिए दिशानिर्देश और निर्देश तैयार एवं जिलों को जारी किए गए हैं।
- 1 जुलाई, 2023 से एनएचएम की मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा सभी विद्यार्थियों की नई पूर्ण स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है।
- 1 जुलाई से अब तक 6,81,113 स्क्रीनिंग विद्यार्थियों का डेटा अवसर पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
- सेहत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और सेहत पोर्टल में डेटा के डिजिटलीकरण में आने वाली कमियों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग और एनएचएम हरियाणा के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

ii) एल.ई.पी. (कक्षा VI - VIII) शिक्षण संवर्धन/संवर्द्धन कार्यक्रम (उपचारात्मक शिक्षण)

- 6वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए 27-04-2022 को माननीय शिक्षामंत्री द्वारा उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम अर्थात् उड़ान शुरू किया गया था।
- उड़ान कार्यक्रम एक उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम है जो छात्रों को संरचित उपचारात्मक सामग्री के माध्यम से उनके सीखने के स्तर में सुधार व् सहायता प्रदान करता है।
- एससीईआरटी ने कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षक मैनुअल और योग्यता-आधारित वर्कशीट पुस्तिकाएं विकसित की हैं। अप्रैल, 2023 में सभी विद्यालयों में इसका वितरण कर दिया गया है। इसमें 339.78 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है।

iii) सांझी सभा के रूप में एस.एम.सी. संविधान और -एस.एम.सी. पोर्टल लॉन्च

सांझी सभा - एस.एम.सी. पुनर्गठन के लिए एक सप्ताह लंबी राज्यव्यापी पहल 17 से 22 जुलाई, 2023 तक हुई। सांझी सभा के दौरान जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा स्कूलों का दौरा किया गया।

iv) रोबोटिक्स गतिविधि सीखना- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 354 स्कूलों में रोबोटिक्स गतिविधि के लिए 460 लाख रुपये के लेआउट को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम अक्टूबर, 2023 से संबंधित स्कूलों में लागू किया जा रहा है और दिसंबर, 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिससे कक्षा 6वीं-12वीं के 31,860 छात्र लाभान्वित होंगे।

5.27 विज्ञान का प्रचार

i) विज्ञान और गणित का समर्थन करने वाली गतिविधियाँ (कक्षा 3 से 12वीं के छात्रों के लिए) राज्य के विद्यालयों में विज्ञान और गणित का समर्थन करने वाली गतिविधियाँ आयोजित करने हेतु 376.53 लाख रूपये का बजट (प्रति स्कूल 7,000 रुपये) और 337.7 लाख रुपये (प्रति स्कूल 10,000 रुपये) स्कूलों के लिए अनुमोदित की गई। इन निधियों का उपयोग स्कूलों द्वारा विभिन्न स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियों, प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में विज्ञान गतिविधियों, मॉडल, रोल-प्ले/नाटक, पोस्टर-मेकिंग आदि तैयार करने और स्कूल की विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए सामग्री खरीदने में किया जाता है।

ii) बी.आ.ई.एस. क्लब-विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से राज्य के स्कूलों में बीआईएस क्लब गठित करने की पहल की। इन क्लबों में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को सदस्य के रूप में लिया जाता है और संबंधित शिक्षक को बीआईएस क्लब के सलाहकार शिक्षक के रूप में लिया जाता है। बी.आई.एस. द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है और छात्रों को भी कुशल बनाया जाता है। स्कूल स्तर पर वाद-विवाद की गतिविधियों के संचालन के लिए 12.6 लाख रुपये का बजट (2,000 रुपये प्रति स्कूल की दर से) का उपयोग किया जाता है।

iii) 21वीं सदी के कौशल- हरियाणा में जीवन कौशल कार्यक्रम पायलट के रूप में गुरुग्राम, पंचकुला और यमुनानगर जिलों में शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 700 स्कूल और कक्षा 6 से 8वीं के लगभग 80,000 छात्र शामिल हैं। प्रथम वर्ष में कार्यक्रम संज्ञानात्मक (समस्या-समाधान, निर्णय लेना, स्व-प्रबंधन और रचनात्मकता), सामाजिक (सहानुभूति, मुखरता, बातचीत, सहयोग और संचार), और भावनात्मक (आत्म जागरूकता और अनुकूलन) में 11 कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हरियाणा में 21वीं सदी का कौशल कार्यक्रम शिक्षक-नेतृत्व में होगा, जहां मुख्य फोकस शिक्षकों को जीवन कौशल के बारे में प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना और सामान्य कक्षा संरचना में गतिविधि-आधारित अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है। ये शिक्षक नियमित कक्षा के एक भाग के रूप में छात्रों पर इन जीवन-कौशल सत्रों का उपयोग करेंगे। गतिविधि के कार्यान्वयन के आरंभ और अंत में छात्रों का बेसलाइन और एंडलाइन मूल्यांकन किया जाएगा।

iv) उदाहरण पुस्तकें- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2,000 रुपये की दर से 67.54 लाख रुपये के बजट को की मंजूरी दी गई, जिसका उपयोग विज्ञान और गणित विषय के लिए 3,377 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित अनुकरणीय समस्याएं पुस्तकें प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (आत्मरक्षा प्रशिक्षण)

5.28 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 6.00 करोड़ रुपये के लेआउट को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम संबंधित स्कूलों में सितंबर, 2023 से दिसंबर, 2023 के तक कक्षा 6 से 12वीं की 1,25,000 छात्राओं के लिए लागू किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा

पेंशन योजना

5.29 हरियाणा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय (विशेष पेंशन और अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001 और पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत मानदेय के तहत, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान, 9 पेंशनभोगियों को लाभ और 5 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मानदेय उनके पात्रता अनुसार प्रदान किये गए।

प्रशिक्षण एवं निगरानी योजनाएं

(i) इस कार्यक्रम के लिए वित्त विभाग द्वारा सत्र 2023-24 में माध्यमिक एवं मौलिक शिक्षा विभाग को 12.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(ii) 2023-24 के दौरान 31-10-2023 तक मुख्यालय स्तर पर 20 बैच के 991 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है

(iii) दिनांक 09-10-2023 से 19-04-2024 तक की अवधि के दौरान क्षेत्रीय लिपिकों को 81 बैच में 3,569 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। राज्य शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) के 8,983 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाना है ।

लेखा (क्षेत्रीय)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक डुअल डेस्क प्रदान करना

5.30 वित्तीय वर्ष 2023-24 में डुअल डेस्क खरीदने हेतु 80.00 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान हुआ है, जिसमे से 15.99 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट मांग की पूर्ति हेतु आवंटित की जा चुकी है एवं 64.01 करोड़ रुपये का बजट शेष है। हरियाणा के शेष 21 जिलों (करनाल को छोड़कर) को डुअल डेस्क उपलब्ध करवाने हेतु प्रारंभिक चरण में प्रत्येक जिले से 2-2 खंडो, जहां डुअल डेस्क की अति आवश्यकता है, मांग प्राप्त हो चुकी है। इन सभी जिलों में डुअल डेस्क आपूर्ति की पुष्टि होने के बाद बजट राशि जारी कर दी जाएगी।

खेल

5.31 हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 32 स्कूल गेम्स का आयोजन करवाया जाता है। यह खेल राज्य खेल नीति के तहत ओलंपिक स्तर, एशियाई स्तर, राष्ट्रमंडल स्तर शामिल हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर की स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए वर्ष

2023-24 हेतु खेल कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा राज्य को दो राष्ट्रीय खेल "हैंडबॉल अंडर-19 (लड़के और लड़कियां)" और "नेटबॉल अंडर-19 (लड़के एवं लड़कियां)" आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राज्य स्तरीय स्कूली खेलों का आयोजन सुचारु रूप से किया जा रहा है।

शिक्षक प्रशिक्षण

5.32 राज्य प्रशिक्षण नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 में निष्ठा (एन.आई.एस.एच.टी.एच.ए.) एवं सेवाकाल प्रशिक्षण के अंतर्गत एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुरुग्राम और 21 डी.आई.ई.टी. के माध्यम से सफलतापूर्वक शिक्षकों का प्रशिक्षण सम्पन्न करवाया।

आरोही मॉडल स्कूल

5.33 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रावधान से संबंधित योजनाएं प्रगति पर हैं और इन्हें इसी वित्त वर्ष पूरा कर दिया जाएगा। सभी आरोही मॉडल स्कूलों में 28 डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, 168 डिजिटल बोर्ड और 320 छात्र प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित की गई है।

राज्य में राजकीय विद्यालयों का उन्नयन

5.34 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 113 उच्च विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है और 1 नया विद्यालय खोला गया है।

आई.सी.टी. योजना

5.35 आई.सी.टी. योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 36.32 करोड़ रुपये की राशि का 1,964 कंप्यूटर फैकल्टी और 2,165 लैब सहायकों को पारिश्रमिक के तौर पर भुगतान किया गया।

शैक्षणिक कक्ष (शाखा)

सतत व्यापक मूल्यांकन परीक्षा (सी.सी.ई.)

5.36 नो-डिटेंशन पॉलिसी की कमियों को दूर करने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 6,72,000 विद्यार्थियों के छात्र मूल्यांकन परीक्षण (एस.ए.टी.) शुरू किए गए हैं। इस योजना के तहत दिनांक 21-11-2023 तक 360.00 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

सुपर 100

5.37 यह कार्यक्रम हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को निजी विद्यालयों के बराबर कोचिंग उपलब्ध करवाने हेतु आरम्भ किया गया है ताकि वे आई.आई.टी.-जे.ई.ई./एन.ई.ई.टी. आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकें। पिछले वर्षों के परिणामों के मद्देनजर, सत्र 2022-24 से केवल विकल्प संस्थान के द्वारा ही कोचिंग प्रदान की जा रही है जिसके तहत 400 विद्यार्थी 11वीं तथा 400 विद्यार्थी 12वीं कक्षा के नामांकित हैं।

बुनियाद

5.38 गत वर्ष से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए "बुनियाद कार्यक्रम" शुरू किया गया है और इस वर्ष में बुनियाद कार्यक्रम के तहत 4,000 बच्चे लाभार्थी हैं। छात्रों का चयन 3-स्तरीय प्रवेश परीक्षा के बाद किया जाता है, जिसके बाद अन्य छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एन.टी.एस.ई. (राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा), के.वी.पी.वाई. (किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना) आदि की कोचिंग प्रदान की जा रही है।

स्वच्छ प्रांगण

5.39 प्रदेश में स्वच्छ प्रांगण योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 हेतु 400 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

5.40 प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 2,000 लाख रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है (तालिका 5.6)।

तालिका 5.6- योजनावार स्वीकृत बजट एवं व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत बजट	व्यय (31-10-2023 तक)
1	सी.सी.ई.	500.00	360 (लगभग)
2	विज्ञान का प्रचार	12000.00	4692.74
3.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	2000.00	1200.00 (लगभग)
4.	स्वच्छ प्रांगण	400.00	150.00 (लगभग)

स्रोत: माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

कक्षा 6 से 12वीं तक की सभी लड़कियों को सेनेटरी नैपकिन का प्रावधान

5.41 हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों की लगभग 7.01 लाख छात्राओं को 6 पैड वाला पैकेट हर माह दिया जा रहा है।

राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

5.42 शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को महसूस करते हुए, राज्य के नियमित सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा विभाग ने मौजूदा 139 विद्यालयों के अतिरिक्त, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नाम से 62 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की है। 8 मेवात मॉडल स्कूलों को भी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के रूप में स्थापित किया गया है। इन विद्यालयों की स्थापना करते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि विधान सभा क्षेत्र और प्रत्येक खंड में कम से कम एक विद्यालय अवश्य हो। 146 राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर स्कूलों को केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), नई दिल्ली से संबद्ध किया जा रहा है।

विज्ञान कार्यक्रम को बढ़ावा देना

5.43 'करके सीखने' की अवधारणा को मजबूत करने और स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यह विभाग माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान) किट प्रदान कर रहा है। युवा मन में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए विभाग ने सभी 'सरकारी माध्यमिक विद्यालयों' में उच्च प्राथमिक विज्ञान किट उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है। इन किटों की आपूर्ति से विज्ञान प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है। इसके अलावा, हरियाणा में 2,424 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और 1,025 राजकीय उच्च विद्यालयों को लगभग 8.83 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

बजट - वित्त वर्ष 2023-24 में प्रथम अनुपूरक के लिए कुल संशोधित बजट विभिन्न योजनाओं में कुल 7,50,414.62 लाख रूपए का बजट प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 31-10-2023 तक 34,774.45 लाख रूपए का बजट खर्च किया गया।

उच्चतर शिक्षा

5.44 युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्रदान करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना राज्य सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है। राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने उच्चतर शिक्षा में क्षमता और गुणवत्ता के विस्तार और सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। राज्य सरकार का दृष्टिकोण उच्चतर शिक्षा में प्रवेश, गुणवत्ता, समानता और स्थिरता के मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित है। हरियाणा में उच्चतर शिक्षा का दृष्टिकोण समानता और समावेशन के साथ राज्य की मानव संसाधन क्षमता को पूर्ण रूप से महसूस करना है।

5.45 इस वर्ष के दौरान राजकीय कन्या महाविद्यालय, खरक कलां, (भिवानी), राजकीय महाविद्यालय, फतेहाबाद (फतेहाबाद), राजकीय कन्या महाविद्यालय, धनौरी (कैथल), राजकीय महाविद्यालय, गन्नौर (सोनीपत) तथा राजकीय महाविद्यालय, जखौली (सोनीपत) नामक 5 नये राजकीय महाविद्यालय शुरु किए गए है। कुल 182 राजकीय महाविद्यालयों में से 63 महाविद्यालय विशेष रुप से लड़कियों के लिए है। विभाग लड़कियों के लिए विशेष रुप से अधिक राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उच्चतर शिक्षा अधिक से अधिक लड़कियों की पहुंच तक सुनिश्चित की जा सके। सरकारी सहायता प्राप्त 97 महाविद्यालय निजी तौर पर संचालित हैं, जिनमें से 35 कालेज लड़कियों के लिए है।

5.46 उच्चतर शिक्षा विभाग का इरादा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लैंगिक संवेदनशील वातावरण बनाने का है। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाले और संचालित डिग्री कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों के व्यापक बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी संसाधनों का निवेश किया है। साथ ही, हमारे राज्य के सामयिक एवं सक्रिय हस्तक्षेप ने निजी क्षेत्र को सभी नागरिकों के बीच उच्चतर शिक्षा का प्रसार करने के लिए हमारे भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रदेश के सभी नवीन क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने हेतु राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5.47 उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के सभी राजकीय, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन संचालित की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 1,52,933 नए दाखिले किए गये। राजकीय महाविद्यालय के शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का डाटा बेस तैयार किया गया है तथा इसे वैब पोर्टल पर अपलोड किया गया है। राज्य सरकार का ध्यान डिग्री कॉलेजों मे पढ़ाई करने वाले छात्रो की नियुक्तियों में वृद्धि करने के लिए पूरी तरह केन्द्रित है। इसके अलावा विद्यार्थियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। राज्य सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 182 राजकीय महाविद्यालयो में प्लेसमेंट सैल की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये की राशि के बजट का और आई.टी. योजना के लिए 700.00 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया है। वर्ष 2023-24 में 4 राजकीय महाविद्यालयो में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्लसमेंट मेले आयोजित करने के लिए 4.28 लाख रुपये वितरित किए गए।

तकनीकी शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

5.48 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) सैक्टर -23, पंचकुला, में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से स्थापना की जा रही हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और भवन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 12-07-2023 को किया गया है। वर्ष 2023.24 के दौरान राज्य द्वारा 775 लाख रूपये की राशि जारी की गई है और व्यय शुन्य है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.)

5.49 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना गांव किलोहड़, जिला सोनीपत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है, जिसकी अतिथि कक्षाएं आई.आई.आई.टी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के परिसर में शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शुरू की गईं थी। शैक्षणिक सत्र 2019-20 से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रथम वर्ष की कक्षाएं राजीव गांधी एजूकेशन सिटी सोनीपत के टैक्नो पार्क के परिसर में शुरू की गई है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना के लिए भूमि की कीमत की ऐवज में 5वी किस्त के रूप में 579.83 लाख रूपये ग्राम पंचायत, किलोहड (सोनीपत) को वित वर्ष 2019-20 में जारी किये गये । आई.आई.आई.टी. का निर्माण कार्य शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा करवाया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.), अब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस. एवं डी.ई.), भारत सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत में नये राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना

5.50 राज्य में 7 नये राजकीय बहुतकनीकी संस्थान एम.एच.आर.डी,. भारत सरकार की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बहुतकनीकी की स्थापना हेतु 12.30 करोड़ रूपये, (8.00 करोड रूपये भवन निर्माण तथा 4.30 करोड रूपये मशीनों एवं उपकरण हेतु) की सहायता राशि एम.एच.आर.डी., भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अब भारत सरकार द्वारा 114.29 करोड रूपये केन्द्रीय सहायता राशि के रूप में प्रदान किये गये हैं तथा इसके अतिरिक्त शेष राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है ।

मौजूदा बहुतकनीकियों का उन्नयन/आधुनिकीकरण (100 प्रतिशत सी.एस.एस.)

5.51 12 सरकारी बहुतकनीकियों को एम.एच.आर.डी./एम.एस.डी.ई. भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मौजूदा बहुतकनीकियों का उन्नयन नाम से कवर किया गया है, जिसमें लगभग 200 लाख रू0 (प्रति बहुतकनीकियों) एम.एच.आर.डी. द्वारा बहुतकनीकियों की प्रयोगशाला एंव कार्यशाला को अपग्रेड करने के लिए मशीनों एवं उपकरणों तथा कम्पयूटर सिस्टम आदि की खरीद के लिए रखा गया है। एम.एच.आर.डी. की तकनीकी समिति ने 12 बहुतकनीकियों के लिए 2,235 लाख रूपये अनुमोदित किये है। एम.एच.आर.डी. ने अब तक 1481 लाख रूपये जारी किये है, जिसमें से लगभग 1,150 लाख रूप्ये खर्च हो चुके है और बकाया राशि को मशीनों एंव उपकरणों की खरीद हेतू उपयोग किया जायेगा।

अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति

5.52 यह एस.सी.एस.पी. घटक के तहत कवर की गई राज्य सरकार की योजना है। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें खरीदी जाती है और एस.सी. छात्रों को मुफत किताबें प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 100 लाख रुपये का बजट प्रावधान है व खर्च शून्य है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कम्पयूटर लैब्स की स्थापना

5.53 यह एस.सी.एस.पी. घटक के तहत कवर की गई राज्य सरकार की योजना है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 50 लाख रूप्ये का बजट प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के आईटी कौशल में सुधार के लिए कम्पयूटर लैब स्थापित करने के लिए कम्पयूटर सिस्टम और सम्बन्धित वस्तुओं की खरीद की जाती है।

सरकारी का प्रत्यायन (स्वर्ण जयंती योजना के तहत)

5.54 23 मौजूदा सरकारी का प्रत्यायन स्वर्ण जयंती योजना के तहत वर्ष 2016-17 से चरणबद तरीके से किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में रूपये 50 लाख की राशि जारी की जा चुकी है तथा खर्च शून्य है।

पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सी.डी.टी.पी.) योजना

5.55 वर्तमान में 16 सरकारी और सहायता प्राप्त बहुतकनीकियों में 3 से 6 महीने की अवधि के विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ परिचालित है। यह 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। जब भी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.), भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किया जाता है, उसे संबंधित संस्थानों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। एम.एस.डी.ई., द्वारा जारी किया जाने वाला अनुदान तय नहीं है। हर साल बजट प्रावधान प्रयोगात्मक अस्थायी रूप से किया जाता है। 2022-23 के दौरान लगभग 1,516 उम्मीदवारों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रूपये 120 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कोई राशि/बजट जारी नहीं किया गया है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.)

5.56 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.) योजनाएं केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है । योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से उनके पोस्ट मैट्रिक/माध्यमिक पाठयक्रमों को आगे बढ़ानें के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से आय रूपये 2.50 लाख (2013-14 से) से अधिक नहीं है, वे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए, छात्रों को हरियाणा का निवासी होना चाहिए। छात्रवृत्ति में शामिल है (i) रख रखाव भत्ता (ii) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ते (iii) सभी अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क (iv) अध्ययन यात्रा (v) थीसिस टाइपिंग/प्रिंटिंग शुल्क (vi) पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता और (vii) बुक बैंक। वर्ष 2023-24 के दौरान 200 लाख रूपये की राशि जारी की गई है और व्यय शून्य है, क्योंकि पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31-01-2024 है।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

5.57 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 195 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) (152 सहशिक्षा आई.टी.आई., 36 राजकीय महिला आई.टी.आई. और 7 वित्तीय सहायता प्राप्त राजकीय आई.टी.आई.) तथा 195 निजी राजकीय आई.टी.आई. के नैटवर्क के माध्यम से एक वर्षीय व दो वर्षीय सर्टिफिकेट व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। पिछले 5 वर्षो से सरकारी व प्राईवेट आई.टी.आई. की संख्या बढ़ गई है।

5.58 वर्ष 2023-24 में 195 राजकीय आई.टी.आई. में 85,488 स्वीकृत सीटों की क्षमता के साथ चल रहे हैं राजकीय आई.टी.आई. में महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण है। 195 राजकीय आई.टी.आई. के अतिरिक्त 195 निजी आई.टी.आई. भी 36,084 छात्र क्षमता के साथ चल रहे हैं। राजकीय आई.टी.आई. में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। वर्षवार राजकीय तथा निजी आई.टी.आई. की संख्या तालिका 5.7 में दी गई है तथा बजट प्रावधान एवं खर्च की स्थिति तालिका 5.8 में दी गई है।

तालिका-5.7 वर्ष वार राजकीय तथा निजी आई.टी.आई. की संख्या

शैक्षणिक सत्र	राजकीय आई.टी.आई. की संख्या	निजी आई.टी.आई. की संख्या	कुल
2019-20	172	246	418
2020-21	172	242	414
2021-22	187	225	412
2022-23	192	225	417
2023-24	195	195	390

स्त्रोत-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका-5.8 विभाग के बजट प्रावधान तथा खर्च की स्थिति

(राशि करोड़ रुपयों में)

वित्त वर्ष	कुल संशोधित बजट प्रावधान	आनलाईन खर्चा	खर्चा प्रतिशत
2019-20	686.03	573.22	83.56
2020-21	564.45	529.45	93.80
2021-22	484.49	592.87	122.37
2022-23	610.70	471.81	77.26
2023-24	959.88	342.29 (31.10.2023 तक)	35.65

स्त्रोत-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

5.59 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 610.70 करोड़ रूपये के संशोधित बजट प्रावधान के अतिरिक्त, वित्त विभाग की योजना "विश्वविद्यालयों को ऋण" के अंतर्गत 56.58 करोड़ रूपये वस्तु शीर्ष 23-ऋण के तहत एस.वी.एस.यू. को ऋण वित्त विभाग द्वारा प्रदान किये गए।

फ्लैगशीप कार्यक्रम/योजनाएं

सार्वजिनक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)

5.60 सार्वजिनक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) स्कीम के तहत, यह कार्यक्रम एक फलैगशिप स्कीम है, जिसमें 1,396 सरकारी आई.टी.आई. को अपग्रेड करना है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण

कार्य को अधिक उपयोगी बनाने के लिये, 57 राजकीय आई.टी.आई. को अपग्रेडशन करने 34 उद्योगिक भागीदारों द्वारा अंगीकृत किया गया है। 78 राजकीय आई.टी.आई. के संचालन, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 71 सोसाईटियों का गठन किया गया।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एच.के.आर.एन.एल.)

5.61 एच.के.आर.एन.एल. की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी/निजी प्रतिष्ठानों में कुशल और अर्धकुशल जनशक्ति की तैनाती की व्यवस्था करने हेतू 13 अक्टूबर, 2021 को की गई थी।

मुख्य बिन्दु:

- एच.के.आर.एन.एल. ने लगभग 1.2 लाख सक्रिय कर्मियों को (16,799 नई तैनाती सहित) सफलता पूर्वक तैनात किया है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में एच.के.आर.एन.एल. ने तैनात कर्मियों के बैंक खातों में सीधे 1,504 करोड़ रुपये जमा किए।
- एच.के.आर.एन.एल. के माध्यम से तैनात कर्मचारी ई.पी.एफ., ई.एस.आई., एल.डब्ल्यू.एफ. और मातृत्व अवकाश जैसे सामाजिक लाभों का आनंद लेते हैं, जिससे कार्य करने हेतू एक सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा मिला है।
- एच.के.आर.एन.एल. जनशक्ति की तैनाती के लिए आरक्षण दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करते हुए सरकार की दिनांक 30-06-2022 की नीति का सख्ती से पालन करता है।
- एच.के.आर.एन.एल. द्वारा चिरायु योजना में तैनात कर्मियों 21,000 रुपये से अधिक के वेतन पर रखा गया है।
- दिनांक 30-06-2022 की नीति के खंड 12 के अनुरूप, एच.के.आर.एन.एल. द्वारा अनुबंध आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अनुकंपा नियुक्तियों के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- एच.के.आर.एन.एल. ने अत्याधुनिक आई.टी. प्रोद्योगिकी को अपनाते हुए अपने पोर्टल पर एंटरप्राइज नामक एक विशेष डोमेन विकसित किया है। यह डोमेन कुशल भर्ती प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए निजी और विदेशी संस्थाओं को जनशक्ति आपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.)

5.62 यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख कौशल विकास योजना है। यह एक अनुदान आधारित योजना है, जो युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए 350 से अधिक कार्य भूमिकाओं में निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन प्रदान करती है। यह योजना हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा हरियाणा राज्य में लागू की जा रही है।

सूर्या (एस.यू.आर.वाई.ए. -स्किलिंग, अप-स्किलिंग, री-स्किलिंग ऑफ यूथ एंड असेसमेंट)

5.63 सूर्या (स्किलिंग, अप-स्किलिंग, री-स्किलिंग ऑफ यूथ एंड असेसमेंट) रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य के युवाओं को कम अवधि के प्रशिक्षण, रिकोगनीशन ऑफ प्रायरलर्निंग तथा चालक प्रशिक्षण भारी मोटर वाहन प्रदान करने हेतू राज्य वित्तीय पोषित योजना है।

तालिका- 5.9 एस.यू.आर.वाई.ए. की स्थिति

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	आंबटित लक्ष्य	नामांकित उम्मीदवारों की संख्या	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	मूल्यांकित उम्मीदवारों की संख्या	टिप्पणी
1	लघु अवधि प्रशिक्षण (एस.टी.टी.)	31688	18700	9213	55	मूल्यांकन चल रहा है।
2	पूर्व कौशल को मान्यता (आर.पी.एल.)	10000	120	120	-	

स्त्रोत-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवधर्न स्कीम (एन.ए.पी.एस.)

5.64 भारत में शिक्षुता को आगे बढ़ानें और सुविधा जनक बनानें के लिए वर्ष 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवधर्न योजना शुरू की गई। हरियाणा राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवधर्न योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न अभिनव पहल कर के देश में एक अग्रणी भूमिका निभाई है और हरियाणा राज्य ने वर्ष 2017 में देश में राज्य जनसंख्या के प्रति लाख में 76 अप्रैटीस के उच्चतम अनुपात की उपलब्धी पर भारत सरकार से चैंपियन आफ चेंज अवार्ड जीता है। वर्षवार शिक्षुता की स्थिति का विवरण तालिका 5.10 में दिया गया है।

तालिका- 5.10 वर्षवार अप्रेंटिसशिप की स्थिति

वित्तीय वर्ष	नामांकित अप्रेंटिसशिप की संख्या	पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या
2019-20	20617	663
2020-21	24571	1244
2021-22	14387	78
2022-23	10806	1071
2023-24	9725	790
कुल जोड़	80106	3846

स्त्रोत-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डी.एस.टी.)

5.65 हरियाणा राज्य में प्रशिक्षणार्थियों को उद्योगों से सम्बन्धित व्यवहारिक प्रशिक्षण करवाने के लिए दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रशिक्षणार्थियों को एक वर्षीय के आई.टी.आई. कोर्स में 3-6 महीने की अवधि का और दो वर्षीय के आई.टी.आई. कोर्स में 6-12 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उद्योगों में प्रदान किया जाता है। सत्र 2023-24 व 2023-25 में एक वर्षीय और दो वर्षीय पाठयक्रम 67 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 189 उद्योगों के साथ 46 व्यवसायों के 307 यूनिट हेतू दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत समझौता करते हुए दाखिला किया गया है।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.ओ.टी.)

5.66 राजकीय आई.टी.ओ.टी. रोहतक ने पहली बार अगस्त, 2015 में कार्य आरम्भ करने पर 3 ट्रेडस के दाखिले किये। इस संस्थान में कुल क्षमता 300 है। विश्व बैंक द्वारा आई.टी.ओ.टी. स्थापित करने के लिए प्रदान की गई सारी राशि प्रयोग कर ली गई है और अब यह संस्थान राज्य योजना के तहत चल रहा है।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की कल्याण योजनाएं

(क) केन्द्र प्रायोजित योजना

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रायोजित स्कीम)

5.67 राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व राजकीय/निजी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.ओ.टी.) में प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रीय प्रोयोजित पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप योजना के अन्तर्गत 208 रुपये प्रति महीने की वित्तीय सहायता छात्रवृति के रूप में अदायगी की जाती है, छात्रवृति के साथ-2 अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को ट्यूशन फीस, बिल्ड़िग फण्ड़, छात्रफण्ड़, होस्टल चार्ज व पहचान पत्र की भी अदायगी की जाती है। वर्षवार अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ (1-11-2022 से 31-10-2023) का विवरण तालिका 5.11 अनुसार है:-

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2022-23	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - अनुसूचित जाति (40 प्रतिशत राज्य शेयर) वितरित	128.57	6224
2023-24	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - अनुसूचित जाति (40 प्रतिशत राज्य शेयर) वितरित	195.79	6737
कुल		324.36	12961

स्त्रोत - कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

5.68 राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अन्य पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रीय प्रोयोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक भत्ता 5,000 प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता के रूप में अदायगी की जाती है (तालिका 5.12)।

तालिका 5.12 वर्षवार अन्य पिछडे वर्ग के प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2022-23	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - अन्य पिछडे वर्ग (केन्द्रीय स्कीम)	60.65	201
2023-24	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - अन्य पिछडे वर्ग (केन्द्रीय स्कीम)	63.18	2681
	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - अन्य पिछडे वर्ग (60:40 के केन्द्रीय/राज्य शेयर वितरित)	178.05	3561
कुल		301.88	6443

स्त्रोत - कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

(ख) राज्य प्रायोजित योजना

अनुसूचित जाति (एस.सी.) के राजकीय आई.टी.आई. में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति योजना

5.69 इस विभाग द्वारा हरियाणा राज्य स्कीम के तहत राजकीय आई.टी.आई. में यह योजना वर्ष 2017-18 से चलाई जा रही है, जिस हेतू प्रशिक्षणार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. में जारी किये व्यवसाय में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हो। इस योजना के तहत बिना किसी आय सीमा के एस.सी. के प्रशिक्षणार्थियों को 200 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति व 15 रूपये ट्यूशन फीस की अदायगी की जा रही है। दिनांक 01-11-2022 से 31-10-2023 के दौरान

राज्य स्कीम एस.सी. के तहत एस.सी. के अध्ययनरत 535 प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति के रूप में 9.64 लाख रूपये का वितरण किया गया।

गरीबी और योग्यता के आधार पर भर्ती किये गए प्रशिक्षणार्थियों हेतु योजना

5.70 कुल दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थियों में से 25 प्रतिशत को गरीबी और योग्यता के आधार पर 200 रूपये प्रति माह छात्रवृति एक अन्य स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राजकीय आई.टी.आई. में कुल दाखिल हुए के 25 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को (व्यवसाय वाईज) मैरिट-कम-मीन आधार पर 200 रूपये मासिक दर के अनुसार छात्रवृति का भुगतान किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और वार्षिक परिवारिक आय 2.50 लाख रूपये या इससे कम होनी चाहिये और प्रशिक्षणार्थी एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. स्कीम में जारी किये गये व्यवसायों में प्रशिक्षण ग्रहण करता हो। दिनांक 01-11-2022 से 31-10-2023 के दौरान जी.एस. 25 प्रतिशत स्कीम के तहत 15 प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति के रूप में 32,800 रूपये का वितरण किया गया।

निःशुल्क फ्री-टूल-किट योजना

5.71 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा निःशुल्क फ्री-टूल-किट योजना चलाई जा रही है। फ्री-टूल-किट योजना के तहत सभी राजकीय आई.टी.आई. के सभी बालिका प्रशिक्षणार्थियों और अनुसूचित जाति के लड़के प्रशिक्षणार्थियों को कोर्स अवधि में एक बार 1,000 रूपये का भुगतान किया जा रहा है।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एस.वी.एस.यू.)

5.72 श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में डिप्लोमा/अंडरग्रेजुएशन/स्नातकोत्तर के स्तर के 47 कार्यक्रमों की पेशकश की है। विश्वविद्यालय ने 39 कार्यक्रमों में 1,510 सीटों में से 1,076 छात्रों को प्रवेश दिया। विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक (वोकेशनल) स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को चलाने के लिए हरियाणा में 24 कॉलेजों को संबद्धता प्रदान की है। ग्लोबल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ लघु अवधि (शॉर्ट टर्म) कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम और सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ फूड लीड ऑडिटर प्रोग्राम को विश्वविद्यालय के अस्थाई कार्यालय, गुरुग्राम से हाइब्रिड मोड में चलाने की संभावना तलाशी जा रही है। विश्वविद्यालय ने सी.एन.सी. सिमुलेशन लैब, सी.एन.सी. मशीनिंग कार्यशाला, सौर प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, एडवांस इलेक्ट्रिकल लैब और वेल्डिंग प्रौद्योगिकी कार्यशाला सहित प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं के साथ एक केंद्र स्थापित किया है। विश्वविद्यालय ने एन.सी.वी.ई.टी. को 33 योग्यताएं प्रस्तुत कीं और 7 योग्यताएं अनुमोदित की गईं हैं।

5.73 विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों के सदस्यों के लिए एक परामर्श नीति विकसित की है, जिससे उनके विश्वविद्यालयीन अनुभवों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक घरानों के साथ साझा करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के लिए एक संकाय विकास नीति तैयार और कार्यान्वित की है। विश्वविद्यालय ने एस.आई.डी.बी.आई. (सिडबी) के सहयोग से सुपर 30 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य छः महीने के पाठ्यक्रम के लिए कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से नवाचार व्यापार विचारों और कौशल के साथ 30 प्रतिभागियों का चयन करना है।

5.74 विश्वविद्यालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनलर्निंग में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर साइंस से टैक्नोलोजी स्नातक कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही विश्वविद्यालय ने 2023-24 के सत्र में आनंद ग्रुप के साथ बी.टेक. लेटरल एंट्री प्रोग्राम शुरू किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड (बी.एस.ई.एच.) से लगभग 80,000 उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। यह परियोजना 4.0 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व के साथ 1 फरवरी, 2024 से शुरू हो चुकी है।

5.75 श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के पास छात्रों के लिए ऑन जॉब प्रशिक्षण/इंटर्नशिप के लिए 51 उद्योग भागीदार हैं, वहीं 19 और उद्योग भागीदारों को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। एन.टी.पी.सी., कैंटाबिल, स्पेंसर्स, रेडिसन बाईकंट्री इन, ई.आई.एच. ग्रुप ओबेरॉय होटल्स, आयुष आदि जैसे ब्रांडों के साथ आशय पत्र/समझौता ज्ञापन हुए हैं। एन.टी.पी.सी. के साथ 3 साल के लिए तीन अल्पकालिक कार्यक्रमों-सिलाई ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका कुल मूल्य 83.7 लाख रुपये है। पात्र छात्रों में से 81 प्रतिशत छात्रों को पिछले वर्ष के 65 प्रतिशत की तुलना में प्लेसमेंट मिला।

5.76 श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (इनोवेटिव फीडर स्कूल) को माध्यमिक स्तर तक के लिए मार्च, 2027 तक नियमित संबद्धता मिली है। स्कूल ने ग्यारहवीं कक्षा शुरू कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दसवीं कक्षा (सीबीएसई) का परिणाम 100 प्रतिशत रहा।

5.77 पूर्व शिक्षा की मान्यता (आर.पी.एल.) की प्रगति निम्नलिखित हैं:

क) तीन भागीदारों, हीरो मोटोकॉर्प, इंपीरियल ऑटो और सुब्रोस ने आर.पी.एल. कार्यक्रमों के लिए सहमति व्यक्त की है।

ख) 62 बैचों के लिए आरपीएल प्रशिक्षण और मूल्यांकन 19 जिलों में पूरा हो चुका है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.) के लगभग 2,620 उम्मीदवार शामिल है। 37.13 लाख रूपये का चालान जारी किया गया है और भुगतान प्राप्त होना है।

ग) आयुष विभाग से 1,004 उम्मीदवारों के आर.पी.एल. प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। यह परियोजना मार्च 2024 के पहले सप्ताह से लगभग 45 लाख रूपये के अनुमानित राजस्व के साथ शुरू होने वाली है।

घ) 9,200 उम्मीदवारों के लिए पी.एम.के.वी.वाई. 4.0 के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण (एस.टी.टी.) आयोजित करने का कार्य आदेश प्राप्त हो गया है। पीएमकेवीई 4.0 स्किल हब योजना में 166 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें से 149 को प्रमाणित किया गया है। 198 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण चल रहा है। और अधिक उम्मीदवारों के नामांकन हेतु प्रयास जारी है।

सूचना प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार विभाग

5.78 सूचना प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार विभाग (अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग- सी.आर.आई.डी.), हरियाणा की गतिविधियां और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

राज्य डेटा सेंटर

5.79 ओवरलोडेड और लगभग अप्रचलित हो चुके हरियाणा राज्य डेटा सेंटर को सक्रिय रूप से पुनरुद्धार के लिए लिया गया था। वर्तमान में राज्य सरकार के संगठनों की 280 एप्लिकेशन और

वेबसाइट तथा राज्य सरकार के 7 मिशन मोड प्रोजेक्ट (एम.एम.पी) इस डेटा सेंटर पर होस्ट किए गए हैं। इस प्राचीन डेटा सेंटर की कंप्यूटिंग और भंडारण क्षमताओं तथा सुरक्षा विशेषताओं को उन्नत करने के लिए एक योजना तैयार की गई थी। आई.टी-प्रिज्म (राज्य स्तरीय संचालन समिति) ने 268.41 करोड़ रुपये की लागत से एस.डी.सी. इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। सिस्टम इंटीग्रेटर (एस.आई.) के चयन और ऑनबोर्डिंग तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनीट (पी.एम.यू.) की स्थापना लिए निविदाएं प्रगति पर हैं।

हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एच.एस.डब्ल्यू.ए.एन.)

5.80 विभिन्न राज्य सरकारी विभागों में इंटर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एच.एस.डब्ल्यू.ए.एन.) कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए, 24 जिला कार्यालयों और 120 ब्लॉक कार्यालयों को कवर करने वाली बढ़ती कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, (एच.एस.डब्ल्यू.ए.एन.) को बढ़ाने और बैंडविड्थ को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। 47.7 करोड़ रुपये की लागत से लंबवत पी.ओ.पी. और क्षेत्रीय कार्यालयों को क्षैतिज कार्यालयों के रूप में जोड़ा गया है। इसके लिए विभिन्न एस.डब्ल्यू.ए.एन. उपकरणों के पुनरूद्धार के लिए निविदा प्रगति पर है।

स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एल.ए.एन.) का पुनरुद्धार

5.81 सरकार ने सचिवालयों यानी हरियाणा सिविल सचिवालय, नए सचिवालय और जिला लघु सचिवालयों में स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क (एल.ए.एन.) को 60.67 करोड़ रूपये की लागत से पुनर्जीवित करने का भी निर्णय लिया है ताकि बेहतर वीडियो कान्फ्रेंसिंग, ई-आफिस, ई-मेल, जी2जी सेवाएं, तेज वाई-फाई और इंटरनेट स्पीड, बेहतर प्रबंधन क्षमता और संरचित नेटवर्क जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। संरचित स्थानिय क्षेत्र में नेटवर्क की आपूर्ति, स्थापना, कोंन्फिगरेशन, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए निविदा प्रगति पर है।

भारत नेट परियोजना

5.82 हरियाणा को भारत नेट परियोजना के लिए विशेष सहायता योजना के तहत भारत सरकार से 65 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और इतनी ही राशि 65 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर फाइबर आधारित (एफ.टी.टी.एच.) कनेक्टिविटी रोलआउट के लिए स्वीकृत की गई है। यह लगभग पंचायत कार्यालयों, पटवारखानों, सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों और पुलिस स्टेशनों सहित विभिन्न सरकारी क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ने के लिए प्रति ग्राम पंचायत लगभग 10 फाइबर कनेक्शन सक्षम करेगा। हरियाणा सरकार ने बी.एस.एन.एल. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य में लगभग शुरू हो गया है तथा जिसके वर्तमान में लगभग 3,000 कनेक्शन चल रहे हैं।

जनसहायक मोबाईल ऐप

5.83 हरियाणा में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सुशासन दिवस 2023 के अवसर पर, राज्य ने परिवार पहचान पत्र पर आधारित अधिक सेवाओं और योजनाओं के साथ जन सहायक मोबाइल ऐप का नया और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल संस्करण लान्च किया है। जनसहायक मोबाईल ऐप एक मोबाइल-आधारित प्लेटफार्म है जिसे नागरिकों को पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ऐप सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाओं की 'कहीं-भी, कभी-भी किसी-भी समय' डिलीवरी सुनिश्चित करता है। कम्प्यूटरीकृत परिवार

पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा, संपत्ति कार्ड, राशन कार्ड, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि से लेकर सभी सुविधाएं, शिकायतों के तंत्र के साथ-साथ फीडबैक और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। यह सार्वजनिकि सहायता मोबाईल ऐप किसानों, युवाओं, विकलांगों, महिलाओं, छात्रों, पूर्व सैनिकों, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के हर वर्ग के लिए जीवन को आसान बना देगा और नागरिकों के लिए एम-गवर्नेंस प्लेटफार्म का विस्तार करने में हरियाणा सरकार के दृष्टिकोण को साकार करेगा।

ई-खरीद पोर्टल

5.84 ई-खरीद पोर्टल खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता ला रहा है। लगभग 450 लाख मीट्रिक टन उपज की खरीद की गई है और लगभग 90,000 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया है। राज्य सरकार को उन किसानों के लिए, जो एम.एस.पी. से कम कीमत पर अपनी बागवानी फसल बेचने के लिए मजबूर हैं, को अंतर राशि (एम.एस.पी. से बिक्री मूल्य घटाकर) हस्तांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए 'भावांतर भरपाई योजना' पोर्टल भी विकसित किया गया है। बागवानी किसानों को ऑनलाइन फसल बीमा खरीदने और प्रतिकूल मौसम तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान के लिए ऑनलाइन मुआवजा प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.एम.बी.बी.वाई.) पोर्टल भी लॉन्च किया गया था।

संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना नीति 2023

5.85 हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में उच्च गुणवता वाली कनेक्टिविटी और दूरसंचार सेवाओं को सुनिधाजनक बनाने और विकसित करने के लिए एक संशोधित संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना नीति 2023 अधिसूचित की है। उक्त नीति "इंडियन टेलीग्राफ राइट टू वे रूल्स 2016" के अनुरूप है। हरियाणा सरकार ने शुरूआत में 2014 में नीति को अधिसूचित किया और बाद में 2017, 2018, 2019 और 2023 में इसे संशोधित किया। इसके बाद इन सकारात्मक प्रभावों ने सामूहिक रूप से राज्य भर में जीवन और व्यवसाय से जुड़े पहलुओं में अधिक कुशल और अभिनव परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त किया है।

ई-गवर्नेंस की पहल

5.86 राज्य सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना द्वारा समर्थित विभिन्न आईसीटी सक्षम सेवाओं को लान्च करके ई-गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन की पहल की दिशा में लगातार काम कर रहा है। राज्य ने पिछले वर्ष उदय हरियाणा, निरोगी हरियाणा, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शिकायत पंजीकरण और केस ट्रैकिंग सिस्टम आदि जैसी आनलाईन सेवाओं का पोर्टल लान्च किया गया है। इस सिस्टम को संभालने वाले कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

अंत्योदय सरल पोर्टल

5.87 अंत्योदय सरल पोर्टल ने शुरू से अन्त पूर्ण डिजिटल समाधान के माध्यम से हरियाणा में सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को बदलकर रख दिया है। वर्तमान में 56 विभागों/बोर्डों/निगमों से संबंधित 682 सरकारी जी2सी सेवाएं नागरिकों को निर्बाध तरीके से प्रदान की जा रही हैं। प्रासंगिक अवधि के दौरान जनता से 7,52,82,271 आवेदन प्राप्त हुए और 7,36,33,081 पर कार्रवाई करके सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ऑटो अपील सिस्टम (ए.ए.एस.)

5.88 ऑटो अपील सिस्टम (ए.ए.एस.) को सरल पोर्टल के साथ जोड़ा गया था ताकि यदि सक्षम प्राधिकारी सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की गई निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन का निपटान नहीं करता है तो सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अपील दायर करने में सक्षम बनाया जा सके। अब तक 40 विभागों/बोर्डों/निगमों की 425 सेवाएं ऑनबोर्ड की गई हैं। इस प्रणाली के माध्यम से 11,11,607 अपीलें दायर की गई और 11,01,529 (99 प्रतिशत) अपीलों का निपटारा किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय, हरियाणा

5.89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। पहले इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही थी, हरियाणा राज्य विज्ञान एंवम प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार। अब हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 120-2020/Ext. दिनांक 25 अगस्त, 2020 द्वारा हरसैक, हिसार को एक नए विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग, हरियाणा में हस्तान्तरण किया जा चुका है। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए आकर्षित करने तथा अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी निदेशालय ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैः-

- विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति योजना- इस योजना के अन्तर्गत विभाग मूल व प्राकृतिक विज्ञान विषयों में पढ़ाई करने वाले 250 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाती है। स्नातक तक के छात्रों को 4,000 रुपये प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर के छात्रों को 6,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से आज तक 2,505 विद्यार्थियों को लगभग 2,956.26 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां दी गई है।
- हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना- हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज-1 परीक्षा जो की 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित की जाती है, में अंकों के आधार पर उच्चतम 1,500 विद्यार्थियों (1,250 छात्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तथा 250 छात्र सी.बी.एस.ई./ आई.सी.एस.ई. बोर्डो के) का छात्रवृति हेतू चयन किया जाता है। चयनित छात्रों, जो कि 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ेगें को 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृतियां दी जाती हैं।
- पी.एच.डी. छात्रों के लिए फेलोशिप योजना- फेलोशिप कार्यक्रम जुनियर रिसर्च फेलोशिप जे.आर.एफ. के लिए संयुक्त सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी. परीक्षण और एन.टी.ए. द्धारा आयोजित लेक्चरारशिप की पात्रता पर आधारित है। जिन उम्मीदवरों ने जे.आर.एफ.-एन.ई.टी. (सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी.) में उर्तीण किया है, उन्हें सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी. के समकक्ष फेलोशिप दी जाएगी, यदि वे किसी वैध कारण से सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी. से फेलोशिप नहीं ले रहे है, यानि जूनियर रिसर्च फेलो (जे.आर.एफ.) के लिए 31,000 रूपये प्रतिमाह और सीनियर रिसर्च फेलो (एस.आर.एफ.) के लिए 35,000 रूपये प्रतिमाह। जिन उम्मीदवारों ने एल.एस.- एन.ई.टी. क्वालिफाईड किया है, उन्हें सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी. दोनों के लिए मौजूदा दरों पर सी.एस.आई.आर. के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, यानि जूनियर रिसर्च फेलो (जे.आर.एफ.) के लिए 18,000 रूपये प्रतिमाह और सीनियर रिसर्च फेलो (एस.आर.एफ.) के

लिए 21,000 रूपये प्रतिमाह। फेलोशिप में 20,000 रूपये का वार्षिक आकस्मिक अनुदान होगा जो विश्वविद्यालय/संस्थान को प्रदान किया जाएगा।

5.90 आमजन और विद्यार्थियों में खगोलशास्त्र के प्रति जागरूकता लाने व वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उदेष्य से, कल्पना चावला स्मारक तारामण्डल, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के अधीन कार्य कर रहा है। तारामण्डल का उद्घाटन हरियाणा की बहादुर बेटी डा. कल्पना चावला की याद मे 24 जुलाई, 2017 को किया गया था। तारामण्डल का गुम्बद 12 मीटर व्यास में 120 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की क्षमता के लिए बनाया गया है। तारामण्डल में अग्रेंजी और हिंदी में खगोल विज्ञान से संबधित कार्यक्रम दिखाए जा रहें हैं। दीर्घा व एस्ट्रोपार्क, तारामण्डल के दो अन्य आकर्षण हैं जिनमें खगोल से संबधित प्रदर्शनी लगाई गई है।

तालिका 5.13 वर्षवार भौतिक और वितीय उपलब्धियों का विवरण

वर्ष	कुल दर्शक (लाख)	कुल राजस्व (लाख)
2014-15	135720	2926570
2015-16	139845	3192755
2016-17	142443	3291595
2017-18	135293	3097405
2018-19	135490	2859765
2019-20	129361	2617945
2020-21	14829	388690
2021-22	44341	549685
2022-23	86453	906630
2023-24 (18-10-2023 तक)	35978	414415

स्रोत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा।

❋❋❋

6

स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास

हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग भवनों, स्वास्थ्य अमला, उपकरणों, एवं दवाओं को निरंतर तरीके से उपलब्ध करवाने में अग्रसर है। स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा प्रदेश के बीमार और आपातकालीन रोगियों के अलावा शिशुओं, बच्चों, युवाओं, माताओं, योग्य दम्पत्तियों और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूर्ण करने में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त, संचारी व गैर-संचारी रोगों की भी सावधानीपूर्वक जांच तथा रिकार्डिंग, रिपोर्टिंग और योजना की मजबूत प्रणाली बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

6.2 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य विभाग को 6,122.65 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई थी, जिसमे से 4,070.15 करोड़ रूपए की राशि 02-02-2024 तक व्यय की जा चुकी है।

स्वास्थ्य अवसंरचना

6.3 (i) वर्तमान में 22 जिला सिविल अस्पतालों, 50 उप-विभागीय अस्पतालों, 123 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 33 सिविल डिस्पेंसरियों, 13 पॉली क्लीनिकों, 409 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 107 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 55 प्रथम रेफरल इकाइयाँ और 2,733 उप स्वास्थ्य केंद्र के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, 24 विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ और 66 नवजात स्थिरीकरण इकाइयाँ हैं। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की 51 नये भवनों का उद्घाटन किया गया है।

(ii) स्वास्थ्य अवसंरचना का मानचित्रण, जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभागों में बुनियादी ढांचे, जनशक्ति, सेवाओं और उपकरणों सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का स्वास्थ्य मानचित्रण किया गया है। इस मैपिंग अभ्यास ने विभाग को 'मांग के आधार पर 'के बजाय' आवश्यकता के आधार पर' नए बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के साथ-2 वैज्ञानिक तरीके से मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिक कुशलता से निगरानी रखने में सक्षम बनाया है। जरूरत के समय यह सॉफ्टवेयर राज्य में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की वैज्ञानिक आधार पर योजना बनाने और वितरण को सक्षम बनाएगा।

राज्य में कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का कार्यान्वयन

6.4 व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा (सी.सी.एच.एफ.) योजना 01-11-2023 को 2 विभागों यानी बागवानी और मत्स्य पालन के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। 01-01-2024 से अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों एवं आश्रितों को शामिल किया गया है। मार्च, 2024 के अंत तक इस

योजना को सभी विभागों के सभी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना

6.5 आयुष्मान भारत के तहत, स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों (एच.डब्ल्यू.सी.) का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है; जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वभौमिक और मुफ़्त है, जिसमें कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और समुदाय के करीब सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला की डिलीवरी शामिल है। वर्तमान में राज्य में 2,368 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं और इन आरोग्य मंदिरों को चलाने के लिए 1,711 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एच.ओ.) तैनात किए गए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत निम्न सेवाएँ प्रदान की जाती है-

- गर्भावस्था एवं प्रसव में देखभाल।
- नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
- बचपन और किशोर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
- परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक सेवाएँ और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
- संचारी रोगों का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- सामान्य संचारी रोगों का प्रबंधन और गंभीर साधारण बीमारियों और छोटी बीमारियों के लिए सामान्य बाह्य रोगी देखभाल।
- गैर संचारी रोगों, टी.बी. और कुष्ट रोग जैसे पुरानी संचारी बीमारियों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबन्धन
- बुनियादी ओरल हेल्थ केयर।
- सामान्य नेत्र एवं ईएनटी समस्याओं की देखभाल।
- बुजुर्ग और पैलिएटीव हेल्थ केयर सेवाएँ।
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ।
- मानसिक स्वास्थ्य बीमारी की जांच और बुनियादी प्रबंधन।

एन.पी.एन-.सी.डी. एवं एन.टी.ई.पी. के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

6.6 (i) गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.-एन.सी.डी.)- सरकार राज्य के सभी 22 जिलों में गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.-एन.सी.डी.) के कार्यान्वयन के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (एन.सी.डी.) की रोकथाम, नियंत्रण के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत, शीघ्र निदान और प्रभावी प्रबंधन के लिए 30 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी में सामान्य एन.सी.डी. (उच्च रक्तचाप, मधुमेह सामान्य कैंसर यानी मौखिक, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा) की जांच की जा रही है। 1,10,56,289 (71 प्रतिशत) की लक्षित आबादी के मुकाबले 31-01-2024 तक 78,54,801 व्यक्तियों की जांच की गई है। बुजुर्गों को सुलभ, खरीदने में सामर्थ्य, व्यापक और समर्पित सेवाएं प्रदान करने के लिए, बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.) के तहत सभी डी.सी.एच. में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर और फिजियोथेरेपी इकाइयां स्थापित/ कार्यात्मक की गई हैं। सिविल अस्पताल, अंबाला कैंट में 50 बिस्तरों वाला टर्शरी कैंसर देखभाल केंद्र (टी.सी.सी.सी.) अर्थात् अटल कैंसर देखभाल केंद्र (ए.सी.सी.सी.) स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 09-05-2022 को

किया गया था। यह केंद्र नवीनतम उच्च स्तरीय उपकरणों से सुसज्जित है और हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों के जरूरतमंद रोगियों को व्यापक कैंसर देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(ii) एन.टी.ई.पी. राष्ट्रीय क्षय रोग निक्षय मित्र- भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, हरियाणा 2025 तक टी.बी. उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। प्रमुख पहलों में उन्नत निदान विधियों का उपयोग, बेहतर उपचार नियम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग, सक्रिय केस-फाइंडिंग अभियान और डिजिटल पालन तकनीक शामिल हैं। 2023 में, हरियाणा के एन.टी.ई.पी. ने 80,000 से अधिक टी.बी. मामलों को अधिसूचित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि है। इस सफलता का श्रेय बढ़ी हुई नैदानिक सुविधाओं और बढ़ी हुई परीक्षण दरों, विशेष रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिया जाता है, जिसमें 31 जनवरी, 2024 तक 6,732 शिविर पूरे किए गए, 7,34,000 से अधिक व्यक्तियों की जांच की गई और पिछले तीन महीनों में 60,546 मरीजों के बलगम की जांच की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा में, निक्षय मित्रों के नए नामांकन के परिणामस्वरूप 5,024 सदस्यों ने 10,257 रोगियों को भोजन किट प्रदान करने में सहायता की। 6,000 से अधिक निक्षय मित्रों में 1,646 निक्षय मित्र, सरकारी अधिकारी और हेल्थ केयर लीडर जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा और सरकारी चिकित्सक सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत टी.बी. रोगियों को 45,000 पोषण किट वितरित किए गए हैं। एन.आर.आई. डा. नरेश कपूर ने सोनीपत जिले में 1000 मरीजों को गोद लिया है। मरीजों को समर्थन देने के लिए, निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपयें प्रति माह का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) लागू किया गया है, जो 2018 से 2023 तक 103 करोड़ रुपये अधिक है।

निरोगी हरियाणा

6.7 अंत्योदय परिवारों के सभी व्यक्तियों के लिए बड़े पैमाने पर व्यापक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम को 1,018 स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। 30-01-2024 तक 44,91,524 लाभार्थियों की जांच की गई और 2,38,70,282 प्रयोगशाला परीक्षण किए गए।

स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता का आश्वासन

6.8 (i) राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एन.क्यू.ए.एस.)

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 60 स्वास्थ्य संस्थानों के लक्ष्य में से 51 ने एन.क्यू.ए.एस. प्रमाणीकरण हासिल कर लिया है। डी.सी.एच. फ़रीदाबाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाल मैत्रीपूर्ण सेवाओं के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए मुस्कान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित होने वाली देश की पहली सुविधा बन गई है। वर्तमान में, 11 जिला सिविल अस्पताल, 6 उप-विभागीय सिविल अस्पताल/ सिविल अस्पताल, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 94 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 20 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एस.एच.सी.) राष्ट्रीय स्तर पर हैं। एन.क्यू.ए.एस. के आधार पर प्रमाणित।

(ii) कायाकल्प पुरस्कार-गुणवत्ता कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 291 स्वास्थ्य संस्थानों के लक्ष्य में से 390 ने कायाकल्प पुरस्कार हासिल कर लिया है। वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य

सुविधाओं के लिए पुरस्कार के तौर पर कुल 353.95 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

जन स्वास्थ्य की विशेष सुविधाएँ

6.9 (i) सार्वजनिक निजी भागीदारी सेवाएँ (पी.पी.पी.)- वर्तमान में पी.पी.पी. मोड के तहत निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं-

- सी.टी. स्कैन सेवाएँ 17 जिला अस्पतालों में उपलब्ध हैं और 2 जिलों में विचाराधीन हैं।
- एम.आर.आई. सेवाएँ 5 जिला अस्पतालों में उपलब्ध हैं और 6 जिलों में विचाराधीन हैं। हेमोडायलिसिस सेवाएं 20 सिविल अस्पतालों और करनाल और नूंह में 2 मेडिकल महाविद्यालयों में उपलब्ध हैं।
- कार्डियोलॉजी सेवाएँ, यानी कैथ लैब और कार्डियक केयर इकाइयाँ 4 जिलों में उपलब्ध हैं और 3 जिलों में विचाराधीन हैं।
- एक्स-रे और ई.सी.जी. सेवाएं- पी.पी.पी. मोड के माध्यम से पी.एच.सी. स्तर तक एक्स-रे और ई.सी.जी. सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

() जनसंवाद

- यह राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। स्वास्थ्य विभाग जन संवाद के दौरान जनता द्वारा उठाई गई मांगों पर विशेष ध्यान देता है। कुल 1,632 जन संवाद में से 659 का निस्तारण किया जा चुका है।

स्टाफ की भर्ती -

6.10 157 रेडियोग्राफरों को नियमित आधार पर और 65 रेडियोग्राफरों को संविदा आधार पर (एच.के.आर.एन.एल. के माध्यम से) नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।

आयुष्मान भारत

6.11 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आश्वासन योजना ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह परिवर्तनकारी पहल 15 अगस्त, 2018 को लागू की गई थी, और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को कवर करने से लेकर निजी अस्पतालों को शामिल करने तक विकसित हुई है, जो एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक-निजी भागीदारी का प्रतीक है। यह योजना पात्रता के आधार पर संचालित होती है, जहां परिभाषित सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 डेटाबेस में सूचीबद्ध प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष के उपचार कवर के साथ लाभ का दावा कर सकता है। चिरायु योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को भी शामिल किया गया है। 31 जनवरी, 2024 तक 1,09,06,875 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने 21 नवंबर, 2022 को अंत्योदय इकाइयों का व्यापक स्वास्थ्य बीमा (चिरायु) हरियाणा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आयुष्मान भारत के लाभों को 29 लाख अंत्योदय परिवारों तक विस्तारित करना है। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है। 2023-24 के बजट में, आयुष्मान भारत-चिरायु योजना को 1.80 लाख रुपये और 3.00 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले परिवारों तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 1500 रुपये का मामूली योगदान था। इस विस्तार की सफलता स्पष्ट है क्योंकि 51,198 परिवारों ने नाममात्र योगदान जमा किया है और 2,969 लाभार्थियों ने 3.85 करोड़ रुपये के उपचार का लाभ उठाया है। 21 जनवरी, 2024 तक 574.00 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों,

मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों, नंबरदारों और आज़ाद हिंद फौज और 1977 के आपातकाल जैसी ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े परिवारों को शामिल किया गया है। जनवरी, 2024 तक 9,85,152 दावों के लिए 1267.49 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे लगभग 4,90,504 व्यक्तियों को लाभ हुआ है। वर्तमान में, 1,171 अस्पताल (511 सार्वजनिक और 660 निजी) आयुष्मान भारत, हरियाणा के साथ सूचीबद्ध हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

6.12 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) शामिल हैं, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली, संस्थान और मानव संसाधन क्षमताओं को मजबूत करके स्वास्थ्य देखभाल की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। इस मिशन के मुख्य घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, संचारी और गैर-संचारी रोगों पर नियंत्रण और प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वच्छता एवं स्वस्थ, पोषण और सुरक्षित पेयजल जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों का प्रभावी समेकित करने का प्रयास करना है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक तालिका 6.1 में दिए गए हैं तथा वर्षवार बजट और व्यय का विवरण तालिका 6.2 में दिया गया है।

तालिका 6.1 राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक

क्रम संख्या	संख्या सूचक स्रोत सहित	वर्ष 2013-14	वर्ष 2022-23
1	नवजात मृत्यु दर (एन.एम.आर.)	26 (एस.आर.एस. 2013)	19 (एस.आर.एस. 2020)
2	शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.)	41 (एस.आर.एस. 2013)	28 (एस.आर.एस. 2020)
3	मातृ मृत्यु अनुपात	127(एस.आर.एस. 2011-13)	110 (एस.आर.एस. 2018-20)
4	प्रथम रेफरल यूनिट	40 (फरीदाबाद में 2 शहरी एफ.आर.यू. सहित)	55 (फरीदाबाद में 2 शहरी एफ.आर.यू. सहित)
5	5 वर्ष से कम - मृत्यु दर	45 (एस.आर.एस. 2013)	33 (एस.आर.एस. 2020)
6	जन्म के समय लिंगानुपात (सी.आर.एस.)	868 (सी.आर.एस. 2013)	916 (दिसम्बर, 2023 तक)
7	संस्थागत प्रसव (स्रोत - एच.एम.आई.एस.)	90.37 प्रतिशत (2017)	97.8 प्रतिशत (दिसम्बर, 2023 तक स्रोत- एच.एम.आई.एस.)
8	पूर्ण टीकाकरण (स्रोत - एच.एम.आई.एस.)	85.7 प्रतिशत	93 प्रतिशत (2022-23) भारत सरकार के लक्ष्य के विरूद्ध
9	आशा	16861 (92.67 प्रतिशत	20380 (98.57 प्रतिशत) (30-11-2023 तक)
10	विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ (एस.एन.सी.यू.)	15	24 (2022-23)
11	नवजात स्थिरीकरण इकाइयां (एन.बी.एस.यू.)	52	66 (2022-23)
12	नवजात देखभाल कॉर्नर (एन.बी.सी.सी.)	192	439 (2022-23)

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग, हरियाणा।

तालिका 6.2 बजट और व्यय का वर्षवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	वर्ष	आरओपी/ अनुमोदन	प्राप्त बजट (नकद अनुदान + आईएम अनुदान)	व्यय (नकद अनुदान + आईएम अनुदान)	प्राप्त बजट की उपयोगिता (प्रतिशत में)
1	2019-20	999.96	768.77	747.21	97
2	2020-21	1139.78	921.20	806.05	88
3	2021-22	1331.90	903.98	880.82	97
4	2022-23	1443.14	938.65	990.28	105
5	2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक)	1440.26	638.20	580.52	91

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा।

ई-संजीवनी (ओ.पी.डी.)

6.13 ई-संजीवनी ओ.पी.डी., जो भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली-परामर्श सेवाओं के तहत एक ऑनलाइन स्टे होम ओ.पी.डी. है, जिसकी शुरुआत हरियाणा में दिनांक 01-05-2020 से की गई है। इस योजना के तहत कोई भी घर पर रहते हुए इंटरनेट के साथ लैपटॉप/ डेस्कटॉप या एंड्रॉइड स्मार्ट फोन का उपयोग करके वीडियो कॉल/ लाइव चैट के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके जांच-रिपोर्ट अपलोड की जा सकती है और परामर्शदाता डॉक्टर द्वारा देखी जा सकती है और फिर डॉक्टर ई-प्रिस्क्रिप्शन पर प्रयोगशाला परीक्षण या दवाओं का परामर्श दे सकते हैं और यह हरियाणा की सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में मान्य है। यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। हरियाणा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार, दिनांक 16-08-2021 से राज्य में ई-संजीवनी-ओ.पी.डी. की सेवाएं 24X7 उपलब्ध कराई गईं। दिसम्बर, 2023 तक ई-संजीवनी-ओ.पी.डी. के माध्यम से कुल 2.00 लाख परामर्श दिए गए। ई-संजीवनी ओ.पी.डी. के कार्यान्वयन को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुशासन पुरस्कार 2020-21 और द एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मातृ स्वास्थ्य

6.14 हरियाणा का वर्तमान मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) 110 (एस.आर.एस-2018-20) है। 24X7 डिलीवरी सुविधाओं के संचालन के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए राज्य में संस्थागत प्रसव बढ़कर 97.5 प्रतिशत (31-03-2023 तक) और दिसम्बर, 2023 (एच.एम.आई.एस.) तक बढ़कर 97.8 प्रतिशत हो गया है। प्रसव पूर्व जांच (ए.एन.सी.) सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, पूरे जिले में अप्रैल और मई, 2023 माह को सुरक्षित जननी माह (एस.जे.एम.) के रूप में मनाया गया। अप्रैल, 2023 माह में 76,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की गई है, जिनमें से लगभग 16,000 की पहचान उच्च जोखिम गर्भावस्था के रूप में की गई है।

शिशु स्वास्थ्य

6.15 वर्तमान में हरियाणा की शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 28 (एस.आर.एस. 2020 के अनुसार) है, जिसमें वर्ष 2013 के बाद से 13 अंकों की उल्लेखनीय कमी (2013 में आई.एम.आर.-41) आई है। राज्य के 24 स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एस.एन.सी.यू.)- में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अप्रैल-दिसम्बर, 2023 तक कुल 21,267 नवजात शिशु भर्ती हुए हैं। वित्त

वर्ष 2022-23 में 5.8 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले 5.47 लाख लाभार्थियों के टीकाकरण के साथ एफ.आई.सी. 94 प्रतिशत थी।

उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस

6.16 उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एस.एन.आई.डी.) मास मई, 2023 एस.एन.आई.डी. में 6 जिलों में कुल 14,86,324 बच्चों (0-5 वर्ष की आयु) को पोलियो ड्रॉप्स दी गईं।

कोविड-19 टीकाकरण

6.17 कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति-हरियाणा ने 1 अप्रैल, 2023 तक कुल 4.55 करोड़ खुराकें दी हैं। इसमें 2.36 करोड़ लाभार्थियों को पहली खुराक और 1.98 करोड़ लाभार्थियों को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक मिल चुकी है। लाभार्थियों को कुल 20 लाख एहतियाती खुराकें दी गई हैं।

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा

6.18 इस योजना के तहत पूरे राज्य में 598 एम्बुलेंस (58 एडवांस लाइफ सपोर्ट, 263 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 240 रोगी परिवहन एम्बुलेंस, 31 किलकारी/ बेक टू होम तथा 6 नवजात एम्बुलेंस) कार्य कर रही हैं, जिनका प्रबंधन हरियाणा के 21 जिलों में संचालित विकेन्द्रीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)

6.19 आर.बी.एस.के. एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका लक्ष्य जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों में 4 'डी' अर्थात् डिफेक्ट्स एट बर्थ (जन्म के समय दोष), डेफिशिएंसी (कमियाँ), डिसीजेज (बीमारियाँ), डेवलेपमेंट डिले (विकास में देरी) और विकलांगता की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप करना है। प्रत्येक वर्ष लगभग 35-40 लाख बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। हर साल करीब 35-40 लाख बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है। अप्रैल से नवम्बर, 2023 के दौरान, लगभग 4.7 लाख बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उपचार सेवाओं का लाभ मिला। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभार्थियों को माध्यमिक और टर्शरी स्तर के उपचार के लिए लगभग 6.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)

6.20 एन.यू.एच.एम. को मई, 2013 में एन.एच.एम. के एक उप मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली शहरी गरीब आबादी और अन्य सभी अल्प सुविधा प्राप्त आबादी (बेघर, कचरा बीनने वाले, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, सेक्स वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, सड़क पर रहने वाले बच्चे आदि) पर विशेष ध्यान दिया गया था। सभी सेवाएँ शहरी पी.एच.सी. के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में, हरियाणा में 107 शहरी पी.एच.सी. चल रही हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रियाएं

अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एस.एच.ए./ आशा)

6.21 राज्य में 20,676 के लक्ष्य में से कुल 20,380 आशा कार्यकर्ता (98.57 प्रतिशत दिनांक 31-12-2023 तक) नामांकित हैं। 01-04-2021 से 31-12-2023 के दौरान, कुल 487 नई आशा लगाई गई और 749 आशा विभिन्न कारणों (भारमुक्त/ बीच में छोड़ना/ मृत्यु) से अपना कार्य छोड गई।

आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एच.डब्ल्यू.सी.एस.)

6.22 आयुष्मान भारत के तहत, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एच.डब्ल्यू.सी.) व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं, जिसका फोकस मुख्यतः आरोग्य और सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा देने पर है तथा यह योजना सार्वभौमिक है और उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क है। वर्तमान में, कुल 1,711 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी उप केंद्र स्तर के स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर कार्यरत हैं। 04-02-2024 तक, राज्य में कुल 2,375 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (1,766 उप केंद्र, 398 ग्रामीण पी.एच.सी., 107 शहरी पी.एच.सी. और 104 यू.एच.डब्ल्यू.सी.) चल रहे हैं।

6.23 प्रशासन प्रभाग-

- पी.पी.पी. आई.डी. वाले एन.एच.एम. और एन.यू.एच.एम. कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा।
- कोविड-19 गतिविधियों के लिए एन.एच.एम. और एन.यू.एच.एम. कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन के भुगतान के संबंध में दिनांक 09-05-2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या 26,273 के संदर्भ में निम्नलिखित वस्तुस्थिति प्रस्तुत है-
- आज तक, 12,672 एन.एच.एम. और एन.यू.एच.एम. कर्मियों के लिए जारी की गई मंजूरी के सापेक्ष 11,525 एन.एच.एम. और एन.यू.एच.एम. कर्मियों को 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान किया जा चुका है।
- शेष 1,147 एन.एच.एम. और एन.यू.एच.एम. कर्मियों के डाटा को सी.आर.आई.डी. से सत्यापित किया जाना है, सी.आर.आई.डी. से डाटा के सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा।

आयुष

6.24 आयुष पद्धति में सभी आयुर्वेद, योग तथा नैचरोपैथी, युनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी की औषधी प्रणाली की भारत वर्ष के सभी वर्गो में प्राचीन समय से मान्यता है। यह हजारों वर्षो तक उपयोग करके जांच और परखी हुई पैथियां है, जिसमें ये रोगों की रोकथाम करने तथा रोगों को फैलने से बचाती है। आयुष औषध प्रणाली रहने के तौर-तरीकों से उत्पन्न होने वाले बहुत क्रोनिक रोगों के उपचार एवं रोकथाम में, जिनका ईलाज आधुनिक चिकित्सा में सम्भव नहीं है, महत्वपुर्ण भुमिका निभाती है। जीवन के रहने के तौर-तरीकों से उत्पन्न बहुत सी बीमारियों के बढने के कारणों के हालातों को देखते हुए लोगो का रूझान देश में तथा विश्व स्तर पर आयुष पैथियों की तरफ भी होने लगा है।

6.25 आयुष विभाग विशेष रूप से हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आयुष के माध्यम से चिकित्सा राहत, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए, 4 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1 यूनानी अस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 06 पंचकर्म केंद्र, 515 आयुर्वेदिक औषधालय, 19 यूनानी औषधालय, 26 होम्योपैथिक औषधालय और 1 भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान प्रणाली संस्थान (आई.आई.एस.एम. एंड आर.), सेक्टर- 3, पंचकुला कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त के अलावा, 33 आयुष औषधालयों (29 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 2 होम्योपैथिक), 3 आयुष के विशेष क्लीनिक (गुरुग्राम, हिसार एवं अंबाला) और 1 विशिष्ट चिकित्सा केंद्र (जींद) को स्थानांतरित और उन्नत किया गया है। वर्ष 2009-10 में, जिला अस्पतालों में 21

आयुष विंग और सी.एच.सी. में 98 आयुष ओ.पी.डी., पी.एच.सी. में 109 आयुष आई.पी.डी. जनता को चिकित्सा राहत प्रदान कर रहे हैं और राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी भागीदारी कर रहे हैं। अधिकांश आयुष संस्थाएँ ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह विभाग श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र तथा एम.एस.एम. भगत फूल सिंह महिला आयुर्वेदिक महाविद्यालय, खानपुर कलां (सोनीपत) के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहा है। प्रदेश में 9 आयुर्वेदिक महाविद्यालय और 1 होम्योपैथिक महाविद्यालय भी निजी प्रबंधन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

6.26 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र में 94.5 एकड भूमि पर दिनांक 12 फरवरी, 2019 को आधारशिला रखी गई। इसमें 14 विषयों में 82 सीटों पर एम.डी. कोर्स प्रारम्भ किया जा चुके है। वर्तमान मे श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का विलय श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र में करने बारे सरकार द्वारा दिनांक 26-10-2021 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आयुष विभाग और एच.एस.एस.आई.आई.डी.सी. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य में आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक और सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ग्राम पट्टीकरा (नारनौल) में प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2023-24 के दूसरे सत्र में बी.ए.एम.एस. कोर्स की 70 सीटों पर दाखिले किये जा चुके है।

6.27 भारत सरकार द्वारा प्रदेश में गांव देवरखाना, जिला झज्जर में लगभग 65.98 करोड रूपये की लागत से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित किया जा चुका है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 166 कनाल 11 मरला भूमि उपलब्ध करवाई गई है। इस संस्थान में ओ.पी.डी. शुरू हो चुकी है। सरकारी यूनानी महाविद्यालय एवं अस्पताल ग्राम अकेरा, जिला नूंह में 6 एकड़ भूमि पर 45.43 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित किया गया है और 45 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

6.28 भारत सरकार ने 250 बिस्तरों वाले आई.पी.डी. के साथ आयुर्वेदिक उपचार, शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित किया जा रहा है और यह हर साल 500 से अधिक छात्रों को यू.जी., पी.जी., पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करेगा। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, पंचकुला ने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को 33 वर्षों के लिए लीज के आधार पर 19.87 एकड़ भूमि प्रदान की है और ओ.पी.डी. पहले ही शुरू की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को गांव खेड़ी गुजरां, जिला फरीदाबाद में 68 कनाल 17 मरला (लगभग 9 एकड) भूमि, केन्द्रीय युनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेतू हस्तांतरित की जा चुकी है। यह मामला केन्द्रीय युनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियाँ

6.29 रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियां अर्थात् गुड्डुची घनवटी, संशमनी वटी, अणु तेल और जन आरोग्य औषधि पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ता, पंचायती राज कर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों, वृद्धाश्रमों, जेलों और कन्टेनमेंट जोन में घर-घर जाकर वितरित की गई हैं। कोविड-19 के दौरान 11.13 करोड़ रूपए (वेव I और II में 4.87 करोड़ रूपए और वेव III में 2.85 करोड़ रूपए और प्रतिरक्षा बूस्टर के लिए 3.41 करोड़ रूपए)।

6.30 आयुष विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान योजना (गैर-आवर्ती/ योजना) योजनाओं के तहत 7.47 करोड़ रूपए और योजना (आवर्ती/ गैर-योजना) योजनाओं के तहत 203.55 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए आयुष विभाग के लिए योजना (गैर-आवर्ती/ योजना) योजनाओं के तहत 427.01 करोड़ रूपए और योजना (आवर्ती/ गैर-योजना) योजनाओं के तहत 9.74 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

ई.एस.आई. हेल्थ केयर

6.31 ई.एस.आई.हेल्थ केयर, हरियाणा ई.एस.आई. अस्पतालों (4 ई.एस.आई. राज्य अस्पताल + 3 ई.एस.आई. निगम अस्पताल) और 87 ई.एस.आई. के माध्यम से 25,10,760 बीमित व्यक्तियों (आई.पी.) और उनके आश्रित सदस्यों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत व्यापक चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तीन आयुर्वेदिक इकाइयों और एक मोबाइल डिस्पेंसरी सहित औषधालय पूरे राज्य में स्थित हैं। राज्य सरकार आई.पी. और उनके आश्रितों को प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल प्रदान करता है। तृतीयक देखभाल कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

6.32 ई.एस.आई.सी., नई दिल्ली ने वर्ष 2022-23 के दौरान हिसार, रोहतक, अंबाला में 100 बिस्तरों वाले ई.एस.आई. अस्पताल और सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले ई.एस.आई. अस्पताल और करनाल में 30 बिस्तरों वाले और 100 बिस्तरों तक विस्तार योग्य ई.एस.आई. अस्पताल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने करनाल, रोहतक, झाड़ली, गन्नौर, मुलाना, घरौंडा, फरुखनगर, कोसली, साहा, छछरौली, पटौदी, चरखी दादरी में 12 नई ई.एस.आई. डिस्पेंसरियां खोलने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। ई.एस.आई.सी., नई दिल्ली ने वर्ष 2022-23 के दौरान करनाल और गन्नौर को छोड़कर ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों (12 में से 10) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कुरूक्षेत्र, तरावड़ी, झाड़ली और चरखी दादरी में नई डिस्पेंसरियां खोली गई हैं और चालू भी हो गई हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, ई.एस.आई. लाभार्थियों के लिए कैशलेस आधार पर चिकित्सा सुविधाएं, माध्यमिक देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए 109 निजी अस्पतालों तथा वर्ष 2023-24 में 64 अस्पतालों को लाभ या बीमित व्यक्तियों के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

6.33 नई पहल

- हरियाणा के गुरूग्राम में ई.एस.आई.सी. अस्पताल को 163 बिस्तरों वाले अस्पताल से 500 बिस्तरों वाले अस्पताल तक जल्द से जल्द विस्तारित करना।
- बहादुरगढ़ (झज्जर) और बावल (रेवाड़ी) में 100 बिस्तरों वाले ई.एस.आई. अस्पताल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने और बरही और राय जिला सोनीपत में दो ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों के निर्माण में तेजी लाने के लिए।
- हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल में 100 बिस्तरों वाले और सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले नए ई.एस.आई. अस्पताल खोलना।
- ई.एस.आई.सी. मापदंडों के अनुसार प्रत्येक ई.एस.आई संस्थानों में एम्बुलेंस प्रदान करना और ई.एस.आई संस्थानों में एक्स-रे मशीन, लैब सुविधा और उपकरण (सेलकाउंटर, ऑटोएनालाइज़र और दूरबीन माइक्रोस्कोप) प्रदान करना।
- ई.एस.आई. औषधालयों में दंत चिकित्सा सुविधा और उपकरण प्रदान करना।

- करनाल, मुलाना, घरौंडा, फरुखनगर, कोसली, साहा, छछरौली, पटौदी, दादरी और खरखौदा में दो डॉक्टर नई ई.एस.आई. डिस्पेंसरी खोलना।
- सभी ई.एस.आई. संस्थानों में ई.सी.जी. सुविधा प्रदान करना।
- साहा, घरौंडा और कैथल में नई ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों को जल्द से जल्द शुरू करना।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

6.34 राज्य में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान की स्थापना, उन्नयन, विस्तार एवं विनियमन हेतु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग बनाया गया था। राज्य में विभिन्न चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर, 2014 द्वारा बनाया गया था। विभाग के दायरे में कार्यरत संस्थानों की वर्तमान स्थिति तालिका 6.3 में दी गई है:-

तालिका 6.3 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय

संस्थान	सरकारी	निजी	कुल संस्थान	कुल सीट	
चिकित्सा महाविद्यालय	6 1 सरकारी सहायता प्राप्त	8	15	एम.डी./ एम.एस. एम.बी.बी.एस डिप्लोमा/ पी.एस.	851 2185 155
दंत महाविद्यालय	1	9	10	बी.डी.एस. एम.डी.एस.	950 248
फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	5	14	19	बी.पी.टी. एम्.पी.टी.	1236 421
नर्सिंग स्कूल	13	163	176	ए.एन.एम. जी.एन.एम.	3033 3940
नर्सिंग महाविद्यालय	6	85	91	बी.एस.सी. पी.बी.बी.एस.सी. एम.एस.सी. एन.पी.सी.सी.	2092 1523 396 37
एम.पी.एच.डब्ल्यू.(एम)	2	24	26	एम.पी.एच.डब्ल्यू.(एम.)	1560
पैरा-मेडिकल	4	1	5	बी.एस.सी. (एम.एल.टी.)	65
				बी.एस.सी.(ओ.टी.)	50
				बी.एस.सी. (ऑप्टोमेट्री)	50
				बी.एस.सी. रेडियोथेरेपी)	10
				बी.एस.सी. (परफयूजन टेक्नोलॉजी)	10
				बी.स.सी. (रेडियोलॉजी और इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी)	40

स्त्रोंतः- चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटैल, करनाल

6.35 उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना ग्राम कुटैल, जिला करनाल में की जा रही है। विश्वविद्यालय की स्थापना 761.51 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित की जार ही है और 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। विश्व विद्यालय में 750 बिस्तरों वाले सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल की सुविधा होगी। बायो-मेडिकल उपकरण और फर्नीचर की खरीद प्रक्रियाधीन है। दिनांक 31-10-2023 के पत्र के माध्यम से एल-1 मेसर्स एच.एस.सी.सी. को काम सौंपा गया है और दिनांक 12-12-2023 को निष्पादन एजेंसी के साथ एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संकाय/कर्मचारियों के 3,148 पदों के सृजन का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित है और सहमति/अनुमोदन के लिए वित्त विभाग में है।

पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय मेडिकल महाविद्यालय भिवानी

6.36 राज्य सरकार भिवानी में मौजूदा जिला अस्पताल को अपग्रेड करके एक मेडिकल महाविद्यालय की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना के चरण-। के तहत कर रही है। डी.पी.आर. 535.55 करोड़ रुपये की राशि को सरकार ने मंजूरी दे दी है, कार्य प्रगति पर है तथा कार्य की भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत है। यह परियोजना 31-03-2024 तक पूरी होने की संभावना है। बायो-मेडिकल उपकरण और फर्नीचर की खरीद प्रक्रियाधीन है। इस महाविद्यालय को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाने के लिए पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक को मेंटर संस्थान बनाया गया है। विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 150 एम.बी.बी.एस. सीटों/प्रवेशों के लिए अनुमति पत्र (एल.ओ.पी.) प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में दिनांक 14-09-2023 को आवेदन जमा किया है। संकाय/कर्मचारियों के कुल 1,552 पद दिनांक 13-09-2023 को एफ.डी. द्वारा अनुमोदित है।

राजकीय मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल, गांव हैबतपुर, जिला जींद।

6.37 राज्य सरकार द्वारा जिला जींद में एक नया सरकारी मेडिकल महाविद्यालय 24 एकड़ 03 कनाल 03 मरला ग्राम पंचायत, गांव हैबतपुर, जिला जींद की भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। डी.पी.आर. द्वारा 663.86 करोड़ रुपये की राशि सरकार द्वारा (चरण-। केलिए 524.23 करोड़ रुपये और चरण-।। के लिए 139.63 करोड़ रुपये) स्वीकृत किए गए हैं। 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और परियोजना दिनांक 31-03-2024 तक पूरी होने की संभावना है। निष्पादन एजेंसी ने अनुमान 930.00 करोड़ रूपये लगभग लागत प्रस्तुत किया है, जो की विचाराधीन है।

सरकारी मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम कोरियावास, जिला, नारनौल।

6.38 जिला नारनौल में एक सरकारी मेडिकल महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए ग्राम पंचायत कोरियावास ने 76 एकड़ 06 कनाल 13 मरला भूमि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को दीर्घ कालिक पट्टे के आधार पर दी है। निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) विभाग हरियाणा को सौंपा गया है और 598 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है और कार्य 94 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है कार्यकारी एजेंसी यानी, पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एंड आर.) विभाग, हरियाणा द्वारा 725.90 करोड़ रुपये की संशोधित लागत प्रस्तुत की गई थी, दिनांक 13-09-2023 को एफ.डी. द्वारा संकाय/कर्मचारियों के कुल 1,552 पदों को मंजूरी दी गई।

भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल महाविद्यालय, जिला कैथल

6.39 कैथल जिले में एक मेडिकल महाविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसके लिए 20 एकड़, 06 मरला, पंचायत भूमि को अंतिम रूप दिया गया है और दिनांक 11-02-2021 को लीज डीड निष्पादित की गई। माननीय मुख्यमंत्री ने 935.00 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और वित्त विभाग ने भी दिनांक 12-12-2022 को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

जिला सिरसा में सरकारी मेडिकल महाविद्यालय

6.40 माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जिला सिरसा में एक मेडिकल महाविद्यालय स्वीकृत किया गया था। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में उपलब्ध 21 एकड़, 13 मरला भूमि का चयन किया गया है। भूमि का पट्टा विलेख दिनांक 12-04-2021 को निष्पादित किया गया था। डी.पी.आर. 1,010.37 करोड़ रुपये की राशि दिनांक 01-09-2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।

जिला यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर साहब सरकारी मेडिकल महाविद्यालय

6.41 जिला यमुनानगर में एक मेडिकल महाविद्यालय को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिला यमुनानगर में मंजूरी दी गई थी। ग्राम पांजूपुर जिला यमुनानगर में उपलब्ध 20 एकड़ 12 मरला भूमिका पट्टा विलेख 29-12-2021 को निष्पादित किया गया था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 1,122.71 करोड़ रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29-05-2022 को अनुमोदित कर दिया गया है तथा वित्त विभाग द्वारा दिनांक 12-12-2022 को भी अनुमोदित कर दिया गया है। निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल महाविद्यालय, नल्हड़, नूंह के परिसर में डेंटल महाविद्यालय

6.42 शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल महाविद्यालय, नल्हड़ के परिसर मेंडेंटल महाविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा 03-12-2015 को घोषणा संख्या 10,752 के तहत की गई थी। अब राज्य सरकार ने एच.एस.आर. रेट के बजाय सी.पी.डब्ल्यू.डी.पी.ए.आर. पर काम कराने और सी.पी.एस.यू. से बोली के माध्यम से काम कराने का निर्णय लिया है। तदानुसार, कार्य के निष्पादन के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. दरों पर आधारित नवीनतम डी.पी.आर. सी.ई.सी-सी.एम.सी. और सरकार द्वारा 263.04 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

नर्सिंग महाविद्यालयों का निर्माण

जिला फरीदाबाद, रेवाडी, कैथल, कुरूक्षेत्र और पंचकुला में छः सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय

6.43 माननीय मुख्यमंत्री ने जिला फरीदाबाद, रेवाडी, कैथल, कुरूक्षेत्र और पंचकुला में नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। इन नर्सिंग महाविद्यालयों के निर्माण का कार्य एच.एस.वी.पी. (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) को आवंटित किया गया है। नक्शा और डी.पी.आर. 194.30 करोड़ रुपये की राशि सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। नर्सिंग महाविद्यालयों की कार्य प्रगति सादात नगर, रेवाडी (88 प्रतिशत), दयालपुर, फरीदाबाद-(90 प्रतिशत), औरा, फरीदाबाद- (90 प्रतिशत), धेरडू, कैथल-(87 प्रतिशत), खेड़ी रामनगर, कुरूक्षेत्र-(89 प्रतिशत) और खेड़ावाली, पिंजौर, पंचकुला- (90 प्रतिशत) हो चुकी है। संशोधित अनुमानित लागत 276.24 करोड़ रुपये (सिविल, इलेक्ट्रिकल और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 264.39 करोड़ रुपये, फर्नीचर की खरीद के लिए 8.10

करोड़ रुपये और प्रयोगशाला के उपकरण की खरीद के लिए 3.75 करोड़ रुपये) अनुमोदन के लिए सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

सफीदों, जींद में सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय खोलना

6.44 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा ने सफीदों में सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय के निर्माण के लिए 4 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग से एम.ई.आर विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 11-02-2019 को आधारशिला रखी गई। दिनांक 24-05-2021 को सफीदों, जींद में सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय के निर्माण के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। ले-आउट प्लान स्वीकृत हो चुका है और डी.पी.आर. सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है। इसके बाद कार्यकारी एजेंसी द्वारा ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

रेवाड़ी में एम्स की स्थापना

6.45 केंद्रीय वित्तमंत्री ने दिनांक 01-02-2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा में 22वें एम्स को स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए माजरा मुस्तिल भालखी और निकटवर्ती ग्राम भालखी के लिए ई-भूमि पोर्टल खोला गया, जिस पर कुल 347.49 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। एम्स की स्थापना के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से गांव माजरा मुस्तल भालखी, रेवाड़ी में कुल 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि की पहचान की गई है। इसमेंसे 149 एकड़ 4 कनाल 14 मरला जमीन निजी मालिकों की है और 60 एकड़ 3 कनाल 19 मरला ग्राम पंचायत की जमीन है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच 203 एकड़ 3 कनाल 19 मरला भूमिका पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को कब्जा दे दिया गया है। एच.एल.एल. इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड (एच.आई.टी.ई.एस.) को साइट पर पूर्व-निवेश गतिविधियों के लिए दिनांक 28-11-2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। एच.एल.एल. द्वारा दिनांक 30-12-2023 के पत्र के माध्यम से मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो को निर्माण कार्य आवंटित किया गया है और काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

गुरुग्राम में सरकारी मेडिकल महाविद्यालय और अस्पताल

6.46 नगर निगम, गुरूग्राम, श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड, गुरूग्राम के सहयोग से गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम के गांव खेड़की माजरा में 29 एकड़ भूमि पर एक मेडिकल महाविद्यालय स्थापित कर रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेई सरकारी मेडिकल महाविद्यालय छांयसा, जिला फरीदाबाद

6.47 राज्य सरकार ने मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के साथ गांव छायंसा में गोल्ड फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंडरिसर्च के बुनियादी ढांचे को खरीदने की संभावना तलाश ने का फैसला किया क्योंकि संस्थान को मार्च, 2016 में प्रबंधन द्वारा बंदकर दिया गया था। छायंसा में मेडिकल महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना के लिए प्रबन्धन द्वारा मार्च, 2016 तक 185 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में छह बैंकों के कंसोर्टियम से सुविधाओं के लाभ उठाए थे। राज्य सरकार ने गोल्ड फील्ड शिक्षा संस्था, फरीदाबाद की संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने का निर्णय लिया। राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभागने दिनांक 13-03-2020 को आयोजित ई-नीलामी पोर्टल पर भाग लिया

और राज्य सरकार ने गोल्ड फील्ड शिक्षा संस्थान, फरीदाबाद की संपत्ति 128.00 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी है। अब यह संस्थान श्री अटल बिहारी वाजपेई सरकारी मेडिकल महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए क्रियाशील कर दिया गया है। महाविद्यालय के परिसर में अस्पताल कार्यरत है। महाविद्यालय को क्रमशः शैक्षणिक वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों के प्रवेश के लिए एनएमसी द्वारा दिनांक 29-07-2022 को एलओपी और पहला नवीनीकरण प्रदान किया गया है। इसके अनुसार एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

फिजियोथेरेपी के लिए हरियाणा राज्य परिषद्

6.48 प्रदेश में फिजियोथेरेपिस्टों के पंजीकरण तथा फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता देने तथा फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में समन्वय एवं शिक्षा के मानकों के निर्धारण हेतु हरियाणा सरकार द्वारा एक नया अधिनियम पारित किया गया है। राज्य फिजियोथेरेपी परिषद्, अधिनियम, 2020 पारित किया गया है और हरियाणा राज्य फिजियोथेरेपी परिषद का गठन किया गया है। परिषद ने नियमित रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है तथा सरकार द्वारा इस परिषद के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी कर दी गई है। अबतक 2,093 फिजियोथेरेपिस्ट पंजीकृत हो चुके हैं, जिसे परिषद् की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया 25-05-2023 को शुरू कर दी गई है।

अन्य उपलब्धियाँ

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पी.एम.बी.जे.पी.)

6.49 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पी.एम.बी.जे.पी.) के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पी.एम.बी.जे.के.) सभी सरकारी मेडिकल महाविद्यालयों में खोले गए हैं और कार्यात्मक हैं।

- हरियाणा राज्य में निजी नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय खोलने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अधिसूचना संख्या 16-11-2023- एच.बी.IV दिनांक 12-07-2023 द्वारा पहले से चल रहे नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय में अतिरिक्त पाठ्यक्रम चलाने के संबंध में एवं सीटों को बढ़ाने के बारे में जारी की गई।
- अधिसूचना दिनांक 01-09-2023 के माध्यम से एल.ओ.आई. और एल.ओ.पी. जारी करने के लिए राज्य में नए पैरा मेडिकल महाविद्यालयों की स्थापना के लिए नीति और प्रक्रिया जारी की गई है।
- अधिसूचना दिनांक 01-09-2023 के माध्यम से एल.ओ.आई. और एल.ओ.पी. जारी करने के लिए राज्य में नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों की स्थापना के लिए नीति और प्रक्रिया जारी की गई है।
- कुटैल, कोरियावास और भिवानी के लिए बायो मेडिकल उपकरणों और अस्पतालों के फर्नीचर की खरीद के लिए एच.एस.सी.सी. के साथ एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

क्रियाशील मेडिकल महाविद्यालयों में उपलब्धियाँ-

6.50 पं.बी.डी.शर्मा यू.एच.एस., रोहतक

- सालाना 250 प्रवेश और 2,000 बिस्तर।
- यू.एच.एस., रोहतक को फरवरी, 2017 में एन.ए.ए.सी.-ग्रेड ए. से सम्मानित किया गया और यह देश के सभी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों में रैंक 02 पर है।
- पी.जी.आई.एम.एसको युवा मामले ए वं खेल मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मंजूरी दी गई है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में स्नातकोत्तर कोर्स जल्द ही शुरू किए जाएंगे।

- सी.टी. स्कैन और एम.आर.आई. सुविधाओं को वर्ष 2017 में एन.ए.बी.एच. मान्यता प्राप्त हुई।
- बायो केमिस्ट्री लैब को वर्ष 2017 में एन.ए.बी.एल. की मान्यता प्राप्त हुई।
- अत्याधुनिक 120 बिस्तरों वाला धवंतरी एपेक्स ट्रॉमासेंटर जनवरी, 2018 से 5 आधुनिक ओटी, 22 बिस्तरों वाले आई.सी.यू., ट्राइएज क्षेत्र में 30 बिस्तरों और एक 3 टेस्ला एम.आर.आई. के साथ चालू है।
- 200 बिस्तरों वाला सर्वोच्च माँ और बच्चा अस्पताल हाल ही में चालू किया गया है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा एम.सी.एच. है।
- कैंसर के इलाज के लिए लीनियर एक्सेलेरेटर सुविधा का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
- विश्वविद्यालय के पास विभिन्न विदेशी सहयोग हैं जैसे कैंसर और विकिरण ऑन्कोलॉजी पर अध्ययन के लिए इंडो-जापानी सहयोग, जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्मार्ट हेल्थ एक्सटेंड परियोजना।
- क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए बहु मंजिला नई आवासीय विंग, शवगृह और खेल चोट केंद्र जैसी विभिन्न निर्माण परियोजना प्रक्रियाधीन हैं।

6.51 भगत फूल सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (महिला)-बी.पी.एस.जी.एम.सी (डब्ल्यू) खानपुर कलां, सोनीपत

- सालाना 120 प्रवेश और 550 बिस्तर।
- संस्थान में विभिन्न विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।
- महाविद्यालय अस्पताल में 02 डायलिसिस इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

6.52 एस.एच.के.एम.जी.एम.सी, नलहर, नूंह

- सालाना 120 प्रवेश और 652 बिस्तर
- मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए सी.बी.एन.ए.ए.टी. मशीन स्थापित की गई है।

6.53 के.सी.एम.जी.एम.सी., करनाल

- सालाना 100 प्रवेश और 550 बिस्तर।
- अस्पताल 13-04-2017 से चालू हो गया और शैक्षणिक सत्र 2017-18 में 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों के पहले बैच को प्रवेश दिया गया।
- एमआरआई 1.5 टेस्लामशीन और 64 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन लगाई गई है।

6.54 एम.ए.एम.सी., अग्रोहा, हिसार

- सालाना 100 प्रवेश और 573 बिस्तर।
- मेडिकल महाविद्यालय को एम.बी.बी.एस. सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने की अनुमति मिल गई है और संस्थान में कई विशिष्टताओं में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।
- पी.पी.पी. मोड पर कैथ-लैब, 1 अगस्त, 2018 को क्रियाशील हो गई।
- ट्रॉमा सेंटर एवं कैंसर संस्थान की स्थापना पाइपलाइन में है।

सरकारी मेडिकल महाविद्यालय, पलवल की स्थापना

6.55 राज्य सरकार ने बजट सत्र 2022-23 के दौरान जिला पलवल में सरकारी मेडिकल महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। उपायुक्त, पलवल से पलवल में सरकारी मेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक उपयुक्त बाधा मुक्त एकल हिस्से की पहचान करने का अनुरोध किया गया था। महानिदेशक, विकास एंव पंचायत को पत्र दिनांक 14-12-2023 के माध्यम से सूचित किया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने सरकारी मेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 47 एकड़ 01 कनाल 01 मरला ग्राम पंचायत पेलक भूमि को मंजूरी दे दी है। महानिदेशक, विकास एंव पंचायत की ओर से लीज़ डीड आदेश जारी कर दिया गया है। लीज़डीड निष्पादित की जा एगी और इच्छुक पात्र सी.पी.एस.यू. से बोलियां आमंत्रित करने के लिए आर.एफ.पी., जैसा कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सचिवों की समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है, परियोजना के निष्पादन के लिए निष्पादन एजेंसी नियुक्त करने के लिए जल्द ही जारी की जाएगी।

सरकारी मेडिकल महाविद्यालय, चरखी दादरी की स्थापना

6.56 राज्य सरकार ने बजट सत्र 2022-23 के दौरान जिला चरखी दादरी में राजकीय मेडिकल महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। चरखी दादरी के उपायुक्त से चरखी दादरी में सरकारी मेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक उपायुक्त हिस्से की पहचान करने का अनुरोध किया गया था। उपायुक्त, चरखी दादरी ने अपने पत्र दिनांक 20-09-2023 के माध्यम से चरखी दादरी में सरकारी मेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए गांव घसोला, चरखी दादरी की 50 एकड़ 1 कनाल 5 मरला भूमि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, माननीय मुख्यमंत्री ने गांव घसोला, चरखी दादरी की 50 एकड़ 1 कनाल 5 मरला भूमि लेने के उपायुक्त चरखी दादरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिला चरखी दादरी में सरकारी मेडिकल महाविद्यालय के निर्माण के लिए 33 वर्षो तक 1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष 1 महानिदेशक, विकास एंव पंचायत को पत्र दिनांक 21-12-2023 द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है, ताकि लीज़ डीड निष्पादित की जा सके।

सरकारी मेडिकल महाविद्यालय, फतेहाबाद की स्थापना

6.57 माननीय मुख्यमंत्री ने बजट सत्र 2022-23 के दौरान जिला फतेहाबाद में सरकारी मेडिकल महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 03-02-2023 को फतेहाबाद के गांव रसूलपुर में राजकीय मेडिकल महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा ने मेडिकल महाविद्यालय के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत रसूलपुर की 32 एकड़, 7 कनाल, 12 मरला शामलात भूमि को 33 वर्षों के लिए एक रुपये प्रति वर्ष की दर से विभाग को पट्टे पर देने के आदेश दिए हैं। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 18-12-2023 है। तीन फर्मों ने भाग लिया है और निदेशालय में तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

सरकारी मेडिकल महाविद्यालय, पंचकुला की स्थापना

6.58 राज्य सरकार ने बजट सत्र 2022-23 के दौरान जिला पंचकुला में सरकारी मेडिकल महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने पंचकुला के सेक्टर 32 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 30.40 एकड़ जमीन पर महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

उपरोक्त परियोजना के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। सी.ए.एच.एस.वी.पी. से विभाग को एम.ओ.यू. और डी.पी.आर. प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

कल्पना चावला सरकार। मेडिकल महाविद्यालय करनाल-चरण-।।

6.59 कल्पना चावला राजकीय मेडिकल महाविद्यालय करनाल में मरीजों की संख्या में वृद्धि, शैक्षणिक आवश्यकताओं और अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों की आवश्यकता में वृद्धि के कारण, चरण-द्वितीय के तहत महाविद्यालय और अस्पताल का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की राशि 373.25 करोड़ रुपये दिनांक 12-07-2021 को एस.एफ.सी.-सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को परियोजना की निष्पादन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था अब राज्य सरकार ने कार्य को दो भागों में निष्पादित करने का निर्णय लिया है।

- सी.पी.एस.यू. के माध्यम से सी.पी.डब्ल्यू.डी. (पी.ए.आर.) दरों पर अस्पताल विस्तार से संबंधित कार्य। सीपीएसयू की नियुक्ति बोलियां आमंत्रित करके की जाएगी।
- हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से एच.एस.आर. पर आवासीय क्वार्टर/छात्रावास आदि।

तालिका 6.4 वर्षवार विभाग का व्यय

(राशि करोड़ रूपए में)

क्रं. सं.	वर्ष	व्यय	वृद्धि (प्रतिशत में)
1	2014-15	701.01	-
2	2015-16	726.07	3.57
3	2016-17	879.36	21.11
4	2017-18	882.34	0.33
5	2018-19	914.17	3.60
6	2019-20	1245.38	36.23
7	2020-21	1601.52	28.59
8	2021-22	1820.24	13.65
9	2022-23	2492.39	36.92
10	2023-24	1971.30 (07.02.2024 तक)	--

स्त्रोंतः- चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

खाद्य तथा औषधि प्रशासन

खाद्य खण्ड

खाद्य प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण

6.60 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधीन दो खाद्य प्रयोगशालाएं है, एक चण्ड़ीगढ़ में तथा दूसरी करनाल में है। दोनों प्रयोगशालायें एन.ए.बी.एल. के मानकों के तहत नोटीफाईड हो चुकी हैं तथा एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा दोनों खाद्य प्रयोगशालाओं को, खाद्य एंव औषधि अधिनियम, 2006 के खंड 43 (1) के तहत भी नोटीफाईड हो चुकी हैं। जिला खाद्य प्रयोगशाला, करनाल के नवीनकरण हेतु 90.29 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं तथा 50 लाख रूपये की राशि अतिरिक्त

अनुदान सहायता को एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। जिला खाद्य प्रयोगशाला, करनाल के नवीनकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग, हरियाणा द्वारा पूरा किया जा चुका है।

खाद्य लाईसैंस और खाद्य व्यवसायियों के अनुदान का ऑनलाइन पंजीकरण

6.61 विभाग द्वारा (01-04-2023 से 31-10-2023) वर्ष के दौरान 8,269 ऑनलाइन खाद्य लाइसेंस जारी किये गए, जिनसे एफ.ओ.एस.सी.ओ. के माध्यम से लगभग 1.79 करोड़ रूपए फीस के तौर पर प्राप्ति हुई है। 19,630 एफ.बी.ओ. का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है जिनसे एफ.ओ.एस.सी.ओ. के माध्यम से लगभग 52.98 लाख रूपए फीस के तौर पर प्राप्ति हुई है।

खाद्य पदार्थों के नमूने

6.62 (क) कुल 1211 कानूनी खाद्य नमूने एकत्रित किये गये, (ख) 342 अवमानक/ गलत ब्रांड/ असुरक्षित पाये गये, (ग) माननीय सी.जे.एम कोर्ट/न्यायिक निर्णय अधिकारी में कुल 395 केस दायर किये गये, (घ) 379 केसों में दोषी खाद्य व्यवसाय मालिकों पर कुल 89.40 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया (ड़) असुरक्षित खाद्य नमूनों के बारे में खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा द्वारा 46 दोषी एफबीओ के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दी जा चुकी है।

मोबाईल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन

6.63 एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा कुल 05 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन हरियाणा राज्य को उपलब्ध कराई गयी है। जिन्हें राज्य की आम जनता को जागरूक करने हेतू हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में घुमाया जाता है, जिसके लिए खाद्य नमूना विश्लेषण फीस मामूली 20 प्रति नमूना रखी गई है।

गुटका एवं पान मसाला पर प्रतिबंध

6.64 खाद्य सुरक्षा, हरियाणा के आयुक्त द्वारा उनके आदेश क्रमांक 3/ 14-3 फूड-2023/ 2563, दिनांक 06-09-2023 द्वारा हरियाणा राज्य में गुटका एवं पान मसाल के निर्माण/बिक्री एवं भण्डारण पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

तरल नाईट्रोजन पर प्रतिबंध

6.65 खाद्य सुरक्षा, हरियाणा के आयुक्त द्वारा उनके आदेश क्रमांक 3/ 14-2 फूड-2023/15080, दिनांक 27-07-2017 द्वारा हरियाणा राज्य में आगामी आदेशों तक किसी भी तरल एवं खाद्य पदार्थ के साथ तरल नाईट्रोजन के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

खाद्य एवं औषध प्रशासन के अंतर्गत बुनियादी खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना

6.66 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा मार्च, 2022 में बजट घोषणा की अनुपालना में विभाग ने जनता की जागरूकता के लिए हरियाणा राज्य में 6 बुनियादी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (अम्बाला, हिसार, गुरूग्राम, फरीदाबाद एवं रोहतक में वैधानिक) और 16 लघु खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (गैरवैधानिक-शेष जिलों में) की स्थापना की गई है और खाद्य नमूनों की तत्काल परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करने के लिए बहुत कम लागत मात्र 20 रुपये प्रति नमूना फीस रखी गई है।

औषधि विंग

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

6.67 खाद्य एवं औषधि प्रशासन, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 तथा औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954, कोटपा (पैकिंग और लेबलिंग) नियम,

2008, जहर अधिनियम, 1919 के विनियमों के लिए एक प्रवर्तन विभाग है। यह विभाग गुणवत्ता वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों की सस्ती कीमतों पर उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है।

6.68 औषधि विगं द्वारा 8,180 बिक्री ईकाईयों का निरीक्षण किया गया, 1,402 नमूने लिए गए, 1,266 नमूनों का परीक्षण हुआ, 04 सब-स्टैंडरड घोषित नमूनों की संख्या, 15 मुकदमें दायर किये गये, 10 निर्णीत कोर्ट केसों (03 दोषी, 07 बरी), न्यायालय में 395 लंबित मुकदमें और वर्ष के अंत में 34,084 (थोक व परचून) के जारी लाईसेंस, 242 संयुक्त छापे किये गये। 514 निर्माण ईकाईयों का निरीक्षण किया गया। औषधि विक्रय के 243 लाईसैसों को निलम्बित एवं 1,436 लाईसैसों को निरस्त तथा 3,737 विक्रय लाईसेंस (थोक व परचून) जारी किये गये।

6.69 राज्य में 32 औषधि निर्माण, मैडीकल डिवाईस एवं रक्त केन्द्र के लाईसेंस, 9 सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण लाईसेंस तथा 7 मान्यता प्राप्त चिकित्सा ससंथानों के लाईसेंस स्वीकृत किये गये। डब्ल्यू. एच.ओ.- जी.एम.पी. ईकाईयों की कुल संख्या 3 के लाईसेंस स्वीकृत किए गए।

जन स्वास्थ्य

6.70 हरियाणा राज्य में, 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों को पीने के पानी का कम से कम एक सुरक्षित स्रोत प्रदान किया गया था। इसके बाद, बस्तियों में पीने के पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्तमान में, राज्य उन गांवों में पेयजल आपूर्ति के स्तर में सुधार करने में लगा हुआ है, जहां जल स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) से नीचे चला गया है।

6.71 वर्ष 2023-24 के दौरान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पूंजीगत परिव्यय को 2,640.30 करोड़ रुपये से 4,585.09 करोड़ रुपये संशोधित किया गया है और 31-10-2023 तक कुल खर्च की गई राशि 808.04 करोड़ रुपये है।

6.72 संवर्धन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत, गांवों में पानी की आपूर्ति की स्थिति को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55/ 70 लीटर तक बढ़ाने के लिए मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार/ मजबूतीकरण किया जाता है। गांवों में सुधार आम तौर पर अतिरिक्त ट्यूबवेल खोदने, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं को बढ़ाने, नए नहर आधारित जल कार्यों का निर्माण, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत करने आदि द्वारा किया जाता है। 2023-24 के दौरान, 151 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जिसे बढ़ाकर 250.50 करोड़ रूपये कर दिया गया है। जिसके सापेक्ष 31-01-2024 तक 117.73 करोड़ रुपये का खर्च आया।

6.73 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के विस्तार के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, राज्य 2000-01 से विभिन्न परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से धन प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में, आर.आई.डी.एफ. XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII और XXVIII के तहत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 60 परियोजनाएं 1,492.43 करोड़ रुपये की कुल लागत पर प्रगति पर हैं। इसके अलावा नाबार्ड ने नूंह और पलवल जिलों के 141 गांवों में पीने के पानी के संवर्धन के लिए 31-07-2023 को 306.05 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी। टेंडर फाइनल होने के बाद जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा, नाबार्ड ने महाग्राम योजना के तहत पेयजल और सीवरेज सुविधाओं पर 16-10-2023 को 266.53 करोड़ रुपये की लागत से 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा, नाबार्ड द्वारा पेयजल और सीवरेज

सुविधाएं प्रदान करने के लिए 408.67 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 अतिरिक्त परियोजनाएं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

6.74 वर्ष 2022-23 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 250.00 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसके विरूद्ध 31-03-2023 तक 156.88 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, नाबार्ड योजनाओं के लिए 250.00 करोड़ रुपये का समतुल्य प्रावधान है, जिसके विरुद्ध 31-01-2024 तक 130.99 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

6.75 विशेष घटक उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) के तहत, मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के परिवारों वाले गांवों/ बस्तियों में पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान/ उन्नयन की जाती हैं। सुधार कार्यों में गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है जैसे, अतिरिक्त ट्यूबवेलों की ड्रिलिंग, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं का विस्तार, नए नहर आधारित जल कार्यों का निर्माण, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत करना आदि। वर्ष 2023-24 के दौरान, एक अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एससीएसपी के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान। 31-10-2023 तक 0.35 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

6.76 विकास एवं पंचायत विभाग ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से महाग्राम योजना शुरू की। सीवरेज प्रणाली के प्रभावी कामकाज के लिए, गांव में पीने के पानी की आपूर्ति की स्थिति को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन + 15 प्रतिशत बेहिसाब प्रवाह (यूएएफ) तक बढ़ाना जरूरी है। योजना की विशालता और बड़े पैमाने पर संसाधनों के निवेश को देखते हुए इस योजना को 3 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। महाग्राम योजना के तहत सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए 144 गांवों को चुना गया है। कार्यों/ अनुमोदनों की प्रगति के अनुसार चरणों को संशोधित किया गया है। इसमें से 13 गांवों को चरण-II और III के तहत अव्यवहार्य/ शहरीकृत किया गया है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत कवरेज के लिए 8 नए गांवों को शामिल किया गया है। अब तक 12 गांवों को चालू किया जा चुका है। प्रभावी 119 महाग्राम गांवों में से 31 गांवों में कार्य प्रगति पर हैं। महाग्राम योजना परियोजना गांव सोतई (फरीदाबाद), नाहरपुर (गुरुग्राम), क्योड़क और पाई (कैथल), कछुआ (करनाल), सिवाह (पानीपत), मुस्तफाबाद जिसे अब सरस्वती नगर (यमुनानगर) के नाम से जाना जाता है खानपुर कलां (सोनीपत), तिगांव (फरीदाबाद), दीघोट, भिड़की और सोंदहद (पलवल) में शुरू की गई है।

6.77 वर्ष 2023-24 के दौरान 50 करोड़ रुपये सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए आवंटित किए गए हैं और महाग्राम योजना के तहत परियोजना गांवों में पेयजल आपूर्ति के उन्नयन के लिए परिव्यय 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 75 करोड़ रुपये संयुक्त आवंटन के विरूद्ध 31-01-2024 तक 41.38 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.)

6.78 इसे भारत सरकार द्वारा 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) प्रदान करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। राज्य ने इस विशाल कार्य को एक चुनौती के रूप में लिया और एक व्यापक रोड-मैप और निरंतर निगरानी की सहायता से 30.41 लाख परिवार को 06-04-2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान, जेजेएम (कवरेज और संबद्ध गतिविधियों) के तहत राज्य

के हिस्से सहित 916 करोड़ रुपये का प्रावधान है और इसे संशोधित कर 2,852.79 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 31-10-2023 तक 760.07 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

पेयजल आपूर्ति एवं सीवरेज सेवाएँ

6.79 92 कस्बों में से 85 कस्बों की पेयजल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं का रखरखाव पीएचई विभाग द्वारा किया जा रहा है। सभी 85 शहरों में पाइप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2023-24 के दौरान 113 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसे संशोधित कर 193 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 31-01-2024 तक 150.59 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

6.80 सीवरेज प्रणाली के संदर्भ में, राज्य के 85 शहरों के प्रमुख हिस्सों को सीवरेज सुविधाओं से कवर किया गया है, जबकि 7 शहरों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है और हाल ही में अधिसूचित एक शहर कुंडली में काम शुरू किया जाना बाकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, चयनित शहरों के कवर नहीं किए गए क्षेत्रों और अनुसूचित जाति बहुल इलाकों को कवर करने के लिए सीवरेज सुविधाओं के विस्तार के लिए 165 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है, जिसे बढ़ाकर 272.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 31-01-2024 तक 248.74 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

6.81 राष्ट्रीय राजधानी पर जनसंख्या भार को कम करने की दृष्टि से, उपग्रह शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करने और सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी में उपलब्ध सेवाओं के लगभग बराबर लाने के लिए निर्बाध प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों के पलायन को रोका जा सके। 2005 के बाद से सैटेलाइट शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज का एक विशाल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है।

6.82 राज्य के 9 शहरों अर्थात् गन्नौर, खरखौदा, झज्जर, होडल, कलानौर, सांपला, सोहना, बेरी और समालखा में सीवरेज सुविधाओं के विस्तार के लिए 9 परियोजनाएं एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा 14-11-2017 को 72.11 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, 25 करोड़ रुपये का संशोधित प्रावधान है और 31-01-2024 तक 11.11 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

उद्देश्य

6.83 इसका उद्देश्य आसपास के शहरों में लगभग समान सेवाएं प्रदान करना और राजधानी दिल्ली की ओर आबादी की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना है। एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्त पोषित योजनाएं 75:25 के वित्तपोषण पैटर्न का पालन कर रही हैं, जिसमें एन.सी.आर.पी.बी. से 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत राज्य की हिस्सेदारी है।

6.84 मानसून के मौसम के दौरान, विभिन्न शहरों में कई निचले इलाके प्राकृतिक इलाके के कारण बाढ़ की चपेट में हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ से बचने के लिए, बरसाती जल निपटान के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा तैयार करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान 40 करोड़ रुपये के आवंटन की मंजूरी दी गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 31-01-2024 तक 60.07 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

6.85 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने राज्य में 125 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) का निर्माण किया है, जिसमें घग्गर और यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के लिए एसटीपी भी शामिल हैं। संयंत्रों के प्रदर्शन में मौजूदा कमियों की पहचान की गई है। विभाग 31-03-2024 तक नए एस.टी.पी.

के निर्माण और मौजूदा एसटीपी के उन्नयन को पूरा करने के अलावा नई स्वीकृत कॉलोनियों में सीवर बिछाने के लिए भी कड़े प्रयास कर रहा है।

उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग (टी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.)

6.86 राज्य सरकार तेजी से घटते जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, पानी की प्रत्येक बूंद को संरक्षित/ बचाने के लिए इस नीति को 05-11-2019 को अधिसूचित किया गया है। नीति निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित करती है (संशोधित):-

- नीति के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक नगर पालिका द्वारा टी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. का कम से कम 25 प्रतिशत पुन: उपयोग करना।
- 2025 तक टी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. का 50 प्रतिशत पुन: उपयोग करना।
- 2030 तक 80 प्रतिशत टी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. का पुन: उपयोग करना।

6.87 हरियाणा राज्य के 92 शहरों में 2,104.30 मिलियन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) की क्षमता वाले 176 एस.टी.पी./ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सी.ई.टी.पी.) हैं, वर्तमान में, इन एस.टी.पी./ सी.ई.टी.पी. से 1,429.38 एम.एल.डी उपचारित अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है।

6.88 सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने पहले चरण में टी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. के उपयोग के लिए 399.10 एम.एल.डी. क्षमता वाले 35 एस.टी.पी. को कवर करते हुए 500 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं तैयार की हैं। इसके अलावा, तीन एस.टी.पी. अर्थात् लाडवा में (7.00 एम.एल.डी.) एस.टी.पी., पेहोवा में (8.00 एम.एल.डी.) एस.टी.पी. और शाहबाद में (11.50 एम.एल.डी.) एस.टी.पी. के लिए टी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. का उपयोग पहले से ही सिंचाई/ कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।

6.89 48 पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं 1,443.74 करोड़ रुपये और 9 सीवरेज परियोजनाएं 283.62 करोड़ रुपये की लागत वाली ए.एम.आर.यू.टी. 2.0 के तहत प्रतिष्ठित योजना को गति देने के लिए सितंबर, 2023 को प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। इन 57 परियोजनाओं में से 18 जल आपूर्ति योजनाओं और सीवरेज प्रणाली के लिए 4 परियोजनाओं सहित 22 परियोजनाओं के लिए काम आवंटित किया गया है और 02 कार्य वास्तव में जमीन पर शुरू हो गए हैं। इसके अलावा, जल आपूर्ति की 10 योजनाओं और सीवरेज परियोजनाओं की 5 योजनाओं सहित 15 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। इसके अलावा, शेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डी.एन.आई.टी. प्रक्रियाधीन हैं। एक मजबूत और लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस.एम.एम.यू.) योजनाओं और परियोजना प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन में निर्बाध रूप से लगी हुई है। भारत सरकार ने परियोजनाओं पर प्रगति की गति को बनाए रखने के लिए 27 सितंबर, 2023 को 140.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। हरियाणा राज्य ने भी संबंधित राज्यांश राशि 186.00 करोड़ रुपये ए.एम.आर.यू.टी. 2.0 के एकल नोडल खाते में जारी कर दी है। । इसके बाद, चालू वित्त वर्ष के लिए ए.एम.आर.यू.टी. 2.0 के तहत परिव्यय को 328.00 करोड़ रुपये पेयजल हेतु और चयनित शहरों में सीवरेज योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 72.00 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिए गए है। अक्टूबर, 2023 तक पेयजल आपूर्ति एवं सीवरेज कार्य पर क्रमश: 61.73 करोड़ रुपये एवं 1.91 करोड़ रुपये के खर्च की लागत आयी है। वर्ष 2023-24 के दौरान पी.एच.ई. विभाग का पूंजीगत परिव्यय 2,640.30 करोड़ रुपये और राजस्व परिव्यय 2,398.24 करोड़ रुपये है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

6.90 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। विभाग का मुख्य उद्देश्य/ लक्ष्य, नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सषक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, बच्चों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनकी सीखने की क्षमता बढ़ाना, पोषण, संस्थानिक समर्थन इत्यादि को बढ़ावा देना है। विभाग का बजट वर्ष 2014-15 में 1,113.49 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2,072.38 करोड़ रूपये हो गया है। इस वित्त वर्ष में नवम्बर, 2023 तक 793.48 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय की जा चुकी है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

6.91 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी जिसका उद्धेष्य पक्षपाति लिंग जांच को रोकना, लडकियों व बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा, शिक्षा तथा सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य के उन 12 जिलों को चुना गया जिनका शिशु लिंग अनुपात असंतुलित था। इसके पश्चात वर्ष 2016 में यह कार्यक्रम शेष 8 जिलों में तथा मार्च, 2018 में मेवात जिले में अग्रेषित किया गया। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को एक सांझा मंच पर लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। हरियाणा में शिशु लिंग अनुपात दर जो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 830 था, वह दिसम्बर, 2023 में बढ़कर 916 तक पहुँच गया गई।

प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना

6.92 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खादय अधिनियम 2013 के तहत 01-01-2017 से पूरे देश के सभी जिलों में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की राशि तीन किस्तों के आधार पर योजना की शर्तो को पूरा करने वाली गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में दी जाती है। 2017 से मार्च, 2023 तक 7,47,320 लाभार्थीयो को 341.33 करोड़ रुपये का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. मोड में दिया गया। भारत सरकार द्वारा 01-04-2022 से स्कीम में संशोधन/ विस्तार किया गया है। वर्ष 2022 से इस स्कीम का लाभ गर्भवती महिला की पहले 2 जीवित बच्चों पर दिया जाता है बशर्ते कि दूसरा बच्चा लडकी हो। योजना की शर्तो को पूरा करते हुये पहले बच्चे के मामले में 5,000 रूपए की राशि 02 किस्तों में और दूसरे बच्चें के लिए एक किस्त में जन्म के बाद 6,000 रूपए दिए जाते है। इससे जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार व कन्या भ्रून में योगदान मिलेगा। अप्रैल, 2023 से दिसंबर, 2023 तक 13,979 लाभार्थियों को 4.89 करोड़ सीधे उनके बैक खातों में पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. मोड में दिया गया।

वन स्टाप केन्द्र सखी

6.93 हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टाप केन्द्र की स्थापना की गई है। सभी तरह की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टाप केन्द्र अक्तूबर, 2023 तक सभी जिलों में स्थापना कर

दी गई है। वन स्टाप केन्द्र सखी ओ.एस.सी. हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाईन 181 के साथ एकीकरण में काम कर रहा है। अप्रैल से अक्तूबर, 2023 तक राज्य में ओ.एस.सी. द्वारा कुल मामले 4,825 निपटाये गये।

आपकी बेटी-हमारी बेटी

6.94 वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये तथा सभी वर्ग के परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये की राशि दी जाती है। यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लगभग 1 लाख रूपये उसके उपयोग के लिए दी जायेगी। हरियाणा सरकार द्वारा तीसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ देने का प्रावधान किया गया है। अब तक कुल 4,60,347 लाभार्थियों को कवर किया गया हैं। योजना के अन्तर्गत मास अक्तूबर, 2023 तक 35,932 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा चुका है।

हरियाणा कन्या कोष

6.95 हरियाणा कन्या कोष राज्य में मार्च, 2015 को बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोष के तहत प्राप्त राशि की देखरेख की जायेगी। इस कोष के बैंक खाते में अब तक 69.88 लाख रूपये की राशि जमा की गई है। आयकर विभाग द्वारा इसमें आयकर एक्ट की धारा 12-एए के अन्तर्गत चैरिटेबल सोसाईटी का पंजीकरण तथा धारा 80जी के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। 64.27 लाख रूपये की राशि दान के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसमें से 54.22 लाख रूपये खर्च कर लिए गए हैं।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना

6.96 यह योजना दिनांक 22-01-2015 को चलाई गई थी जिसका उद्देश्य असंतुलित लिंगानुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। राज्य में अब तक कुल 7,54,709 खाते डाकखाने में खुलवाये जा चुके हैं।

पोषण अभियान

6.97 पोषण अभियान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझनु जिले में शुरू किया गया। पोषण अभियान का लक्ष्य 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करने से है। पोषण अभियान राज्य के सभी जिलों में लागू हैं। पोषण अभियान के पहले चरण में 2 जिलें नूंह व पानीपत को शामिल किया गया तथा दूसरे चरण में 10 जिलों नामतः कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, गुरूग्राम, पलवल, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत को चयनित किया गया बाकी जिलों को तीसरे चरण के तहत कवर किया गया। सामुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रत्येक महीने के 8वें और 22वें दिन प्रत्येक आंगनवाड़ी में आयोजित करवाये जाते है। अप्रैल, 2023 से अक्तूबर, 2023 तक के दौरान 4,16,032 सामुदायिक आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस महीने के 15वें दिन स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत के अभिसरण में नियमित तौर पर आयोजित किए गए। अप्रैल, 2023 से अक्तूबर, 2023 तक के दौरान 2,05,285 ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस आयोजित किए गए। विभिन्न स्तर पर अभिसरण कार्य

योजना बनाने के लिए राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर पर समन्वय कमेटियों का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त सभी 25,962 आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य रक्षा किट वितरित की गई है।

समेकित बाल संरक्षण योजना

6.98 समेकित बाल संरक्षण योजना एक एम्ब्रैला योजना है जिसके तहत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख, सुरक्षा, विकास तथा पुर्नवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिये राज्य में 69 बाल देखरेख संस्थायें सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। ये संस्थाएं राज्य में सभी जिलों में फैली हुई है तथा 47 खण्डों में लगभग 2,200 बच्चों को कवर कर रही है। हरियाणा में सभी जिलों में किशोर न्याय समिति और बाल कल्याण समिति कार्य कर रही है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

6.99 समेकित बाल विकास सेवा योजना सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 0-6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनौवैज्ञानिक व सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्युदर, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। यह योजना 148 (127 ग्रामीण व 21 शहरी) खण्डों में 25,962 आंगनवाड़ी केन्द्रों (512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र सहित) में चलाई जा रही हैं। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को 600 कैलोरी व 18-20 ग्राम प्रोटीन, बच्चो को 500 कैलोरी व 12-15 ग्राम प्रोटीन तथा कुपोषित बच्चो को 800 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन निर्धारित माप दण्डों के अनुसार पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। पूरक पोषाहार की दरों को 7 रूपये से 9.50 रूपये प्रति माता, 6 रूपये से 8 रूपये प्रति बच्चा व 9 रूपये से 12 रूपये प्रति कुपोषित बालक प्रति दिन कर दिया गया है। 9.11 लाख बच्चों व 2.81 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है। बच्चों और महिलाओं को प्रदान किये जा रहे पूरक पोषण के मूल्य को बढ़ाने के लिए निम्न पहल की गई है।

- आंगनवाड़ी केन्द्रों में राशन बनाने के लिए डबल फोर्टीफाईड नमक का प्रयोग किया जा रहा है।
- राज्य की शहरी परियोजनाओं में आपूर्ति के लिए पंजीरी प्लांट के दोनों संयत्रों गुरूग्राम व घरौण्डा द्वारा फोर्टीफाईड पंजीरी तैयार की जा रही है।
- फोर्टीफाईड गेंहू का आटा सभी जिलों में हैफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- फोर्टीफाईड तेल सभी जिलों में व दोनों पंजीरी प्लांट में हैफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

आँगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (ए.डब्ल्यू.सी.)

6.100 वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 6,200 लाख रूपये का प्रावधान है। जिसमें से पूर्व वर्षो में स्वीकृत किये गये आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को पूरा करने तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की मरमम्त के लिए राशि जारी की गई है।

***

7

पंचायती राज तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वित की देखरेख करने और पंचायत राज संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों को विनियमित और समन्वयित करने के लिए जिम्मेदार है। शहरी क्षेत्र में विकास गतिविधियों को मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर समितियों, नगर परिषदों और नगर निगमों के माध्यम से चलाया जाता है।

राजस्व अर्जन योजना

7.2 यह योजना राज्य में ग्राम पंचायत/ पंचायत समितियों की वित्तीय स्थिति में वृद्धि करने और इस वित्तीय सहायता को ग्राम पंचायत/ पंचायत समितियों के लाभ के लिए अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1957-58 से जारी है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/ पंचायत समितियों को नलकूप, शामलात भूमि पर पम्पिंग सेट, बस स्टैंड पर दुकान निर्माण एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण आदि के लिये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ऋण की वसूली 30 वार्षिक किश्तों में की जाती है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2024-25 के लिए भी 2 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है।

मिलान अनुदान योजना

7.3 मिलान अनुदान के अंतर्गत राज्य में लडकियों के स्कूल, लडकियों के कॉलेजों और छात्रावासों के मामले को छोडकर सार्वजनिक योगदान के रूप में उनके द्वारा जुटाई गई राशि दो बार वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस योजना ने लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। ग्रामीण लोग स्वयं परियोजनाओं के प्रति जागरूक होते है और उत्तराधिकारी सार्वजनिक योगदान देते हैं तथा परियोजना के कार्यान्वयन से जुडे होते हैं इस योजना से लोगों को बडी अनुभूति प्राप्त होती है तथा प्रत्येक वर्ष अनुदान में वृद्धि होती है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2024-25 के लिए भी 5 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

राज्य वित्त आयोग

7.4 इस स्कीम के अतंर्गत संबंधित पंचायत समिति/ जिला परिषद की पी.पी.पी. (परिवार पहचान पत्र) जनसंख्या के अनुसार ही धन जारी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान क्रमशः 1,340 करोड़ रुपये का कोष और 1,715 करोड रूपये का कोष स्वीकृत किया गया था। परन्तु वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मात्र 254.61 करोड़ रूपये जारी किये गये थे और वित्तीय वर्ष

2021-22 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को कोई निधि जारी नहीं की गई थी। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1,812 करोड रुपये की निधि, जिसमें से इस कार्यालय के स्वीकृति आदेश दिनांक 01-06-2022 द्वारा राज्य स्तर पर खोली गई योजना के एस.एन.ए. प्रथम किश्त रूपये में 1,564 करोड़ रूपये जमा/ जारी किए गए हैं और वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है।

पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

7.5 राज्य सरकार ने करों/ शुल्कों/ शुल्कों के बटवारे के संबंध में राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और पी.आर.आई.एस. को केंद्रीय अनुदानों की भी सिफारिश की है। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए दिंनाक 26-05-2019 को 5 वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए प्रावधान के रूप में 908 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है।

7.6 प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 31-05-1994 को की गई थी। वित्त अयोग की पुरस्कार अवधि 1997-98 से 2000-01 तक थी। राज्य सरकार ने करों शुल्कों/ शुल्कों को साझा करने के संबंध में राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और पी.आर.आई. को केंद्र अनुदान की भी सिफारिश की है। दूसरा राज्य वित्त आयोग 06-09-2000 को स्थापित किया गया था और तीसरा राज्य वित्त आयोग 22-12-2015 को स्थापित किया गया था। चौथा राज्य वित्त आयोग 16-04-2020 को था। 5 वें राज्य वित्त आयोग 26-05-2021 को पी.आर.आई.एस. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के 1000 करोड की राशि प्रस्तावित की गई है।

15वां वित्त आयोग अनुदान

7.7 यह अनुदान केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार धनराशि जारी की जा रही है। निधियों को टाईड और अनटाईड घटक के रूप में जारी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत बजट प्रावधान 935 करोड़ रुपये का था, लेकिन एम.ओ.पी.आर. ने केवल 467.50 करोड़ रुपये ही राज्य को वितरित किये। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 979 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है जिसमे से 126.51 करोड़ रुपये की राशि, एम.ओ.पी.आर. से इस पत्र संख्या 01-01-2024 द्वारा प्राप्त किया गया है, जोकि जारी करने की प्रक्रिया में है और वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 1,000 करोड़ रूपये की राशि रखना प्रस्तावित है।

दीनबन्दु ग्राम उदय योजना

7.8 यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाडी, के.वी.सी., जी.वी.एच. और जी.वी.डी. के निर्माण के लिए शुरू की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं और 37.27 करोड़ रूपये इस योजना के तहत जारी किये गये हैं और वर्ष 2024-25 के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना

7.9 यह योजना महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत विकसित कॉलोनी में बिजली और अन्य सुविधा के लिए धन राशि एवं वार्षिकी प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 30 करोड़ का प्रावधान इस स्कीम में किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायतों की भूमि उपयोग के बदले वार्षिकी निधि के रूप में 13.62 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 30 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। कार्यालय आदेश क्रमांक 134835, दिनांक 27.09.2022 के अन्तर्गत इस योजन के तहत विकसित बस्तियों का विश्लेषण करने के लिए संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। यह समिति इन बस्तियों का सर्वेक्षण भी करेगी और आवश्यक विकास की अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वर्ष 2024-25 हेतु 40 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना

7.10 इस योजना के तहत 10,000 या 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज सिस्टम बिछाया जाता है। निर्णय के अनुसार सीवरेज सिस्टम डालने के लिए पंचायत विभाग केवल गांव को चयनित करके प्रशासनिक स्वीकृति देता है। अब तक 131 से अधिक गांवों को महाग्राम योजना में शामिल किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण 2021-22 के दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि महाग्राम गांवों में स्ट्रीट लाइट और कैमरे लगायें जायेंगे इस संबंध में अक्षय ऊर्जा विभाग को लिखा जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान सामान्य घटक में है 10 करोड रुपये का बजट प्रावधान इस योजना के तहत एस.सी घटक में किया गया है और वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य घटक 10 करोड़ रूपये व एस.सी घटक 10 करोड़ रूपये भी का प्रावधान रखा है।

हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण

7.11 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था। अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत, अधिसूचित में पंसंस्करण के लिए खरीदी गई या बेची गई कृषि उपज की बिक्री आय पर मूल्य के आधार पर शुल्क लगाया जाएगा। बाजार क्षेत्र पर समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत दरों पर शुल्क लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष 202-23 के दौरान 365.01 करोड़ रूपये और 31-10-2023 तक 147.45 करोड़ की राशि एकत्र की गई है। एच.आर.डी. शुल्क के रूप में एकत्र की गई धनराशि सरकार द्वारा मुख्यांत्री घोषणाओं के तहत घोषित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों को पूरा करने के लिए और पंचायती राज संस्थानों के स्थानीय प्रतिनिधियों की सिफारिश/ ग्राम पंचायतों की मांग पर स्वीकृत/ जारी की जाती है। एच.आर.डी.एफ. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 294.78 करोड़ की राशि और 31-10-2023 तक 154.98 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों जैसे गलियों और नालियों/ फिरनी/ चारदीवारी, शेड, शिव धाम का रास्ता व पार्क के साथ व्यायामशालाएं आदि के निर्माण के लिए जारी की है।

ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

7.12 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत 437.90 करोड रूपये की राशि व्यय करके 94.91 लाख मानवदिवसों का (18-01-2024 तक) सृजन किया जा चुका है। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान 100 लाख मानवदिवसों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वार्षिक योजना 2024-25 के लिए 446.25 करोड़ रूपये का परिव्यय केन्द्र (75 प्रतिशत) व राज्य (25 प्रतिशत) सरकार के हिस्से के रूप में सामग्री तथा प्रशासनिक व्यय के लिए प्रस्तावित किया गया है।

विधायक आदर्श ग्राम योजना

7.13 विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में (18-01-2024 तक) चयनित गांवों के विकास के लिए 240.27 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है व 262 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। अब इस योजना का नाम बदलकर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना कर दिया गया है तथा विधायक ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों जैसेकि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका में भी विकास कार्य करवा सकते हैं। वार्षिक योजना 2024-25 के लिए 180.20 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

7.14 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत कुल चयनित 10 कलस्टरों में 150 गांव शामिल किये गये है। वर्ष 2023-24 में (18-01-2024 तक) 244 कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा कुल 12.21 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2023-24 के लिए 50.00 करोड रूपये की राशि केन्द्र व राज्य के हिस्से के रुप में राशि स्वीकृत की गई है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2022 से बंद कर दी गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना

7.15 प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना राज्य के 8 जिलों में लागू की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में (18-01-2024 तक), 8.89 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वाटरशैड स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 9 केन्द्रीय प्रयोजित परियोजनाएं जिनका कुल बजट 80.59 करोड़ रूपये के लगभग है को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्कीम राज्य के 5 जिलों नामतः भिवानी, चरखीदादरी, गुरुग्राम, महेन्द्रगढ व यमुनानगर में अगामी 5 वर्षो में क्रियान्वित की जाएगी। वर्ष 2024-25 के लिए वाटरशैड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 40.00 करोड़ रूपये की राशि (14.40 करोड रूपये केन्द्र एवं 25.60 करोड रूपये राज्य के हिस्से के रुप में) प्रस्तावित की गई है।

दीन दयाल अन्तोदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)

7.16 दीन दयाल अन्तोदया योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में (18-01-2024 तक) 5,370 स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं व 3,303 स्वयं सहायता समूहों को कुल 6.60 करोड़ रूपये की परिक्रामी राशि दी गई है। इसी प्रकार 41.75 करोड़ रूपये की धनराशि सामुदायिक के रुप में 6,466 स्वयं सहायता समूहों के लिए दी गई तथा कुल 48.35 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है।

स्टार्ट-अप विलेज एंटेप्रीन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)

7.17 स्टार्ट-अप विलेज एंटेप्रीन्योरशिप प्रोग्राम का कुल उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरु करने और सहायता करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और गरीबी व बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को लागू करना है। वर्ष 2023-24 (18-01-2024 तक) के दौरान 998 उद्यमों को योजना के गहन कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है तथा कुल 0.04 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है।

दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना

7.18 दीन दयाल उपाध्याय योजना-ग्रामीण कौशल योजना भारत के ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करने के लिए है। यह योजना पीपुल प्रोजेक्ट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करती है और यह राशि राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2023-24 (18-01-2024 तक) के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल 20.67 करोड़ रूपये की राशि खर्च व 7,124 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

दीन दयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

7.19 दीन दयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्ट-अप विलेज एंटेप्रीन्योरशिप प्रोग्राम व दीन दयाल उपाध्याय योजना- ग्रामीण कौशल योजना के अतंर्गत वार्षिक योजना 2024-25 के लिए 225.90 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र (60 प्रतिशत) व राज्य हिस्सा (40 प्रतिशत) सरकार तथा आर.सेटी. के अतंर्गत 8.00 करोड़ रूपये की राशि 100 प्रतिशत केन्द्र के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

सांसद स्थानीय विकास योजना

7.20 इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, राज्य सभा तथा मनोनित सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये की राशि प्रगति कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान नवम्बर, 2023 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 22.92 करोड रूपये की राशि खर्च की गई है व 445 कार्य पूर्ण किये गये।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

7.21 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम राज्य के 7 जिलो के 15 खण्डो नामतः सिरसा (ओडान, डबवाली, बारागुढा, ऐलनाबाद), मेवात (नूह, फिरोजपुर झिरका, नगीना, पुन्हाना), यमुनानगर (छछरौली), कुरुक्षेत्र (पेहवा), कैंथल (गुहला, सिवान), फतेहाबाद (रतिया, जाखल) व पलवल (हथिन) में लागू की जा रही है, जिनमें अल्पंसख्यक आबादी 25 प्रतिशत और उससे अधिक है। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में (18-01-2024 तक) कुल 6.85 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। इस योजना के तहत कुल 60.00 करोड़ रूपये की राशि केंद्र और राज्य के हिस्से के रुप में वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित की गई है।

- मैचिंग ग्रांट योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से शुरू की गई थी। यह योजना विशिष्ट नियमों के तहत ग्राम पंचायत/ पंचायत समितियों, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) और स्थानीय समितियों के माध्यम से परियोजनाओं, अर्थात् स्कूल भवनों, पशु चिकित्सा औषधालयों, अस्पतालों, मनोरंजन केंद्रों, महिला मंडल भवनों, हरिजन और पिछड़ी चैपालों और अन्य विकास कार्यों के लिए क्रियान्वित

की जाती है। मैचिंग ग्रांट के तहत राज्य में लडकियों के स्कूल, लडकियों के कॉलेजों और छात्रावासों के मामले को छोडकर सार्वजनिक योगदान के रूप में उनके द्वारा जुटाई गई राशि के बराबर वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस योजना ने लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। ग्रामीण लोग स्वयं परियोजनाओं की पहचान करते हैं और अपना सार्वजनिक योगदान बढाते हैं और परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान जुडे रहते हैं। इस योजना ने लोगों से बडी प्रतिक्रिया प्राप्त की है और हर साल इस अनुदान की मांग में वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 के लिए कुल 5 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

- एस.बी.एम. के तहत राज्य स्तरीय टास्कफोर्स के तहत राज्य स्तरीय टास्कफोर्स का गठन माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के अनुमोदन के अनुसार किया गया है। यह स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी दोनों की गतिविधियों की देखभाल करेगा। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 4 आधिकारिक सदस्य और 10 गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा दो अन्य शिक्षाविदों/ पेशेवर को अलग से नामांकित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। एस.एल.टी.एफ. का व्यय स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2024-25 के लिए 1 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है ताकि विभिन्न कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन बनाया जा सके।
- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) को वित्तीय सहायता के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान शुरू की गई एक राज्य योजना है। सरकार गांवों में और उसके आसपास विनियमित विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। योजना का उद्देश्य एचआरडीए को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वह ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधाओं सहित शहरी जैसी सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। प्राधिकरण की स्थापना एचएसवीपी की तर्ज पर गांवों और उनकी परिधि में बुनियादी सुविधाएं और आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई है। गांव इसराना जिला पानीपत में मॉडल कॉलोनी विकसित करने के लिए 11.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 44.00 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के तहत 10,000 या अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज सिस्टम बिछाया जाता है। गांव में सीवरेज सिस्टम डालने के लिए ग्रामीण विकास विभाग केवल प्रशासनिक स्वीकृति देता है। कार्य को करवाने के लिए राशि का प्रबन्ध व कार्य का क्रियान्वन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 20 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत विकसित कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए तथा जिन ग्राम पंचायतो द्वारा इन कालोनियों के लिए जगह दी गई है उन्हें

वार्षिकी गतिविधि के रूप में 10,000 रूपये प्रति एकड़, प्रति वर्ष दिये जा रहे है। इस योजना के तहत विकसित बस्तियों का विश्लेषण करने के लिए संबंधित प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह समिति इन बस्तियों का सर्वेक्षण भी करेगी और आवश्यक विकास की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वर्ष 2024-25 के लिए कुल 40 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

- हरियाणा ग्रामीण विकास योजना का उद्देश्य समुदायों को अपने सामुदायिक कार्यों जैसे विवाह, त्योहारों को मनाने और सामान्य महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। गांवों के विकास जैसे सामुदायिक केंद्रों का निर्माण, गांवों के बीच 5 करम से कम चैड़ाई वाली संपर्क सड़कें, मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क योजना के तहत खेतों के लिए रास्ते, फिरनी, गांव स्तर पर ग्रामीण खेल स्टेडियम और सरकार उपरोक्त के अलावा अन्य किसी भी विकास कार्य को मंजूरी दे सकती है, को भी इस योजना के तहत लिया जाएगा। वर्ष 2023-24 के लिए मूल परिव्यय 700.00 करोड़ रूपये है तथा 500 करोड रूपये की अनुपूरक बजट की राशि स्वीकृत की गई है तथा संशोधित परिव्यय कुल 1,200.00 करोड़ रूपये का है। वर्ष 2023-24 में (18-01-2024 तक) कुल 817.50 करोड रूपये की राशि आंवटित की गई। इस योजना के अंर्तगत वर्ष 2024-25 के लिए कुल 1,200 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। एसबीएम-जी के तहत ग्रे वाटर प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 200.01 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।
- दीनबन्धु ग्राम उदय योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाडी, गांव ज्ञान केन्द्र, सरकारी पशु चिकित्सालय और सरकारी पशु औषधालय के निर्माण के लिए शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 37.27 करोड़ रूपये खर्च किए गये व 6.82 करोड रूपये जारी किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 200 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- ग्राम पंचायत/ पंचायत समितियों को राजस्व आयोग के तहत वित्तीय सहायता योजना राज्य में ग्राम पंचायत/ पंचायत समितियों की वित्तीय स्थिति में वृद्धि करने और इस वित्तीय सहायता को ग्राम पंचायत/ पंचायत समितियों के लाभ के लिए अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1957-58 से जारी है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/ पंचायत समितियों को नलकूप, शामलात भूमि पर पम्पिंग सेट, बस स्टैंड पर दुकान निर्माण एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण आदि के लिये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ऋण की वसूली 30 वार्षिक किश्तों में की जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय ने एस.बी.एम.-जी चरण-II को मंजूरी दे दी है जिसे 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाएगा। एस.बी.एम.-जी. चरण-II का मुख्य उद्देश्य गांवों की ओ.डी.एफ. स्थिति को बनाए रखना और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है, जिस से गांवों को ओ.डी.एफ. प्लस बनाया जा सके।

7.22 स्कीम के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) के निर्माण के लिए पात्र परिवारों को 12,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान हैं जबकि ग्राम स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.) के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.) 3 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। 5,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 60 प्रति व्यक्ति और ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए 280 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय राशि का प्रावधान हैं जबकि 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 45 प्रति व्यक्ति और ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए 660 रुपये प्रति व्यक्ति प्रदान किए जाएंगे। स्कीम के तहत गोबर-धन परियोजना के लिए प्रति जिला 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान हैं जबकि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (पी.डब्लू.एम.यू.) के लिए रुपये 16 लाख का प्रावधान हैं (प्रत्येक ब्लॉक में एक इकाई)। फीकल स्लज मैनेजमैंट के लिए स्कीम के तहत 230 प्रति व्यक्ति अनुमेय है।

7.23 राज्य सरकार महाग्रामों और ग्राम पंचायते जिनकी जनसंख्या 10,000 या उससे अधिक हैं में 160 हॉपर टिपर डंपर की खरीद की प्रक्रिया में है। इसी प्रकार, विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) के मौजूदा 120 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) में सह-उपचार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के मलकीचड़ का प्रबंधन करने की प्रक्रिया में है। सिंगल पिट/ सेप्टिकटैंकों से कीचड़ हटाने की नीति बनाई जा चुकी है। सह-उपचार की पूर्व संरचना का निर्माण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) द्वारा किया जा रहा है। सह-उपचार की पूर्व संरचना के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) को 10.80 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये जा चुके हैं।

7.24 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत 3 जिलो भिवानी, चरखीदादरी और हिसार में मॉडल गोबर-धन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 13 जिलो अंबाला, कुरूक्षेत्र, नूंह, सिरसा, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, पंचकुला, करनाल व यमुनानगर में गोबर-धन परियोजनओ का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित है। वर्ष 2023-24 (18-01-2024) में कुल 100.65 करोड़ रूपये उपयोग किए गए है। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना के तहत 185 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

शहरी स्थानीय निकाय

7.25 शहरी स्थानीय निकाय स्व-शासन की महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, जो शहरी क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढाँचा और नागरिक सुविधाएँ प्रदान करती हैं। हरियाणा का निरंतर परिवर्तन मुख्य रूप से शहरी समाज में परिवर्तन अब एक जनसांख्यिकीय, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 35 प्रतिशत से अधिक लोगों के साथ, राज्य भारतीय संघ में अत्यधिक शहरीकृत राज्यों में से एक है। किसी भी शहरीकृत और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरह, शहरी केंद्र गतिविधियों और विकास के केंद्र हैं। राज्य भर में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ, विकास पैटर्न प्रमुख गलियारों के साथ-साथ एक सन्निहित शहरी विकास का है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण-शहरी विभाजन कम हो रहा है। इन गलियारों में इतने बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकास के प्रभाव के परिणामस्वरूप शहरी विकास और सेवा वितरण की चुनौतियों का जवाब देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों पर वास्तविक दबाव पड़ रहा है और आने वाले वर्षों में यह एक बड़ी चुनौती होगी। इस

प्रकार, इसकी शहरी जनसंख्या 1991 में 24.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 28.93 प्रतिशत और वर्ष 2011 में 34.8 प्रतिशत हो गई है जो औसत राष्ट्रीय स्तर 31.16 प्रतिशत से अधिक है।

7.26 शहरी स्थानीय निकाय विभाग नगर निगम अधिनियम, 1994/नगरपालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से पूरे राज्य में शहरी आबादी को बुनियादी नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में, राज्य में 88 नगर पालिकाएं हैं जिसमें 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 54 नगर समितियाँ शामिल हैं।

7.27 शहरी स्थानीय निकाय विभाग का बजट प्रावधान पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गया है और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन पर जोर देते हुए राज्य के बजट में 6,199.80 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन-(शहरी)

7.28 स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, हरियाणा सरकार समुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 71,000 आई.एच.एच.एल. के संशोधित लक्ष्य के मुकाबले 66,462 (93.61 प्रतिशत) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) का निर्माण किया गया है। 4,081 सीटों के लक्ष्य के मुकाबले 4,086 (100 प्रतिशत) सामुदायिक शौचालय (सीटी) सीटों का निर्माण किया गया है। 6,313 सीटों के लक्ष्य के मुकाबले 6,872 (109 प्रतिशत) सार्वजनिक शौचालय (पीटी) सीटों का निर्माण किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2022

7.29 हरियाणा राज्य ने 100 से कम यूएलबी वाले राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में 15,000-25,000 जनसंख्या की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में 'फास्ट मूविंग सिटी' हासिल करने के लिए बवानी खेड़ा को "स्वच्छ सिटी अवार्ड" से सम्मानित किया गया है। 25,000-50,000 जनसंख्या की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में 'फास्ट मूविंग सिटी' हासिल करने के लिए धारूहेड़ा को "स्वच्छ सिटी अवार्ड" से सम्मानित किया गया है। नगर निगम, गुरूग्राम और रोहतक को "कचरा मुक्त शहरों के लिए थ्री स्टार रेटिंग" से सम्मानित किया गया है। 1-10 लाख आबादी की श्रेणी में, हरियाणा के 5 यूएलबी (गुरुग्राम 19वें, रोहतक 38वें, करनाल 85वें, पंचकुला 86वें और अंबाला 91वें) ने देश के शीर्ष 100 शहरों में अपनी-अपनी रैंक हासिल की।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021-स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम यूएलबी की श्रेणी के तहत हरियाणा को दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर 8वीं रैंक भी हासिल की है। नगर निगम, गुरूग्राम और रोहतक को "कचरा मुक्त शहरों के लिए थ्री स्टार रेटिंग" से सम्मानित किया गया है। नगर निगम, गुरूग्राम ने भी "सफाईमित्र सुरक्षा चैलेंज" के तहत भारत के 246 शहरों में चौथा स्थान हासिल किया है।
- प्रेरक दौर सम्मान-नगर निगम, गुरूग्राम, रोहतक और करनाल को 'गोल्ड (अनुपम)', नगर निगम, पंचकुला और फरीदाबाद और नगर पालिका, नीलोखेड़ी को 'सिल्वर (उज्ज्वल)' और नगर निगम, अम्बाला शहर को 'कॉपर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.)

7.30 परियोजना का लक्ष्य पूरे राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए ठोस कचरे का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है। खुली प्रौद्योगिकी (अपशिष्ट से खाद, आरडीएफ, बायो-मिथेनेशन,

अपशिष्ट से ऊर्जा और कोई अन्य उपयुक्त तकनीक, जिसे परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी लेते समय अनुमोदित किया जा सकता है) और 22 साल की रियायत अवधि के साथ कुल 13 क्लस्टर बनाए गए हैं। हरियाणा राज्य के संपूर्ण शहरी क्षेत्र को 13 एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समूहों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, सोनीपत-पानीपत, फरीदाबाद-गुरुग्राम, करनाल-कैथल-थानेसर, भिवानी, सिरसा, पंचकुला, फरुखनगर, हिसार-फतेहाबाद, अंबाला-यमुनानगर, रोहतक-बहादुरगढ़-झज्जर, जींद, मानेसर-रेवाड़ी, पलवल-पुन्हाना।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

7.31 अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (ए.एम.आर.यू.टी.) परियोजना वर्ष 2015 में शुरू हुआ और मार्च, 2020 में पूरा होना था। एम.ओ.एच.यू.ए., भारत सरकार ने इस मिशन की समय अवधि मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है। कुल 18 शहरी स्थानीय निकायों को ए.एम.आर.यू.टी. मिशन में शामिल किया गया है, अर्थात्, अंबाला शहर-सदर, पंचकुला, सोनीपत, करनाल, रोहतक, हिसार, यमुनानगर-जगाधरी, पानीपत, फ़रीदाबाद, गुरूग्राम, कैथल, भिवानी, जिंद, रेवाडी, पलवल, सिरसा, थानेसर, बहादुरगढ़। सरकार. भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के लिए अमृत परियोजना के लिए 2,565.74 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को मंजूरी दे दी है। हरियाणा शहरी ढांचागत विकास बोर्ड (एच.यू.आई.डी.बी.) को अमृत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राज्य सरकार ने 2,804.31 करोड़ रूपये की संशोधित परियोजना लागत को भी मंजूरी दे दी है।

प्रगति- 2,694.30 रूपये करोड़ की पूंजीगत लागत वाली 45 डीपीआर को एसएचपीएससी और एसएलटीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन 45 डीपीआर के मुकाबले, 55 डीएनआईटी 2,310.01 करोड़ रूपये की पूंजीगत लागत के साथ एसएलटीसी द्वारा तैयार और अनुमोदित किए गए हैं। एसएलटीसी ने अपनी विभिन्न बैठकों में 3,116.08 रूपये करोड़ की पूंजीगत लागत वाले 55 कार्यों को मंजूरी दे दी है। 34 कार्य पूरे हो चुके हैं और 21 कार्य प्रगति पर हैं। कार्यों की कुल भौतिक प्रगति लगभग 90 प्रतिशत है और आज तक 2,765.00 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है।

सीवरेज, जल आपूर्ति और जल निकासी

7.32 जल आपूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी की सेवाओं की देखभाल नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा 1979 से और नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा 2013 से की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22-06-2017 को आयोजित बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि जल आपूर्ति, सीवरेज और तूफान जल निकासी की सेवाएं शेष 8 नगर निगमों को नियत समय में लेकिन अमृत परियोजना के पूरा होने से पहले स्थानांतरित कर दी जाएंगी। इस निर्णय के अनुपालन के प्रथम चरण में दिनांक 16-09-2018 को जल आपूर्ति, सीवरेज और तूफानी जल निकासी की सेवाएं एमसी सोनीपत और करनाल द्वारा अपने अधीन ले ली गईं। एमसी, पानीपत ने 01-09-2022 से इन सेवाओं को अपने हाथ में ले लिया है। वित्त विभाग ने नई योजना अर्थात "नगर निगमों में सीवरेज, जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं" शुरू करने की मंजूरी दे दी है, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य के बजट में 74.97 रूपये करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना के तहत 42.74 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

स्मार्ट सिटी मिशन

7.33 शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, स्मार्ट सिटी मिशन सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में चालू है। भारत और केंद्र सरकार के. 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति शहर प्रति वर्ष 100 रूपये करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा समान राशि (मिलान अनुदान)। राज्यांश के रूप में स्मार्ट सिटी को दिया जा रहा है। शहरी विकास मंत्रालय की शर्तों के मुताबिक, हरियाणा में दो शहरों फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। फ़ास्ट ट्रैक के तहत 21-05-2016 को फ़रीदाबाद का चयन किया गया और 28-06-2017 को तीसरे दौर में करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया।

(i) फ़रीदाबाद स्मार्ट सिटी: विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात् फ़रीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, 20-09-2016 को निगमित किया गया, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया गया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पहली बार 19-10-2016 को नियुक्त किया गया था और दिनांक 19-05-2017 को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी.एम.सी.) नियुक्त किया गया था। फ़रीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 784 रूपये करोड़ की राशि, जिसमें 392 रूपये करोड़ भारत सरकार का हिस्सा और 392 रूपये करोड़ राज्य का हिस्सा शामिल है, जारी कर दी गई है। फ़रीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में दो घटक शामिल हैं, क्षेत्र आधारित विकास प्रस्ताव और पैन सिटी प्रस्ताव। फ़रीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कुल 45 परियोजनाएँ हैं जिनकी कुल लागत 930.04 रूपये करोड़ है।

उपलब्धि- 45 परियोजनाओं में से, 645.76 करोड़ रुपये की 27 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं (निर्माण चरण पूरा हो गया है। अनुबंध के प्रावधान के अनुसार निर्माण चरण पूरा होने के प्रमाणन का मुद्दा विचाराधीन है। ओ एंड एम/ डीएलपी के पूरा होने के बाद समापन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा)। इसके अलावा, 284.28 रूपये करोड़ की 18 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ii) करनाल स्मार्ट सिटी: विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात् करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड, 08-12-2017 को निगमित किया गया, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया गया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पहली बार 26-08-2017 को नियुक्त किया गया था और परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी.एम.सी.) 01-10-2018 को नियुक्त किया गया था। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कुल 686 रूपये करोड़ की राशि जारी की गई है, जिसमें से 343 रूपये करोड़ केंद्र सरकार द्वारा और 343 रूपये करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में दो घटक शामिल हैं, अर्थात् क्षेत्र आधारित विकास प्रस्ताव और पैन सिटी प्रस्ताव। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत कुल 107 परियोजनाएं हैं जिनकी कुल लागत 930 करोड़ रूपये है।

उपलब्धि- 107 परियोजनाओं में से 235.10 करोड़ रुपये की 70 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 275.66 करोड़ रुपये की कुल 13 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं। इसके अलावा, 419.24 करोड़ रूपये की 24 परियोजनाएं अन्य विभागों के माध्यम से जमा कार्य के आधार पर क्रियान्वित की जा रही हैं।

मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना

7.34 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के राज्य बजट भाषण के दौरान, 1000 करोड़ रूपये आवंटित करके एक योजना 'मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना' की घोषणा की गई थी। यह योजना राज्य से वित्तीय लाभ प्राप्त करते हुए उभरती शहरी चुनौती में भाग लेने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक लॉन्च पैड प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार योजना शुरू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहले ही एक लाख रूपये निर्धारित कर दिए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है और सरकार को विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है।

अदेयता प्रमाणपत्र और संपत्ति कर प्रबंधन प्रणाली

7.35 नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने और संपत्ति की बकाया राशि की प्राप्ति के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें नागरिक अपनी संपत्ति के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकता है। किसी भी बकाया भुगतान के मामले में, भुगतान का विवरण पोर्टल पर दर्शाया जाता है और नागरिक ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। पोर्टल को वेब एच.ए.एल.आर.आई.एस. के साथ जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि संपत्ति के खिलाफ कोई बकाया है, तो बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए टोकन उत्पन्न न हो। सर्च को आसान बनाने के लिए जी.आई.एस. इंटरफ़ेस भी दिया गया है। इसके अलावा, यदि संपत्ति अनधिकृत है, तो सिस्टम बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए टोकन उत्पन्न करने की अनुमति नहीं देता है। संपत्ति/ बकाया/ स्वामित्व के संबंध में कोई भी विवरण गलत होने पर सिस्टम नागरिकों द्वारा आपत्ति उठाने का प्रावधान भी देता है। पोर्टल 3 अगस्त, 2020 को लॉन्च किया गया था।

प्लास्टिक प्रतिबन्ध के लिए मोबाइल ऐप

7.36 राज्य में प्लास्टिक प्रतिबंध के कार्यान्वयन के लिए 23-06-2022 को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का उपयोग करके नागरिक प्लास्टिक के उपयोग/ निर्माण के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त शिकायतों को ऐप पर संबंधित यूएलबी के नोडल अधिकारियों को भेज दिया जाता है जो शिकायत के सत्यापन के बाद अपराधियों को ऐप के माध्यम से चालान जारी करते हैं। अपराधी उत्पन्न डायनामिक क्यूआर कोड का उपयोग करके, पेटीएम/ जीपे आदि जैसे विभिन्न वॉलेट का उपयोग करके भी भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, यूएलबी अधिकारी/ कर्मचारी नागरिकों की किसी भी शिकायत के बिना भी प्लास्टिक के उपयोग/ निर्माण का पता चलने पर चालान जारी कर सकते हैं।

नगर दर्शन पोर्टल

7.37 यह पोर्टल शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को राज्य सरकार के सभी विभागों के विकास कार्यों से संबंधित मांगें उठाने की अनुमति देता है। पोर्टल नागरिकों को शिकायत दर्ज करने की भी अनुमति देता है। प्राप्त मांगों को पोर्टल पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी अनुशंसा के लिए भेज दिया जाता है। अनुशंसित मांगों को व्यवहार्य मांगों की व्यवहार्यता और निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को भेज दिया जाता है। पोर्टल 13-04-2022 को लॉन्च किया गया था।

मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना (मकान/ दुकान बिक्री पोर्टल)

7.38 यह नीति 1 जुलाई, 2021 से लागू हुई। "मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना", हरियाणा का यू.एल.बी. वेब पोर्टल और प्रत्येक आवेदन की जांच संबंधित नगर पालिका द्वारा की जाती है। तहबाजारी आदि पर पट्टे पर दी गई भूमि/ संपत्ति (दुकानें/ मकान) जिसके लिए संबंधित किराया/ पट्टा राशि/ लाइसेंस शुल्क/ तहबाजारी शुल्क 31-12-2020 तक नगर निकायों द्वारा देय/ प्राप्य है और जो व्यक्तियों के कब्जे में हैं 31-12-2020 तक 20 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए/ संस्थाएं नीति-2021 के तहत स्वामित्व अधिकार देने के लिए पात्र होंगी। इस नीति के तहत 16,667 संपत्तियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 11,586 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं। अब तक कुल 5,446 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

बजट पोर्टल-वार्षिक/ संशोधित बजट प्रस्ताव (आय/ व्यय) को कैप्चर करने के लिए विभाग द्वारा बजट पोर्टल विकसित किया गया है और प्रत्येक यू.एल.बी. का वास्तविक वार्षिक व्यय। पोर्टल प्रत्येक यू.एल.बी. के लिए प्रमुख-वार मासिक आय और व्यय विवरण भी दर्ज करता है। पोर्टल 15-07-2022 को लॉन्च किया गया था।

भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए आवेदन

7.39 यू.एल.बी./ निदेशालय द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन (सी.एल.यू.) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। सीएलयू के लिए सभी आवेदन इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। पोर्टल में आवेदक को ऑनलाइन आपत्तियाँ बताने और ऑनलाइन उत्तर प्राप्त करने का भी प्रावधान है। भुगतान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जाता है।

केंद्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी.)

7.40 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 477 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से 400.25 करोड़ रूपये नगर पालिकाओं को जारी किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 530 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है और जिसमें से 228.65 करोड़ रूपये अब तक नगरपालिका समितियों को जारी किए जा चुके हैं।

राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.)

7.41 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 2,102 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से 2,001.33 करोड़ रूपये नगर पालिकाओं को जारी किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 2,002 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है और जिसमें से 1,877.00 करोड़ रूपये अब तक नगरपालिका समितियों को जारी किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना

7.42 माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना नामक नई योजना की घोषणा की थी। इस योजना में जल आपूर्ति, सीवेज, सेप्टेज, तूफान जल निकासी, हरित स्थान/ पार्क, सामुदायिक केंद्र, स्ट्रीट लाइट, सड़क मार्ग, रात्रि आश्रय, सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम), दूध डेयरियों का स्थानांतरण (एसएमडी), नगर निगम कार्यालय के लिए भवन का निर्माण, मवेशियों के लिए निर्माण और प्रबंधन, आवारा जानवरों के लिए तालाब और मुख्यमंत्री घोषणा के माध्यम से यूएलबी को सौंपा

गया और कोई अन्य कार्य प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के बजट में 640 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 156.78 करोड़ रूपये की राशि हरियाणा राज्य में विकास कार्यों के लिए विभिन्न नगर पालिकाओं को जारी की गई है।

नियोजित योजनाओं में भूखण्डों के उपविभाजन हेतु आवेदन

7.43 हरियाणा के नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित टाउन प्लानिंग योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं, सुधार ट्रस्ट योजनाओं में भूखंडों के अवैध उप-विभाजन को नियमित करने/ आवासीय भूखंडों के उप-विभाजन की अनुमति के लिए दिनांक 20-07-2022 की अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है।

हरियाणा नगरपालिका शहरी निर्मित-योजना सुधार नीति, 2023

7.44 नगरपालिका सीमा के मुख्य क्षेत्रों के भीतर आने वाली मॉडल टाउन योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं, टाउन प्लानिंग योजनाओं, सुधार ट्रस्ट योजनाओं आदि जैसी नियोजित योजनाओं में भूखंडों के उपयोग को आवासीय से गैर-आवासीय में परिवर्तित करने के लिए दिनांक 16-11-2023 को पोर्टल लॉन्च किया गया है।

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण

7.45 योजना का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और भेद्यता को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर मजबूत निर्माण के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार होगा। गरीबों की संस्थाएँ मिशन का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना होगा। इसके अलावा, मिशन उभरते बाजार के अवसरों तक पहुंचने के लिए शहरी स्ट्रीट विक्रेताओं को उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके शहरी स्ट्रीट विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं को भी संबोधित करेगा।

दीन दयाल अंत्योदय योजना

7.46 विभिन्न कस्बों में 154 स्थायी/ अस्थायी रात्रि/ पोर्टा केबिन शेल्टर स्थापित हैं। 402 स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन किया गया है, 334 एस.एच.जी. को रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया है और 85 एसएचजी को बैंकों के साथ क्रेडिट लिंक किया गया है। 23 शहरी आजीविका केंद्र (सीएलसी) स्थापित किए गए हैं। 1,704 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है; 4,422 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है; कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के तहत 90 अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 308 ऋण प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 304 ऋण प्रकरणों में ब्याज अनुदानित ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया जा चुका है। 88 यू.एल.बी./ कस्बों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें 1,04,680 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई है। 88 यू.एल.बी. ने स्ट्रीट वेंडरों को 88,038 सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (सी.ओ.वी.) वितरित किए हैं। 55 यू.एल.बी. में कुल 27,034 स्मार्ट आईडी कार्ड जारी किए गए हैं।

पीएम- स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर (पीएम-एसवीए निधि) योजना

7.47 11-10-2023 तक, शहरी पथ विक्रेताओं से कुल 1,83,318 ऑनलाइन ऋण आवेदन (1,58,212 आवेदन किश्त-1 के तहत, 22,248 ऋण आवेदन किश्त-2 के तहत और 2,858 ऋण

आवेदन किश्त-3 के तहत) प्राप्त हुए हैं, जिनमें से बैंकों द्वारा 1,21,384 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 97,533 स्ट्रीट वेंडरों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया गया है।

- कुल 97,533 वितरित ऋण आवेदनों में से, किश्त-1 के तहत 80,135 स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 प्रति स्ट्रीट वेंडर की दर से 79.66 करोड़ रूपये की राशि, 15,111 स्ट्रीट वेंडरों को 20,000/- की दर से 30.12 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है। किश्त-2 के तहत प्रति रेहड़ी-पटरी विक्रेता और किश्त-3 के तहत 2,287 रेहड़ी-पटरी वालों को 50,000 प्रति रेहड़ी-पटरी की दर से 11.31 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।
- आगे 7 प्रतिशत केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा, राज्य सरकार ने पीएम-एसवीए निधि के लाभार्थियों को राज्य के बजट से 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऐसे में राज्य में 29,709 पीएम-एसवीए निधि मामलों में 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी के रूप में 25,32,072 रूपये की राशि जारी की गई है।

आवास बोर्ड़, हरियाणा

7.48 हाउसिंग बोर्ड़ हरियाणा वर्ष 1971 के दौरान हाउसिंग बोर्ड़ हरियाणा (अधिनियम संख्या 20, 1971) के अनुसरण मे अस्तित्व में आया। बोर्ड़ का मुख्य उद्धेश्य राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जनता को आवंटन के लिए घरो का निर्माण करना है। मुख्यताः सामाजिक व आर्थिक तौर पर गरीब लोगों के लिये मकान बनाने पर जोर देना है। उच्च-स्तर पर यहां सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय बोर्ड का मार्ग दर्शन करते हैं। बोर्ड सभी नीतिगत मामलों का निर्णय करता है। मुख्य प्रशासक, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

- हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने वर्ष 1971 में अपनी स्थापना के बाद से 31-01-2024 तक विभिन्न श्रेणियों के 99,049 घरों का निर्माण किया है जिनमें से 74,827 घर बी.पी.एल./ ई.डब्लयू.एस./ एल.आई.जी. श्रेणी के समाज के लिए हैं, 12,143 मकान एम. आई. जी. श्रेणी के लिए हैं, 4,006 मकान एच. आई. जी. श्रेणी के लिए हैं, 576 फ्लैट रक्षा श्रेणी के लिए हैं (342 टाइप-ए और 234 टाइप-बी), 7,159 मकान अन्य श्रेणी के लिए और हाउसिंग बोर्ड़, हरियाणा द्वारा अन्य विभागों के लिए भी 1,048 आवासों का निर्माण किया गया है। 31-01-2024 तक मकान पूरे होने का श्रेणी-वार विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है।

तालिका 7.1 - श्रेणी-वार 31-01-2024 तक मकान पूरे होने का विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	घरों की संख्या	प्रतिशत
1	ई.डब्लयू.एस., बी.पी.एल. के लिए	26,919	27.17
2	ई.डब्लयू.एस.	13,181	13.30
3	एल.आई.जी.	34,727	35.06
4	एम.आई.जी.	12,143	12.25
5	एच.आई.जी.	4,006	4.044
6	अन्य	8,073	8.150
कुल		99,049	100.00

स्त्रोतः हाउसिंग बोर्ड़, हरियाणा।

7.49 वित्तीय वर्ष 01-04-2022 से 31-03-2023 के दौरान 666 मकान बनाये गये और 34.55 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

7.50 चालू वित्तीय वर्ष 01-04-2023 से 31-01-2024 के दौरान 340 आवास पूर्ण हो चुके हैं और इन आवासों के निर्माण पर 12.20 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं।

7.51 वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,853 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानो पर प्रगति पर हैं जिनमें से 637 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 1,880 मकान बी.पी.एल. वर्ग के परिवारों के लिए तथा 336 मकान हरियाणा के सेवारत व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों के हैं।

नोट- माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 12-05-2022 की बैठक की कार्यवाही के अनुसार हाउसिंग बोर्ड का एच.एस.वी.पी. के साथ समापन/ विलय का मामला प्रक्रियाधीन है। सभी भूमि और भूखंड एच.एस.वी.पी. को हस्तातरित किए जा रहे हैं और एच.एस.वी.पी. द्वारा भूमि के बदले एच.बी.एच. को अग्रिम के रूप में 100 करोड़ राशि आवंटियों को वापसी के लिए दी गई है। विलय प्रस्ताव विचाराधीन है।

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा

7.52 हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा हैः-

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

7.53 आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पी.एम.ए.वाई.-शहरी) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अपने निवास के लिए नया मकान बनाने/ खरीदने/ विस्तार के लिए सहायता उपलब्ध करवाना है। पी.एम.ए.वाई. - शहरी को निम्नलिखित चार घटकों में विभाजित किया गया हैः-

- लाभार्थी द्वारा स्वयं आवास का निर्माण
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम भारत सरकार द्वारा इस घटक की समय अवधि 31 मार्च, 2022 से आगे नहीं बढ़ाई है।
- साझेंदारी में सस्ती हाउसिंग
- इन-सीटू में स्लम पुनर्विकास

7.54 शहरी गरीबों की कमजोर आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत, राज्य सरकार द्वारा 1.50 लाख रूपये की प्रति लाभार्थी की केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त 1.00 लाख रूपये तक राज्य वित्तीय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है।

प्रगति

7.55 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थी के स्वयं द्वारा आवास का निर्माण घटक के अंतर्गत 67,649 मकानों के लक्ष्य के विरूद्ध 31,132 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतू 567 करोड़ रूपये की वित्तिय सहायता प्रदान करवाई जा चुकी है। ऋण आधारित सब्सीडी योजना घटक के अंर्तगत 44,746 लाभार्थियों को 8,464.86 करोड़ रूपये का होम लोन स्वीकृत तथा 989.80 करोड़ रूपये की ब्याज अनुदान राशि के रूप में उपलब्ध करवाई गई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

7.56 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "वर्ष 2022 तक सभी को आवास" प्रदान करने के लिए 01.04.2016 से "इन्दिरा आवास योजना" को "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" में परिवर्तित कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक व आर्थिक जनगणना-2011 की सूची से किया जाता है। मंत्रालय द्वारा 1.56 लाख बेघर, शून्य, 1 व 2 कमरों के कच्चे मकानों में रहने वाले सभी परिवारों की सूची उपलब्ध करवाई गई थी। ये सूचियां ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाई हैं जिनमें से ग्राम पंचायत द्वारा स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करवाये जाने वाले लाभार्थियों का सत्यापन तथा प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18, 2020-21 तथा 2021-22 के लिये 29,711 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.57 स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को 1.20 लाख रूपये की वित्तीय सहायता नए मकान के निर्माण के लिए प्रदान करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त, 0.18 लाख रूपये टॉप-अप के रूप में तथा 0.12 लाख रूपये शौचालय के निर्माण हेतु उपलब्ध करवाये जाते हैं। 0.26 लाख रूपये की अतिरिक्त सहायता (मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 90 अकुशल श्रम-दिन की मजदूरी) भी उपलब्ध करवाई जाती है। लाभभोगीयों के लिए 70,000 रूपये तक के बैंक ऋण का विकल्प भी है।

प्रगति

7.58 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 29,404 घरों के लक्ष्य के विरूद्ध, सभी घर स्वीकृत किये जा चुके हैं। 28,250 घरों का निर्माण हो चुका है तथा 1,154 घर निर्माणधीन हैं। लाभार्थियों को 388.65 करोड़ रूपये की वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। लाभार्थियों को 343.48 करोड़ रूपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है।

***

8

सामाजिक क्षेत्र

विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि एवं जनता की भलाई के साथ मानव विकास है। किसी भी विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.2 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतः वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतू विभिन्न योजनायें लागू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

8.3 यह योजना राज्य की बालिकाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों की विभिन्न श्रेणियों को 31,000 रूपये से 71,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जैसेः-(i) समाज के सभी वर्गों की विधवाओं/ तलाकशुदा/ बेसहारा उनके पुर्नविवाह पर (बेशर्ते उन्होंने पहली शादी के अवसर पर इस योजना का लाभ न लिया हो) तथा उनकी लडकियों की शादी के अवसर पर अनुदान। (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो) (ii) अनुसूचित जाति/ विमुक्त जाति/ टप्परीवास जाति के लोगों की लडकियों की शादी हेतू अनुदान। (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो) (iii) महिला खिलाडी (किसी भी वर्ग की जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो) को उनको स्वयं की शादी हेतु अनुदान। (iv) सामान्य वर्ग व पिछडे वर्ग के व्यक्तियों को उनकी लडकियों की शादी हेतु अनुदान। (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो) (v) दिव्यांगजन के विवाह के लिए 51,000 रूपये यदि पति या पत्नी दोनों विकलांग हैं और 31,000 रूपये दिव्यांगजन के लिए यदि पति या पत्नी में से कोई एक विकलांग है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 26,984 शादियां करवाने में 12,633.08 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 16,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से 18,063 शादियां करवाने में 10,099.98 लाख रूपये दिनांक 31-12-2023 तक खर्च किये गये हैं।

डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना

8.4 डा. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो उनके घर की मरम्मत के लिये 80,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 के दौरान 9,578.80 लाख रुपये की राशि 11,760 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2023-24 के लिये 20,000 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 8,866 लाभार्थियों पर 7,182.50 लाख रुपये की राशि 31-12-2023 तक खर्च की जा चुकी है।

डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना

8.5 सभी वर्गों के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 5,129.91 लाख रुपये की राशि 61,238 छात्रों पर खर्च की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान 7,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है जिसमें से पिछले वर्ष की लम्बित आवेदन पत्रों सहित दिनांक 31-12-2023 तक 5,060.47 लाख रुपये की राशि, 62,694 छात्रों पर खर्च की जा चुकी है। हिदायतें दिनांक 20-07-2021 के अनुसार हरियाणा राज्य के अनुसचित जाति व पिछडे वर्ग के छात्र/ छात्राओं के अतिरिक्त अन्य वर्गों के छात्र/ छात्राओं को भी इस योजना के अन्तर्गत लाभ देने हेतु शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री सामाजिक-समरसता अन्तर्राजातीय विवाह शगुन योजना

8.6 मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्राजातीय विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के साथ अन्तर्राजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। किसी गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के साथ विवाह करने पर उनको प्रोत्साहन के रूप में 2.50 लाख रूपये की राशि दी जाती है, जिसमें से 1.25 लाख रूपये उनके तुरन्त प्रयोग हेतु बैंक खाते में जमा करवाये जाते हैं और शेष राशि 1.25 लाख रूपये सवाधि बैंक खाते में 3 साल की निश्चित आवश्यकता अवधि जिसमें समय से पूर्व राशि निकालने की अनुमति नहीं है के लिए जमा किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 1,441 विवाहित जोड़ों पर 3,571.36 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2023-24 के लिए 4,000 लाख रूपये का प्रावधान है, जिसमें से दिनांक 31-12-2023 तक 404 विवाहित जोड़ों पर 998.01 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

8.7 "अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों को उच्च प्रतियोगी परीक्षा हेतु वित्तीय सहायता" नामक स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से सिविल सेवायें परीक्षा, बैंकिंग/ रेलवे/ एस.एस.सी./ एच.टी.ई.टी. एवं एन.ई.ई.टी./ जे.ई.ई. आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उच्च प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा जिनकी आय सीमा 2.50 लाख रूपये तक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान 2,000 लाख रूपये तक की राशि के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से उक्त दोनों वित वर्षों में कोई भी खर्चा नहीं किया गया था। वर्ष 2023-24 में 100 लाख रूपये की राशि के बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 31-12-2023 तक कोई भी खर्चा नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

8.8 भारत सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 2,500 रूपये प्रतिमास से 13,500 रूपये प्रतिमास छात्रवृत्ति के अतिरिक्त सभी नान-रिफण्डेबल फीसें प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 में स्कीम में संशोधन करके 60:40 (केन्द्रीय राज्य) हिस्सा के आधार पर कर दी गई, इस स्कीम के अन्तर्गत खर्च 60:40 के आधार पर किया जा रहा है। सरकार की हिदायतोंनुसार

राज्य सरकार के हिस्से के स्थानान्तरण उपरान्त केन्द्रीय हिस्सा भारत सरकार द्वारा छात्रों के बैंक खाते में सीधे तौर पर स्थानातंरित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत माता पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रूपये से कम होनी चाहिये। वर्ष 2022-23 में 12,138.74 लाख रुपये की राशि 79,116 लाभार्थियों पर खर्च की गई थी। वर्ष 2023-24 के दौरान 14,360.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 7,548.16 लाख रुपये की राशि 43,729 छात्रों पर 31-12-2023 तक खर्च की जा चुकी है।

पिछडे वर्गों के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

8.9 भारत सरकार द्वारा "अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत 160 रूपये प्रतिमास से 750 रूपये प्रतिमास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। वर्ष 2022-23 में 707.30 लाख रुपये की राशि 17,145 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 में स्कीम में संशोधन करके 60:40 (केन्द्रीय राज्य) हिस्सा आधार पर कर दी गई है। वर्तमान में छात्रों को वार्षिक भत्ता टयूशन शैक्षणिक भत्ता 5,000 रूपये से 20,000 रूपये तक प्रदान किया जा रहा है वर्ष 2023-24 के दौरान 11,500 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 2,684.98 लाख रुपये की राशि 34,885 छात्रों पर 31-12-2023 तक खर्च की जा चुकी है। सभी प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु आनॅलाईन मोड से लाभार्थियों को फंड वितरण किया जा रहा है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.10 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। निगम इस समय तीन प्रकार की स्कीमों नामतः बैंक टाई-अप योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजनाओं का परिचालन कर रहा है।

8.11 हरियाणा सरकार की निर्देशानुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 1.80 लाख रुपये तक हो तथा उसका नाम बी.पी.एल. सर्वे लिस्ट में हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसे भैंस पालन, भेड़ पालन, पशु चालित गाड़ियां, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, करियाना की दुकान, आटा चक्की, बढ़ईगिरी, साइबर कैफे, फोटोग्राफी, आटो-रिक्शा आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के तहत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आवेदकों की, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये तथा शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वार्षिक पारिवारिक आय 1.50 लाख रूपये से 3 लाख रुपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए ऋण दिया जाता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) योजनाओं के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है।

बैंक टाई-अप योजना

8.12 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उपार्जन योजनाओं, जिनकी योजना लागत 1.50 लाख रुपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता

उपलब्ध करवाता है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना का 50 प्रतिशत अनुदान राशि के रूप में (जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये) व 10 प्रतिशत सीमान्त राशि तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.13 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.एफ.डी.सी. तथा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। हांलाकि, इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.14 निगम, एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। हालांकि इन योजनाओं के अन्तर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है।

वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्ताव

8.15 निगम द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान 10,000 परिवारों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत 11,633.26 लाख रुपये जिसमें 956.40 लाख रूपये की अनुदान राशि शामिल है कि आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां (अक्तूबर, 2023 तक)

8.16 निगम द्वारा वर्ष 2023-24 में 1,678 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार हेतु 1,290.82 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 128.67 लाख रूपये की अनुदान राशि शामिल है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए कार्यक्रम/ योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ तालिका 8.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 8.1- वर्ष 2021-22 से 2023-24 के कार्यक्रम/ योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

क्षेत्र/ स्कीम का नाम	2021-22		2022-23		2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)	
	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)
1. कृषि एवं सहायक क्षेत्र						
क) पशुपालन	1163	665.28	989	679.83	485	352.00
ख) मूर्गी पालन	-	-		-	-	-
ग) भेड़ पालन	60	54.60	52	49.30	35	33.30

घ) सुअर पालन	32	20.30	31	23.20	4	4.70
ड़) झोटा बुग्गी/ ऊँट गाड़ी/ रेडा खच्चर गाडी	3	2.70	3	1.80	1	1.00
च) मधुमक्खी पालन	-	-	-	-	-	-
2. औद्योगिक क्षेत्र	57	32.70	91	31.90	189	58.20
3. वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्र	915	748.69	888	800.77	515	484.12
4. व्यवसायिक एवं स्वरोजगार क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
क) ब्यूटी पार्लर	1	0.50	-	-	9	5.00
ख) ई-रिक्शा	-	-	8	11.50	16	24.00
ग) कानूनी पेशा	-	-	2	2.00	-	-
घ) फोटाग्राफी	-	-	-	-	-	-
5. एन.एस.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	800.00	603.35	799	601.15	401	305.90
6. एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	37.00	39.55	36	37.95	23	22.60
कुल	3068.00	2167.67	2899	2239.40	1678	1290.82

स्त्रोतः- अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा।

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.17 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा हरियाणा के पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु भिन्न-भिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सस्ते वार्षिक ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछडे वर्ग के 5,000 व्यक्तियों को 25 करोड़ रूपये, अल्प संख्यक समुदाय के 3,000 व्यक्तियों को 15 करोड़ रूपये एवं दिव्यांग वर्ग के 2,000 व्यक्तियों को 10 करोड़ रूपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछडे वर्गों, अल्प संख्यक समुदायों और विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थियों को वितरित ऋण के पिछले 3 वर्षों का विवरण तालिका 8.2 में दिया गया है।

तालिका 8.2- पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति का विवरण

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	पिछडे वर्ग		अल्पसंख्यक समुदाय		विकलांग व्यक्ति		कुल	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2021-22	998	7.68	523	4.86	1257	12.55	2778	25.09
2022-23	883	6.34	487	4.92	1203	12.24	2573	23.50
2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक)	507	4.30	396	4.39	792	8.69	1695	17.38
कुल	2388	18.32	1406	14.17	3252	22.48	7046	65.97

स्त्रोत- पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना

8.18 ऐसे वृद्ध व्यक्ति, जो अपने साधनों से जीवनयापन करने में असमर्थ हों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सरंक्षण प्रदान करने के उद्धेश्य से प्रारम्भिक स्तर पर संयुक्त पंजाब के समय 01-04-1964 से वृद्धावस्था पैंशन योजना शुरू की गई थी। पैंशन की दर, जो योजना प्रारम्भ होने के समय 15 रूपये मासिक थी, जिसमें समय-समय पर बढ़ौतरी की गई। हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना 01-11-1966 से अपनाई गई। वर्ष 1987 में वृद्धावस्था पैंशन का उदारीकरण करते हुए 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 17-06-1987 से 100 रुपये मासिक दर से पैंशन की अदायगी की गई थी।

8.19 राज्य सरकार द्वारा इस योजना का और उदारीकरण करते हुये ''वृद्धावस्था पैंशन योजना-1991'' प्रारम्भ की गई जिसे अब ''वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना'' का नाम दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई, 1991 से चालू की गई जिसमें आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। योजना के तहत जो व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी है और सभी स्त्रोतों से उसकी/ उसके पति या पत्नी की आय प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये, लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

8.20 इस योजना का उद्धेश्य जरूरतमंदों, विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों जैसे कृषि मज़दूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति/ पिछड़े वर्गों के सदस्यों व लघु तथा मध्यमवर्गीय किसानों आदि को, वृद्धावस्था भत्ता का लाभ देना सुनिश्चित करना है। वर्ष 1991 से अक्तूबर, 1999 तक 100 रुपये मासिक दर से पैंशन दी जाती थी, जिसे समय-समय पर बढाया गया है। दिनांक 01-01-2014 से 1,000 रुपये प्रतिमास पैंशन की गई थी और दिनांक 01-01-2015 से 1,200 रुपये पुनः दिनांक 01-01-2016 से 1,400 रुपये, दिनांक 01-11-2016 से 1,600 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है तथा दिनांक 01-11-2017 से 1,800 रुपये, दिनांक 01-11-2018 से 2,000 रूपये, दिनांक 01-01-2020 से 2,250 रूपये प्रतिमास, दिनांक 01-04-2021 से 2,500 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है दिनांक 01-04-2023 से 2,750 रूपये प्रतिमास तथा दिनांक 01-01-2024 से 3,000 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्ष 2022-23 में 5,284.33 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्षवार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का विवरण तालिका 8.3 में दिया गया है।

विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन

8.21 वर्ष 1980-81 में हरियाणा में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पैंशन योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्धेश्य ऐसी महिलाओं को जोकि स्वयं अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दर, जोकि योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये प्रतिमास थी, जो कि समय-समय पर बढ़ाई गई। पैंशन की दर दिनांक 01-01-2014 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई। दिनांक 01-01-2015 से पैंशन 1,200 रुपये प्रतिमास की गई थी। दिनांक 01-01-2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1,400 रुपये, दिनांक 01-11-2016 से पैंशन 1,600 रुपये, दिनांक 01-11-2017 से 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति

लाभपात्र कर दी गई है दिनांक 01-11-2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01-01-2020 से 2,250 रुपये, दिनांक 01-04-2021 से 2,500 रूपये, 01-04-2023 से 2,750 रूपये प्रतिमास तथा दिनांक 01-01-2024 से 3,000 रूपये प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना का विवरण तालिका 8.3 में दिया गया है।

दिव्यांगजन पैंशन योजना

8.22 दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981-82 में हरियाणा दिव्यांगजन पैंशन योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्धेश्य ऐसे दिव्यांग, जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों और जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दरें, जो योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये मासिक थी, दिनांक 01-11-1999 से बढ़ौतरी करते हुए 300 रुपये प्रतिमास की गई। सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निःशक्त की पैंशन 01-01-2006 से बढ़ाकर 300 रुपये से 600 रुपये प्रतिमास की गई तथा पैंशन की दरों में और बढौतरी करते हुए 60 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 500 रुपये एवं 100 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 750 रुपये प्रतिमास की गई है। दिनांक 01-01-2014 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01-01-2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01-01-2016 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई थी। दिनांक 01-11-2016 से दरों को बढाते हुए पैंशन 1,600 रुपये तथा दिनांक 01-11-2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है। दिनांक 01-11-2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01-01-2020 से 2,250 रुपये, दिनांक 01-04-2021 से 2,500 रूपये, 01-04-2023 से 2,750 रूपये प्रतिमास तथा दिनांक 01-01-2024 से 3,000 रूपये प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार दिव्यांगजन पैंशन योजना के तहत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण तालिका 8.3 में दिया गया है।

तालिका 8.3-विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना		विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना		दिव्यांगजन पैंशन योजना	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2018-19	1569616	3479.01	695455	1540.44	160433	352.94
2019-20	1701761	4007.17	734463	1714.69	171922	406.43
2020-21	1719939	4633.34	749736	2056.46	173566	466.77
2021-22	1862773	5159.46	804585	2261.03	184103	520.82
2022-23	1846897	5284.33	827634	2394.51	189724	543.72
2023-24 (31-10-2023 तक)	1852859	3372.52	833809	1557.23	190737	356.59

स्रोत- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना

8.23 हरियाणा राज्य में पर जिन परिवारों में केवल लड़की/ लड़कियां है, के लिए दिनांक 01-01-2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है। प्रारम्भ में 300 रुपये

प्रतिमास प्रति परिवार पैंशन दी जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है। माता अथवा पिता में से एक की मृत्यु होने पर जीवित माता या पिता को इस योजना का लाभ दिया जाता है। दिनांक 01-04-2007 से सरकार द्वारा पैंशन की दर में 300 रुपये से 500 रुपये की वृद्धि की गई तथा दिनांक 01-04-2014 से भत्ता की दर में वृद्धि करते हुए 1,000 रुपये प्रतिमास की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 01-01-2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमास प्रति लाभ पात्र किया गया था। दिनांक 01-01-2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए भत्ता 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया है। दिनांक 01-11-2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1,600 तथा दिनांक 01-11-2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है। दिनांक 01-11-2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01-01-2020 से 2,250 रुपये, दिनांक 01-04-2021 से 2,500 रूपये, 01-04-2023 से 2,750 रूपये तथा दिनांक 01-01-2024 से 3,000 रूपये प्रति प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण तालिका 8.4 में दिया गया है।

निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना

8.24 यह राज्य सरकार की योजना है, इसके अन्तर्गत इस योजना के अनुसार विभिन्न कारणों से वंचित 21 वर्ष तक बच्चों को माता-पिता/ सरंक्षक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के पात्रता मानदण्ड के अनुसार एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को जो 01-03-2009 से शुरू में 200 रुपये प्रतिमास प्रति बच्चा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2014 से 500 रुपये, दिनांक 01-11-2016 से 700 रुपये, दिनांक 01-11-2017 से 900 रुपये, दिनांक 01-11-2018 से 1,100 रुपये, दिनांक 01-01-2020 से 1,350 रुपये, दिनांक 01-04-2021 से 1,600 रूपये, 01-04-2023 से 1,850 रूपये प्रतिमास तथा दिनांक 01-01-2024 से 2,100 रूपये प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण तालिका 8.4 में दिया गया है।

तालिका 8.4-विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम		निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2018-19	37350	79.11	133739	251.70
2019-20	42486	96.76	144985	310.51
2020-21	28954	111.39	145865	354.77
2021-22	33787	92.84	163210	448.35
2022-23	37121	100.70	169618	476.67
2023-24 (31-10-2023 तक)	36116	66.71	161567	323.39

स्रोत- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

8.25 यह केन्द्र प्रायोजित योजना है इस योजना के अन्तर्गत परिवार के मुख्य रूप से कमाने वाले मुखिया (पुरूष या महिला) सदस्य की मृत्यु 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बीच होने पर एक मुश्त 20,000 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाते है यानि 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम

इस योजना के तहत केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2023-24 में दिनांक 31-10-2023 तक कोई भी खर्चा नहीं हुआ।

तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता

8.26 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2019 से तेजाब हमले से पीड़ित शरीर के किसी भी हिस्से की विकृति का सामना करने वाली महिलाओं तथा लड़कियों को संशक्त करने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है। दिनांक 22 जनवरी, 2020 को इस योजना में पुरूष व ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया। हरियाणा राज्य में रहने वाला कोई भी पीडित इस योजना में वित्तीय लाभ के लिए पात्र है। वर्ष 2023-24 में 15 लाख रुपये की राशि आंबटित की गई जिसमें से (31-10-2023 तक) 7.69 लाख रुपये खर्च किये जा चुके है।

रक्षा कर्मियो का कल्याण

8.27 यह एक गर्व का विषय है कि देश में हर दसवां सैनिक हरियाणा राज्य से है। राज्य सरकार देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके परिवारों द्वारा दिए गए सर्वोतम बलिदान को मान्यता देते हुए उनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को, जो नकद राशि (युद्ध के दौरान और शान्ति के समय) उपलब्ध करवाई जा रही है उसे तालिका 8.5 में दर्शाया गया है।

8.28 राज्य सरकार दिनांक 05-10-2007 से पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी प्रतिवर्ष वीरता पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाती है। वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि को तालिका 8.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.5- वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्राप्त होने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि (राशि रूपये में)

क्र.सं.	युद्ध के समय वीरता पुरस्कार	एक मुश्त नकद पुरस्कार
1	परमवीर चक्र	2,00,00,000
2	महावीर चक्र	1,00,00,000
3	वीर चक्र	50,00,000
4	सेना/ नौसेना/ वायु सेना पदक (वीरता)	21,00,000
5	मैन्शन-इन डिस्पैच (वीरता)	10,00,000
शान्ति के समय वीरता पुरस्कार		
1	अशोक चक्र	1,00,00,000
2	कीर्ति चक्र	51,00,000
3	शौर्य चक्र	31,00,000
4	सेना/ नौसेना/ वायु सेना पदक (वीरता)	10,00,000
5	मैन्शन-इन डिस्पैच (वीरता)	7,50,000

तालिका 8.6- वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक पुरस्कार राशि

क्र.स.	वीरता पुरस्कार	वार्षिक पुरस्कार (राशि रूपये में)
1	परमवीर चक्र	3,00,000
2	अशोक चक्र	2,50,000
3	महावीर चक्र	2,25,000
4	कीर्ति चक्र	1,75,000
5	वीर चक्र	1,25,000
6	शौर्य चक्र	1,00,000
7	सेना/ नौसेना/ वायु सेना पदक (वीरता)	50,000
8	मैन्शन-इन डिस्पैच (वीरता)	30,000

स्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.29 राज्य सरकार द्वारा सभी सैनिकों के आश्रितों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को तालिका 8.7 में दर्शाया गया है।

8.30 राज्य सरकार द्वारा रक्षा बल कर्मियों के युद्ध सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को एक मुश्त नकद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है उसे तालिका 8.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.7-रक्षा बल कर्मियों को वित्तीय सहायता

क्र. सं.	रक्षा बल कर्मियों के प्रकार	(राशि रूपये में)
1	भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को और 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/ प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी) द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत सैनिकों को और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता	5,800 10,000
2	पैरा/ टेट्रा होम प्लेजिक भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/ प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,800
3	भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (हर वर्ष/ प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,800
4	अयोग्य भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/ प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,800
5	अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिको को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/ प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,800
6	आर.आई.एम.सी. को सहायता अनुदान तथा कैडेट/ अगंरक्षक जिन्होंने एन.डी.ए./ ओ.टी.ए./ आई.एम.ए. नवल तथा वायु सेना अकादमी या अन्य राष्ट्रीय स्तर की रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें वित्तीय सहायता	50,000 1,00,000
7	युद्ध में मारे गये सेना के सैनिकों की विधवाओं के आश्रितों को पारिवारिक पैंशन जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर रहे है। (हर वर्ष/ प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,800

स्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.8-रक्षा बल कर्मियों के युद्ध सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम एक	मुश्त नकद पुरस्कार (राशि रूपये में)
1	सर्वोतम युद्ध सेवा पदक	7,00,000
2	उत्तम युद्ध सेवा पदक	4,00,000
3	युद्ध सेवा पदक	2,00,000
4	परम विशिष्ट सेवा पदक	6,50,000
5	अति विशिष्ट सेवा पदक	3,25,000
6	विशिष्ट सेवा पदक	1,25,000

स्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.31 राज्य सरकार रक्षा बल कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप सेना पदक उनके विशिष्ट सेवा/ कार्य के प्रति सम्पर्ण के लिए प्रदान करती है जिसे तालिका 8.9 में दर्शाया गया है।

8.32 राज्य सरकार द्वारा आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/ पैंशन दी जाती है जिसे तालिका 8.10 में दर्शाया गया है।

8.33 राज्य सरकार पैरा मिलिटरी फोरसिस और पुलिस कर्मियों के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नगद पुरस्कार की राशि प्रदान करती है। वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि को तालिका 8.11 में दर्शाया गया है।

8.34 राज्य सरकार अनुगृह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के किसी एक आश्रित को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उन शहीदों के आश्रितों को अनुगृह राशि भी प्रदान करती है।

तालिका 8.9-रक्षा बल के सेना पदक विजेताओं को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार	वार्षिक पुरस्कार राशि
1	सेना मैडल, असाधारण सेवा/ काम के प्रति निष्ठा के लिए जो पुरस्कार 31-03-2008 के बाद और 19-02-2014 से पहले दिया गया।	34,000	3,500
2	सेना पदक, असाधारण सेवा/ काम के प्रति निष्ठा के लिए जो पुरस्कार 19-02-2014 के बाद दिया गया।	1,75,000	-

सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.10-आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/ पैंशन

क्र.स.	पुरस्कार का नाम	राशि (रूपये में)
1	विक्टोरिया क्रोस	15,000
2	मिलीटरी क्रोस	10,000
3	मिलीटरी पदक	5,000
4	इंडियन आर्डर आफ मैरिट	3,000
5	भारतीय असाधारण सेवा पदक	2,000
6	मैंशन इन डिस्पैच (केवल आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार)	2,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.11-पैरा मिलिटरी फोरसिस और पुलिस कर्मियों के वीरता पुरस्कार विजेताओं एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

क्र.स.	वीरता पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि (रूपये में)
1	अशोक चक्र	17,00,000
2	कीर्ति चक्र	10,00,000
3	वीरता चक्र	7,00,000
4	सेना पदक (वीरता)	3,50,000
5	पुलिस पदक (वीरता)	1,50,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.35 यह अनुग्रह अनुदान राशि नीति/ निर्देशों के तहत उन सभी युद्ध में घायल मामलों में जैसा कि रक्षा अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया है चाहे आपरेशन कहीं भी हो अथवा आपरेशन का क्षेत्र भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ हो जो कि 24-03-2016 को अथवा उसके बाद हुआ हो। यह अनुग्रह अनुदान की राशि 50 लाख रुपये दी जाती है तथा विकंलाग्ता की स्थिति में, विकलांग्ता की प्रतिशतता के आधार पर 35 लाख रुपये, 25 लाख रूपये व 15 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि जाती है, जो युद्ध, आई.ई.डी., विस्फोट इत्यादि के कारण आपरेशन क्षेत्र अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपरेशन का विशेष क्षेत्र में हुई हो। यह राशि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

8.36 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को अनुग्रह अनुदान भी प्रदान कर रहा है जो विषम परिस्थितियों में शहीद हुए अथवा युद्ध परिचालन क्षेत्र में सेवा करते हुए अथवा आंतकवादी हमलों के कारण निःशक्त हुए है। अनुग्रह अनुदान राशि 50 लाख रुपये है तथा निःशक्ता की स्थिति में यह राशि 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक है जो प्राकृतिक आपदा, चुनाव, बचाव कार्य, आन्तरिक सुरक्षा आदि के दौरान निःशक्त हो जाते है।

8.37 राज्य सरकार एक लाख रूपये की पुरस्कार राशि वित्तीय सहायता के रूप में उन सैनिक छात्र/ सज्जन सैनिक छात्रों को भी प्रदान करती है जो कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/ भारतीय सैन्य अकादमी/ अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी/ नौ सेना और वायु सेना अकादमी या फिर किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की सैन्य अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण ग्रहण करते है।

- अक्तूबर, 2014 से अब तक अनुकम्पा आधार पर सशस्त्र बलों/ सी.ए.पी.एफ. कर्मिकों के शहीदों के परिजनों को कुल 369 नौकरियां दी गई हैं।
- झज्जर जिले के मातनहेल गांव में सैनिक स्कूल खोलने का मामला प्रक्रियाधीन है।
- एनडीए/ आईएमए/ ओटीए/ नौसेना, वायु सेना और राष्ट्रीय स्तर की किसी भी अन्य रक्षा अकादमी में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने के लिए कैडेट/ जेंटलमेन कैडेट को वित्तीय सहायता के रूप में 1,00,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कार के रूप में दिये जाते है।
- रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों को अपनाया गया है और इस विभाग के सभी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
- सैनिक विश्राम गृहों में ठहरने की सुविधा सेवानिवृत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को भी प्रदान की जाती है।सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा के लिए वित्त विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 136.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रोजगार

8.38 रोजगार निदेशालय से सम्बंधित रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण किया जाता है और व्यावसायिक प्रवचनों के माध्यम से व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। निजी क्षेत्र में प्रार्थियों को समायोजित करने के लिए नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों को एक मंच पर लाने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है और संगठित संस्थापनाओं से मानव शक्ति के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं।

कॉल सैन्टर

8.39 रोजगार विभाग द्वारा 35 सीटर एक कॉल सैंटर स्थापित किया गया है जिसका शुभारंभ 15-07-2020 को किया गया है। इस कॉल सैंटर के माध्यम से अभियर्थियों की वर्तमान रोजगार स्थिति के सम्बंध में सूचना एकत्रित की जा रही हैं और उन्हें रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 की अवधि के दौरान हरियाणा के युवाओं को रोजगार अवसरों से जोड़ने के लिए कॉल सैंटर के माध्यम से 4,96,401 कॉल की गई हैं।

शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना

8.40 हरियाणा सरकार हमारे युवाओं को गरिमा प्रदान करने और उन्हें लाभकारी कार्यों में रचानात्मक रूप से शामिल करने के महत्व को पहचानती है। तदानुसार सरकार ने हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर हरियाणा के पात्र स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे के मानद कार्य के रूप में बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करने के लिए 1 नवम्बर, 2016 को शिक्षित युवा भत्ता और मानेदय योजना-2016 शुरू की जिसे सक्षम युवा योजना के नाम से जाना जाता है। बाद में, राज्य के पंजीकृत विज्ञान, इन्जीनियरिंग, विज्ञान समकक्ष और वाणिज्य स्नातक, कला स्नातकों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत अगस्त, 2019 से 10+2 पास आवेदकों को भी योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्नातकोत्तर, स्नातक और 10+2 आवेदकों को क्रमशः 3,000 रूपये, 1,500 रूपये तथा 900 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिये जाते हैं एवं 100 घंटे मानद कार्य के लिए 6,000 रूपये क्रमशः स्नात्कोत्तर, स्नात्तक और 10+2 पास आवेदकों को दिया जाता है। योजना के तहत वर्तमान में कुल 54,116 आवेदकों को अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2023 तक स्वीकृत किया जा चुका है। इसी अवधि के दौरान 1,468 सक्षम युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण दिया गया और कुल 3,420 सक्ष्म युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रखा गया है। इसी अवधि में 556.32 करोड़ रूपये और 233.23 करोड़ रूपये क्रमशः बेरोजगारी भत्ते एवं मानदेय के लिए वितरित किये जा चुके हैं। इसी अवधि के दौरान मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अन्त्योदय परिवारों से 938 युवाओं को सक्षम युवा स्कीम का लाभ देने के लिए अनुमोदित किया गया है। अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक कुल 22,444 सक्षम युवाओं के आवेदन अनुमोदित किए गए तथा इसी अवधि के दौरान 199.99 करोड़ बेरोजगारी भत्ता व 31.03 करोड़ रूपए की राशि मानदेय के रूप में वितरित किए गए। इसी अवधि के दौरान मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत अन्त्योदय परिवारों से 79 युवाओं को सक्षम युवा स्कीम का लाभ देने हेतु अनुमोदित किया गया है।

रोजगार इच्छुकों की संख्या

8.41 दिनांक 31-12-2023 तक रोजगार के इच्छुक 4,71,640 प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाईट www.hrex.gov.in के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया और वर्ष अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक 3,778 प्रार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए।

रोजगार मेले/ नियुक्ति के अवसर

8.42 रोजगार विभाग के निजी क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य भर में प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेलें आयोजित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे जिला रोजगार कार्यालयों के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम दो रोजगार मेले या प्लेसमैंट ड्राइव आयोजित करना अनिवार्य हो गया। अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 की अवधि के दौरान कुल 375 रोजगार मेलों/ प्लेसमैंट ड्राइव

के माध्यम से कुल 3,596 बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान की गई। विभाग की 8 सेवाओं को सरल पोर्टल पर आनलाईन की जा चुकी है। विभाग अपने पोर्टलों www.hrex.gov.in और www.hreyahs.gov.in के माध्यम से आनलाईन सेवायें प्रदान कर रहा है।

8.43 विभाग सक्षम युवा योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाले 10+2 या इससे ऊपर आवेदकों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना लागू करता है। अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2023 तक 8,703 आवेदकों को उनके आधार से जुडे बैंक खातों में बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुल 7.92 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।

व्यवसायिक मार्गदर्शन

8.44 व्यवसायिक मार्गदर्शन शिक्षित युवाओं के व्यक्तित्व विकास का सशक्त साधन है। अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक व्यावसायिक मार्गदर्शन के अंतर्गत 979 व्यावसायिक प्रवचनों के माध्यम से 37,710 प्रार्थियों को व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

माडल कैरियर केन्द्र (एम.सी.सी.)

8.45 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित नैशनल कैरियर सर्विस (एन.सी.एस.) परियोजना के तहत हिसार, मरोहतक तथा बडखल (जिला फरीदाबाद) में 3 माडल कैरियर केन्द्र स्थापित किये गये है। अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक माडल कैरियर केन्द्र द्वारा एन.सी.एस. पोर्टल पर 12,333 नौकरी चाहने वालों को पंजीकृत किया है, 145 मनोवैज्ञानिक परीक्षण और 77 जाब मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 5,698 आवेदकों ने भाग लिया और उनमें से 779 आवेदक निजी क्षेत्र में समायोजित करवाये गये। इसी अवधि के दौरान माडल कैरियर केन्द्र, द्वारा विभिन्न कालेजों में 87 व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें कुल 2,942 आवेदकों ने भाग लिया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विभाग का कुल बजट 804.12 करोड़ रूपये है।

श्रम कल्याण

8.46 श्रम विभाग का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है।

न्यूनतम मजदूरी

8.47 श्रमिकों के वेतन अधिकारों की रक्षा के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। न्यूनतम मजदूरी की दरें समय-समय पर संशोधित की जाती है। राज्य में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम वेतन की दर दिनांक 01-01-2015 को 7,600 रूपये प्रतिमाह थी। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01-07-2023 से श्रेणीवार अर्थात अकुशल, अर्धकुशल (ए), अर्धकुशल (बी), कुशल (ए), कुशल (बी) तथा अत्यधिक कुशल को क्रमशः10,661.28 रुपये, 11,194.30 रुपये, 11,754.00 रुपये, 12,341.71 रुपये, 12,958.81 रुपये और 13,606.71 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किये गये हैं।

पंजाब दुकान एवं व्यवसायिक स्थापना एक्ट-1958

8.48 राज्य में महिलाआं के लिए रोजगार अवसरों में बढौतरी हेतु सूचना एवं प्रोद्यौगिक तथा इससे सम्बन्धित संस्थानों को पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम,1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य करने की छूट प्रदान करता है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं यातायात के साधनों की

पूर्ण उपलब्धता करवायेगा। इस अधिनियम की धारा-30 के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2023 से 31-10-2023 तक 75 संस्थाओं में छूट प्रदान की गई जिससे 35,100 महिला श्रमिक लाभान्वित हुईं।

बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये पुर्नवास केन्द्र

8.49 बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये जिला पानीपत तथा यमुनानगर में दो पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई थी। इन पुर्नवास केन्द्रों में प्रवासी व बेसहारा बच्चों को मुफ्त व्यवसायिक शिक्षा एवं खाने पीने की सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 134 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

8.50 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। हरियाणा राज्य असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में प्रथम स्थान पर है।

कारखानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य निरीक्षण प्रणाली को मजबूत करना

8.51 इस योजना का उद्वेश्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 द्वारा नियमों के तहत निरीक्षण करके कारखानों और निर्माण स्थलों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है। औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य शाखा अब, निरीक्षण प्रणाली को डिजिटल कर दिया गया है और निरीक्षण के दौरान पाये गये उल्लंघनों को निरीक्षण के 24 घंटे के भीतर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता बढ़ाने के लिए, अधिकारियों को साक्ष्य के रूप में आवश्यक तस्वीरें लेकर अवलोकन के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखकर करना होगा। इसके अलावा पृथ्वी प्रतिरोध, रोशनी स्तर, शोर स्तर आदि को मापने और निरीक्षण के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता होगी।

प्रमुख दुर्घटना जोखिम एम.ए.एच. नियंत्रण कक्ष स्थापना

8.52 प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण कक्ष कंट्रोल सेल पानीपत, गुरूग्राम और केन्द्र में स्थित नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का उद्वेश्य खतरनाक प्रक्रियाओं को पूरा करने वाले कारखानों की आन-साईट और आफ-साईट निगरानी करना है। इनका मुख्य कार्य इस प्रकार हैः-

- बडी दुर्घटनाओं की स्थिति में जिला प्रशासन को सेल में आसानी से उपलब्ध उपकरण, सामान आदि उपलब्ध कराकर सहायता करना।
- औद्योगिक श्रमिकों को औद्योगिक सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खतरनाक कारखानों में आवश्यक सुरक्षा पर सेमिनार आयोजित करना।
- विभिन्न व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के संचालन और उपयोग में श्रमिकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना।
- खतरनाक प्रक्रियाओं को अंजाम देने वाली फैक्ट्ररियों की आन-साईट आपातकालीन योजनाओं की निगरानी
- हरियाणा राज्य के सभी जिलों की आफ-साईट आपातकालीन योजनाओं की निगरानी करना।
- कारखानों से विभिन्न खतरनाक रसायनों की सामग्री सुरक्षा डेटा शीट प्राप्त करना और उसे नियमित रूप से अद्यतन करना।
- औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, हरियाणा द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के लिए मोबाइल वैन उपलब्ध कराना

8.53 इस योजना के तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के लिए मोबाइल वैन प्रदान की जाती हैं। अधिकांश खतरनाक फैक्टरियाँ और निर्माण स्थल नगर निगम सीमा के बाहर स्थित हैं जहाँ सार्वजनिक परिवहन शायद ही उपलब्ध हो। व्यावसायिक रोग जैसे न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस, बैगियोसिस, एन.आई.एच.एल., त्वचा एक्जिमा) आदि का निदान करने के लिए, कारखाना अधिनियम, 1948 तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों के अनुसार कारखानों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों की चिकित्सा जांच अनिवार्य है। चूँकि अधिकांश व्यावसायिक बीमारियाँ बाद के चरण में लाइलाज होती हैं, इसलिए राज्य के सभी 22 जिलों में एक्स-रे मशीन, स्नेलन चार्ट, इशिहारा चार्ट, स्टेथोस्कोप, बी.पी., उपकरण, ऑडियोमीटर आदि पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल वैन की बहुत आवश्यकता है। पांच मोबाइल वैन के माध्यम से 567 श्रमिकों की व्यावसायिक बीमारियों से पीड़ित होने की पुष्टि की गई है और हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अनुसार उनका उपचार पुनर्वास सहायता शुरू कर दी गई है। पूरी तरह से सुसज्जित 17 और वैन की खरीद से, चिकित्सा उपचार की कुल संख्या कई गुना बढ़ जाएगी और किसी भी व्यावसायिक बीमारी के शीघ्र निदान और आगे के उपचार और पुनर्वास की काफी संभावना होगी।

नान-रैकरिंग योजना के तहत बजट

8.54 विभाग का वर्ष 2022-23 का नान-रैकरिंग स्वीकृत बजट 13,963.80 लाख रुपये था, जिसमें से 406.41 लाख रुपये, (2.91 प्रतिशत) मार्च, 2023 तक खर्च किये जा चुके हैं। नान-रैकरिंग स्कीमों हेतू 2023-24 के लिए 14,391.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान था जिसमें से 205.07 लाख रूपये, (1.42 प्रतिशत) दिनांक 31-10-2023 तक खर्च किये जा चुके हैं।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

8.55 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों के लिए 21 कल्याणकारी योजनाएं तथा 4 गतिविधियां/ पुरस्कार चलाये जा रहे हैं (तालिका 8.12) दिनांक 01-04-2023 से 31-10-2023 की अवधि के दौरान 71,975 श्रमिकों के लिए 49.36 करोड़ रूपये की राशि तथा 07 श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार के लिए 5.55 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभों का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए योगदानकर्ता श्रमिकों का सम्पूर्ण डाटा वेब-पोर्टल hrylabour.gov.in पर लिया जा रहा है। डी.बी.टी. के तहत ऑन-लाईन लाभ दिया जा रहा है। उर्पयुक्त के अतिरिक्त दिनांक 01-04-2023 से 31-10-2023 की अवधि के दौरान हरियाणा सीलिकोसिस पुर्नवास नीति के तहत 1.04 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

8.56 हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन भव एवं अन्य सन्निमार्ण अधिनियम, 1996 की धारा 18 के अन्तर्गत हुआ है और यह दिनांक 02-11-2006 में अस्तित्व में आया। इस बोर्ड का मुख्य उद्धेश्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना है जैसे कि दुर्घटना होने पर तत्काल वित्तीय सहायता, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के

लिए वित्तीय सहायता, सन्निर्माण की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुढापा पैंशन, बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि एवं समय-समय पर तय की गई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना है। उपरोक्त नीति के तहत बोर्ड द्वारा 22 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1,54,390 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 342.21 करोड रूपये का व्यय किया गया जबकि चालू वित वर्ष 2023-24 में सितम्बर, 2023 तक 1,02,717 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 155.73 करोड रूपये खर्च किये जा चुके है। (तालिका 8.12) वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित व्यय 342.21 करोड़ रूपये है जबकि वर्ष 2023-24 के लिए कुल अनुमानित व्यय 155.73 करोड़ रूपये है।

तालिका- 8.12 कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की स्थिति

क्र सं.	विवरण	2022-23		2023-24 (31-10-2023 तक)	
		लाभार्थियों की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ रूपये में)	लाभार्थियों की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ रूपये में)
1	हरियाणा श्रम कल्याण द्वारा संचालित 21 कल्याणकारी योजनाएं	127061	95.00	71975	49.36
2	हरियाणा भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 22 कल्याणकारी योजनाएं	154390	342.04	102717	155.73

स्रोतः श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा।

खेल

8.57 खेल विभाग, हरियाणा का मुख्य दृष्टिकोण "खेल सबके लिए" है। विभाग के मूल उद्श्यों (1) खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना (2) खिलाडियों को प्रशिक्षण प्रदान करना (3) कम उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाडियों की पहचान करना और उनका विकास करना (4) खिलाडियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना इत्यादि है। वर्ष 2023-24 के दौरान खेल विभाग, हरियाणा के लिए 563.05 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

एशियाई खेल-2022 हांग्जों, चीन

8.58 एशियाई खेल-2022 में हरियाणा के कुल 89 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 08 स्वर्ण, 04 रजत और 16 कांस्य पदक जीते। नकद पुरस्कार की कुल अपेक्षित देनदारियां 95 करोड़ रूपये है। इसके अलावा एशियाई खेल-2022 को सभी पदक विजेताओं को हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार नौकरी का प्रस्ताव पत्र भी दिये गये है। पदकों का विवरण तालिका 8.13 में निम्न प्रकार से हैः-

तालिका 8.13- खिलाड़ियों द्वारा जीते गये पदकों का विवरण

उपलब्धियां	खिलाडी का नाम	खेल	इवेंट	पदक	नकद ईनाम
	नीरज चोपडा	एथलैटिक्स	जेवेलिन थ्रो	स्वर्ण (व्यक्तिगत)	30000000
	पलक	शूटिंग-महिला	10 मीटर ऐयर पिस्टल	स्वर्ण (व्यक्तिगत) और रजत (टीम)	45000000

स्वर्ण	नितेश कुमार	कबड्डी	पुरूष टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	प्रवेश	कबड्डी	पुरूष टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	सुरजीत	कबड्डी	पुरूष टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	नवीन कुमार	कबड्डी	पुरूष टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	सुनील कुमार	कबड्डी	पुरूष टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	नितिन रावत	कबड्डी	पुरूष टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	पूजा नरवाल	कबड्डी	महिला टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	पूजा काजल	कबडडी	महिला टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	प्रियंका	कबड्डी	महिला टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	रीतु नेगी	कबड्डी	महिला टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	शिवा नरवाल	शूटिंग-पुरूष	10 मीटर ऐयर पिस्टल	स्वर्ण (टीम)	30000000
	सरबजोत सिंह	शूटिंग-पुरूष	10 मीटर ऐयर पिस्टल	स्वर्ण (टीम) और रजत (संयुक्त)	45000000
	रिद्म सांगवान	शूटिंग-महिला	25 मीटर खेल पिस्टल	स्वर्ण (टीम)	30000000
	मनु भाकर	शूटिंग-महिला	25 मीटर खेल पिस्टल	स्वर्ण (टीम)	30000000
	सुमित	हाकी	पुरूष टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	अभिषेक	हाकी	पुरूष टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	संजय	हाकी	पुरूष टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
	शैफाली वर्मा	क्रिकेट	महिला टीम	स्वर्ण (टीम)	30000000
रजत	दीपक पुनिया	कुश्ती-पुरूष	86 Kg Fs	रजत (व्यक्तिगत)	15000000
रजत/ कांस्य	रमिता	शूटिंग-महिला	10 मीटर ऐयर पिस्टल	रजत (टीम) कांस्य (व्यक्तिगत)	22500000
कांस्य	सुनील कुमार	कुश्ती	87 Kg Gr	कांस्य (व्यक्तिगत)	7500000
	अमन शहरावत	कुश्ती-पुरूष	57 Kg Fs	कांस्य (व्यक्तिगत)	7500000
	अन्तिम पंघाल	कुश्ती-महिला	53 Kg Ww	कांस्य (व्यक्तिगत)	7500000
	सोनम मलिक	कुश्ती-महिला	62 Kg Ww	कांस्य (व्यक्तिगत)	7500000
	किरण बिश्नोई	कुश्ती-महिला	76 Kg Ww	कांस्य (व्यक्तिगत)	7500000
	प्रीति पंवार	बाक्सिंग	54 Kg	कांस्य (व्यक्तिगत)	7500000
	प्रवीण हुडडा	बाक्सिंग	57 Kg	कांस्य (व्यक्तिगत)	7500000
	नरेन्द्र बेरवाल	बाक्सिंग	92+Kg	कांस्य (व्यक्तिगत)	7500000
	प्रीति लाम्बा	एथलेटिक्स	3000m Steplechase	कांस्य (व्यक्तिगत)	7500000
	आदर्श सिंह	शूटिंग-पुरूष	25m Rapid Fires Pistol	कांस्य (टीम)	7500000
	अनीश भानवाला	शूटिंग-पुरूष	25m Rapid Fires Pistol	कांस्य (टीम)	7500000

	सविता	हाकी	महिला टीम	कांस्य (टीम)	7500000
	उदिता	हाकी	महिला टीम	कांस्य (टीम)	7500000
	निशा	हाकी	महिला टीम	कांस्य (टीम)	7500000
	मोनिका	हाकी	महिला टीम	कांस्य (टीम)	7500000
	नेहा	हाकी	महिला टीम	कांस्य (टीम)	7500000
	नवनीत कौर	हाकी	महिला टीम	कांस्य (टीम)	7500000
	दीपिका	हाकी	महिला टीम	कांस्य (टीम)	7500000
	सोनिका	हाकी	महिला टीम	कांस्य (टीम)	7500000
	भजन कौर	तीर अंदाजी	टीम	कांस्य (टीम)	7500000
	परमीन्द्र सिंह	रोईंग	Double/Quad Sculls	कांस्य (टीम)	7500000
	आर्यनपाल सिंह गुमान	रोलर-स्पोर्टस	Speed Skating 3000m Relay (Team)	कांस्य (टीम)	7500000
	सीमा पुनिया	एथलेटिक्स	डिस्कस थ्रो	कांस्य (व्यक्तिगत)	7500000
केवल प्रतिभागी	36 खिलाडी	7.50 लाख प्रत्येक खिलाडी		27000000	

स्त्रोतः निदेशक, खेल विभाग, हरियाणा।

पैरा एशियाई खेल-2022 हांग्जों, चीन

8.59 पैरा एशियाई खेल-2022 में हरियाणा के कुल 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 08 स्वर्ण, 09 रजत तथा 18 कांस्य पदक जीते। नकद पुरस्कार की देय तालिका 8.14 में निम्न अनुसार है।

तालिका 8.14- खिलाड़ियों द्वारा जीते गये पदकों का विवरण

खेल	इवेण्ट	मेडल	खिलाडी का नाम	ईनाम राशि
एथलेटिक्स	जेवेलिन थ्रो पुरूष F64	स्वर्ण	सुमित	30000000
एथलेटिक्स	क्लब थ्रो पुरूष F51	स्वर्ण	प्रणव सुरमा	30000000
एथलेटिक्स	पुरूष 5000m-T11	स्वर्ण	अंकुर धामा	30000000
	पुरूष 1500m-T11	स्वर्ण		30000000
एथलेटिक्स	जेवेलिन पुरूष F37/38	स्वर्ण	हेनी	30000000
एथलेटिक्स	1500m T38 पुरूष	स्वर्ण	रमन शर्मा	30000000
पैरा बैडमिंटन	डबल पुरूष	स्वर्ण	तरूण ढिल्लो	30000000
पैरा बैडमिंटन	सिंगल पुरूष	स्वर्ण	नीतिश कुमार	30000000
	डबल पुरूष	रजत		15000000
	मिक्स पुरूष	कांस्य		7500000
एथलेटिक्स	डिस्कस थ्रो पुरूष F11	रजत	मोनू घनघस	15000000
	शोटपुट पुरूष F11	कांस्य		7500000
एथलेटिक्स	जेवेलिन थ्रो पुरूष F46	रजत	रिंकू	15000000
एथलेटिक्स	डिस्कस थ्रो महिला F54	रजत	पूजा	15000000
एथलेटिक्स	डिस्कस थ्रो पुरूष F54-56	रजत	योगेश कथूनिया	15000000
एथलेटिक्स	क्लब थ्रो पुरूष F51	रजत	धर्मबीर	15000000
एथलेटिक्स	हाई जम्प पुरूष T47	रजत	रामफल	15000000

एथलेटिक्स	पुरूष 1500m T46	रजत	प्रमोद	15000000
पैरा तीरंदाजी	महिला कम्पाउंड टीम	रजत	सरिता अदाना	15000000
एथलेटिक्स	क्लब थ्रो महिला F51	कांस्य	एकता भयान	7500000
एथलेटिक्स	क्लब थ्रो पुरूष F51	कांस्य	अमित कुमार	7500000
एथलेटिक्स	शोटपुट पुरूष T37	कांस्य	मनु	7500000
एथलेटिक्स	जेवेलिन थ्रो पुरूष	कांस्य	लक्षित	7500000
एथलेटिक्स	जेवेलिन थ्रो पुरूष F55	कांस्य	टेकचंद	7500000
एथलेटिक्स	महिला डिस्कस थ्रो F37/38	कांस्य	लक्ष्मी	7500000
एथलेटिक्स	पुरूष शोटपुट F46	कांस्य	रोहित कुमार	7500000
एथलेटिक्स	महिला 1500 M T-20	कांस्य	पूजा	7500000
टेबल-टेनिस	सिंगल पुरूष	कांस्य	संदीप डांगी	7500000
पैरा पावर लिफटिंग	पुरूष 65 Kg	कांस्य	अशोक	7500000
पैरा तीरंदाजी	रिकरव टीम	कांस्य	साहिल हुडडा	7500000
पैरा तीरंदाजी	रिकरव टीम	कांस्य	हरविन्द सिंह	7500000
पैरा तीरंदाजी	W1 पुरूष टीम	कांस्य	नवीन दलाल	7500000
ताईक्वांडो	महिला 44Kg to 47 Kg	कांस्य	अरूणा	7500000
दृष्टिहीन जूडो	महिला 48Kg J2	कांस्य	कोकिला	7500000
शूटिंग	पुरूष 10m AIR PISTOL SH1	कांस्य	मनीष नरवाल	7500000
कुल				510000000

स्त्रोतः निदेशक, खेल विभाग, हरियाणा।

पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार

8.60 हरियाणा के खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अक्तूबर, 2023 तक विभिन्न खेल आयोजनों में लगभग 730 खिलाड़ियों (एशियाई/ पैरा एशियाई पदक विजेताओं को छोड़कर) को उनकी उपलब्धियों के आधार पर 51.36 करोड़ रूपये के नकद पुरस्कार के रूप में वितरित किये गये। वर्ष 2021-22 की उपलब्धि के आधार पर सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों को वर्ष 2023-24 के दौरान मास अक्तूबर, 2023 तक 6.35 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति दी गई। नवम्बर, 2023 तक अर्जुन पुरस्कार विजेताओं, भीम पुरस्कार विजेताओं, ध्यानचन्द पुरस्कार विजेताओं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं, मेजर ध्यानचन्द खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं और तेनजिंग नोर्गी विजेताओं को 3.74 करोड़ रूपये के मानदेय वितरित किये गये।

8.61 खेल विभाग, हरियाणा द्वारा "हरियाणा उत्कृष्ट खिलाडी" (श्रेणी क, ख तथा ग) सेवानियम 2021 के अंतर्गत कुल 96 खिलाडियों को उपनिदेशक खेल (ओ.एस.पी.), प्रशिक्षक तथा कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ.एस.पी.) के पद पर नियुक्त किया गया है।

8.62 राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन दिनांक 27-11-2023 से 30-11-2023 व 04-12-2023 से 06-12-2023 तक विभिन्न जिलों में 24 खेलों के तहत करवाया गया, जिसमे 3.29 करोड रूपये का खर्चा हुआ। खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स-2023 का आयोजन दिनांक 10-12-2023 से

17-12-2023 तक नई दिल्ली में 07 खेलों के लिए किया गया, जिसमें भाग लेने वाले खिलाडियों को खेलों की तैयारी के लिए कोचिंग कैंप आयोजित किए गए। इसमें 10.65 लाख रूपये की राशि व्यय हुई। इन खेलों मं राज्य के 183 खिलाडियों ने भाग लिया तथा 105 पदक प्राप्त किए व हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

खेल संरचना

8.63 वर्ष 2023-24 के दौरान खेल स्टेडियम/ प्रोजैक्टों के लिये 63.90 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान राजीव गांधी खेल परिसर, खेल स्टेडियम व सिथेंटिक ट्रैक इत्यादि की मुरम्मत के लिये 9.13 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई।

खेल नर्सरी/ अकादमी

8.64 राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को लाभ प्रदान करने के लिए खेल विभाग ने राज्य भर में 1,100 खेल नर्सरी शुरू की हैं, इसमे से 500 नर्सरी विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा चलाई जा रही है और शेष 600 नर्सरी खिलाड़ियों को उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों और निजी कोचिंग सेंटरों को आबंटित की जा रही हैं। इसके तहत 8 से 14 व 15 से 19 आयु वर्ग के इन खिलाड़ियों को क्रमशः 1,500 व 2,000 रूपये मासिक राशि दी जा रही है। प्रत्येक निजी नर्सरी के कोच को उसकी योग्यता के आधार पर 20,000 या 25,000 रूपये का मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है। अप्रैल, 2023 से जून, 2023 की अवधि के दौरान खिलाडियों की छात्रवृत्ति के लिए 12.21 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है और जनवरी, 2024 के लिए सरकारी/ निजी शैक्षणिक संस्थानों/ निजी खेल कोचिंग केंद्रों के खेल नर्सरी कोचों की नियुक्ति के लिए 11.18 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में 25 आवासीय अकादमियां भी शुरू की गई हैं जो खिलाड़ियों को और बढावा देंगी। इन अकादमियों के सभी प्रशिक्षुओं को 400 रूपये प्रतिदिन/ खिलाडी की दर से दैनिक आहार दिया जाता है। डे-बांर्डिग एवं आवासीय अकादमियों के खिलाड़ियों को फरवरी, 2024 तक आहार राशि के रूप में 6.06 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई है।

पर्यटन

8.65 पर्यटन विभाग, हरियाणा ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। पर्यटन विभाग का मुख्य कार्य राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांच, नीति, विनियमन और पर्यटन को विकसित करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन विभाग, हरियाणा राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढावा देने और संचालित करने के लिए हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना की है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा पूरे राज्य में राजमार्गों पर पक्षियों के नाम पर 42 पर्यटक स्थल चलाये जा रहे है, जोकि पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। हरियाणा पर्यटन के पास वर्तमान में 843 वातानुकूलित कमरे 13 डौरमेटरी और 56 सम्मेलन केन्द्र/ समारोह/ बहुउद्धेशीय हाल हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा पर्यटन के पास 42 रेस्तरां, 5 फास्ट फूड केंद्र और 31 बार भी हैं। हरियाणा पर्यटन अपने विभिन्न परिसरों पर 15 पैट्रोल पम्पों को भी चला रहा है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें देश में अतिथ्य शिक्षा की सर्वोच्च संस्था नैशनल काउसिंल फार होटल मैनेजमैंट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलाजी नोएडा पर्यटन मंत्रालय, (भारत सरकार द्वारा स्थापित) से सम्बन्धित 5 होटल प्रबन्धन संस्थान, कुरूक्षेत्र, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत

और यमुनानगर में कार्य कर रहे है। राज्य सरकार ने वित वर्ष 2023-24 के लिए 205.03 करोड़ रूपये की राशि का कुल बजट आंबटित किया गया है।

कृष्णा सर्किट

8.66 कुरूक्षेत्र को मुख्य पर्यटन गंतव्य के रुप में विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने आधारभूत पर्यटन संरचना विकसित करने के लिए कृष्णा सर्किट के तहत चिन्हित किया है। तदानुसार इस परियोजना के अन्तर्गत ब्रहम्सरोवर, ज्योतिसर नरकतारी, सन्नहित सरोवर आदि स्थानों पर पर्यटन सम्बन्धित आधारभूत संरचना को विकसित किया जायेगा। स्वदेश दर्शन 1.0 योजना के तहत भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 77.87 करोड़ रूपये जारी किये हैं, जिसमें से 76.74 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

8.67 राज्य परिप्रेक्ष्य योजना के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत प्रस्तावित 5 स्थलों को पर्यटन मंत्रालय के साथ सांझा किया गया है। जिसमें से पयर्टन मंत्रालय ने राज्य संचालन समिति की बैठक में पंचकूला को प्रथम और महेन्द्रगढ को द्वितीय स्थान के रूप में प्रस्तावित किया है।

हैरिटेज सर्किट रिवाड़ी-महेन्द्रगढ़-माधोगढ़ नारनौल

8.68 महेन्द्रगढ किले, रानी महल, बावडी के बाहरी एवं आन्तरिक तथा माधोगढ किले को छोडकर किले के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए 29.61 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त वर्णित कार्यों का विकास प्रगति पर है।

प्रसाद स्कीम के तहत परियोजना

8.69 पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद स्कीम के अन्तर्गत नाडा साहिब गुरूद्वारा, पंचकुला व माता मन्सा देवी मंदिर परियोजना के विकास हेतु 4951.70 लाख रुपये की राशि दिनांक 31-01-2020 को स्वीकृत की गई थी उक्त योजना में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से 3468.45 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं व भारत सरकार को उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्य प्रगति पर है।

8.70 इस योजना के तहत आदिबद्री जिला यमुनानगर के विकास के लिए 52.32 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, को भेजी गई है तथा मामला विचाराधीन है। मंत्रालय को अनुस्मारक प्रस्तुत किये गये हैं और प्रसाद योजना के तहत आदिबद्री की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए निविदा प्रकाशित की गई है। जिला महेन्द्रगढ में धोसी हिल में रोपवे के विकास के लिए एन.एच.एल.एम.एल. के साथ पी.पी.पी. मोड में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 40.00 करोड़ रूपये है।

विशेष पर्यटन विकास योजना

8.71 (1) गुरूग्राम और नूंह जिले में 10 हजार एकड के विस्तृत भूमि के टुकडे पर एक विश्व स्तरीय अरावली सफारी पार्क विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। (2) फरीदाबाद में लगभग 65 एकड भूमि पर 18 होल गोल्फ कोर्स के नवीनीकरण और विकास का प्रस्ताव (3) राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने एयरो फेस्टिवल-दमदमा झील, होट एयर बैलून-टिक्कर ताल, पैरा सैलिंग और वाटर स्पोर्टस-मोरनी हिलस, जैसी कई साहसिक

गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है व हथिनीकुंड और कौशल्या बांध में साहसिक खेल गतिविधियों के विकास की परिकल्पना करता है।

स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन व मानसरोवर यात्रा

8.72 हरियाणा सरकार ने सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा हेतू 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति तीर्थ-यात्री, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतू 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति/ तीर्थ यात्री और स्वर्ण जयन्ती गुरु दर्शन योजना-2017 के लिए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा (नान्देड साहिब), श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुण्ड साहिब तथा श्री पटना साहिब हेतू 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति/ तीर्थ यात्री को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि प्रत्येक यात्रा के लिए 50 व्यक्तियों/ तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहन के रुप में दी जाएगी।

मेले और त्यौहार

8.73 (क) सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला-सूरजकुण्ड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा पर्यटन, कपडा, संस्कृति एवं विदेश मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। मेला 1987 में कुशल कारीगरों के पूल को बढावा देने के लिए शुरू किया गया था जो स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करते थे, लेकिन सस्ती मशीन निर्मित नकल के कारण पीडित थे। मेले को 2013 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया। 36वां अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला-2023, दिनांक 03 से 19 फरवरी, 2023 तक आयोजित किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन पार्टनर नेशन था और अपने कलाकार, कारीगरों और अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेगा। (ख) आम मेला-हर वर्ष विश्व प्रसिद्व यादवेन्द्रा गार्डन पिंजौर गार्डन में जुलाई के पहले सप्ताह के अन्त में आम मेले का वार्षिक आयोजन किया जाता है (ग) विरासत मेला-यादवेन्द्र गार्डन पिंजौर में प्रत्येक वर्ष के अक्तूबर माह में "विरासत महोत्सव" आयोजित किया जाता है (घ) दिवाली मेला 2023-माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा 03 से 10 नवम्बर, 2023 तक सूरजकुण्ड, फरीदाबाद में दिवाली मेले का आयोजन किया गया था।

फार्म टूरिजम स्कीम

8.74 हरियाणा के ग्रामीण इलाके में फार्म हाउस मालिकों की वितीय स्थिति में सुधार करने के लिए पर्यटन विभाग हरियाणा द्वारा फार्म टूरिजम स्कीम को चलाया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे राज्य में अब तक 35 फार्म हाऊस रजिस्टर्ड हुए है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

8.75 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सतत आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संरक्षण के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं को निपटाने के लिये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम बोर्ड) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा अधिनियमिताओं में सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न नियमों में सुधार किया गया और अधिसूचना जारी की गई तथा राज्य में जैविक चिकित्सा, ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट प्रभावी रूप से प्रयोग किये जा रहे है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग एक सुधार एजेंसी है जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य को नियंत्रित करता है।

रेफरल लैबोरेटरी

8.76 सरकार द्वारा प्राप्त कानूनी नमूनों का विश्लेषण करने के लिए जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981 के तहत रैफरल प्रयोगशाला की स्थापना की गई। विश्लेषक (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, के तहत प्राप्त सभी कानूनी नमूनों का विश्लेषण कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया गया।

विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद तथा कुरूक्षेत्र

8.77 वर्तमान में दो विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में कार्य कर रहें हैं जो विभिन्न अधिनियमों अर्थात जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981, भारतीय वन अधिनियम, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986, वन्य जीवन अधिनियम एवं पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पी.एल.पी.ए.) के मामलों को देखते है। वर्ष 2023-24 में 3.38 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। केसों का विवरण तालिका 8.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.15 -संस्थापित तथा निपटाये गये केसों का विवरण।

विशेष पर्यावरण न्यायालय में निपटाये गये केस	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये
फरीदाबाद	180	128	308	332	380	335	271	182
कुरूक्षेत्र	303	27	306	275	168	258	121	46

स्त्रोतः पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा।

स्वर्ण जयन्ती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

8.78 राज्य सरकार के पास आई.एम.टी.मानेसर, गुरूग्राम में स्वर्ण जयन्ती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान नामक प्रतिष्ठित परियोजना में से एक है जो वायु, जल, खतरनाक और ठोस अपशिष्ठ प्रदुषण जैसे औद्योगिक इकाईयों सहित समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण संवेदनशीलता और ज्ञान को बढावा देती है। इसे राज्य सरकार द्वारा जिला गुरूग्राम में स्थित औद्योगिक इकाईयों के सहयोग से शुरू किया जाएगा।

पर्यावरण प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

8.79 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, विभिन्न पर्यावरणीय मुददों पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण आयोजित करके खतरनाक पर्यावरण प्रदुषण के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। हरियाणा में उपकरणों और भू-स्थानिक प्रौधोगिकी का प्रयोग करके वायु गुणवत्ता पैरामीटर के लिए एक प्रयोगसिद्ध माडल 10.05 लाख रूपये की लागत से विकसित किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त विभाग द्वारा 50 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है।

राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति

8.80 राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति अधिसूचना, 2006 के तहत श्रेणी-बी परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए 21-02-2022 से 21-02-2025 तक 3 वर्षो के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था। यह समिति नई परियोजनाओं/ विस्तारवादी गतिविधियों/ वर्तमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण अथवा ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं पर कुछ प्रतिबन्ध और निषेध लगाने के लिए गठित की गई थी। समिति का जनादेश निर्माण से लेकर खनन और औद्योगिक गतिविधियों से लेकर विभिन्न श्रेणियों के तहत पर्यावरण मंजूरी की स्थिति की निगरानी करना है। पर्यावरण परियोजनाओं की अनुमति का विवरण तालिका 8.16 में दिया गया है।

तालिका 8.16- पर्यावरण परियोजनाओं की अनुमति

वर्ष	प्राप्त परियोजना	परियोजना निपटान	प्राप्त संवीक्षा शुल्क (लाख रूपये में)
2022-23	210	294	289
2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)	143	108	167

स्रोतः पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा।

जलवायु परिवर्तन सैल

8.81 पर्यावरण मंत्रालय, वन एंव जलवायु परिवर्तन के दिशानिर्देशों के अनुसारए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के परामर्श के बाद जलवायु परिवर्तन की राज्य कार्य योजना तैयार की गई है। एस.ए.पी.सी.सी.-1 को राज्य संचालन समिति द्वारा वर्ष 2013 में पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। अब एस.ए.पी.सी.सी..2 को राष्ट्रीय निर्धारित, लक्ष्यों और अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित लक्ष्यों के आलोक में संशोधित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना का संशोधन (एस.ए.पी.सी.सी.)

8.82 जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, वन एंव जलवायु परिवर्तन द्वारा वांछित रूप में लक्षित राष्ट्रीय निर्धारित अशंदान (आई.एन.डी.सी.) के तहत किये गये प्रतिबद्धताओं के प्रकाश में संशोधन की प्रक्रिया अधीन है। एस.ए.पी.सी.सी.के संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। एस.ए.पी.सी.सी. के पुर्नरीक्षण का मामला जी.आई.जैड. के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है।

राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण

8.83 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबन्धन) नियम, 2017 के दिशा-निर्देशों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था ताकि उनके संरक्षण और प्रबन्धन द्वारा राज्य में आर्द्र भूमि की पहचान की जा सके।

एनविस

8.84 पर्यावरण, सूचना प्रणाली हब की स्थापना पर्यावरण से सम्बन्धित आकड़ों को एकत्रित करके प्रसारित करने हेतु की गई है। एनविस योजना जो पहले पर्यावरण जागरूकता, नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के तहत थी, को अब पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास की संशोधन योजना में शामिल किया गया है तथा इसे

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए अनुमोदित किया गया है। संशोधित योजना के तीन घटक हैं अर्थात (1) पर्यावरण सूचना (2) जागरूकता क्षमता निर्माण और (3) आजीविका कार्यक्रम।

ईको क्लबों की स्थापना

8.85 राज्य सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों में 5,250 इको क्लब स्कूल स्थापित किये गये हैं। ये इको क्लब वृक्षारोपण की तरह राज्य भर में विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं, आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना आदि। वर्ष 2023-24 में 250 लाख रुपये की राशि विभाग को प्राप्त हुई है। 5,250 ईको क्लब स्कूलों में 2,000 रुपये प्रति ईको कल्ब स्कूल की दर से वितरित किये जायेंगे।

अपीलीय प्राधिकरण

8.86 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा में अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है। न्यायाधीश सुरिन्द्र गुप्ता को अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अपीलीय प्राधिकरण एच.एस.पी.सी.बी. से सम्बन्धित कानूनी मामलों से सम्बन्धित विवादों को हल करने के लिए कार्य कर रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 47 मामलों (27 बैक लाग और 20 संस्थागत मामले) में से 44 मामलों को निपटाया जा चुका है और 3 केस लम्बित है।

पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार

8.87 सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण (जल और वायु), प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण, विभिन्न प्रकार के कचरे के प्रबन्धन, पर्यावरण के मुददों एवं सम्बन्धित विषय पर आम जनता के मध्य जागरूकता लाने के कार्य में उत्कृष्ठता के लिए "प्रो. दर्शन लाल जैन" राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार में भाग लेने वाले पात्र वह डोमेन संगठन/ संस्थान, सरकारी विभाग, व्यक्ति, गैर-सरकारी संगठन, स्कूल, कालेज और निजी संस्थाएं होंगे जिन्होनें पर्यावरण संरक्षण में अनुकरणीय कार्य किया है। राज्य द्वारा प्रत्येक वर्ष चिन्हित विजेताओं को दो पुरस्कार प्रथम 3 लाख और द्वितीय 1 लाख के दो पुरस्कार दिये जायेंगे।

सहकारिता

8.88 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार ने सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही 27 राज्य योजनाओं (कल्याण एवं विकास योजनायें) के अन्तर्गत 1,16,535 लाख रूपये (द्वितीय अनुपूरक अनुदान सहित) एवं 8 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 5,449 लाख रूपये का आबंटन किया है। आबंटित बजट एवं व्यय का वर्षवार विवरण तालिका 8.17 में दिया गया है।

तालिका 8.17-राज्य योजनाओं के आबंटित बजट व व्यय का वर्षवार विवरण

(रूपये लाख में)

वर्ष	राज्य योजनाओं के आबंटित बजट	एन.सी.डी.सी. के तहत आंबटित बजट प्रायोजित योजनायें	कुल आबंटित बजट	कुल खर्च
2018-19	103718.67	1218.14	104936.81	98753.60
2019-20	139729.35	1468.00	141197.35	122680.80
2020-21	99857.05	265.00	100122.05	93761.58
2021-22	204029.22	2593.47	206622.69	128003.09
2022-23	169248.01	3521.93	172769.94	139758.72

स्रोतः रजिस्ट्रार सहकारी समितिया विभाग, हरियाणा।

8.89 राज्य सरकार ने पिराई सीजन में गन्ने की कीमत बढाकर 372 रुपये व 365 रुपये प्रति कि0 क्रमशः अगेती किस्मों और मध्यम एवं पछेती किस्मों के लिए निर्धारित की है। पिराई सीजन 2022-23 में सभी सहकारी चीनी मिलों ने 1,710.64 करोड़ मूल्य के 460.58 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की एवं समस्त गन्ना राशि का भुगतान सभी सहकारी चीनी मिलों ने राज्य सरकार द्वारा असुरक्षित ऋण के रुप में उपलब्ध करवाई गई 494.97 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपरान्त गन्ना किसानों को कर दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चीनी मिलों को 113.88 करोड़ रुपये अनुदान राशि के रुप में प्रदान किए गए हैं। दिनांक 31-10-2023 तक हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों द्वारा राज्य सरकार को 4,315.96 करोड़ रूपये देय है जोकि सरकार द्वारा बकाया गन्ने के भुगतान हेतु वर्ष 2007-08 से ऋण के रूप मे दिए गए।

राष्ट्रीय पुरस्कार

8.90 हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार जीते है। पिराई सीजन 2020-21 के दौरान गन्ना विकास के लिए सहकारी चीनी मिल कैथल ने गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार एवं तकनीकी दक्षता के लिए शाहबाद सहकारी चीनी मिल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। पिराई सीजन 2021-22 के लिए सहकारी चीनी मिल करनाल ने तकनीकी दक्षता के लिए प्रथम पुरस्कार और सहकारी चीनी मिल शाहबाद ने अधिकतम गन्ना पिराई के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किये है।

स्थापना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण

8.91 कैथल और महम सहकारी चीनी मिलों की पिराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3000 टी.सी.डी. करने हेतू निविदा का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 85.79 करोड़ रूपये है। राज्य सरकार ने पानीपत सहकारी चीनी मिल में 90 के.एल.पी.डी (60 के.एल.पी.डी. बी-हैवी मौलासीस व 30 के.एल.पी.डी. ग्रेन/ मौलासीस आधारित) क्षमता के एथनाल प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना की निविदा का कार्य प्रगति पर है। इसकी अनुमानित लागत 150.64 करोड़ रूपये हैं। चीनी मिल, असंध ने वर्ष 2023-24 में दिनांक 31-10-2023 तक 3.00 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की व 11.23 प्रतिशत चीनी की प्राप्ति के साथ 73.65 करोड़ रुपये का कारोबार अर्जित किया है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

8.92 मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान 36.88 करोड़ रूपये तक का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 30-09-2023 तक सरकार से अनुदान के रूप में 3,937.45 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं और यह अनुदान राशि दुग्ध संयत्रों को सहकारी दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में सीधे जारी करने के लिए दी गई है।

8.93 डेयरी संरचना विकास निधि योजना के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जीन्द मिल्क प्लांट को 1,250 लाख रूपये और सिरसा मिल्क प्लांट को 572 लाख रूपये की मंजूरी दी है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 80 प्रतिशत उधार देगा और 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करेगा। राज्य सरकार ने 2.5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है। अन्तिम कार्यान्वयन एजैंन्सी को ब्याज के रूप में केवल 4 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। डेयरी प्रोसेसिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट फंड (DIDF) के अन्तर्गत 781.00 लाख रूपये दुग्ध संघ, जीन्द और 288.00 लाख रूपये दुग्ध संघ, सिरसा को प्राप्त हो गए है। मध्याह्न-भोजन (मिड-डे-मील) योजना के

तहत, 31-01-2024 तक, लगभग 525.00 करोड़ रुपये की लागत के 16,500 मीट्रिक टन प्रारंभिक शिक्षा विभाग, हरियाणा को उनकी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की गई है। इस योजना के तहत लगभग 13.70 लाख स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के तहत सप्ताह में तीन दिन 200 मिलीलीटर दूध पिलाया जाता है। आंगनवाडी केन्द्र के लिए पूरक पोषाहार योजना के तहत 1 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवति महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को फोर्टिफाईड स्वीटड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पावर की आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा महिला एवं बाल विकास की आवश्यकतानुसार 31-01-2024 तक 529 करोड़ रूपये की लागत से लगभग 15,800 मीट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्राथमिक सहकारी श्रम और निर्माण समितियां

8.94 प्राथमिक सहकारी श्रम और निर्माण समितियों ने 01-10-2019 से 31-10-2023 के दौरान अनुमानित 2,153.42 करोड़ रुपये के कार्य निष्पादित किए। 50 लाख तक की लागत वाले सभी (कुशल/ अकुशल) कार्य केवल सहकारी श्रम और निर्माण समितियों के लिए आरक्षित होंगे। सरकारी हस्पताल और शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता के कार्य सहकारी श्रम और निर्माण समितियों के लिए आरक्षित होंगे। यदि सहकारी श्रम और निर्माण समितियां निविदा देने में विफल रहती हैं तो सेवा प्रदाताओं और सहकारी श्रम व निर्माण समितियों दोनों से खुली निविदाएं आंमत्रित की जा सकती है।

***

अनुलग्नक 1.1–वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2011-12=100)

उद्योग समूह कोड	समूह विवरण	भार	सूचककांक		
			2019-20	2020-21	2021-22
10	खाद्य उत्पादों का निर्माण	83.50	59.1	52.1	36.1
11	पेय उत्पादों का निर्माण	12.57	91.2	77.9	28.4
12	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	0.75	246.7	225.2	178.5
13	कपड़ा उत्पादों का निर्माण	40.43	145.9	142.8	117.2
14	परिधान उत्पादों का निर्माण	49.68	226.2	229.2	103.9
15	चमड़े एवं इससे सम्बन्धित उत्पादों का निर्माण	27.44	108.9	106.4	127.2
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और कार्क के उत्पादनों का निर्माण व स्टाक और प्लाटिंग सामग्री के उत्पादों का निर्माण	3.09	312.0	249.8	339.5
17	कागज एवं कागज उत्पादों का निर्माण	9.27	130.3	77.8	89.7
18	छपाई और रिकार्डिड मीडिया की प्रजनन उत्पादों का निर्माण	4.16	185.9	159.5	200.5
19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	0.41	175.4	104.8	79.8
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	23.19	145.3	85.5	106.4
21	फार्मास्यूटिकल्स एवं औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण	13.34	92.6	38.8	77.8
22	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	22.53	118.5	37.4	38.9
23	अन्य गैर धातु उत्पादों का निर्माण	18.73	168.1	142.5	91.5
24	आधारभूत धातुओं का निर्माण	48.60	94.5	104.2	131.3
25	मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	32.54	169.1	121.4	118.2
26	कंम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक और आप्टिकल उत्पादों का निर्माण	11.16	286.6	255.2	90.9
27	बिजली के उपकरणों का निर्माण	58.22	265.1	251.2	187.6
28	मशीनरी उपकरण का निर्माण	106.63	203.8	222.9	391.8
29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों उत्पादों का निर्माण	230.72	187.7	174.3	225.9
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	121.25	110.8	119.7	76.5
31	फर्नीचर का निर्माण	0.41	87.7	56.0	0.2
32	अन्य विनिर्माण	9.21	232.9	859.6	1186.0
	विनिर्माण	927.83	166.4	158.1	174.6
	बिजली	72.17	72.0	61.9	99.6
	सामान्य सूचकांक	1000	154.4	151.2	169.2

स्त्रोतः- अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 1.2- औद्योगिक उत्पाद वर्गों में वृद्धि

(आधार वर्ष 2011-12=100)

उद्योग समूह कोड	समूह विवरण	भार	सूचकांक		
			2019-20	2020-21	2021-22
	निर्माण क्षेत्र	927.83	166.4	158.1	174.6
वर्ष 2021-22 के दौरान 10% से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
21	फार्मास्यूटिकल्स एवं औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण	13.34	0.2	-58.1	100.5
28	मशीनरी उपकरण का निर्माण	106.63	-9.3	9.4	75.8
32	अन्य विनिर्माण कार्य	9.21	49.9	269.2	38
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और कार्क के उत्पादनों का निर्माण व स्टाक और प्लाटिंग सामग्री के उत्पादों का निर्माण	3.09	-3.8	-19.9	35.9
29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों उत्पादों का निर्माण	230.72	26.2	-7.2	29.6
24	आधारभूत धातुओं का निर्माण	48.6	0.0	10.3	26.0
18	छपाई और रिकार्डिड मीडिया की प्रजनन उत्पादों निर्माण	4.16	-16.7	-14.2	25.7
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	23.19	-4.3	-41.1	24.4
15	चमड़े एवं इससे सम्बन्धित उत्पादों का निर्माण	27.44	-3.2	-2.3	19.5
17	कागज एवं कागज उत्पादों का निर्माण	9.27	0.5	-40.3	15.3
वर्ष 2020-21 के दौरान 5% से 10% के बीच विकास दर वाले औद्योगिक वर्ग					
वर्ष 2020-21 के दौरान विकास दर 5% से नीचे वाले औद्योगिक वर्ग					
22	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	22.53	12.7	-68.4	4.0
वर्ष 2020-21 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					-2.6
25	मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	32.54	8.7	-28.2	-17.9
13	कपड़ा उत्पादों का निर्माण	40.43	-9.4	-2.1	-20.7
12	तंबाकू त्पादों का निर्माण	0.75	-14.6	8.7	-23.9
19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	0.41	16.6	-40.2	-25.3
27	बिजली के उपकरणों का निर्माण	58.22	50.9	-5.3	-30.7
10	खाद्य उत्पादों का निर्माण	83.50	4.8	11.8	-35.8
23	अन्य गैर धातु उत्पादों का निर्माण	18.73	8.5	-15.2	-36.1
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	121.25	14.2	8.1	-54.7
14	परिधान उत्पादों का निर्माण	49.68	1.1	1.3	-63.5
11	पेय उत्पादों का निर्माण	12.57	0.5	-14.6	-64.4
26	कंम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक और आप्टिकल उत्पादों का निर्माण	11.16	13.1	-10.9	35.9
31	फर्नीचर का निर्माण	0.41	13.5	-36.1	-99.6

स्त्रोतः- अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 2.1- हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(करोड़ रूपये में)

मदें	2020-21	2021-22	2022-23 (स.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	71913.01	85485.48	97002.48	109122.42
क) राज्य के अपने स्त्रौत (I+II)	53227.29	60771.28	76290.59	88367.51
I) राज्य का अपना कर राजस्व (iसे ix)	46265.80	53377.16	65336.30	75716.50
i) भू-राजस्व	16.60	21.29	25.00	25.00
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	6864.42	7933.42	10000.00	11500.00
iii) बिक्री कर	8660.17	11220.71	11500.00	12950.00
iv) मोटर वाहनों पर कर	2495.08	3264.61	4200.00	4700.00
v) स्टाम्प तथा रजिटेशन	5157.01	7598.38	10650.00	12550.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	3.74	5.94	5.00	5.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	476.07	404.36	450.00	500.00
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	4.92	6.30	6.30	6.500
ix) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	22587.79	22922.15	28500.00	33480.00
II) राज्य का अपना गैर-कर राजस्व (i से v)	6961.49	7394.12	10954.29	12651.01
i) ब्याज प्राप्तियां	1561.73	1378.23	2122.97	2150.15
ii) लाभांश तथा लाभ	163.14	1007.59	460.56	500.00
iii) सामान्य सेवाएं	337.11	621.54	546.50	763.50
iv) सामाजिक सेवाएं	2948.23	1865.85	3088.65	4717.15
v) आर्थिक सेवाएं	1951.28	2520.91	4735.61	4520.21
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (III+IV)	18685.72	17320.40	20711.88	20753.91
III) केन्द्रीय करों का भाग	6437.59	9722.16	10378.00	11164.43
iv) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	12248.13	7598.24	10333.88	9590.48
2. पूंजीगत प्राप्तियां (iसे iii)	25628.99	24951.38	35469.73	39607.18
i) कर्जे की प्राप्तियां	431.95	500.24	742.56	1132.80
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	62.97	67.14	2000.00	5200.00
iii) उधार तथा अन्य ऋण	25134.07	24384.00	37727.17	33274.38
कुल प्राप्तियां (1+2)	97542.00	110436.86	132472.21	148729.60

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज।

अनुलग्नक 2.2-हरियाणा सरकार का व्यय

(करोड़ रूपये में)

मदें	2020-21	2021-22	2022-23 (स.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
1. राजस्व व्यय (क़+ख)	89946.60	98426.04	115007.54	126071.45
क) विकासात्मक (i+ii)	55212.43	60477.13	70591.26	79826.67
i) सामाजिक सेवाएं	36163.96	40927.67	46696.29	49327.62
ii) आर्थिक सेवाएं	19048.47	19549.46	23894.97	30499.05
ख) गैर-विकासात्मक (i से v)	34734.17	37947.89	44416.26	46244.78
i) राज्य की विधाएं	1049.84	1194.49	1573.02	1853.75
ii) वित्तीय सेवाएं	610.33	647.83	716.56	996.17
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	17114.67	18861.60	21289.02	21549.90
iv) प्रशासनिक सेवाएं	5862.75	6624.99	7986.95	8643.59
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	10096.58	10618.98	12850.71	13201.37
2. पूंजीगत व्यय (ग+घ+ड़)	7595.40	12011.83	17464.67	22658.15
ग) विकासात्मक (i से ii)	6210.47	11355.04	16623.66	20516.69
i) सामाजिक सेवाएं	2990.50	5475.00	6129.93	8759.65
ii) आर्थिक सेवाएं	3219.97	5880.05	10493.73	11757.04
घ) गैर विकासात्मक (i से ii)	584.93	656.78	841.01	2141.46
i) सामान्य सेवाएं	387.61	562.07	701.01	1976.46
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	197.32	94.71	140.00	165.00
ड़) अन्य*	0.00	0.00	0.00	0.00
3. कुल व्यय (1+2)	97542.00	110437.87	132472.21	148729.60
4. कुल विकासात्मक व्यय (क़+ग)	61422.89	71832.17	87214.92	100343.36
5. कुल गैर-विकासात्मक व्यय (ख़+घ)	35319.10	38604.17	45257.27	48386.24
6. अन्य*(ड़)	0.00	0.00	0.00	0.00

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

* आकस्मिक निधि का विनियोग।

स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज।

अनुलग्नक 2.3-हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपये में)

मदें	2020-21	2021-22	2022-23 (स.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-)1644.39	(-)462.93	(-)370.70	(-)437.28
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-)1631.96	(-)375.02	(-)107.79	(-)174.37
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	71913.01	85485.48	97002.48	109122.42
ख) खर्च	89946.60	98425.04	115007.54	126071.45
ग) अधिशेष/घाटा	(-)18033.59	(-)12939.56	(-)18005.06	(-)16949.03
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	62.97	67.15	2000	5200
4. पूंजीगत परिव्यय	5869.70	11045.57	14645.62	18460.24
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	49464.73	47711.81	60903.98	64840.00
ख) पुनः अदायगी	29497.60	25472.95	32335.63	35220.37
ग) निवल	19967.13	22238.86	28568.35	29619.63
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	925.70	966.26	2819.05	4197.91
ख) वसूलियां	431.95	500.24	742.56	1132.80
ग) निवल	(-)493.75	(-) 466.02	(-)2076.49	(-) 3065.11
7. अतराज्य समायोजन	-	-	-	-
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन	800.00	-	-	-
9. आकस्मिक निधि (निवल)	800.00	-	-	-
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	1034.45	397.53	1110.56	1018.95
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	4474.84	1838.09	2966.86	2372.58
12. प्रेषण (निवल)	39.11	1.75	14.82	(-)31.19
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन-देन)	1181.46	92.23	(-)66.58	(-)294.41
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	(-)462.93	(-)370.70	(-)437.28	(-)731.69
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	(-)450.50	(-)107.79	(-)174.37	(-)468.78

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

* आकस्मिक निधि का विनियोग। स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज।

अनुलग्नक 2.4-आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(करोड़ रूपये में)

मदें	2020-21	2021-22	2022-23 (स.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
I. प्रशासकीय विभाग (1 से 7)	92476.59	103729.14	122248.63	132152.42
1. उपभोग व्यय (i+ii+iii)	38095.02	39688.29	47005.67	50690.48
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	31755.64	34535.41	39467.18	42320.06
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख-रखाव सम्मिलित है	5893.36	4483.61	7311.25	8060.18
iii) उदार हस्तांतरण	446.02	669.27	227.24	310.24
2. चालू हस्तांतरण'*	40301.86	51135.95	57988.67	55327.74
3. सकल पूंजी निर्माण	4229.33	9381.37	11793.98	15282.85
4. पूंजीगत हस्तांतरण	8380.68	2297.63	3152.30	10907.16
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	531.74	213.49	(-)709.52	(-)4362.45
6. कर्ज तथा अग्रिम	925.70	966.27	2819.04	4197.90
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	12.26	46.14	198.49	108.74
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	4897.31	5850.47	7614.89	9143.18
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख-रखाव सम्मिलित है	916.67	1515.59	1927.04	2171.56
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	1844.24	1711.03	3000.02	3374.55
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	43.96	40.20	50.21	55.21
4. ब्याज	831.42	909.58	684.17	683.67
5. सकल पूंजी निर्माण	1235.64	1673.40	1944.65	2856.79
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	25.38	0.67	8.80	1.40
कुल व्यय (I+II)	97373.90	109579.61	129863.52	141295.60

स.अ.: संशोधित अनुमान,

ब.अ.: बजट अनुमान

* चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज/अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।